राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

को

विद्या-वाचस्पति (पीएच. डी.) शिक्षा में

शोध-उपाधि की सम्पूर्ति हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

2018

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. अनिल कुमार जैन

सह आचार्य एवं निदेशक

शोधकर्ता

संजय कुमार

पंजी. सं. VMOU/Ph.**D**14/ED/29

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड

कोटा-324021 (राजस्थान)

अनुमोदन प्रमाण-पत्र

(Approval Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि संजय कुमार ने ***राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन (Rajasthan Ki Sahariya Janjati Ke Balak-Balikaon Ki Shaikshnik aur Manosamajik Sthiti tatha Chunautiyon ka Adhyayan)*** विषय पर विद्या-वाचस्पति (पीएच. डी.) शिक्षा की शोधोपाधि हेतु यह शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल./पीएच. डी. हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम-2009 में वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए नियमित शोधार्थी के रूप में पूर्ण किया है। शोधार्थी का यह मौलिक प्रयास है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी ने मेरे निर्देशन में निर्धारित शोध अवधि (वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा, राजस्थान) के अनुरूप शिक्षा विद्यापीठ में पूर्णकालिक उपस्थित रहकर शोधकार्य सम्पन्न किया है।

शोधार्थी के प्रस्तुत प्रयास से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और मूल्यांकन हेतु यह शोध प्रबन्ध शिक्षा में विद्या-वाचस्पति (पीएच.डी.) की शोधोपाधि हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान को प्रेषित करने की संस्तुति करते हुए शोधार्थी के यशस्वी तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

सधन्यवाद।

दिनाँकः जून 2018

स्थान: कोटा (राजस्थान)

शोध पर्यवेक्षक
डॉ. अनिल कुमार जैन
सह आचार्य एवं निदेशक
शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
रावतभाटा रोड, कोटा-324021 (राजस्थान)

घोषणा-पत्र

(Declaration Certificate)

मैं, संजय कुमार, घोषणा करता हूँ कि यह शोध-कार्य जिसका शीर्षक ***राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन (Rajasthan Ki Sahariya Janjati Ke Balak-Balikaon Ki Shaikshnik aur Manosamajik Sthiti tatha Chunautiyon ka Adhyayan)*** है, मैंने डॉ. अनिल कुमार जैन, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान) के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम-2009 में वर्णित दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए नियमित शोधार्थी के रूप में पूर्ण किया है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान) को विद्या-वाचस्पति (पीएच. डी.) शिक्षा की शोधोपाधि हेतु प्रस्तुत मेरा यह शोध प्रबन्ध मूलभूत एवं वास्तविक सूचनाओं पर आधारित मौलिक कार्य है, और यह इससे पूर्व किसी अन्य विश्वविद्यालय की किसी भी शोधोपाधि के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि इस घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों में कोई भिन्नता पायी जाती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।

सधन्यवाद।

दिनांक: जून 2018
स्थान: कोटा (राजस्थान)

शोधकर्ता
संजय कुमार
पंजी. सं. –VMOU/Ph.D14/ED/29

आभारोक्ति

(Acknowledgement)

भारतीय चिन्तनधारा की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य ऋणी के रूप में ही जन्म लेता है। प्रस्तुत शोध कार्य ***राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन (Rajasthan Ki Sahariya Janjati Ke Balak-Balikaon Ki Shaikshnik aur Manosamajik Sthiti tatha Chunautiyon ka Adhyayan)*** जन्मतः प्राप्त शिक्षक ऋण से उऋण्ण होने के प्रयत्न का एक तुच्छ अंश है। इस प्रयत्न में अनेकानेक शिक्षकों तथा महानुभावों ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करके मुझे अपना ऋणी बनाया है। सर्वाधार सृष्टि के रचयिता परम पिता परमेश्वर, मेरे जन्मदाता पूजनीय माता-पिता, मेरे अन्तर्मन में ज्ञान का प्रस्फुटन करने वाले आदरणीय गुरुजन तथा मेरे परमहितैषी आलोचक मित्रों के अनुभवी मार्गदर्शन और सहयोग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किये बिना प्रस्तुत शोध कार्य की सार्थकता नगण्य होगी। अतः मेरे इस शोध कार्य की पूर्ति में मुझे जिन सज्जनों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरा पुनीत कर्तव्य है।

प्रस्तुत शोध कार्य योग्य और अनुभवी निर्देशक की गुरुतर कृपा, बहुमूल्य सुझाव, कुशल निर्देशन और आत्मीयतापूर्ण सहयोग का ही प्रतिफल है। इसलिये शोध कार्य को पूर्ण कराने हेतु सर्वप्रथम मैं अपने शोध निर्देशक परम श्रद्धेय डॉ. अनिल कुमार जैन, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा-विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) के प्रति हृदय के विनीत भाव से असीम आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप यह शोध कार्य मूर्त रूप ले सका है। मैं अपने विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रो. अशोक कुमार शर्मा द्वारा मुझे प्रदान किए गए स्नेहिल आशीष को अपना अधिकार समझता हूँ। उनकी आत्मीय प्रेरणा मेरे विकास के पथ का पाथेय है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मुझ अकिंचन के पास शब्दों का अभाव है। शोध कार्य को नवीन ऊर्जा और दिशा देने में पूर्व कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के प्रति मैं अत्यंत आभारी हूँ , जिनके परम स्नेह और उचित मार्गदर्शन से यह शोध कार्य वर्तमान स्वरूप ले सका। शोध कार्य में नवीनता लाने और प्रोत्साहित करने के लिए शोध निदेशक डॉ. सुबोध कुमार एवं उप शोध निदेशिका डॉ. क्षमता चौधरी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। शोध समस्या के चयन और उससे संबंधित शोध अभिकल्प पर विवेचन

तथा मार्गदर्शन हेतु पूर्व निदेशक, शिक्षा-विद्यापीठ, एवं शोध विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रो. आर.आर. सिंह के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सहयोग के अभाव में यह शोध कार्य किया जाना असंभव था। शोधार्थी शैक्षिक निदेशक प्रो. एल.आर. गुर्जर, वाणिज्य और प्रबन्धन विद्यापीठ के निदेशक प्रो. पी.के. शर्मा, इतिहास विभाग के पूर्व आचार्य प्रो. याकूब अली, शोध विभाग के पूर्व निदेशक प्रो. दिनेश गुप्ता का भी हृदय से आभारी है, जिन्होंने सदैव मुझे शोध कार्य पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया।

प्रस्तुत शोध कार्य की रूपरेखा को तैयार करने तथा स्वस्थ समालोचनाओं को मूर्त रूप देने में मैं अपने शोध कार्य के लिए शिक्षा-विद्यापीठ के बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न शिक्षकों डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. पतंजलि मिश्रा एवं डॉ. कीर्ति सिंह को उनके अमूल्य सहयोग के लिये आदर सहित आभार प्रकट करता हूँ। विषय-वस्तु की सारगर्भिता को समझने और सार्थक बनाने में डॉ. आलोक चौहान, डॉ. सुशील राजपुरोहित, डॉ. मीता शर्मा, डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. अनिरुद्ध गोधा और डॉ. कपिल गौतम का भी शोधार्थी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने बहुमूल्य सुझावों से समय-समय पर शोधार्थी को प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त मैं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने समय-समय पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर शोधार्थी को आत्मिक बल प्रदान किया। शोध कार्य की पूर्णता में आर.बी.एस. कॉलेज, आगरा के जन्तु विज्ञान-विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार वर्मा एवं आगरा कॉलेज, आगरा की जन्तु विज्ञान विभाग की सह आचार्या डॉ. सुमन चोजर के प्रति मैं श्रद्धावनत होकर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय-समय पर बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा मार्गदर्शन किया। इस शोध कार्य को पूर्णता प्रदान करने में आदरणीय गुरुवर श्रद्धेय प्रो. केशव शर्मा (पूर्व आचार्य, शिमला विश्वविद्यालय), प्रो. गिरीश्वर मिश्र (कुलपति, महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा) प्रो. पी.के. सामल (आचार्य, मानवविज्ञान विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक), डॉ. ए. आर. शर्मा (पूर्व आचार्य, शिक्षा विभाग, आर.बी.एस. कॉलेज, आगरा), डॉ. सुधा शर्मा (आचार्या एवं विभागाध्यक्षा, शिक्षा विभाग, आर.बी.एस. कॉलेज, आगरा), डॉ. जितेन्द्र प्रताप सिंह (सह आचार्य, शिक्षा विभाग, बी.यू., झाँसी), डॉ. लालधारी यादव (पूर्व सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, बी.यू., झाँसी), डॉ. बृजेश कुमार वर्मा (पूर्व सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, बी.यू., झाँसी) तथा डॉ. विवेक शंकर (कोटा, कॉलेज, कोटा) की जो सतत् प्रेरणा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वस्तुतः वह श्लाघनीय भी है और स्तुत्य भी है। उनके श्री चरणों में

नमन करते हुए मैं गौरव का अनुभव करता हूँ। इनके अतिरिक्त मैं डॉ. शैलेश कौशल, डॉ. नीरज शुक्ला, डॉ. पुष्कीर्ति गुप्ता, डॉ. कोमल प्रसाद शर्मा, श्री वेद प्रिय शास्त्री, श्री शिव नारायण सेन, श्री ओम प्रकाश आर्य, श्री भवानी शंकर, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री गोवर्धन लाल रेगर, श्री सुरेश कुमार सैनी, श्री बदन सिंह वर्मा, श्री हरिशंकर अग्निहोत्री, श्री उमेशचन्द्र कुलश्रेष्ठ और श्री शिवनंदन आर्य के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके आत्मीयतापूर्ण मार्गदर्शन से शोध कार्य सम्पन्न हो सका।

शोध कार्य की अनुभूति देने हेतु शोधार्थी अपने पूर्व कार्यस्थल प्रारंभ शिक्षा विद्यापीठ झज्जर में एच.पी.पी.आई. की ओर से शैक्षणिक उन्नयन हेतु अपनी पांच सदस्यीय टीम के साथ सेवायें दे रहे श्री वेद प्रकाश यादव, श्री सुमेर सिंह यादव, श्री सतीश कुमार यादव, श्री बल्लाराम, मिस ग्रेटे, श्री स्नोरे वेस्टगार्ड, श्री एल्मर और श्री संतोष कुमार यादव के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है, जिनका सानिध्य प्रस्तुत शोध कार्य की आधारशिला बना है। मैं आभार प्रकट करता हूँ संकल्प संस्था मामौनी, आर्य समाज सीताबाड़ी, वनवासी कल्याण आश्रम सीताबाड़ी, राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ शाहबाद एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सहरिया विकास परियोजना अधिकारी शाहबाद श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर तथा परियोजना कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रति जिन्होंने सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने में मेरी सहायता की। शोधार्थी बारां जिला के शिक्षा अधिकारियों एवं इनके कार्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के साथ ही राजकीय विद्यालयों के मुख्य अध्यापकों, सहायक अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के प्रति भी उनके सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने शोध कार्य से संबंधित आंकड़ों के संकलन के साथ ही समय-समय पर महत्वपूर्ण सुझावों और जानकारियों द्वारा मार्गदर्शन कर सहयोग प्रदान किया।

मैं अपने सहपाठियों और मित्रगण डॉ. आयुष श्रीवास्तव, डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. विश्वास पाण्डेय, श्री अनिल कुमार जैन, श्री सुभाष, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री हेमराज, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री विजय कुमार, श्री रवि मेघवाल, श्री मयंक गौड़, श्री सौरभ पाण्डेय, श्री अभिषेक नागर, श्री अतुल गुप्ता, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, कु. चेतना शुक्ल, श्री मुकेश सुमन, श्री विनोद कुमार पाण्डेय, श्री मोहन सिंह जोधा और श्री तुलसी प्रसाद प्रजापत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे सदैव शोध कार्य के लिए प्रेरित करने के साथ ही आर्थिक एवं मानसिक सहयोग भी प्रदान किया।

शोध कार्य को पूर्ण करने में मूलतः पारिवारिक सदस्यों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है, जिन्होंने हताशा-निराशा, तनाव एवं कुण्ठा के क्षणों में भी मेरे मनोबल को क्षीण नहीं होने दिया तथा उत्साहवर्धन कर इस शोध कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया। शिक्षा के आलौकिक शिखर तक पहुँचाने वाले परम पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री धर्मचन्द्र और अग्रज स्वर्गीय श्री रमेश चन्द्र की मधुर स्मृति के प्रति मैं हृदय से अभिभूत हूँ। उनकी स्मृति और सतत् प्रेरणा के फलस्वरूप ही मैं इस गुरुतर कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका हूँ। मैं अपनी नित्य वन्दनीय एवं परम पूजनीया माता श्रीमती रामवती के श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, जिनके आशीर्वाद, अनुपम प्रेरणा, संरक्षण एवं अगाध स्नेह के परिणामस्वरूप यह शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे परिजनों श्री सुरेश चन्द्र, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्रीमती सुमन, श्रीमती द्रौपा, श्रीमती कुसुम और निकट संबंधियों श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री बादशाह सिंह, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती नीरा देवी, श्री रवि कुमार, श्री विपिन कुमार, श्रीमती सीमा देवी, श्रीमती प्रभा देवी और श्रीमती शान्ति देवी का सहयोग भी इस कार्य को पूर्ण करने में सहायक रहा है। उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

प्रस्तुत शोध कार्य को विद्वान परीक्षकों की सेवा में मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यद्यपि इस कार्य की सार्थकता का आंकलन तो विद्वान् परीक्षक ही कर सकेंगे तथापि मुझे विश्वास है कि मेरा यह अकिंचन प्रयास सुधी अध्येताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अन्त में उपर्युक्त उल्लिखित तथा अनुल्लिखित सभी विद्वानों, मार्गदर्शकों और सहयोगियों का भी मैं पुनः हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिनकी प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मेरा सम्बल रहा है।

''विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः''

सधन्यवाद।

दिनाँकः जून 2018 **शोधकर्ता**

स्थानः कोटा (राजस्थान) संजय कुमार

अनुक्रमणिका
(Index)

क्र. सं.	विवरण		पृष्ठ संख्या
1.	अनुमोदन प्रमाण-पत्र		i
2.	घोषणा-पत्र		ii
3.	आभारोक्ति		iii-vi
4.	तालिका सूची		xi-xiv
5.	दंड आरेख सूची		xv- xvi
6.	रेखाचित्र सूची		xvii
7.	मानचित्र सूची		xvii
8.	शब्द संक्षेपण		xviii
9.	प्राक्कथन		xix-xxi
10	संक्षिप्तिका		xxii-xxiv
क्र. सं.	**विवरण**		**पृष्ठ संख्या**
1.	**प्रथम अध्याय**	**शोध समस्या:आवश्यकता एवं महत्व**	
	1.1	प्रस्तावना	1-5
	1.2	जनजाति का सम्प्रत्य	5-11
	1.2.1	जनजातियों की समस्यायें	11-16
	1.3	राजस्थान की प्रमुख जनजातियां	16-17
	1.4	सहरिया जनजाति का संप्रत्यय	17-18
	1.5	सहरिया जनजाति का उद्भव एवं विकासक्रम	19-21
	1.6	सहरिया जनजाति की जनसंख्या	21-22
	1.7	सहरिया जनजाति का क्षेत्र एवं भौगोलिक स्थिति	23-26
	1.8	सहरिया जनजाति की शैक्षणिक पृष्ठभूमि	26-28
	1.9	सहरिया जनजाति की मनोसामाजिक पृष्ठभूमि	28-28
	1.10	सहरिया आदिम जनजाति का सामाजिक संगठन	30
	1.10.1	परिवार	30-31
	1.10.2	पुरखत	32
	1.10.3	कुल एवं क्लान	32
	1.10.4	सहरियाओं की बस्ती	32-37
	1.10.5	सहरियाओं के गोत्र	37-39
	1.10.6	सामाजिक स्थिति	39-40
	1.11	सहरिया जनजाति के समग्र विकास की नीतियाँ	40-42
	1.12	शोध समस्या की उत्पत्ति	42-44
	1.13	शोध समस्या कथन	44
	1.14	शोध समस्या का औचित्य एवं महत्व	44-46
	1.15	शोध समस्या से संबंधित प्रश्न	46-47

	1.16	शोध समस्या में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या एवं परिभाषीकरण	47-48
	1.17	शोध समस्या के उद्देश्य	4849
	1.18	शोध समस्या की परिकल्पनायें	49-53
	1.19	शोध अध्ययन का परिसीमांकन	53-54
	1.20	भौगोलिक कार्यक्षेत्र का परिचय	54
	1.21	बारां जिले का परिचय	54-56
	1.22	शोध कार्यक्षेत्र का परिचय	56
	1.23	अध्याय सारांश	56
2.	**द्वितीय अध्याय**	**संबंधित साहित्य का अध्ययन**	
	2.1	प्रस्तावना	57-58
	2.2	संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन	58-60
	2.3	सहरिया आदिम जनजाति से संबंधित किये गये अध्ययन	60-61
	2.3.1	शैक्षणिक स्थिति से संबंधित अध्ययन	61-68
	2.3.2	मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित अध्ययन	69-75
	2..3.3	चुनौतियों से संबंधित अध्ययन	75-78
	2.4	शोध अन्तराल	78-79
	2.5	अध्याय सारांश	79
3.	**तृतीय अध्याय**	**शोध प्रविधि**	
	3.1	प्रस्तावना	80-83
	3.2	शोध विधि	83-86
	3.2.1	अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प के निर्माण की कार्य प्रणाली	86-88
	3..3	शोध अध्ययन की जनसंख्या	89-90
	3.4	शोध अध्ययन का प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन विधि	90-93
	3.4.1	ग्रामों का चयन	93
	3.4.2	विद्यालयों का चयन	93
	3.4.3	शिक्षकों का चयन	93
	3.4.4	सहरिया बालक-बालिकाओं का चयन	93
	3.4.5	हितधारकों का चयन	94-101
	3.5	शोध अध्ययन हेतु प्रयुक्त उपकरण	99-108
	3.6	शोध अध्ययन की योजना	108
	3.6.1	तालिका पंजिका	109
	3.6.2	मनोसामाजिक स्थिति मापनी	109-114
	3.6.3	अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची	114
	3.7	शोध अध्ययन हेतु आंकड़ों का संकलन	114
	3.7.1	प्राथमिक आंकड़े	115
	3.8	प्रेक्षण प्रणाली	116-117

	3.8.1	व्यक्तिगत प्रेक्षण	117
	3.8.2	अनियन्त्रित प्रेक्षण	117
	3.8.3	नियन्त्रित प्रेक्षण	117
	3.8.4	सामूहिक प्रेक्षण	118
	3.9	द्वितीयक आंकड़े	118
	3.10	साक्षात्कार	118-119
	3.11.1	केन्द्रित समूह परिचर्चा	119-120
	3.12	अनुसूची	120-121
	3.13	विषय-वस्तु विश्लेषण	121
	3.14	शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ	121-123
	3.15	अध्याय सारांश	123
4.	**चतुर्थ अध्याय**	**आंकड़ों का विश्लेषण एवं अर्थापन**	
	4.1	प्रस्तावना	125-128
	4.2	खण्ड – अ- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति	128-145
	4.2.1	निष्कर्ष	145-147
	4.3	खण्ड – ब - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति	147-183
	4.3.1	निष्कर्ष	183-186
	4.4	खण्ड – स - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियाँ	186-200
	4.4.1	निष्कर्ष	200-204
	4.5	खण्ड – द - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव	204-205
	4.5.1	केन्द्रित समूह परिचर्चा	205
	4.5.1.1	केन्द्रित समूह परिचर्चा (FGD-1)	205-208
	4.5.1.2	केन्द्रित समूह परिचर्चा (FGD-2)	208-214
	4.5.2	शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार एवं चुनौतियों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव	214-218
	4.5.3	निष्कर्ष	218-219
	4.6	सम्मिलित निष्कर्ष	219-221
	4.7	अध्याय सारांश	221
5.	**पंचम अध्याय**	**शोध के निष्कर्ष एवं सुझाव**	
	5.1	प्रस्तावना	222
	5.2	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।	223

	5.2.1	परिणाम एवं विवेचना	223-225
	5.3	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।	225
	5.3.1	परिणाम एवं विवेचना	225-229
	5.4	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करना।	229
	5.4.1	परिणाम एवं विवेचना	229-231
	5.5	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव देना।	231
	5.5.1	परिणाम एवं विवेचना	232-234
	5.6	शोध अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष	234
	5.6.1	खण्ड- अ, राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति	234-237
	5.6.2	खण्ड- ब, राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति	238-241
	5.6.3	खण्ड- स, राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियां	241-244
	5.6.4	खण्ड-द, राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव	244-247
	5.7	शोध अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ	248-249
	5.8	भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव	250-252
	5.9	शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी के सम्मुख आने वाली चुनौतियाँ	252-253
	5.10	शोध अध्ययन की सीमायें	253-254
	5.11	शोध अध्ययन का निष्कर्षात्मक विवेचन	254
		ग्रंथ सूची	255-262
6.		**सहरिया जनजाति से संबंधित विभिन्न छायाचित्र**	263-295
7.		**परिशिष्ट**	
	परिशिष्ट -1	किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के चयनित राजकीय विद्यालयों की सूची	
	परिशिष्ट -2	मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी सहरिया बालक - बालिकाओं हेतु	
	परिशिष्ट -3	अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची जनजाति के सदस्यों हेतु	
	परिशिष्ट -4	सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त विविध अभिलेख	
	परिशिष्ट -5	प्रकाशित शोध पत्र	
	परिशिष्ट -6	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सम्मेलन तथा कार्यशालाएँ	

तालिका सूची
(List of Tables)

क्र. सं.	तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	1.1	राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आवासित बारह अनुसूचित जनजातियों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	16
2	1.2	सहरिया जनजाति की जनसंख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन	22
3	1.3	सहरिया जनजाति की बारां जिले में जनसंख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन	**23**
4	1.4	सहरिया जनजाति की साक्षरता का तालिका द्वारा प्रदर्शन	26
5	1.5	सहरिया जनजाति के गोत्रों और उपगोत्रों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	38
6	3.1	शोध प्रविधि का तालिका द्वारा प्रदर्शन	89
7	3.2	समष्टि (जनसंख्या) के चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन	90
8	3.3	शोध हेतु चयनित राजकीय विद्यालय के चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन	94
9	3.4	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन	95
10	3.5	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन तालिका द्वारा प्रदर्शन	96
11	3.6	शाहबाद तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन	**97**
12	3.7	किशनगंज तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन	**98**
13	3.8	सम्पूर्ण प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन	**98**
14	3.9	मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी में सम्मिलित धनात्मक पदों एवं ऋणात्मक पदों की अंकन पद्धति का तालिका द्वारा प्रदर्शन	102
15	3.10	प्रारम्भिक क्रियान्वयन के प्राक्- क्रियान्वयन में थर्स्टन उपागम में कुल पदों, चयनित पदों और निरस्तीकृत पदों की संख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन	103
16	3.11	अन्तिम – क्रियान्वयन/ड्रेस रिहर्सल में लिकर्ट उपागम में कुल पदों, चयनित पदों और निरस्तीकृत पदों की संख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन	10**4**
17	3.12	क्रानबैक गुणांक-अल्फा विश्वसनीयता का तालिका द्वारा प्रदर्शन	10**6**
18	3.13	सहरिया बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति मापनी	114

		में विभिन्न उपक्षेत्रों में वर्गीकृत कथनों का विवरण	
19	4.1.1	सम्पूर्ण प्रतिदर्श चयन की श्रेणियों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	12**7**
20	4.2.1	बारां जिले के ब्लॉकों में संचालित राजकीय विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	13**0**
21	4.2.2	बारां जिले में सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	131
22	4.2.3	बारां जिले में सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	13**1**
23	4.2.4	बारां जिले में सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों का कक्षावार तालिका द्वारा प्रदर्शन	132
24	4.**2.5**	बारां जिले में संचालित राजकीय विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	13**3**
25	4.2.6	शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में संचालित राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन	134
26	4.2.7	सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का तालिका द्वारा प्रदर्शन	13**5**
27	4.2.8	सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की विद्यालय में ठहराव की स्थिति का तालिका द्वारा प्रदर्शन	13**6**
28	4.2.9	सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की अपव्यय-अवरोधन की स्थिति का तालिका द्वारा प्रदर्शन	136
29	4.2.10	सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि का तालिका द्वारा प्रदर्शन	139
30	4.3.1	आंकड़ों के संकलन का तालिका द्वारा प्रदर्शन	148
31	4.3.2	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े	149
3**2**	4.3.3	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	150
3**3**	4.3.4	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	152
34	4.3.5	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	15**3**

35	4.3.6	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**154**
36	4.3.7	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**156**
37	4.3.8	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े	157
38	4.3.9	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**159**
39	4.3.10	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**160**
40	4.3.11	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**161**
41	4.3.12	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**163**
42	4.3.13	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**164**
43	4.3.14	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े	166
44	4.3.15	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**167**
45	4.3.16	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक	**168**

		समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	
46	4.3.17	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**170**
47	4.3.18	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**171**
48	4.3.19	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**173**
49	4.3.20	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े	174
50	4.3.21	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	**176**
51	4.3.22	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	177
52	4.3.23	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	178
53	4.3.24	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	180
54	4.3.25	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान	181
55	4.3.26	परिकल्पनाओं के परीक्षण एवं विश्लेषण के पश्चात प्राप्त परिणामों के विवरण के सारांश का तालिका द्वारा प्रदर्शन	183

दंड आरेख सूची
(List of Bar Diagrams)

क्र. सं.	दंड आरेख संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	1.1	सहरिया जनजाति की वर्षानुसार साक्षरता का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन	27
2	4.3.1	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन)	149
3	4.3.**2**	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति	150
4	4.3.**3**	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक समायोजन	152
5	4.3.4	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता	153
6	4.**3**.5	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक भय	155
7	4.**3**.6	शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति	156
8	4.**3**.7	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन	158
9	4.**3**.8	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मानोसामाजिक स्थिति	159
10	4.3.9	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक समायोजन	160
11	4.3.10	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता	162
12	4.3.11	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक भय	163
13	4.3.12	किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति	165
14	4.3.13	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति एवं विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन	166

15	4.3.14	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति	167
16	4.3.15	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक समायोजन	169
17	4.3.16	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता	170
18	4.3.17	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक भय	172
19	4.3.18	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति	173
20	4.3.19	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति एवं विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन	175
21	4.3.20	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति	176
22	4.3.21	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन	177
23	4.3.22	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता	179
24	4.3.23	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक भय	180
25	4.3.24	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति	182
26	4.4.1	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक चुनौतियाँ	192
27	4.4.2	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ	193
28	4.4.3	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक चुनौतियाँ	195
29	4.4.4	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आर्थिक चुनौतियाँ	197
30	4.4.5	शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पारिस्थितिकीय चुनौतियाँ	198

रेखाचित्र सूची
(List of Figures)

क्र. सं.	आकृति संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	3.1	अनुक्रमित अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प का आरेखीय प्रदर्शन	88
2	3.2	प्रतिदर्श चयन का आरेखीय प्रदर्शन	92
3	3.3	समग्र शोध विधि का आरेखीय प्रदर्शन	124

मानचित्र सूची
(List of Maps)

क्र. सं.	मानचित्र संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	1.1	राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन	4
2	1.2	बारां जिले की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन	24
3	1.3	शाहबाद की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन	24
4	1.4	किशनगंज की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन	25

शब्द संक्षेपण
(Abbreviation)

क्र. सं.	शब्द/लघु रूप	विवरण
1.	एएनएसआई	भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण
2.	बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
3.	सीसीई	सतत् एवं समग्र मूल्यांकन
4.	डीपीएमसी	जिला योजना एवं पर्यवेक्षण परिषद
5.	एफडीए	वन विकास एजेंसियां
6.	एफटीडी	पूर्णतया जनजातीय जिला
7.	एफजीडी	केंद्रित समूह परिचर्चा
8.	एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
9.	एमएडीए	शोधित क्षेत्र विकास उपागम
10.	एमटीसी	कुपोषण केंद्र
11.	एमजीएनआरइजीए	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
12.	एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
13.	एमओएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
14.	एमएफपी	लघु वन उत्पाद
15.	एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
16.	एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
17.	पीपीपी	सार्वजानिक एवं निजी भागीदारी
18.	पीटीजी	आदिम जनजातीय समूह
19.	पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
20.	पीटीए	आंशिक जनजातीय क्षेत्र
21.	पीइएसए	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम
22.	आरटीई	शिक्षा का अधिकार
23.	एससी	अनुसूचित जाति
24.	एसटी	अनुसूचित जनजाति
25.	एसएचजी	स्व सहायता समूह
26.	एसइडी	अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प
27.	टीएसी	जनजातीय परामर्शदात्री परिषद
28.	टीएसपी	जनजातीय उपयोजना
29.	टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
30.	यूटी	केंद्र शासित प्रदेश

प्राक्कथन
(Preface)

किसी भू-भाग पर यदि उद्यान लगाना हो, तो उसके लिए भूमि के अनुसार यज्ञ करना होता है। भूमि समतल करने से लेकर, बीज, खाद, पानी डालने के अतिरिक्त उसकी सुरक्षा, नियमित अवलोकन अन्यानयत्न करने होते हैं। इस पर जिस प्रकार का उद्यान लगाना हो लगाया जा सकता है। आवश्यकता है तद्रूरूप यत्न करने की। यह तत्व शिक्षा रूपी ज्ञान द्वारा सरल तथा आशानुरूप हो जाता है। इसलिए ज्ञान की साधना करना, उपार्जित ज्ञान से समाज तथा राष्ट्र का मार्गदर्शन करने को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इस ज्ञान यज्ञ से समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं यह उस वर्ग के अध्ययन से ही स्पष्ट होता है ।

समाज निर्माण की प्रक्रिया में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का भी उतना ही योगदान है जितना कि महानगरों में वैभवशाली जीवनयापन करने वाले कुलीन वर्गों का। सामान्यतः आदिवासी शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क पटल पर ऐसे आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) की छवि उभरती है, जो घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हुए मानव सभ्यता की आरंभिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए हैं। विषम परिस्थितियों में जीवनयापन हेतु संघर्षरत ये विशेष समूह वास्तव में वनक्षेत्रों के अनाभिषक्त और अघोषित शासक हैं, जिन्हें भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित करता है। देश में विस्तृत विकास की प्रक्रिया प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, परन्तु अधिकांश अनुसूचित जनजातीय समूह एवं क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और अभावग्रस्त जीवन जीने को बाध्य हैं।

राजस्थान राज्य के हाड़ौती क्षेत्र की अन्नपूर्णा नगरी बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सघन रूप से आवासित सहरिया जनजातीय समूह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, जो शैक्षणिक, मनोसामाजिक और आर्थिक रूप से अभावों में जीवनयापन कर रही है तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इतना सब होते हुए भी सहरिया जनजाति अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और मौलिक धरोहर के प्रेरक तत्वों को संरक्षित किए हुए है। सहरिया जनजाति अपने मौलिक व्यवहार, मूल्य, परम्परा, विश्वास, रीति-रिवाज और संस्कृति की विरासत के ऐसे तत्वों को धारण किये हुए है, जो देश और समाज की मुख्य धारा के प्रेरक हैं और उसे

मूलाधार प्रदान करते हैं। यह जनजाति सदैव अपनी परम्परागत सभ्यता और संस्कृति में लिप्त रही है, परन्तु सूचना तकनीकी, आधुनिकता और शहरीकरण ने इसकी जीवनशैली को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया है। फलस्वरूप सहरिया जनजाति की जीवनशैली में कई तरह के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। जंगल के अधिपति और प्राकृतिक जीवनयापन करने वाले सहरिया समुदाय को जल,जंगल और जमीन के अभाव ने जमीदारों का बंधक बना दिया है। संकोची स्वभाव और शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण सहरिया जनजाति प्रगति की दौड़ में अत्यंत पीछे है। भ्रष्टाचार और आजीविका के सीमित साधन भी सहरिया जनजाति के विकास में अवरोधक बने हुए हैं।

शोधार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति आरम्भ से ही रहस्यों के विषय में जानने की तथा चिन्तनोन्मुख रही है। इसी प्रवृत्ति ने उसे मौलिक शोध कार्य की ओर प्रवृत्त किया है। शोधार्थी जीवन पर्यन्त एक जिज्ञासु विद्यार्थी बने रहने की प्रबल इच्छा रखता है। इस ज्ञान की अन्तहीन यात्रा में शोधार्थी अभी से क्या कहे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है ? परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता है कि इस मौलिक शोधकार्य में उसे स्वान्तः सुख और आत्मसंतुष्टि अवश्य मिली है। त्रुटि-व्यसन परितृप्ति के निमित्त ही शोधार्थी ने अपने इस शोध कार्य का शीर्षक ***राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन (Rajasthan Ki Sahariya Janjati Ke Balak-Balikaon Ki Shaikshnik aur Manosamajik Sthiti tatha Chunautiyon ka Adhyayan)*** रखा है। उस पर भी इसके सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अन्वेषण दुसाध्य अवश्य था, क्योंकि इस विषय से संबंधित साहित्य का न मिलना ही सर्वाधिक कठिन एवं दुष्कर कार्य था। शोधार्थी द्वारा राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों को इस शोध कार्य में प्रदर्शित करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया है। इस शोध प्रबन्ध को सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है।

प्रथम अध्याय विषय प्रवेश है, जिसमें प्रस्तावना, शोध समस्या की उत्पत्ति, शोध समस्या का औचित्य एवं महत्व, शोध प्रश्न, शोध समस्या कथन, शोध समस्या में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या एवं परिभाषीकरण, शोध अध्ययन के उद्देश्य, शोध अध्ययन के प्रश्न, शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं और शोध अध्ययन का परिसीमांकन का उल्लेख किया गया है।

द्वितीय अध्याय संबंधित शोध साहित्य के सर्वेक्षण से संबंधित है। सुविधा की दृष्टि से इस अध्याय को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की शैक्षणिक स्थिति से संबंधित साहित्य की समीक्षा की गयी है। द्वितीय भाग में उनकी मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन और तृतीय भाग में उनकी चुनौतियों से संबंधित साहित्य का सिंहावलोकन सहरिया जनजाति के सन्दर्भ में किया गया है।

तृतीय अध्याय में शोध अध्ययन की कार्य योजना का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें शोध विधि, जनसंख्या, प्रतिदर्श का चयन, शोध अध्ययन की योजना, शोध अध्ययन के उपकरण और संकलित आंकड़ों के विश्लेषण एवं अर्थापन के लिए प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियों का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में आंकड़ों का विश्लेषण, विवेचन एवं आंकड़ों के परिणामों को प्रदर्शित किया गया है, तथा

पंचम अध्याय में शोध अध्ययन के परिणामों की विवेचना, शोध अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष, शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी के सम्मुख आने वाली चुनौतियों एवं भावी शोध अध्ययन हेतु प्रमुख सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

शोध अध्ययन की सबसे अन्त की कड़ी शोध अध्ययन में सहायक सन्दर्भ ग्रन्थ सूची तथा परिशिष्ट में उन सहायक पुस्तकों, ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया स्रोतों आदि का भी उल्लेख किया गया है जिनकी सहायता से इस शोध कार्य को सीमित संसाधनों की परिधि तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्पन्न किया गया है।

अपनी परम्परागत विशेषताओं और नैसर्गिकता के कारण सहरिया आदिम जनजाति शोधकर्ताओं को अध्ययन हेतु आकर्षित करती है। इस अध्ययन के माध्यम से शोधार्थी द्वारा सहरिया आदिम जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों के परिदृश्यों को एक प्रामाणिक दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। निःसन्देह इस चुनौतीपूर्ण विषय सम्बन्धी शोध कार्य में शोधार्थी को पर्याप्त ज्ञानानन्द की प्राप्ति हुई है, जिसके कारण ही यह शोध कार्य पूर्णतः को प्राप्त कर सका है। उसमें भी सृष्टि के निर्माता परमपिता परमेश्वर की अनुकम्पा सर्वोपरि सम्बल रही है।

संक्षिप्तिका
(Abstract)

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कार्य ***राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन (Rajasthan Ki Sahariya Janjati Ke Balak-Balikaon Ki Shaikshnik aur Manosamajik Sthiti tatha Chunautiyon ka Adhyayan)*** से संबंधित है। इसमें राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सघनता से आवासित सहरिया जनजाति के बालिक-बालिकाओं का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। हितधारकों यथा-शिक्षक, अभिभावक, समुदाय के सदस्य, शिक्षा अधिकारी और सहरिया विकास परियोजना अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया है। समस्या के समाधान के लिए मिश्रित शोध विधि (Mixed Method) के अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों का संकलन स्वनिर्मित उपकरण, केन्द्रित समूह परिचर्चा, अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार और प्रत्यक्ष सहभागी प्रेक्षण द्वारा किया गया है तथा आंकड़ों का विश्लेषण और अर्थापन उनकी प्रकृति के अनुरूप किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण विषय-वस्तु विश्लेषण द्वारा और एसपीएसएस मृदुल उपागम के 20वे वर्जन एवं एमएस एक्सल के माध्यम से किया गया है। शोधार्थी को आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि-

राजस्थान की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में सम्मिलित एकमात्र सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति सामान्य समुदाय के बालक-बालिकाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा पारित वर्ष 2009 में 6-14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार कानून का पर्याप्त लाभ सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परामर्शन सेवाओं के अभाव के कारण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। फलस्वरूप प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से राज्य और देश की उच्च सेवाओं में अभी तक कोई स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में विशिष्ट विद्यालय न होने के कारण दिव्यांग सहरिया बालक-बालिकायें सामान्य विद्यालयों में ही अध्ययन करने के लिए विवश हैं जहाँ उन्हें मनोसामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त

करने के पश्चात अधिकांश सहरिया बालक-बालिकायें सत्र के मध्य में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बालक मजदूरी तो बालिकायें घरेलू कार्यों में अपने माता-पिता का सहयोग कर परिवार का आर्थिक सम्बल बनते हैं। आवासीय विद्यालयों में मात्र 80 प्रतिशत सीटों पर ही सहरिया बालक-बालिकाओं को परीक्षा के माध्यम से प्रवेश मिलता है। शेष 20 प्रतिशत सीटों पर अन्य जनजातीय समुदायों के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। इससे 20 प्रतिशत सहरिया समुदाय के बालक-बालिकायें आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करने से वंचित रह जाते हैं। सहरिया समुदाय में प्रचलित झगड़ा प्रथा के कारण बालक-बालिकायें अनाथों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। सहरिया बाहुल्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में XI एवं XII स्तर पर वाणिज्य, गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षण की वयवस्था अधिकांश विद्यालयों में नहीं है। यदि कोई बालक या बालिका इन विषयों का अध्ययन करना चाहता है तो उसे अपने ग्रामसे 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में जाना पड़ता है। जहाँ आने –जाने के लिए सुगम यातायात के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि छात्रावासों में रहकर अथवा आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेकर वाणिज्य, गणित और विज्ञान विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इन छात्रावासों अथवा आवासीय विद्यालयों में सीमित स्थान होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है। सहरिया समुदाय के बालक-बालिकायें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। जिन विद्यालयों में अन्य समुदायों के बालक-बालिकाओं की संख्या अधिक होती है वहां अधिकांश सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाएं कक्षा में पीछे की पंक्ति में ही बैठते हैं क्योंकि आगे की पंक्ति में अन्य समुदाय के बालक-बालिकायें उन्हें बैठने ही नहीं देते हैं। वहां वे सामाजिक समायोजन में असहजता की अनुभूति करते हैं। विद्यालय की विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता भी कम रहती है। अन्य समुदायों के बालक-बालिकाओं द्वारा व्यंग्य करने या शिक्षक द्वारा असहयोगात्मक व्यवहार के कारण सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें सामाजिक भय में समय व्यतीत करते हैं। फलस्वरूप नकारात्मक सामाजिक अभिवृति उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। शोध अध्ययन में शोधार्थी ने शोध निष्कर्ष में यह पाया गया है कि किशनगंज तहसील के सहरिया बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति शाहबाद तहसील के सहरिया बालक –बालिकाओं की अपेक्षा बेहतर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति अन्य समुदायों के अधिक सम्पर्क में है, जबकि शाहबाद

तहसील के सहरिया परिवार आज भी दुर्गम क्षेत्रों में रहकर जीवनयापन कर रहे हैं । यद्यपि सहरिया जनजाति के सदस्य विपरीत परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं परन्तु फिर भी उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता धीरे-धीरे उत्पन्न हो रही है। वे अपने बालक-बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सजग होने लगे हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने के साथ सुधार हो रहा है। शोधार्थी अपने शोध के निष्कर्षों के आधार पर यह कह सकता है कि अगले कुछ वर्षों में सहरिया जनजाति के अधिकांश बालक-बालिकायें क्षेत्र के प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययन करना आरम्भ कर देंगे । इसके साथ ही सहरिया जनजाति के अधिकांश बालक-बालिकायें जो कि वर्तमान में आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, वे चार से पांच वर्ष की अवधि में राजकीय और केन्द्रीय सेवाओं में भी अपनी सहभगिता के साथ स्थान सुनिश्चित करेंगे । सहरिया जनजाति में इस सकारात्मक परिवर्तन को लाने के लिए सरकारी तंत्र को इस जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक, मनोसामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों को कम करने का प्रयास निष्पक्ष रूप से करना चाहिए।

सारांशतः शोध अध्ययन के आधार पर शोधार्थी यह कहा जा सकता है कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक स्थिति को सुधारने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहरिया बाहुल्य क्षेत्र की ऐसी ग्राम पंचायतों को टीएसपी में सम्मिलित कर देना चाहिए, जहाँ सहरिया समुदाय की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक है । प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर परामर्शन सेवाओं को अनिवार्य किया जाना चाहिए । राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व हेतु सहरिया बाहुल्य क्षेत्र की विधानसभा सीट को सहरिया समुदाय के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं से ही गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर और वाणिज्य विषयों का अध्ययन करने के लिये बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकारी एवं निजी विद्यालयों का नियमित अंतराल पर विशेषज्ञों की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए । इस प्रकार सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों में वांछनीय परिवर्तन कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

प्रथम अध्याय

शोध समस्या : आवश्यकता एवं महत्व
(Research Problem : Need and Significance)

1.1 प्रस्तावना (Introduction):-

कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान की उत्सर्गमयी वीर भूमि के अतीत से अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगन्ध से भरकर न झूमा हो। वायु का एक भी झोका ऐसा नहीं उठा जिसके प्रवाह के साथ युद्ध की देवी के चरणों में साहसी युवकों ने अपने प्राणों को समर्पित न किया हो *(शर्मा, 1989, पृ.3)*। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ पर एक ओर विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं तो दूसरी ओर इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में भारत के सुनियोजित ग्राम और मण्डियाँ विकसित हो रही हैं। रेगिस्तान की स्वर्णिम बालू में विचरण करने वाले चरवाहों से लेकर अरावली की पहाड़ियों और हाड़ौती के पठारी घने जंगलों में स्वच्छन्द विचरण करने वाली जनजातियां राजस्थान की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत की एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर हैं। यहाँ मानव-अधिवास के कुछ प्रारूप अत्यंत प्राचीन सभ्यताओं के परिचायक हैं। राजस्थान भारतवर्ष की एक अत्यन्त प्राचीन सभ्यता का प्रदेश रहा है *(तिवाड़ी एवं सक्सैना,1994 पृ.1)*। भारत वर्ष के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान की भू-आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। स्वतंत्रता से पूर्व यह प्रदेश राजपूताना तथा अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग उन्नीसवीं सदी में जॉर्ज थॉमस (विलियम फ्रेंकलिन : मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ़ जॉर्ज थॉमस, 1805) ने किया था। इससे पूर्व इस भू-भाग के अलग-अलग प्रदेशों को पृथक-पृथक नामों से पहचाना जाता था, जैसे हय-हय/हाड़ौती (कोटा, बूँदी और बारां), व्याघ्रवाट/बागड़ (डूँगरपुर, बाँसवाड़ा), कुरु (अलवर) और विराट (जयपुर, टोंक) आदि। वर्तमान समय में प्रचलित शब्द राजस्थान का प्रथम उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखित पुस्तक एनाल्स एण्ड इन्स्टीक्वीटीज ऑफ़ राजस्थान (टॉड, 1829) में मिलता है। इन्होंने स्वतंत्र राजाओं द्वारा संचालित राज्यों का सामूहिक नाम रजवाड़ा, रायधान और राजस्थान के इतिहास, भूगोल, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जानकारियों का संकलन कर उपरोक्त ग्रंथ की रचना की, जिसे राजस्थान के सन्दर्भ में स्वतंत्रता से पूर्व की विश्वसनीय

सूचना प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वैदिककाल में यह राज्य एक बीहड़, जनशून्य रेगिस्तान और जंगली प्रदेश था। यहाँ खानाबदोश चरवाहे और जंगली जनजातियों के साथ-साथ कुछ ऋषियों के आश्रम भी हुआ करते थे। सातवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक भारत के अन्य प्रदेशों से अनेक राजपूत राजवंश अपने सेवकों और प्रजा के साथ यहाँ आकर बसने लगे। इनका आधिपत्य केवल नगरों और विजयी किलों तक ही सीमित था। ब्रिटिशकाल में यह राज्य दक्षिणी राजपूताना एजेन्सी, जयपुर एजेन्सी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेन्सी और राजपूताना स्टेट एजेन्सी नामक चार प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था *(तिवाड़ी एवं सक्सैना, 1994 पृ. 2-3)*। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक बड़े भू-भाग वाला राज्य है। इसमें देश की 5.66 प्रतिशत जनसंख्या अधिवास करती है। सिन्धु घाटी सभ्यता के चिह्न आज भी यहाँ मिलते हैं। राजस्थान की भूमि वीर प्रसूता भूमि रही है। यह एक ऐसी भूमि रही है, जहां अनेकानेक वीर आये और अपना इतिहास रचकर अमर हो गये। यहाँ जो भी राजजपूत वीर हुआ वह वास्तव में अपनी रज़ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में हर क्षण उद्यत रहा। यही कारण है कि यह रज़ से राज बन राजपूत कहा गया और उसकी भूमि राजपूताना के नाम से विख्यात हुई *(व्यास एवं भानावत, 2008, पृ.59)*। इंग्लैण्ड निवासी लेफ्टिनेंट-कर्नल जेम्स टॉड वर्ष 1917-1918 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के राजनीतिक दूत बनकर उदयपुर आये। उन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास-विषयक सामग्री का संकलन किया और ब्रिटेन जाकर वर्ष 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान (सेंट्रल एण्ड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ़ इण्डिया) ग्रंथ की रचना की, जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। उन्हें राजस्थान के इतिहास-लेखन का पितामह कहा जाता है *(बहुरा, 2012, पृ. 5)*।

इस राज्य का वर्तमान स्वरूप सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया। इससे पूर्व 19 रजवाड़े तथा तीन रियासतें थीं। इन रियासतों का विलीनीकरण 17 मार्च, 1948 से प्रारम्भ हुआ और 1 नवम्बर, 1956 तक सभी छोटे-बड़े राज्य भारतीय गणतंत्र में सम्मिलित हो गये। आधुनिक राजस्थान अनेक भू-खण्डीय स्थानान्तरणों का परिणाम है, जो पहले मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, सयुंक्त राजस्थान और वृहत् राजस्थान संघ के नामों से जाना जाता था। इसका निर्माण प्राचीन राजपूताना के 22 रजवाड़े, तीन प्रेसीडेन्सियों (अजमेर, मध्य प्रदेश और मुम्बई) के अनेक तालुकों और तहसीलों के अन्तर-राज्यीय पुनः समायोजन द्वारा किया गया है। वर्तमान राजस्थान 33 प्रशासनिक जिलों में विभाजित है।

इसमें 354 नगर, 37,984 आवासित ग्राम और 989 ग्राम पंचायतें हैं। राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 342,274 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह विशाल भू-भाग सम्पूर्ण देश का लगभग दसवां भाग है। राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसकी अपनी थर्मोपॉली न हो और ऐसा कोई नगर नहीं, जिसने अपना लियोजन डास पैदा नहीं किया हो। टॉड का यह कथन न केवल प्राचीन और मध्ययुग में वरन् वर्तमान काल में भी इतिहास की कसौटी पर खरा उतरा है *(तनेगारिया, 2003, पृ. 1)*। राजस्थान राज्य विविधताओं से परिपूर्ण सुनियोजित प्रदेश है। इसका दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है, जिसे हाड़ौती का पठार के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस पठार के अन्तर्गत चार जिले कोटा, बूँदी, बारां और झालावाड़ सम्मिलित हैं। इस पठार का क्षेत्रफल 24, 185 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी-पश्चिमी सीमायें मध्य प्रदेश से लगती हैं। इसके पूर्ववर्ती भाग जिसे शाहबाद उच्च क्षेत्र कहा जाता है में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सहरिया निवास करती है *(तिवाड़ी एवं सक्सैना, 1994 पृ. 178, 182)*।

राजस्थान उदयसिंह, राणासांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गोविन्द गुरु, महर्षि नवल, महारानी पद्मिनी, पन्नाधाय और मीराबाई जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। राज्य की 12.56 प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की है जो स्वयं को राणा सांगा, महाराणा प्रताप, लव-कुश और महर्षि वाल्मीकि आदि का वंशज मानती है *(त्रिवेदी, 2003,पृ.201)*। इस भूमि पर जनजातीय समूहों ने बड़ी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया है। जब ये शक्तिशाली थे, तब इनके नाम पर कई नगरों की स्थापना की गयी। राजस्थान के बड़े शहरों में गिने जाने वाले कोटा और बांसवाड़ा नगरों की स्थापना कोटिया और बंसिया भील जनजातीय वीरों के नाम पर की गयी। कालान्तर में परिवर्तित घटनाकुचक्र ने जनजातीय समूहों को भू-स्वामित्व से पृथक कर भू-माफियाओं का दास बना दिया। मेवाड़ के राणाओं यथा- महाराणा प्रताप को संकटकाल में जो सहयोग जनजातीय समूहों ने दिया उसी के परिणाम स्वरूप मेवाड़ के राजचिह्न में एक ओर तलवार के साथ राजपूत वीर तो दूसरी ओर धनुष-बाण को हाथ में लिए हुए आदिवासी वीर को प्रदर्शित किया गया है। इस राजचिह्न के साथ जो वाक्य लिखा हुआ है वह इस प्रकार है-***जो दृढ़ रकवे धर्म को तिही रकवे करतार*** अर्थात जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। परम्परानुसार आज भी जनजातीय समूहों में स्वाभिमान, देशभक्ति,

समर्पण, धर्मपरायणता, मैत्रीभाव, विनम्रता, ईमानदारी और वफ़ादारी आदि गुण परिलक्षित होते हैं *(व्यास एवं भानावत, 2008, पृ.59)* । विश्व की प्राचीनतम पर्वत माला अरावली इस मरू प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को निर्मित करती है। वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्थान को चार प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है ये भाग हैं–

1) पश्चिमी थार मरुस्थल
2) अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी क्षेत्र
3) पूर्वी मैदान
4) दक्षिणी-पूर्वी पठार

मानचित्र-1.1
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन

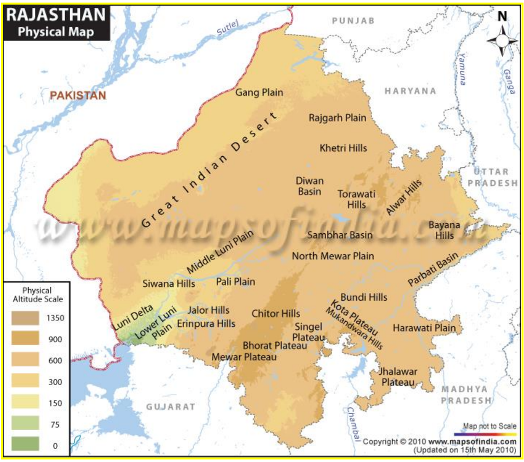

संदर्भ:http://www.mapsofindia.com/print_image.php?03/10/2017, 3:14 AM साभार

उपरोक्त मानचित्र-1.1 में राजस्थान की भौगोलिक संरचना को दर्शाया गया है। यद्यपि राजस्थान में भील, गरासिया और सहरिया मूलतः तीन ही जनजातीय समूह हैं। मेवाड़ में भील-मीणा जनजातीय समूह बहुसंख्यक हैं, जबकि आबू और सिरोही क्षेत्र में गरासिया आवासित हैं तो चम्बल और पार्वती नदियों की घाटियों में स्थित हाड़ौती क्षेत्र में सहरिया जनजातीय समूह अपने सहराना में रह रहे हैं *(व्यास एवं भानावत, 2008, पृ.59)* । सामान्य रूप से सम्पूर्ण राजस्थान में बारह जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में आवासित हैं परन्तु दक्षिणी-पूर्वी पठार वाले भाग में ये सघन रूप से निवास करती हैं। सघन रूप से

जनजातीय आवासित क्षेत्र को टीएसपी(जनजाति उपयोजना क्षेत्र) क्षेत्र कहा जाता है। जिस ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है उन्हें जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित है, जबकि उदयपुर और सिरोही जिलों के कुछ ही क्षेत्र इसमें शामिल किये गये हैं। इस प्रकार राजस्थान के 5 जिलों की 23 ग्राम पंचायतें टीएसपी में सम्मिलित की गयी हैं। टीएसपी क्षेत्रों में राज्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के कुल विज्ञापित पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर एसटी समुदाय को 45 प्रतिशत और एससी समुदाय को 05 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। शेष बचे 50 प्रतिशत पदों पर टीएसपी क्षेत्र के अन्य समुदायों के मूल निवासियों को ही आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है *(पलात, 2014, पृ. 11)*।

1.2 जनजाति का सम्प्रत्य (Concept of Tribe):- भारत संसार का सातवां बड़ा और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश की कुल जनसंख्या में बहुत बड़ा भाग अनुसूचित जनजातियों का है। भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में इन्हें कई नामों यथा- वनजाति, वनवासी, पहाड़ी और आदिम जाति आदि से जाना जाता है। पश्चिमी देशों में इन्हें जिप्सी कहकर पुकारा जाता है, जबकि विकासशील देशों में जनजाति, आदिवासी, वनवासी एवं गिरिजन इत्यादि नामों से सम्बोधित किया जाता है। ***टेलेन्टस, सेजविक और मार्टिन*** ने इन्हें अनिमिस्ट्स नाम दिया है *(खान, 2000, पृ.2)*। भारतीय संस्कृत ग्रंथों के प्राचीन लेखों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी के संयुग्मन से बना है, जिसका तात्पर्य है मूल निवासी भारत की जनसंख्या का वृहद भाग आदिवासियों का है जिनमें संथाल, गोंड, हो, भील, खासी, सहरिया, गरासिया, राजी, मीणा, उराव, बिरहोर, नागा, कोली, खोंड, मुंडा, सुगाली, नायकड, सांसी आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रपिता ***महात्मा एम. के. गाँधी*** ने आदिवासियों को गिरिजन कहकर संबोधित किया है। दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग आदिवासियों को वनवासी या जंगली कहते हैं। मानवशास्त्रियों ने भी इन्हें अपने-अपने शोधों के आधार पर कई नाम दिए हैं। ***हट्टन*** महोदय ने इन्हें आदिम जनजातियां नाम दिया है। ***रिजले, लॉक, मार्टिन, सोबर्ट, तथा ए.वी. ठक्कर*** आदि विद्वानों ने इन्हें आदिवासी कहा है। इसी प्रकार ***बेन्स*** इनको पर्वतीय जनजातियां कहते हैं, जबकि ***आर. के. दास एवं एस. आर. दास*** ने इन्हें दलित मानवता की

संज्ञा दी है। ***गिस्बर्ट*** ने इनके लिए प्राक-साक्षर शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी. ***एस. घुर्ये*** ने इन्हें पिछड़े हुये हिन्दू कहा और इनके लिए अनुसूचित जनजातियां नाम प्रस्तुत किया जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है *(पाण्डेय, 2012, पृ. 1-7)*। सामान्यतः भारत में आदिवासियों को दो वर्गों में अधिसूचित किया गया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। भारत में कुल 705 जनजातीय समूहों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 75 जनजातीय समूहों को आदिम जनजातीय समूहों (PTG) में रखा गया है *(बारहवीं पंच वर्षीय योजना रिपोर्ट, 2012-2017, तृतीय खण्ड, पृ.228)*। आदिवासी संस्कृति और परम्पराओं को संरक्षित करने और उनकी भूमि के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के नॉन-ट्राइबल आर्टिकल 244 में पांचवे शिड्यूल (Schedule V) और छठवे शिड्यूल (Schedule VI) की व्यवस्था की गयी है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो कि छठवे शिड्यूल (Schedule VI) के अन्तर्गत आते हैं को छोड़कर शेष भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र को पांचवे शिड्यूल (Schedule V) में सम्मिलित किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसके अन्तर्गत भारत के 9 राज्यों के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, ये राज्य हैं- आंध्रप्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा और राजस्थान। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर (पूर्णतया ट्राइबल जिला, FTD), उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही (आंशिक ट्राइबल एरिया, PTA) को पांचवे शिड्यूल क्षेत्र (Schedule V area) में सम्मिलित किया गया है। पहली अधिसूचना सन् 1950 में जारी की गयी जिसमें भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 के अन्तर्गत शिड्यूल ट्राइब (Schedule tribe) घोषित कर सकता है। शिड्यूल ट्राइब (Schedule tribe) घोषित करने से पूर्व वह उस समूह के लक्षणों पर विचार करता है जैसे-आदिम जनजातीय शीलगुण, विशिष्ट संस्कृति, शर्मीलापन, भौगोलिक एकाकीपन, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन।

अपनी अनोखी संस्कृति और निवास-स्थान के कारण आदिवासी या जनजाति मानव समाज में अपना अलग स्थान रखते हैं। संकुचित अर्थ में ये व्यक्ति, परिवार या समुदाय के वैसे समूह हैं जिनके बीच सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक सम्बन्ध होता है। उनके पूर्वज एक समान होते हैं। इनकी प्राय: एक सामान्य संस्कृति और एक समान भाषा प्रमुख होती है। जंगल के ऊपर इनका अबाध पारम्परिक अधिकार ही जनजातियों के मानवाधिकार पर बहस का केन्द्र बिन्दु रहा है। आजादी के पूर्व और पश्चात

जनजातियों के इस अधिकार का हनन ही भारत में आंदोलनों का मुख्य आधार रहा है। मैदानी भाग में रहने वाले सामान्य समुदायों के लोगों या आधुनिक लोगों से अलग-थलग रहना जनजातियों के जीवन का एक अनूठा पहलू है। अपने इसी स्वभाव के कारण वे अपने जातीय-सांस्कृतिक गुण को कायम रख सके हैं। प्राकृतिक वातावरण विशेषत: जंगल से इनका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है *(सिंह,1985, पृ. 10-11)*। सामान्यतः जनजाति के अन्तर्गत वैसे लोग आते हैं ,जो हिन्दू समाज से संबंधित हैं और सदियों से भेद-भावपूर्ण व्यवहार के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग रहे हैं तथा इन्हें राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान एवं सहायता की आवश्यकता होती है। भारत में सामान्यत: जनजातीय समूहों को आदिवासी वर्ग कहा जाता है। आदिवासी मुख्यत: पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया की संरचना में सभी के लिए सभ्य जीवन की जिस पवित्र धारणा पर बल दिया जाता है, उसमें जनजातीय समूहों की कोई रुचि नहीं है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए अनुच्छेद-366(25) अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के लिए करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद-342 में निर्दिष्ट किया गया है *(बिस्वाल, 2006, पृ. 110)*। वर्ष 1960-61 में गठित धेबर आयोग के अनुसार अनुसूचित जनजातियां असमानता की विकास दर में जीवन व्यतीत कर रही हैं। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत ऐसे समूहों के लिए एक उप वर्ग का सृजन किया गया जो विकास के निम्नतम स्तर पर अपना जीवनयापन कर रही थीं। इस उप-वर्ग को पीटीजी (Primitive Tribal Group) अथवा आदिम जनजातीय समूह का नाम दिया गया। आदिम जनजातीय समूह की जनसंख्या बृद्धि दर और साक्षरता का स्तर अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में बहुत कम है। पांचवी पंच वर्षीय योजना के निष्कर्ष में 52 समुदायों को राज्य सरकारों की अनुशंसा पर आदिम जनजातीय समूह की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। छटवी पंच वर्षीय योजना में 20, सातवीं पंच वर्षीय योजना में दो और आठवीं पंच वर्षीय योजना में एक समुदाय को आदिम जनजातीय समूह की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार कुल 75 जनजातीय समूहों को आदिम जनजातीय समूह की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान किसी भी नये समूह को आदिम जनजातीय समूह की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। वर्ष 2006 के दौरान भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के लिये *विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)* के पुनर्नाम की अनुशंसा की। वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान विशेष रूप से कमजोर

जनजातीय समूहों में सर्वाधिक जनसंख्या मध्यप्रदेश और राजस्थान में आवासित सहरिया समुदाय की 4 लाख से अधिक पायी गयी है और सबसे कम जनसंख्या उत्तरी सेंटिनल द्वीप में आवासित सेंटिनल समुदाय के सदस्यों की संख्या 40 है *(लक्ष्मीकान्त, 2014, पृ.55)* । इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार किया गया है । इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश के सन्दर्भ में, जहां यह राज्य है, राज्यपाल से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा आदिवासी या आदिवासी समुदायों या आदिवासी जातियों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करता है, जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों के लिए, उस राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति माने जायेंगे *(सिंह,1985, पृ. 10-11)* । किसी भी समुदाय को जनजाति में शामिल होने के लिए उसमें निम्नलिखित मापदण्डों का होना आवश्यक है।

1) आदिम लक्षणों के संकेत
2) भौगोलिक अलगाव एवं विशिष्ट परिवेश
3) विशिष्ट संस्कृति तथा परम्पराओं का अनुसरण
4) समाज की मुख्यधारा से सम्पर्क करने में संकोच
5) शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ापन
6) प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भरता

विभिन्न विद्वानों द्वारा जनजाति के अर्थ को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, किन्तु इसकी अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा सामने नहीं आयी है। भारत में सर्वाधिक स्वीकृत जनजाति की परिभाषा अधोलिखित है-

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया में जनजाति को परिभाषित करते हुये लिखा गया है कि- जनजाति परिवारों का वह संकलन है जिसका एक अपना सामान्य नाम होता है जो सामान्य भाषा बोलता है तथा जो सामान्य प्रदेश में रहता है या रहने का दावा करता है और सामान्य तया अंर्तविवाही होता है, भले ही आरंभ में ऐसा न करता हो। ***डॉ. डी. एन. मजूमदार रेसेस एण्ड कल्चर ऑफ़ इण्डिया*** में लिखते हैं कि–एक जनजाति अनेक परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है, जिनके

सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान-प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं *(पाण्डेय, 2012, पृ. 12-13)*। ***डॉ. आर.एन. मुखर्जी पीपुल एण्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ़ इण्डिया*** में जनजाति को परिभाषित करते हुये लिखते हैं कि –एक जनजाति वह क्षेत्रीय मानव समूह है, जो भू-भाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा होता है। ***लूसी मेयर*** जनजाति को परिभाषित करते हुये लिखते हैं कि –एक जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है (पाण्डेय, 2012, पृ. 12)। जी. डब्ल्यू. वी. हण्टिगफोर्ड ने जनजाति को परिभाषित करते हुये लिखा है कि- एक जनजाति समान नाम के साथ संगठित एक जनसमूह है, जिसमें कि समहू के सदस्य इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि वे समान भाषी, समान भू-खण्ड के स्वामी हैं और जो लोग उनके नाम के अंशधर नहीं हैं वे बाहरी ही नहीं बल्कि शत्रु भी हैं। ***हावेल*** ने जनजाति को परिभाषित करते हुये लिखा है कि - कोई जनजाति एक सामाजिक समूह है, जो एक विशिष्ट भाषा बोलती है और जिसकी अपनी विशेषताओं से युक्त संस्कृति होती है, जो इन्हें अन्य जनजातीय समूहों से पृथक करती है। जनजाति को परिभाषित करते हुये ***रॉल्फ पिडिंगटन*** लिखते हैं कि- हम एक जनजाति का वर्णन एक ऐसे समूह के रूप में कर सकते हैं, जो एक जैसी भाषा बोलता हो, जो समान भू-भाग में आवासित हो और जिसकी संस्कृति में एकरूपता पायी जाती हो। ***जेकब्स और स्टर्न*** ने जनजाति को परिभाषित करते हुये लिखा है कि-एक ऐसा ग्रामीण समुदाय अथवा ग्रामीण समुदायों का एक ऐसा समूह, जिसकी समान भूमि हो तथा जिस समुदाय के सदस्यों का जीवन आर्थिक दृष्टिकोण और पारस्परिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हो, जनजाति के नाम से जाना जाता है। जनजाति को परिभाषित करते हुये ***रिवर्स*** भी लिखते हैं कि- यह एक सामान्य प्रकार का सामाजिक समूह है, जिसके सदस्य एक साधारण बोली का प्रयोग करते हैं और युद्ध आदि जैसे सामान्य परिस्थिति वाले लक्ष्यों हेतु मिलकर कार्य करते हैं *(पाण्डेय, 2012, पृ. 13)*।

उपरोक्त परिभाषाओं का सार यही है कि जनजाति एक निश्चित भू-भाग पर रहने वाला समूह है जो आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं वनोत्पादों पर आश्रित रहता है। इसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति एवं समाज होता है साथ ही वे एक सामान्य नियम के द्वारा एक सूत्र में बंधे होते हैं।

इनकी अपनी एक सामाजिक पहचान, संस्कृति और संगठन होता है। विस्तृत रूप से जनजाति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1) **सामान्य भू-भाग** – एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में ही निवास करती है। इसके परिणामस्वरूप उसका भू-भाग से लगाव और उसके सदस्यों में सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है। सामान्य भू-भाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन के अन्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु ***डॉ.रिवर्स*** जनजाति के लिए एक निश्चित भू-भाग को आवश्यक नहीं मानते हैं।
2) **सामन्य भाषा** –एक जनजाति के लोग अपने भावों, विचारों और संवेगों को अभिव्यक्त करने तथा सम्प्रेषण के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वे अपनी संस्कृति, मान्यताओं और रीति-रिवाजों का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते हैं, किन्तु सभ्यता के सम्पर्क के कारण कई जनजातियां द्विभाषी अथवा बहुभाषी हो गयी हैं।
3) **विस्तृत आकार** – एक जनजाति कई परिवारों का संकलन होती है। इसमें कई समूह, कुल, गौत्र और भ्रातृदल होते हैं। इसीलिए जनजाति के सदस्यों की संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है।
4) **अन्तर्विवाह** – एक जनजातीय समूह के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। अन्य समुदाय या जनजाति में विवाह करना एक जनजाति के सदस्यों के लिए वर्जित होता है, परन्तु वर्तमान समय में सूचना क्रान्ति के कारण कई जनजातियों के सदस्य अन्य समुदाय में विवाह करने लगे हैं।
5) **एक नाम** – प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है, जिसके द्वारा यह पहचानी जाती है। जनजाति के सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। जैसे- भील, मीणा, गोंड, राजी और संथाल आदि जनजातियों के नाम हैं, जिन्हें इन्हीं नामों के आधार पर ही पहचाना जाता है।
6) **सामान्य संस्कृति** – एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति-रिवाजों, मान्यताओं, परम्पराओं, मूल्यों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, लोककलाओं, लोकगाथाओं, धर्म, संगीत, नृत्य, विश्वासों, आभूषण, पहनावा, खान-पान और विचारों आदि में समानता पायी जाती है।

7) **आर्थिक आत्मनिर्भरता** – एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है । शिकार करना, वनोत्पादों का संग्रहण, पशुचारण, कृषि, गृह-उद्योग और वस्तुओं के क्रय-विक्रय आदि आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को जनजाति के सदस्य स्वयं ही जूटा लेते हैं। यद्यपि कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर वे अपने पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करते हैं।

8) **राजनीतिक संगठन** – एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है । इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत नेतृत्वकर्ता या मुखिया होता है जो रीति-रिवाजों, मान्यताओं, परम्पराओं, मूल्यों, प्रथाओं, लोकाचारों और नियमों का पालन करने, नियंत्रण बनाये रखने तथा अपराध करने पर दण्ड की व्यवस्था कर न्याय करता है। किसी-किसी जनजाति में मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध और बुद्धिमान लोगों की एक परिषद का गठन कर दिया जाता है । कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए अनावश्यक माना है।

9) **सामान्य निषेध** – एक जनजाति रीति-रिवाजों, मान्यताओं, परम्पराओं, मूल्यों, प्रथाओं, धर्म, व्यवसाय परिवार, विवाह, खान-पान, लोकाचारों और नियमों आदि से संबंधित समान निषेधों का पालन करती है।

1.2.1 जनजातियों की समस्यायें (Problems of Tribes):- भारतीय प्रजातंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है दयनीय वर्ग के लिए मानवाधिकार सुनिनिश्चित करना । असमान सामाजिक व्यवस्था से जनजातियों की अधिक हानि हुई है । गंदगी और पवित्रता की झूठी धारणाओं के मध्य भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्यता को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जिसे मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध माना जा सकता है। 26 जनवरी, सन् 1950 को भारतीय संविधान कार्यान्वित होने और अनुच्छेद-17 जिसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा की गई के प्रावधानों के बावजूद भी संविधान की भावना को मूर्तरूप देने की दिशा में कोई सार्थक एवं गम्भीर प्रयास नहीं हुए। भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के बाद जनजातीय समूहों को शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया आरम्भ हुई। इस मिश्रण ने न केवल उनकी शांत और स्वच्छन्द जीवन शैली को बाधित किया, बल्कि आधुनिक समाज में निर्धनता, बेरोजगारी, अराजकता आदि समस्याओं को भी जन्म दिया। यह प्रयास जनजातियों के जीवन में शोषण का कारण बना। ये समस्याएं जनजातियों की

पारंपरिक जीवन शैली में क्षय और उनके अधिकारों के हनन में मील का पत्थर सिद्ध हुईं। ***घूर्ये*** ने अपने शोध अध्ययन के दौरान जनजातियों की समस्याओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जनजातियों की समस्यायें अपने मूल स्वरूप में पिछड़े हुए हिन्दुओं और खेतीहर मजदूरों की समस्यायें हैं। अतः जनजातीय समस्याओं को मजदूरों और निम्न तथा पिछड़े हुए हिन्दुओं से पृथक करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होने जनजातीय समूहों को इनकी समस्याओं के अनुसार निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया है-

1. प्रथम श्रेणी में जनजातियों के वे समूह हैं, जिन्होंने एकीकरण की लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ लिया है और जिन्हें हिन्दू समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है।
2. द्वितीय श्रेणी में वे जनजातीय समूह सम्मिलित हैं, जिनका आंशिक रूप से हिन्दूकरण हो चुका है और जो हिन्दूओं के निकट सम्पर्क में आ चुके हैं।
3. तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत वे जनजातीय समूह आते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में आवासित हैं और जिन्होंने दूसरी संस्कृतियों को स्वीकार नहीं किया है।

प्रसिद्ध मानवशास्त्री ***घूर्ये*** का मानना है कि इन समूहों की समस्याओं के विषय में जानकारी का निवारण सामान्य रूप से सम्भव नहीं है, इन्हें श्रेणीबद्ध करके ही सही आकलन किया जा सकता है *(द्विवेदी, 2003, पृ.186)*। ***श्यामा चरण दूबे*** का मत है कि जनजातियों की चुनौतियों का अस्तित्व स्वतंत्र है, जिसे सामान्य रूप से न देखकर प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय हितों से सम्बद्ध और सन्तुलित करने की निश्चित कार्य प्रणाली के रूप में देखना चाहिए। अब यह आवश्यक हो गया है कि हम आदिवासियों के हितों के संरक्षण और उनकी संस्कृतियों की विशिष्टता एवं जीवन शक्ति को बनाये रखने के प्रयासों के साथ यह भी विचार करें कि विनाशकारी सांस्कृतिक प्रभावों से उन्हें बचाये रखकर भी उनके तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है *(दूबे, 1960, पृ.290-298)*। प्रख्यात शिक्षाशास्त्री और समाजशास्त्री ***मजूमदार एवं मदान*** का मत है कि-जनजातियों की समस्यायें सम्पर्क और अलगाव का परिणाम हैं। कुछ ऐसी समस्यायें जो जनजातियों और देश की ग्रामीण जनसंख्या में समान हैं। इनमें सामाजिक और आर्थिक समस्यायें आती हैं जो कि आधुनिक नीतियों और कानूनों का परिणाम हैं अथवा गैर-जनजातियों से सम्पर्क के कारण उत्पन्न हुई हैं जैसे- कर्ज,

भूमि हस्तान्तरण आदि, जमींदार और सरकारी कर्मचारियों तथा छोटे व्यापारियों द्वारा शोषण का ही परिणाम हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसी समस्यायें भी हैं जो जनजातीय लोगों की अपनी विशिष्टता के कारण हैं जैसे- स्थानान्तरित कृषि, भूदान एवं भू-शोषण, अपनी परम्परागत आर्थिक क्रियाओं का परित्याग आदि *(मजूमदार एवं मदान, 1985, पृ. 269)*। ***निर्मल कुमार बोस हिन्दू मेथड ऑफ़ ट्राइबल एब्जोप्सन (Hindu Method of Tribal Absoption)*** शीर्षक के आलेख में अपना अभिमत प्रकट करते हुए लिखते हैं कि – बहुत सीधा-सादा सत्य है कि हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो कृषि से जीविकोपार्जन करता है और जिसका शोषण विभिन्न तरीकों से साहूकारों, अनुपस्थित जमींदारों और बिचौलियों द्वारा होता है *(ब्लैकस्वान,1996, पृ.168)*।

उपरोक्त लेखों और विचारों के आधार पर भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं के विषय में यह कहा जा सकता है कि-

- भारतीय जनजातियों की सम्पूर्ण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग दुर्गम स्थानों जैसे- पहाड़ी, सघन वन क्षेत्र, मरुस्थल, टापू और नदियों की घाटियों इत्यादि में आवासित है, जहां आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों को पहुंचाना अत्यंत दुष्कर है। ये सभी समूह सामान्य समुदायों से विलग होकर निर्जन प्रदेशों में रहते हैं और अपनी-अपनी जीवन पद्धति, रीति-रिवाज, लोक परम्परा, संस्कृति, भाषा और आर्थिक गतिविधियों आदि की परिधि में ही जीवन व्यतीत करते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी चुनौती इन समूहों की समस्याओं का विवेचन है।
- यद्यपि भारतीय संविधान में सेठ-साहूकारों, महाजनों, भूस्वामियों और वनकर्मियों आदि द्वारा जनजातियों को शोषण और बेगार से मुक्त करके उनके संरक्षण तथा विकास की बात कही गयी है, परन्तु दशकों बाद भी जनजातियों का आज भी शैक्षणिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। बंधुआ मजदूर , हाली और श्रमिक आदि के अनेकानेक रूपों में ये समूह आज भी फार्म-हाऊसों, फैक्ट्रियों, कारखानों, उद्योगों और जमींदारों के घरों में अत्यंत न्यूनतम सुविधाओं और मानदेय पर कार्य करते हैं।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनजातियों के अधिकांश समूहों के जीविकोपार्जन, आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र और आय का एकमात्र साधन प्रारम्भ से ही वनोत्पाद रहे हैं। परन्तु वनों से

संबंधित सरकारी नीतियों और वन अधिकारीयों तथा कर्मियों के दुर्व्यवहार ने इनके सम्मुख कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं।

- जनजातियों का जीवन आम लोगों से इस अर्थ में भिन्न है कि वे आधुनिकतावादी प्रवृतियों से पार्थक्य की नीति अपनाते हैं, जनजातीय समूह अपनी नृजातीय-सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, पारम्परिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विन्यासों को बनाए रखना चाहते हैं, पारिस्थितिकीय आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के पश्चात जनजातियों के समूहों को शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सामान्य भारतीय समाज के साथ समायोजित करने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप इससे न केवल उनका शांतिपूर्ण और स्वतंत्र जीवन प्रभावित हुआ, बल्कि वे भी ऋण, बेरोजगारी, निर्धनता एवं शोषण जैसे आधुनिकतावादी प्रवृतियों से ग्रसित हो गये जिससे उनके शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। वैश्वीकरण, शहरीकरण, औद्योगीकरण, सूचना और संचार क्रान्ति आदि ने बाद में इस प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान की है।
- संचार एवं विकास की प्रगति के लिए जनजातीय क्षेत्रों को खुला रखने और भूमि अधिग्रहण की सरकारी नीतियों के कारण जनजातियों के समूहों को भूमिहीन होकर पलायन के लिए विवश होना पड़ा है। आधुनिक भू-कानून तथा भू-स्वामित्व की वर्तमान प्रणाली के विकास से जनजातियों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में जो मौलिक परिवर्तन आये हैं, उसने गैर-जनजातीय समुदायों का हस्तक्षेप जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ा दिया है। वैश्वीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करने, भारी उद्योगों को संरक्षण देने, विशेष आर्थिक क्षेत्र और तकनीकी उद्यान विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने जिस तरह से भूमि अधिग्रहण की नीति अपनायी है, उससे जनजातियों के समूहों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- पारम्परिक दृष्टिकोण से भूमि के साथ-साथ वनोत्पादों पर भी जनजातीय समूहों का एक प्रकार से नियंत्रण रहा था, ये उनकी संपत्ति भी थे। जैसे-जैसे सरकार ने जंगलों एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकरण आरम्भ किया, जिससे सरकार और जनजातीय समूहों के मध्य विवाद और तनाव उत्पन्न हो गये। सरकार ने यह बात विस्मृत कर दी कि जंगल जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और परम्पराओं के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत औद्योगिक और

अंतर्राष्ट्रीय विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आज जंगल नष्ट किये जा रहे हैं। वनक्षेत्र पर अपना अधिकार खोने के पश्चात जनजातियों की आजीविका छिन गई, जिससे वे निर्धनता के चक्रव्यूह में बुरीतरह उलझ गये। अकाल के समय या विपरीत परिस्थितियों में प्राय: इन्हें धन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ये धोखेबाज महाजनों से ऋण लेने को विवश हो जाते हैं। पहले ये समूह अपनी भूमि पर में भोजन के लिए कृषि कार्य करते थे, परन्तु अब उसी भूमि में धनार्जन हेतु फसलों का उत्पादन करने लगे। इससे इनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही धराशायी हो गई है और खाध पदार्थों के लिए इन्हें शहरी बाजार पर अधिक-से-अधिक आश्रित होना पड़ा है। इसके साथ ही जनजातियों का शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हुई है।

- जनजातियों में जो सीमा-प्रान्त विशेषकर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर आवासित हैं उनकी विशिष्ट चुनौतियां हैं। वहाँ पर चीन, बांग्लादेश, बर्मा एवं पाकिस्तान जैसे देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ जुड़ती हैं, जिनमें से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे पारम्परिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। इन्होंने सीमा प्रान्तों की जनजातियों में अक्सर विद्रोह की भावनाओं को भड़काकर अलगाववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया है। उन्हें अस्त्र-शस्त्रों के संचालन का प्रशिक्षण देकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया है। विद्रोही नागा, वोडो, खासी, गद्दी, गर्रा, गुज्जर बकरवाल, बाल्टी, बोटो, चागपा, बनहारा, कनहरी आदि जनजातियों को अपने क्षेत्रों में प्रश्रय देकर समय-समय पर छापामार युद्ध करने को सदैव ही प्रेरित किया है। यही कुछ स्थिति बर्मा की सीमा पर भी है। पड़ोसी देशों से इनको इतना बल मिला है कि ये समूह स्वायत्तता की मांग करने लगे हैं और आन्दोलन, संघर्ष और आतंकी गतिवधियों में शामिल हो रहे हैं। इसका निराकरण आज राष्ट्रीय समस्या बन चुका है।
- भू-स्वामित्व की विमुखता के कारण जनजातियां अपने जीवन यापन के साधनों को विलुप्त कर चुकी हैं और निर्धनता का अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश हैं। प्राकृतिक आपदा और दुर्भिक्ष की स्थिति में उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। नकदी फसलों के उत्पादन पर अधिक बल देने के कारण अनाजों को क्रय करने के लिए भी उन्हें ऋण लेना पड़ता है। आज वे खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार पर उनकी निर्भरता में वृद्धि हो रही है। इतना ही नही,

औद्योगीकरण की प्रक्रिया से भी इन्हें कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रोजगार के जो अवसर उपलब्ध हैं, उनके लिए वे अनुपयुक्त हैं। उनमें इस तरह की अभिरुचि और शैक्षणिक योग्यता का अभाव है। ऐसे परिदृश्य में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मुख्य समस्या यह है कि किस प्रकार जनजातियों की मूल विशिष्टताओं को अक्षुण्ण रखते हुए उनका समायोजन राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ किया जाए।

1.3 राजस्थान की प्रमुख जनजातियां (MajorTribes of Rajasthan):- अनुसूचित जनजातियां शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-366 (25) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिये अनुच्छेद-342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम-1976 के अनुसार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आवासित बारह अनुसूचित जनजातियों की सूची को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आवासित बारह अनुसूचित जनजातियों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्र.सं.	अनुसूचित जनजातियां	राजस्थान में आवासित क्षेत्र
1.	भील, गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावें	बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर (सर्वाधिक), चित्तौड़गढ़
2.	भील मीना	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़
3.	डामोर, डामरिया	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़
4.	धानका, तडबी, वालवी, तेतारिया	जयपुर, सीकर, चुरू, झुंझुनू, बाड़मेर, टोंक, अजमेर, हनुमानगढ़
5.	गरासिया (राजपूत गरासिया को छोड़कर)	आबू रोड, सिरोही, उदयपुर और पाली
6.	काथोड़ी, कातकरी, ढोर काथोड़ी, ढोर कातकरी, सोन काथोड़ी, सोन कातकरी	बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़
7.	कोकना, कोकनी, कूकना	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़
8.	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़
9.	मीना	जयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शेखावटी और सवाई माधोपुर आदि
10.	नायकड़ा, नायका, चोलीवाला नायका, कापड़िया नायका, मोटा नायका, नाना नायका	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर
11.	पटेलिया	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां
12.	सेहरिआ, सेहारिआ, सहारिया, सहरिया	बारां

(संदर्भ: http://www.tad.rajasthan.gov.in/index.php/aboutus-hi 27/11/2016 14.08 PM साभार)

भारतीय संविधान में 550 विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। भारत की जनगणना-2011 के अनुसार भारतीय जनजातियों की जनसंख्या 10.43 करोड़ आंकी गयी है, जिसमें 5.24 करोड़ पुरुष तथा 5.19 करोड़ स्त्रियाँ हैं। राजस्थान के संदर्भ में जनजातियों की जनसंख्या 92.39 लाख है जिसमें 47.39 लाख पुरुष तथा 45.0 लाख स्त्रियाँ हैं। राजस्थान में निवास करने वाली बारह जनजातियों में भील, मीणा, दामोर, पटेलिया, गरासिया, भीलाला, वारेला, सहरिया, नायका, काथौढ़ी और कोकना आदि प्रमुख हैं *(शंकर, 2014, पृ. 7-8)*। दक्षिणी राजस्थान में आवासित सहरिया जनजाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 में निर्दिष्ट किया गया है अर्थात यह जनजाति राज्य की आदिम जनजाति की श्रेणी में वर्गीकृत है। सहरिया आदिम जनजाति समूह शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अविकसित है। यह जनजाति राजस्थान के बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर तथा अजमेर जिलों में पायी जाती है, परन्तु बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में यह सघनता से निवास करती है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से अरबी भाषा के शब्द ***सहेरा*** से मानी जाती है जिसका तात्पर्य ***जंगलों में रहने वाले लोगों के समूह*** से है। वर्तमान सन्दर्भ में इस समुदाय की बस्तियां गांवों से बाहर बनी होती हैं, जिन्हें ***सहराना*** कहा जाता है।

1.4 सहरिया जनजाति का संप्रत्यय (Concept of Sahariya Tribe):- सहरिया आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति इस अर्थ में है, क्योंकि इस जनजाति ने आदिम मानव जाति की कई विशेषताओं को आज की सभ्यता, वैश्वीकरण और आधुनिक युग से बचाकर सुरक्षित रखा है। इन्हें आदिम जनजाति इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि सभ्यता के विकास की दृष्टि से ये आज भी प्रारंभिक अवस्था में जीवनयापन कर रहे हैं *(शंकर, 2014, पृ. 1)*। सामान्य समुदाय के दृष्टिकोण से सहरिया जनजाति से आशय अशिक्षित, फटेहाल, वनवासी, शिकारी, विस्थापित, पलायनवादी, मद्यपान प्रिय, आलसी और संकोची प्रवृत्ति आदि से है। सहरिया होने का तात्पर्य उनकी जीवन शैली, संस्कार, परम्परायें, रीतियाँ एवं मनोवृत्ति आदि विशिष्टताओं से है, जो उन्हें अपने पुरखों से विरासत में प्राप्त हुई हैं। यह सही है कि आदिवासी निर्धन हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि उनकी संस्कृति विकृत है। यह भी सही नहीं है कि उनके रीति-रिवाज, भाषाएँ, मत तथा मूल्य आदि निम्न कोटि के हैं। इसके विपरीत वास्तविक सत्यता यह है कि आदिवासियों की संस्कृति, मूल्य एवं बहुत-सी सामाजिक मान्यताएँ और परम्पराएँ तथाकथित सभ्य समुदाय की परम्पराओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ और मानवीय हैं। सत्य तो यह है कि

आदिवासियों की परम्परा आदि आदर्श समाज से अधिक समानता रखते हैं, जबकि आदिवासियों को असभ्य और संस्कृतविहीन कहने वाले हिन्दुओं, ईसाईयों और मुस्लिमों का समाज एक विकृत और संदूषित समाज है, जिसमें औपनिवेशिक सभ्यता के अपशिष्ट पदार्थ एवं मध्ययुगीन सामंतवाद के घृणात्मक मूल्यों के अधीन मनुष्यता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा कराह रही है। हिन्दू-समाज दहेज़ जैसी घृणास्पद समस्या से पीड़ित है। आदिवासी स्त्रीदाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिन्दू-समाज-व्यवस्था में अस्पृश्यता और जातिवाद है, जबकि आदिवासी जातियां अपने समाज में समानता की भावना पर आधारित हैं। आदिवासी समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके समाज में अनाथ बच्चे नहीं होते। ग्राममें जिन बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं होता, आदिवासी प्यार से उन बच्चों को अपने परिवार में आश्रय देते हैं तथा उन्हें अपनी संतान की तरह ही स्नेह देते हैं *(तलवार, 2008, पृ. 224-225)*। आदिवासियों की उपरोक्त विशिष्टताओं को आत्मसात किये सहरिया आदिम जनजाति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –

- सहरिया जनजाति सरकार द्वारा घोषित राजस्थान राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है।
- प्रारम्भ में दुर्गम भौगोलिक स्थानों पर रहने वाली और वनोत्पादों पर आश्रित सहरिया जनजाति वर्तमान में कृषि, बन्धुआ-मजदूरी और केन्द्र सरकार द्वारा पोषित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना पर निर्भर है।
- आलसी, संकोची और कायर प्रवृत्ति की जनजाति।
- चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध, प्रतिशोध, यौनाचार, व्यभिचार, अस्पृश्यता और जातिवाद आदि कुरीतियों रहित जनजाति।
- आतिथ्यप्रिय और समानता के भाव को आत्मसात करने वाली जनजाति।
- भुखमरी की स्थिति आने पर ही काम करने, मद्यपान एवं धूम्रपान करने और गुटखा खाने आदि अवांछित आदतों को प्राथमिकता देने वाली जनजाति।
- शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली जनजाति।
- अत्याचार सहन करने वाली जनजाति।
- लोकोत्सवों और धार्मिक त्यौहारों को परम्परागत नृत्य के साथ मनाने वाला आदिम समुदाय।

1.5 सहरिया जनजाति का उद्भव एवं विकासक्रम (Origin and Development of Sahariya Tribe):– राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में कोटा संभाग के हाड़ौती अंचल की अन्नपूर्णा नगरी बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों की 65 ग्राम पंचायतों के 449 ग्रामों में आवासित सहरिया जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अविकसित एकमात्र वनवासी जनजाति है, जिसे भारत की केन्द्र सरकार द्वारा सन् 2011 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 की सूची के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में स्थान दिया गया। परन्तु सहरिया आवासित क्षेत्र को टीएसपी में सम्मिलित नहीं किया गया। सहरिया आदिम जनजाति आदिकाल से ही जंगलों में निवास करती आ रही है और यह जनजाति अभावों में जीवनयापन कर रही है।

सहरिया आदिम जनजाति के उद्भव और विकासक्रम के सम्बन्ध में विद्वानों और इतिहासकारों के मतों में भिन्नता है, इसलिए इस जनजाति की उत्पत्ति आज भी जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। इसकी उत्पत्ति का कोई भी मानकीकृत प्रमाण, अभिलेख और साक्ष्य लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। कथाओं, वक्तव्यों और पुर्खोती के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि ***संवर, सवरा, सहरा और सैरिया*** आदि इस जनजाति के पूर्ववर्ती नाम हैं। वर्तमान समय में इस आदिम जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित नाम ***सहरिया*** है। इसके उद्भव को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-

1. सहरिया शब्द का संधि-विच्छेद करने पर सह+आर्य होता है, जिसका तात्पर्य आर्य के समान अथवा आर्यों के वंशज या सहायक है। इसके सम्बन्ध में वाल्मीकि रामायण में भी कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि सहरियाओं का सम्बन्ध आर्य जाति से था *(पलात, 1987, पृ. 75)*।
2. ***रसेल एवं हीरालाल*** ने सहरिया जनजाति को देश के विभिन्न भागों में आवासित होने और विभिन्न व्यवसायों में संलग्नता के कारण ***कोलारियन*** समूह का माना है। रसेल महोदय ने सहरिया शब्द के स्थान पर सवर, सवरा, सओर और सहरा शब्दों का प्रयोग किया है और इन्होंने इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि – सवर जनजाति के उद्भव के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य में अनेक कथाएँ मिलती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस जनजाति को विश्वामित्र का वंशज कहा गया है और महाभारत महाकाव्य में इसे मुनि वशिष्ट की अलौकिक गाय कामधेनु द्वारा विश्वामित्र के श्राप के प्रभाव को कम

करने के लिए उत्पन्न बताया गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इनका सम्बन्ध रामायण काल की शबरी से जोड़ा गया है। एक अन्य कथा में इनका पूर्वज एक जारा संवर को बताया गया है, जिसने श्री कृष्ण का एक मृग के रूप में शिकार किया था। एक और अन्य कथा में भी शवरों का सम्बन्ध उड़ीसा राज्य के जगन्नाथ मन्दिर से बताया गया है। सवर जनजाति का पूर्वज सवर नाम का एक वृद्ध भील योगी सवरी नारायण से दो मील दूर करोद में रहता था *(रसेल, सवर चैप्टर)*।

3. ***नरेन्द्र, एन. व्यास और प्रकाश चन्द्र मेहता*** के अनुसार -सहरिया शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द शेर से हुई है, जिसका अभिप्राय जंगल से है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इन्हें जंगल में निवास करने के कारण सहरिया नाम दिया है *(व्यास एवं मेहता, 1994, पृ. 56)*।
4. ***कनिंघम*** ने सहरियाओं को सोरे या सवर माना है और सजातीय सीथियन (कुल्हाड़ी) शब्द से इसकी तुलना की है। सहरियाओं के सम्बन्ध में यह मान्यता है कि वे अपने साथ सदैव कुल्हाड़ी रखते हैं। कनिंघम ने सहरियाओं का सम्बन्ध कोलों के विशाल परिवार से माना है *(शंकर, 2014, पृ. 3)*।
5. ***कर्नल जेम्स टॉड*** ने सहरियाओं को ***सैरिया (Saireas)*** कहा है और इस शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया है कि जिन पहाड़ियों (मालवा, हाड़ौती, बुंदेलखण्ड) में ये लोग निवास करते हैं, उनमें पहले सरजा (Sarja) जाति के लोग बसते थे, जो अब नहीं मिलते परन्तु वे मध्य भारत के सैरिया ही थे। राजपूतों की राज करने वाली छत्तीस जातियों में से एक सरी-अस्प (Sariaspa) भी है, जिसका संक्षिप्त सैरिया (Saria) है। इन लोगों की बहुत पुरानी तिथि के शिलालेख मिले हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि वे भारतवर्ष की बहुत पुरानी जातियों में से एक हैं। सहरिया समाज के लोग भी स्वयं को किसी बैजू भील की संतान मानते हैं, परन्तु वे यह नहीं जानते कि - वह कौन था ?, कहाँ का था ? और कब हुआ ? *(तिवारी, 1980, पृ.91)*।
6. ***तारीख-ए-किला रणथंभौर*** में लिखा है कि राजपूतों द्वारा रणथंभौर किले पर अधिकार जमाने से पहले इस किले के आस-पास के प्रदेश में सहर जाती के लोग रहते थे जो चारों ओर लूट-पाट करके इस किले में शरणागत हो जाते थे। ऐसा लगता है कि उस काल के वे सहर जाति के लोग भी सहरिया हैं *(बहुरा, 2012, पृ 45-46)*।
7. राजस्थान दिवस पर सहरियाओं का नया जीवन विषय पर लिखे आलेख में ***रामस्वरूप जोशी*** लिखते हैं कि सहरिया जनजाति का नाम मुग़ल शासनकाल में पड़ा। ऐसी मान्यता है कि फारसी में

जंगल को सहरा कहते हैं औए यह जाति युगों से जंगल में निवास करती आयी है, इसलिए जंगल में निवास करने वाले ये लोग सहरिया के नाम से पुकारे जाने लगे *(शंकर, 2014, पृ. 4)* ।

8. प्रकाश चन्द्र मेहता का भी मत है कि –सहरा पारसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय रेगिस्तान से है। इसलिए सहरा क्षेत्र में रहने के कारण ये लोग सहरिया कहलाये। *(मेहता, 1993, पृ.71)* ।
9. बसंत निरगुणे ने सहरिया पुस्तक में लिखा है कि सहरिया उत्पत्ति की मिथ्य कथाओं से यह तो सिद्ध होता है कि संवर, सवरा, सहरा इत्यादि सहरिया जनजाति का पूर्ववर्ती नाम है। सहरिया जनजातिएक आदिम युगीन जनजाति है, जिसका गहरा सम्बन्ध जंगलों, जड़ी-बूटियों और सामूहिक जीवन शैली से रहा है। *(निरगुणे, 1993, पृ.90)* ।

उपरोक्त विचारों के आधार पर सहरियाओं के सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह जनजाति राजस्थान की ऐसी जनजाति है, जो वनवासी थी और जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली की घाटियों एवं चम्बल की तलहटियों में आर्यों के साथ ही प्राकृतिक परिवेश में आवासित थी। कालांतर में प्राकृतिक और मानवकृत परिवर्तनों के फलस्वरूप इसकी स्थिति दयनीय होती गयी। रामायण काल से लेकर स्वतन्त्रतापूर्व तक इस जनजाति ने अनेकानेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हए भी अपने अस्तित्व को बनाये रखा और आज भी अपनी गरिमामय उपस्थिति वैश्विकरण एवं संचार क्रांति के युग में दर्ज़ करा रही है।

1.6 सहरिया जनजाति की जनसंख्या (Population of Sahariya Tribe):- भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का एक बहुत बड़ा भाग आवासित है। इनकी जनसंख्या लगभग 3.25 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का वृहद भाग है। गोंड, नागा, कोंकण, काथौढ़ी , कोकना, राजी, पटेलिया, गारो, खासी, वोडो, मीणा, संथाल, भील, काँवी, उरांव, मुंडा, शबर, हो, कचारी, सहरिया, डामोर, इत्यादि भारत के प्रमुख विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनका क्षेत्र त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि प्रांतों में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जनजातीय समूह क्रमशः गोंड, संथाल और भील हैं। हमारे देश में 705 अनुसूचित जनजातियों की पहचान की गयी है, जबकि भारतीय संविधान में केवल 550 जनजातियों के विषय में ही जानकारी

मिलती है। इनमें सबसे अधिक 62 अनुसूचित जनजातियां उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। अनेकानेक अनुसूचित जनजातियां एक से अधिक राज्यों में पाई जाती हैं। भारत के 17 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में वर्गीकृत जनजातियों की संख्या 75 है *(GoI, 2012-2017, पृ.228)*।

राजस्थान में मुख्य रूप से मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, धानका, कोकना एवं काथौड़ी आदि बारह जनजातियां और उनके उपसमूह तड़वी, वाल्वी, कोकनी, कूकना, कोलीढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा, नायकड़ा, नायका, चोली वाला नायका, कपाड़िया नायका, मोटा नायका, नाना नायका एवं पटेलिया इत्यादि राज्य के विभिन्न जिलों में आवासित हैं। राजस्थान की जनजातियों में सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है, जिसे भारत की केन्द्र सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह (PTG) में रखा गया। वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा के पश्चात आदिम जनजाति समूह (PTG) को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) नाम दिया गया है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या 13.5% है।

राजस्थान की प्रमुख जनजातियां में मीणा जनजाति कुल जनजातीय जनसंख्या का 51.33% भाग है, जो सबसे बड़ा एवं अपेक्षाकृत आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न जनजाति समूह है। राज्य का दूसरा वृहद जनजाति समूह भील है, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 42.50% भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और चौथा बड़ा समूह क्रमशः गरासिया और सहरिया जनजातियों का है।

तालिका-1.2

सहरिया समुदाय की जनसंख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति एवं तहसील	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	ग्राम संख्या	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार			कुल जनसंख्या की तुलना में अनु. जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	कुल जनसंख्या की तुलना में सहरिया जनसंख्या का प्रतिशत
					कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	सहरिया जनजाति की जनसंख्या		
1.	बांरा	शाहबाद	1460	236	105875	41808	34687	39.49	32.76
2.		किशनगंज	1451	213	166864	60316	39308	36.15	23.56
		कुल	2911	449	272739	102124	73995	37.44	27.13

(संदर्भ: सहरिया विकास परियोजना केन्द्र, शाहबाद द्वारा साभार)

1.7 सहरिया जनजाति का क्षेत्र एवं भौगोलिक स्थिति (Area and Geographical status of Sahariya Tribe):- सन् 2011 की जनगणना के अनुसार बारां जिले की कुल जनसंख्या का 21 से 28 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत में सहरियाओं की जनसंख्या 12 लाख के आस-पास है। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीज) है। मुख्य रूप से सहरिया जनजाति की जनसंख्या का क्षेत्र एवं भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार सहरिया समुदाय की जनसंख्या राजस्थान में 79,372 है, जो बारां जिले के किशनगंज, शाहबाद , अटरु एवं मांगरोल इन चार तहसीलों में निवास करती हैं। इन 4 तहसीलों में सहरिया समुदाय के परिवारों की संख्या 16,520 है। बारां जिले की तहसीलों यथा-किशनगंज में सहरिया समुदाय की जनसंख्या का अनुपात 49.85 प्रतिशत, शाहबाद में 43.70 प्रतिशत, अटरू में 4.30 प्रतिशत एवं मांगरोल में 2.47 प्रतिशत है। बारां जिले की चारों तहसीलों में सहरिया जनसंख्या के अनुपात को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है-

तालिका-1.3

सहरिया समुदाय की बारां जिले में जनसंख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्र. सं.	तहसील	सहरिया गांव	सहरियाओं के घर	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या
1	किशनगंज	136	8236	20146	19162	39308
2	शाहबाद	100	7119	17752	16935	34687
3	अटरू	28	732	1801	1615	3416
4	मांगरोल	19	433	977	984	1961
	योग	283	16,520	40,676	38,696)	79,372

(संदर्भ: सर्वेक्षण वर्ष 2002 जनजाति रिसर्च एवं प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर द्वारा साभार)

उपर्युक्त तालिका से सपष्ट होता है कि सहरिया समुदाय की बहुतायत जनसंख्या राजस्थान के बारां जिले की दो तहसीलों किशनगंज एवं शाहबाद में ही निवास करती है। वस्तुतः राजस्थान की सहरिया जनजाति की जनसंख्या का 93.22 प्रतिशत भाग इन दो तहसीलों में ही आवासित है। 48 प्रतिशत सहरिया पुरुषों एवं 45 प्रतिशत महिलाओं की जनसंख्या किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में ही निवास करती है।

बारां जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े पश्चिम भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। इसका जिला मुख्यालय बारां है। सन् 1948 में संयुक्त राजस्थान के निर्माण के समय भी बारां एक जिला

था । 31 मार्च 1949 को राजस्थान का पुनर्निर्माण हुआ और बारां जिला मुख्यालय को कोटा जिले का उपखण्ड मुख्यालय बनाया गया । 10 अप्रैल 1991 को पूर्वी कोटा जिले को पृथक कर बारां जिले का निर्माण किया गया । वराह नगरी 14वीं -15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों के अधीन थी । उस समय इसके अन्तर्गत 12 ग्राम आते थे, इसलिए यह नगर बारां कहलाया । बारां समुद्र तल से 262 मीटर की उँचाई पर कालीसिंध, पार्वती और परवन नदियों के मध्य स्थित है । बारां जिला छ: उपखण्डों - बारां, मांगरोल, अटरु, किशनगंज, शाहबाद एवं छबडा तथा आठ तहसीलों- अंता, बारां, मांगरोल, अटरु, किशनगंज, शाहबाद छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में विभाजित है ।

मानचित्र-1.2

बारां जिले की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन

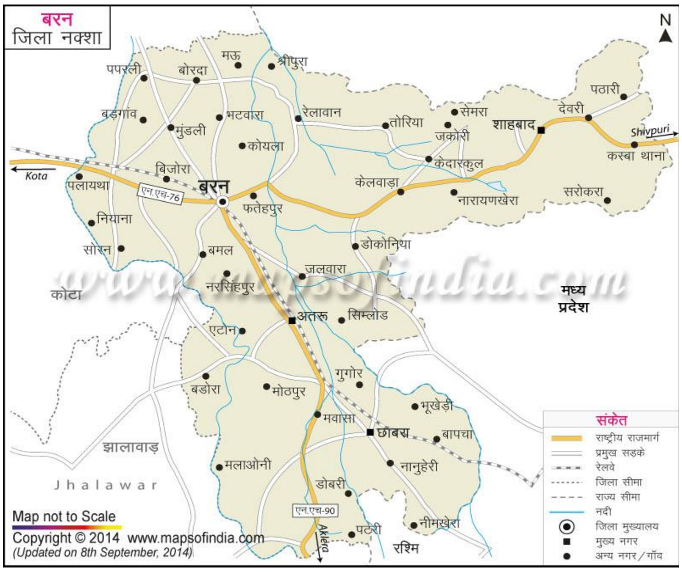

(संदर्भ:http://www.mapsofindia.com/03/10/2017, 3:14 AM से साभार)

सामान्य रूप से सहरिया बाहुल्य क्षेत्र 150 कि.मी. लंबा है, जिसका अधिकाशं भाग पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआ है । यहाँ के जगल, वनस्पति सहरियाओं के कभी आजीविका के मुख्य स्त्रोत हुआ करते थे, जो कमोबेश आज भी हैं । क्रमशः शाहबाद और किशागंज तहसीलों के निम्नांकित ग्रामों में सहरिया आदिम जनजाति आवासित है-

मानचित्र-1.3

शाहबाद की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन

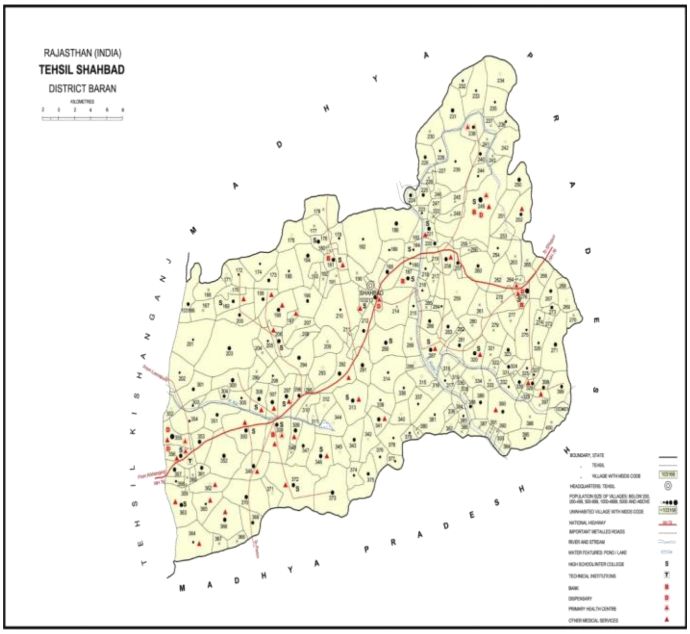

(संदर्भ:*www.censusindia.gov.in/2011census/*03/10/201, 5:34 AM से साभार)

शाहबाद - पेनावदा, सिलौरा,

खुशहरा, नारायण खेड़ा, सिरसौद कला, सिरसौदखुर्द, हाटड़ी, गाडर, ईशाटोरी, घेसवा, बिच्छी, खाण्डा-सहरोल, कलोनी, आमखो, बैहठा, तेलनी, बड़ारा, किराड़, पहाड़ी, धतुरिया, सेनली, पाटक, खटका, निवाड़ी, कैराई, जखोनी, सूखासेमली, बैराई, अजरोड़, पहाड़ी, ढिकवानी, बांसखेड़ा, रामपुरा, पीपल्या खेड़ी, सिलोरी, सिलोरी, केदारकुई, खुशियारा, गजरेठा, बीची, बिरमानी, खुशहालपुरा, छिछोरनी, बिलेंड़ी, बिलखेड़ा, बिलखेड़ा डांग, चैराखाड़ी, पठारी रामपुर, बवनगवां, सनवाड़ा, आगर, कस्बाथना, राजपुरा, बैठा, मुंडियर, केलवाड़ा, समरानिया, उनी, खांडा, सहरोल, मामोनी, राजपुर बेंटा, पहाड़ी, हथवारी, खिरिया, चंदनखेड़ा, बालदा, हथवारी, पहाड़ी, नानोट, गणेशपुरा, अटारी, मोदरो, मोहाल, गोयरा, शुभधारा, हरिपुरा और नटाई इत्यादि शाहबाद के सहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं।

मानचित्र-1.4

किशनगंज की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र द्वारा प्रदर्शन

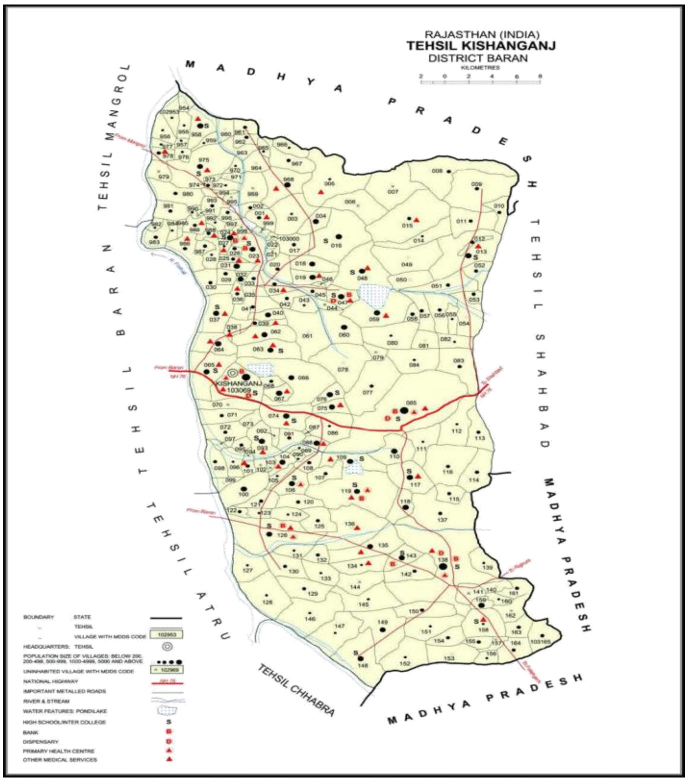

(संदर्भ:*www.censusindia.gov.in/2011census/03*/10/2017, 5:44 AM से साभार)

किशनगंज- किशनगंज, रामगढ़, छीणोद, हीरापुरा, फाल्दी, रामपुरिया, बासथूनी, कुंदा, गोपालपुरा, जगदीशपुरा, भवानीपुरा, बरूनी, कापरीखेड़ा, पीजना, विलासगढ़, बकनपुरा, अमलावदा, घट्टी, बालापुरा, डिकोनिया, परानिया, गरड़ा, ब्रह्मपुरा, किशनाईपुरा, सोडाना, मायका, सिवनी, करवरीकला, करवरी खुर्द, हीरापुर, रामगढ़, रेलवान, देवरी, असनावर, राधापुर, खंडेला, टोड़िया, जनकपुर, खेड़ला, मेटावता, इकलेरा, मिसाई, बकनपुरा, कनपुरा, काकड़दा, नाहरगढ़, बिलासगढ़ी, भंवरगढ़, बाटका खंडेला, तेजाजी का डांडा, कामठा, अकोदिया, गोबरचा, सकरावदा, बजरंगगढ़, अहमदा, नयागांव, जगदीशपुरा, माधोपुर, गोर्धनपुरा, सुंडाला चैनपुरा, खांखरा, अमरोली, रामगंज (नयागाँव), रणवासा, रणवासी, जैसवां, ख्यावदा, जलवाड़ा इत्यादि किशनगंज तहसील के सहरिया सघनता वाले क्षेत्र हैं।

इस प्रकार, राजस्थान के हाड़ौती अंचल के बारां जिले की किशनगज एवं शाहबाद तहसील राजस्थान में सहरियाओं के प्रमुख क्षेत्र हैं। शाहबाद पंचायत समिति में सहरिया क्षेत्रफल 1 हजार 969 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें 38 पंचायतों के 237 ग्रामों में सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। इसी प्रकार

किशनगंज पंचायत समित में सहरिया क्षेत्रफल 1 हजार 429 वर्ग किलोमीटर है। किशनगंज पंचायत समिति के 203 ग्रामों में सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं।

1.8 सहरिया जनजाति की शैक्षणिक पृष्ठभूमि (Educational background of Sahariya Tribe):- भारत की स्वतंत्रता के सात दशक पश्चात राजस्थान की सहरिया जनजाति की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का यदि विश्लेषण किया जाये तो जो तस्वीर उभरकर सामने आती है, वह बेहद दयनीय और चिन्ताजनक है। आरंभ में सहरिया समुदाय में शिक्षा का स्तर अत्यन्त न्यून था। शैक्षणिक दृष्टि से सहरिया जनजाति के लोग बेहद पिछड़े थे। निम्नलिखित तालिका में गत वर्षों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है।

तालिका-1.4

सहरिया समुदाय की साक्षरता का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्र. सं.	वर्ष	साक्षरता का प्रतिशत	
		पुरुष	महिला
1.	1961	2.3	0.22
2.	1971	5.77	0.35
3.	1981	8.60	0.72
4.	1991	11.34	0.29
5.	2001	35.27	5. 50
6.	2011	39.85	9.34

(संदर्भ: जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1961 से वर्ष 2011 तक जनगणना मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साभार)

शिक्षा के प्रति सहरियाओं की रुचि और दृष्टिकोण दोनों ही नकारात्मक हैं। बालिका-शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, तकनीकी-शिक्षा, उच्च-शिक्षा की दृष्टि से सहरियाओं में शिक्षा की स्थिति और भी निम्न है। इसके पार्श्व में निर्धनता, अशिक्षा और जागरूकता में कमी इत्यादि इसके प्रमुख कारण हैं। राजस्थान के बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निरक्षरों की संख्या भी अधिक है। वर्ष 2010 में साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार बारां जनपद में चिह्नित निरक्षरों की संख्या 2,13,586 है। सहरिया बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में 67,064 निरक्षर चिह्नित किए गये हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट, सन् 1999 के अनुसार सहरिया क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में ड्रापआउट करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या (12112) एक दुःखद पहलू था। इस रिपोर्ट के अनुसार बारां जिला के सहरिया क्षेत्रों में ड्रापआउट करने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत 60 था, जबकि

छात्राओं का प्रतिशत 55-54 था। गत वर्षों में जो आँकड़े भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हैं, उनके अनुसार सन् 2009 में सम्पूर्ण भारत के विद्यालयों में ड्रापआउट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जहां 80 लाख थी, वहां सन् 2011 में घटकर 30 लाख हो गई है *(शंकर, 2014, पृ.52)*।

ग्राफ 1.1

सहरिया समुदाय की वर्षानुसार साक्षरता का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन

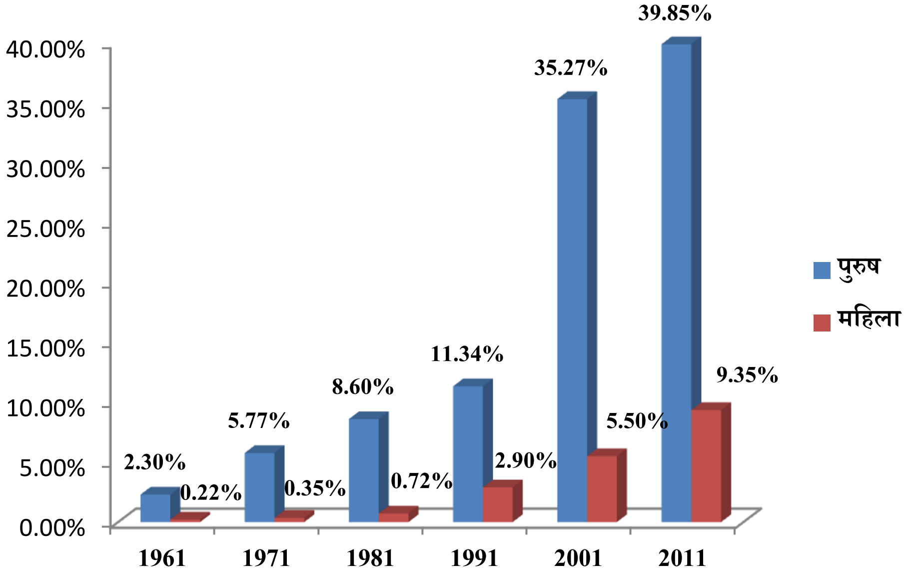

उपरोक्त ग्राफ 1.1 में पिछले छः दशकों के दौरान राजस्थान की सहरिया आदिम जनजाति के पुरुषों और महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को दर्शाया गया है। दंड आरेख से यह स्पष्ट होता है कि सहरिया जनजाति के पुरुषों और महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में निरंतर वृद्धि हो रही है। सहरिया आदिम जनजाति की महत्वपूर्ण समस्या साक्षरता एवं शिक्षा की है। अशिक्षा ने उन्हें अन्धविश्वासों, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से ग्रस्त व त्रस्त बनाये रखा है। शिक्षा के अभाव के कारण ही ये सदैव शोषित रहे। सहरिया जनजाति में ऋणग्रस्तता एवं भूमि के स्वामित्व का स्थानान्तरण, शिक्षा एवं साक्षरता के अभाव का ही परिणाम है। आज शिक्षा पद्धति इनकी आवश्यकताओं एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं होने के कारण ही उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है। क्योंकि सहरिया जनजाति के जो लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वे अपनी जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति में वे कई कमियां देखने लगते हैं। आज की शिक्षा वैसे भी व्यक्ति के जीवन-निर्वाह का कोई निश्चित साधन प्रदान नहीं करती। यही कारण है कि शिक्षित व्यक्तियों के एक बहुत बड़े तबके को बेराजेगारी का सामना करना पड़ रहा है। जनजातियों की गरीबी की अवस्था के कारण ही अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर से पूर्व ही

अध्ययन छोड़ देते हैं। निर्धनता, कुपोषण तथा बेरोजगारी युक्त जीवन जीने को अभिशप्त सहरिया जनजाति शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। सहरिया समुदाय की शिक्षा के प्रति यह धारणा कि जब स्नातक और परास्नातक उत्तीर्ण युवक बेरोजगार हैं तो ऐसी शिक्षा का क्या औचित्य ? रोटी तो श्रम, मेहनत एवं खेती करने से मिलती हैं। शिक्षा रोटी नहीं देती है, बल्कि यह मेहनत की प्रवृत्ति और आदत को छीनकर कमजोर और कामचोर बनाने के साथ-साथ समय एवं धन का अपव्यय करती है। इस नकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ ही दयनीय अर्थव्यवस्था, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, पलायनवादी प्रवृत्ति, निर्धनता-बेरोजगारी, रुढ़िवादिता, आत्मविश्वास की कमी इत्यादि विविध कारणों से सहरिया जनजाति शैक्षणिक विकास की दौड़ में प्रारंभ से ही काफी पीछे रही है और इसमें साक्षरता का प्रतिशत भी अत्यन्त कम रहा है। वर्ष 1982 ई. तक सहरिया समुदाय में कोई भी सहरिया स्नातक उत्तीर्ण नहीं था। सन् 1982 ई. में हीरालाल सहरिया प्रथम स्नातक बने, जिन्होंने सन् 1985 ई. में निर्दलीय चुनाव लड़कर राजस्थान विधानसभा में सन् 1990 ई. तक सहरिया समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। अतः राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में आने के लिए उन्हें कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि नवाचारिता के नवीन क्षेत्रों में शीघ्रता से आगे बढ़ना होगा। यद्यपि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, अन्धविश्वासों, आडम्बरों, अस्पृश्यता, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों को दूर कर मानवीय अभिवृत्ति को विकसित करना अभी भी अपेक्षित है *(शंकर, 2014, पृ.53-58)*।

1.9 सहरिया जनजाति की मनोसामाजिक पृष्ठभूमि (Psychosocial background of Sahariya Tribe):

सामाजिक वातावरण में किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया जाने वाला व्यवहार उसका मनोसामाजिक व्यवहार है। मनोसामाजिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहरिया समुदाय अंहिसा में विश्वास रखने वाला शांतिप्रिय समुदाय है। राजस्थान की अन्य जनजातियों की अपेक्षा अहिंसा-प्रवृत्ति के कारण सहरिया जनजाति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। इस दृष्टि से यह जनजाति अन्य जनजातियों के लिए प्रेरणास्रोत और अनुकरणीय है। सहरिया जनजाति अपने स्वभाव, व्यवहार और आदतों के लिए अलग से पहचान रखती है। बारां जिले के पार्वती नदी के खेत्र में सहरिया समुदाय को आलसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय लोगों की यह अवधारणा है कि जब तक भूखों मरने की स्थिति नहीं आती, तब तक सहरिया काम की तलाश नहीं करता। सामाजिक समायोजन,

सामाजिक सहभागिता, सामाजिक भय और सामाजिक अभिवृत्ति आदि मनोसामाजिक क्षेत्रों में भी सहरिया समुदाय की स्थिति अत्यंत दयनीय है । मुख्यधारा के समुदायों के साथ समायोजन उनके कर्यक्रमों में सहभागिता करने में उन्हें संकोच होता है । आधुनिक समाज में कुप्रवृत्तियों के कारण यह समुदाय भययुक्त व्यवहार को प्रदर्शित करता है । सामाजिक भय के कारण इस समुदाय की सामाजिक प्रवृत्ति भी नकारात्मक है । अभाव में जीवनयापन करना और मस्ती में सुस्त पड़े रहना इनका स्वभाव ही नहीं अपितु जीवन का अंग बन चुका है ।

सहरिया जनजाति के लोगों के स्वभाव की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी सहजता, सरलता, सज्जनता और भोलापन है । इनके भोलेपन की दर्जनों बानगियाँ हैं । यहाँ एक उदाहरण को देखना पर्याप्त होगा । केलवाड़ा में बैशाखी अमावस्या को आरम्भ होने वाले सीताबाड़ी के लक्ष्मण मन्दिर के प्रांगण में आयोजित पन्द्रह दिवसीय जनजातीय मेले के दौरान जब सहरिया कलाकार पारम्परिक वेशभूषा में सज-सँवर रहे थे, दर्जनों कलाकार शाम के समय होने वाले सहरिया स्वांग-नृत्य की तैयारी में व्यस्त थे । उस समय शोधार्थी के अनुरोध पर सभी कलाकारों ने अपना काम छोड़कर परिचर्चा में भाग लिया और शोधार्थी की जिज्ञासा को अपने उत्तरों से शान्त किया । सरलता, भोलापन, निश्छलता, सहज विश्वासी स्वभाव होने के कारण सहरिया हाली या बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता इत्यादि के शिकार हैं ।

राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहरिया काफी मिलनसार एवं विनम्र स्वभाव का धनी है । चाहे वृद्ध-वर्ग हो, स्त्री-वर्ग हो या बल-वर्ग, प्रायः सभी बाहर से आये आगुन्तकों से मिलने, अपने समाज के विषय में अधिक से अधिक जानकारी देने में असहजता का अनुभव नहीं करते हैं । सहरिया समाज का वृद्ध-वर्ग तो अपनी विरासत, सभ्यता-संस्कृति को बताने में गौरवान्वित महसूस करता है । नम्रता से पेश आना उनके सहज स्वभाव में सम्मिलित है । सहरिया आदिम जनजाति के लोग अपने सहराने में परस्पर मेल-मिलाप और प्रेम-सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में एक-साथ रहते हैं । सहरिया आदिम जनजाति के लोग अतिथि देवो भवः की भावना के पृष्ठपोषक हैं । इनकी बस्ती, इनके सहराने, इनकी चैपाल पर जाने से ये अतिथियों का ह्रदय से स्वागत करते हैं । राम! राम! जी कहकर संबोधित करते हुए सहरिया जनजाति के लोग बड़े हर्ष और उत्साह के साथ चारपाई पर बैठने के लिए आमन्त्रित करते हैं *(शंकर, 2014, पृ.26)* ।

सहरिया आदिम जनजाति भीलों के समान अख्यवासी है। जल,जंगल और जमीन से इनका प्रगाढ़ रिश्ता है। दुर्गम जंगलों में मार्ग खोजना, निशाना लगाना, वृक्ष, पत्तों, जड़ी-बूटियों की पहचान तथा पशु-पक्षियो, कीट-पतंगों इत्यादि के विषय में समुचित जानकारी रखने मे सहरिया दक्ष होते हैं। सहरिया पुरुष भले ही आलसी हों परन्तु स्वाभिमानी प्रकृति के धनी होते हैं। स्वाभिमानी सहरियाओं को भूखे मरना स्वीकार्य है, परन्तु भिक्षाटन करके जीविकोपार्जन करना इनकी प्रतिष्ठा के विपरीत माना जाता है।

सहरिया जनजाति के लोगों का भगवान् के प्रति अटूट विश्वास है। मुख्य रूप से वाल्मीकि पूजक सहरिया हिन्दू देवी-देवताओं, यथा-हनुमान्, राम, शिव, दुर्गा माता, कैला देवी के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। सहरिया पुरुष आलसी एवं महिलाएँ परिश्रमी होती हैं। इस समुदाय के विषय में यह कहावत है कि- लुगाई कमाती है, पति बैठकर खाता है। सहरिया पुरुष आलसी अवश्य हैं, परन्तु स्वभाव से मनमौजी तथा सहज प्रकृति के होते हैं। स्त्रियाँ शांत प्रकृति की और परिश्रमी होती हैं। घर के अन्दर खाली बैठना उन्हें पसन्द नहीं होता है। घेरलू कार्यों को पूर्ण करके ये बाहरी कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। शारीरिक श्रम से ये कभी परेशान नहीं होती हैं *(शंकर, 2014, पृ.27)*।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups, PVTG's) में वर्गीकृत सहरिया समुदाय हृदय से सच्चा, वफादार और कृतज्ञ होता है। ***कर्नल जेम्स टॉड*** ने भी लिखा है कि- कृतज्ञता के विषय में इन लोगों की बहुत ही कोमल भावनायें है और इधर यह वाक्य तो कहावत बन गया है कि - एक बार सहरिया को भोजन करा दो, वह आजीवन आपका अहसान मानेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सहरिया जिनका नमक खाते हैं, उसकी कृतज्ञता कभी नहीं भूलते। सहरिया ऐसे वफादार होते हैं कि संकट के क्षणों में कृतज्ञ पात्र के लिए तन, मन और धन से सदैव सहयोग हेतु तैयार रहते हैं।

1.10 सहरिया आदिम जनजाति का सामाजिक संगठन (Social organisation of Sahariya Primitive Tribe):- सहरिया जनजाति के सामाजिक संगठन के विविध पक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत इस प्रकार देखा जा सकता है-

1.10.1 परिवार (Family):- सहरियाओं में पितृ-वंशीय, पितृ-स्थानीय एवं पितृ-सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था है। वंशनाम-व्यवस्था तथा सम्पत्ति का बँटवारा पिता द्वारा ही निर्धारित होता है। सामान्य रूप से

सहरिया जनजाति में एकल परिवार ही पाया जाता है, जिसमें पति-पत्नी एवं अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। कुछ सहरियाओं में संयुक्त परिवार भी देखने को मिलते हैं। सहरिया समुदाय अपने परिवार को कुटुम्ब के नाम से संबोधित करता है। सहरिया समुदाय में परिवार का यदि कोई पुत्र दाम्पत्य-सूत्र में बंधता है तो माता-पिता द्वारा उसे अलग टापरी बना कर तथा कृषि-भूमि उपलब्ध होने पर कुछ हिस्सा उसे देकर स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन-निर्वाह एवं स्वावलंबन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है *(पलात, 2014, पृ.89)*। सहरियाओं में हिन्दू रीति-रिवाज की भाँति माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त ज्येष्ठ पुत्र ही मृत्यु-संस्कार का व्यय वहन करता है। आर्थिक रूप से सम्पन्न सहरिया पुत्र अपने माता-पिता की मृत्यु के तीसरे दिन अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार में पीली कोठी में रहने वाले श्री हंसराज के पास जाता है, जो उनके कुल पुरोहित हैं तथा उसके प्रियजन का मृतक संस्कार करवातें हैं। कुछ सहरिया परिवार सौरों जी के कछला घाट भी जाते हैं, जहां इनके कुल पुरोहित मृतक की अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में करवाते हैं और साथ ही मृतक की आत्मिक शांति के लिए पिण्डदान संस्कार भी करवाते हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि माता-पिता की पैतृक सम्पत्ति पर परिवार के समस्त सदस्यों के स्थान पर सिर्फ कनिष्ठ पुत्र का ही अधिकार होता है *(शंकर, 2014, पृ.31)*। अविवाहित भाई-बहनों की जिम्मेदारी अथवा विधवा माँ, विधुर बाप एवं अन्य प्रकार की जिम्मेदारियों का वहन छोटा पुत्र ही करता है। ज्येष्ठ भ्राता कर्तव्यवश नहीं बल्कि पारिवारिक प्रेम के कारण स्वेच्छा से विपरीत परिस्थितियों में परिवार की सहायता करता है। इस प्रकार सहरिया सामाजिक संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार है, जिसका स्वरूप पितृसत्तात्मक है, जिसमें पिता ही परिवार का सर्वेसर्वा है। पिता की सलाह और निर्देश पर ही परिवार के सभी कार्य सम्पन्न होते हैं। परिवार के सभी सदस्य भी पिता के प्रति पूरा सम्मान, आदर और श्रद्धा-भाव रखते हैं। सहरिया समुदाय की पारिवारिक व्यवस्था में माता की भूमिका, उतरदायित्व और महत्व पिता के बाद होता है। विभिन्न मुद्दों पर माता-पिता से विचार-विमर्श और राय लेकर ही पारिवारिक कार्यों को पूर्ण किया जाता है *(शंकर, 2014, पृ.31)*। सहरिया समुदाय में गोद लेने, घरजवांई रखने की प्रथा का भी प्रचलन है। घरजवांई रखने की इस प्रथा के नाम पर एक ग्राम का नाम जवांईपुरा भी है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक जवांई अपनी ससुराल में रहते हैं।

1.10.2 पुरखत(Purkhat):- परिवार के अतिरिक्त पुरखत सहरियाओं की दूसरी प्रमुख सामाजिक इकाई है, जो वंश-क्रम में पूर्व चार पीढ़ियों की गणना कर रक्त-संबंध को सुनिश्चित क्रम में जोड़ती है तथा कुटुम्ब एवं कबीला को भाई-बन्धु बनाये रखने में योगदान करती है।

1.10.3 कुल एवं क्लान(Species and Order):- सहरियाओं के कुल-क्लानों में बँटे होते हैं। सहरियाओं के क्लानों में पटेना, गोगाया, देवरिया, राजोरिया, कुहार, खनवार, बेडगौर, बडुरिया, बरलिया, दोसानिया, चैकद्वार, गरबार, बदराली, चौहान, सोलंकी, रठवार इत्यादि प्रसिद्ध हैं। सहरियाओं के क्लानों के नाम पितर-पूर्वज अथव मूल निवास स्थान पर रखे गये हैं। सहरियाओं का समूह एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसे कुटुम्ब कहते हैं *(पलात, 2014, पृ.89)*। इनके 107 कुलों को सूचीबद्ध ***डॉ. याकूब अली*** खान ने अपनी पुस्तक ***ट्राइबल लाइफ़ इन इण्डिया*** में किया है ।

1.10.4 सहरियाओं की बस्ती (Township of Sahariya):- राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहरिया की बस्ती को सहराना कहा जाता है। सहरिया पहले एकांत जगलों में रहते थे किंतु अब उन्होंने मुख्य कस्बों के आसपास रहना शुरू किया है। यद्यपि यहाँ भी जवे अपनी एकांतता को कायम रखे हुए हैं। सहरियाओं की बस्ती सहराना की प्रकृति का यदि हम विश्लेषण करें तो पता चलता है कि सहरिया 3 प्रकार के सहरानों में रहते हैं-

1. बहुजातियों वाले सहराने।

2. सघन सहराने।

3. बिखरे सहराने।

बहुजतियों वाले सहरानों में गुर्जर, मीणा, सिक्ख, जाट, यादव, राठौर, अहेड़ी, वंजारा, जाटव और किराड़ इत्यादि वर्गों के आवास भी होते हैं, जैसे-हथवारी, पीपलखेड़ी, छिछोरनी, रामपुरिया, माधोपुरा, जैसवां, लक्ष्मीपुरा, केलवाड़ा, गोयरा, दांता और मुण्डियर इत्यादि गांवों में इसी प्रकार के सहराना पाये जाते हैं। इस प्रकार के सहराना में सहरिया समुदाय के आवास ग्राम के बाहर एक कोने में होते हैं।

सघन सहरानों में सभी सहरिया परिवार हिन्दू ग्रामों की भाँति एक क्षेत्र विशेष में सघन रूप में आवासित होते हैं। इस प्रकार के सहरानों में सायंकाल के पश्चात बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है, जैसे- गोवर्धनपुरा, खुशहालपुरा, काली माटी, तेजाजी का डांडा, शाहबाद और किशनगंज की सहरिया बस्ती आदि इसी प्रकार के सहराने हैं।

किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के अनेक सहरानों की बसावट बिखरे गाँवों के रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। इन सहरानों में सहरियाओं के घर कुछ फासले लिये होते हैं। कुछ फासलों पर दो-चार घर सटे-सटे भी मिलते हैं । प्रायः सहरियाओं की बस्ती का अस्तित्व अलग ही मिलता है, जैसे- शुभधारा, डिगवानी, बांसथूनी, घट्टी और हनौतिया आदि गांवों में इसी प्रकार के सहराने पाये जाते हैं।

सत्यनारायण समदानी का भी मत है कि- प्रारम्भ में सहरिया समुदाय के लोग बस्तियों से दूर जंगलों में निवास करते थे। ब्रिटिश शासनकाल में अलगाव की यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे समाप्त होने लगी तथा सहरिया क्षेत्रों में अन्य जातियों के लोग भी निवास करने लगे। यद्यपि मिश्रित ग्रामों की परंपरा आज भी देखने को मिलती है अर्थात् सहरिया बस्तियाँ मिश्रित ग्रामों में ग्राम से कुछ दूरी पर बसी हुई हैं, जिनमें मूलतः सहरिया परिवार ही निवास करते हैं। सहरिया जनजाति के लोगों के घर गारे-मिट्टी से निर्मित होते हैं। इनके आवासों की छत ज्वार के फड़ले, घास-फूंस, छप्पर खपरैलों (कोल्हू) इत्यादि से बनायी जाती हैं और नीचे रंगीन प्लास्टिक की तह से ढँके होतीहैं। इनके घरों की लम्बाई प्रायः 20-25 फीट, चौड़ाई 12-16 फीट तथा ऊँचाई 5-6 फीट तक होती है। घरों के दरवाजे एवं दीवारें इतनी कम ऊँची होती हैं कि इसमें बिना झुके प्रवेश संभव नहीं है। दीवारों और लकड़ी के दरवाजों की ऊँचाई महज साढ़े तीन फीट से चार फीट तक होती है। सहरियाओं के घरों के फर्श मिट्टी के बने होते हैं, जिसे सहरिया स्त्रियाँ लीप-पोत कर साफ सुथरा बनाये रखती हैं। सहरियाओं के झोपड़ी के बाहर टापरी भी मिलती है, जिसमें ये छाने या कंडे (उपले) रखते हैं। जिन सहरिया परिवारों के पास जानवर होते हैं, उनकी जगह (बाड़ा) टापरी में ही होती हैं। इनकी झोपड़ियों के चारों ओर बबूल या बेर की काँटेदार झाड़ियों की बाड़ या पत्थर के कातलों की बाउंड्री (बिना सीमेंटेड) होती है, जो इनके पशुओं की सुरक्षा करती है। इनकी झोपड़ी के बाहर कहीं-कहीं दालान भी देखने को मिलता है, जिसमें ये घरेलू कार्य, जैसे-स्नान करना, बर्तन धोना, खटिया आदि रखकर आराम करना, सब्जी उगाना इत्यादि के कार्य करते हैं। सहरियाओं की झोपड़ी में स्नानागार और

शौचालय नहीं होता। खिड़की और रोशनदान भी प्रायः नहीं होते। ये खुले में हैंडपंप पर या दालान में स्नान करते हैं *(शंकर, 2014, पृ.32-33)*। सहरिया जनजाति के लोग बाहर खुले स्थान पर ही शौच के लिए जाते हैं। शौच के उपरांत सर्फ, साबुन का प्रयोग न कर सहरिया हस्त-प्रक्षालन (हाथ धोने) के लिये मिट्टी का प्रयोग करते हैं। सहरियाओं के घरों में चूल्हे, कुछ स्टील के बर्तन, शीशी में बनी लैंप, खटिया, रस्सी की अलगनी में कुछ कपड़े, गुदड़ियाँ, अस्त्र-दराती, कुल्हाड़ी इत्यादि समान होते हैं। घर से बाहर दरवाजे के समीप एक या दो सीढ़ी होती है। सीढ़ी एवं चौखट पर मन मोहक चित्रकारी भी हुई होती है। घर के बाहर मुर्गियों को रखने हेतु दड़बे एवं चूल्हे भी बने मिलते हैं। अधिकतर सहरियाओं के घरों में विद्युत व्यवस्था नहीं होती। पेयजल हेतु हैंडपंप, कहीं-कहीं नल द्वारा जल की आपूर्ति इनके घरों में होती है, घर के बाहर दरवाजे के निकट बने मिट्टी के चबूतरों पर पानी के मटके जिन्हे ये मथनी कहते हैं, रखे होते हैं। सहरियाओं की बस्ती में कुएँ नहीं मिलते। सहरियाओं के यहाँ तीन प्रकार के चूल्हे देखने को मिलते हैं-

1. घर के भीतर मिट्टी से निर्मित चूल्हा।
2. घर के बाहर मिट्टी-निर्मित चूल्हा।
3. स्टैंड में बना चूल्हा।

घर के भीतर निर्मित चूल्हे को विशेष अवसरों जैसे होली, दीपावली रक्षाबंधन इत्यादि त्यौहारों पर लीपा-पोती, रंग-रोगन इत्यादि के द्वारा सुसज्जित कर आकर्षक रूप प्रदान किया जाता है।

सहरिया बाहुल्य क्षेत्र शाहबाद एवं किशनगंज के सहरिया बस्ती में इक्के-दुक्के पक्के मकान भी निर्मित हैं। सहरियाओं में जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से थोड़ा मजबूत है, वह पत्थर, ईंट, सीमेंट-बालू इत्यादि से निर्मित मकानों में प्रवास करने लगा है। आकारिक दृष्टि से इनके पक्के मकान भी मात्र एक या दो कमरे वाले ही होते हैं। सहरियाओं की परम्परागत झोपड़ी के घर और पक्के मकानों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दरवाजों एवं खिड़कियों के संदर्भ में आया है। पक्के मकानों के दरवाजे सहरिया अब बड़े बनाने लगे हैं। दराज एवं खिड़कियों का अस्तित्व भी प्रकाश में आया है। अब उनके आवासों में रेडियो, डेक के साथ-साथ टी.वी. मोबाइल इत्यादि भी उनके जीवन के अंग बन गये हैं। मकान के अन्दर आलमारी भी ईंट-पत्थर के हैं, परन्तु शौचालय, स्नानागारों की चर्चा करना उचित न होगा। सहरिया पक्के मकानों में चूने

का प्रयोग रंग-रोगन हेतु करने लगे हैं, किन्तु पक्के मकानों की संख्या सहरियाओ के सहराना में अत्यल्प ही है। सरकार के सौजन्य से सहरियाओं के लिए जो पक्के आवास या कालोनियाँ बन रही हैं, उनमें सहरियाओं को अपने आवास के अन्दर स्नानागार, शौचालय की व्यवस्था इत्यादि मिलने लगी हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों के लिये पर्याप्त पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इस कारण आर्थिक रूप से विपन्न सहरिया समुदाय के पुरुष और महिलायें आज भी खुले में शौच करते हैं। सहरियाओं के आवास के सम्बन्ध में वसन्त निरगुणे ने लिखा है कि- सहराना में घरों का निर्माण अंग्रेजी के उल्टे यू (U) के आकार में होता है। आमने-सामने कतारबद्ध मकानों के बीच में आने-जाने के लिए काफी जगह छूटी हुई होती है। बीच में चौक होता है, जिसमें बंगला अथवा अतिथि घर होता है। घर के सामने लिपे-पुते ओटले विभिन्न घरेलू कार्यों के स्थल होते हैं। सहरियाओं द्वारा घने जंगलों में निवास हेतु गोपना भी बनाया जाता है। यह मचाननुमा पेड़ों पर या बल्लियों पर बनायी जाने वाली वह झोंपड़ी है, जिसमें दीवारें नहीं होती, मचान ही होता है। जंगली जानवरों के रक्षार्थ निर्मित गोपना को सहरिया कोरूजा या टोपा भी कहते हैं *(शंकर, 2014, पृ.34-35)*। इस प्रकार, सहरियाओं के आवास के तीन रूप मिलते हैं-

- मिट्टी, गारे, ज्वार के फड़ले, तेंदू पत्तो, घास-फूस, लकड़ी, बाँस इत्यादि से निर्मित कच्ची झोंपड़ी जैसे-सुण्डाला चैनपुरा में रुविना और जवाईपुरा में बादामबाई की झोंपड़ियां।
- सहरियाओं के इक्के-दुक्के पक्के मकान जैसे-ऊनी में मेघराज सहरिया और केलवाड़ा में श्री लाल सहरिया, जानकीलाल सहरिया, बोबी सहरिया और गायत्री सहरिया इत्यादि के पक्के मकान।
- सरकार के सौजन्य से निर्मित आवास या कॉलोनी जैसे-इन्द्रा कालोनी खुशियारा।

सहरिया समुदाय के लोग जिस बस्ती में संगठित होकर रहते हैं, उसे सहराना कहते हैं। सहरिया समुदाय के लोगों की बस्ती को सहराना के नाम से जाना जाता है। सहरना या सहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल या चैकोर झोंपड़ी या ढ़लिया बनाया जाता है, जिसे हथाई या बंगला कहते हैं। यह हथाई या बंगला सहरिया समुदाय की सामुदायिक सम्पत्ति होती है और इसके निर्माण में सहराना के सभी परिवारों का योगदान होता है। हथाई या बंगला सहरियाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और

धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र होने के साथ ही मनोरंजन का स्थल भी होता है। यहाँ सहराना के सभी लोग मिलजुल कर बैठते हैं, वार्तालाप और भजन-कीर्तन करने के साथ ही अपनी विभिन्न समस्याओं और जातीय पंचायत के झगड़ों का निपटारा भी करते हैं। सामान्सतः बंगले में तीन-चार चारपाईयां पड़ी रहती हैं। अतिथियों, बारात आदि को ठहराने के लिए और सामूहिक भोज के लिए इस बंगले का ही उपयोग किया जाता है। किसी समय सहराना मंदिर की भांति हुआ करता था। शराब पीकर जाना अथवा जूते पहनकर सहराना बंगले में प्रवेश करना निषिद्ध था। इस सहराना बंगले में अतिथियों के लिए खास तौर से प्रबंध होता था। बढ़िया चारपाई बिछी होती थी, बिछाने की कथरी हुआ करती थी *(पलात, 2014, पृ.90)*। सहराना बंगला में स्त्रियों तक का प्रवेश एक समय वर्जित था। प्रातः नित्य उसकी सफाई हुआ करती थी और इतना ही नहीं सहराना बंगला की प्रत्येक दूसरे-तीसरे दिन या साप्ताहिक लिपाई-पुताई भी हुआ करती थी। ***पुन्नी सिंह*** ने सहराना उपन्यास में लिखा है कि- पूरा सहराना बंगला के प्रति उसकी मान-मर्यादा के प्रति जवाबदेह होता था। तब बंगले के बीच में सैरी (अलाव) जलता था और हर समय धूनी रमती थी। उसके छप्पर में ढोलक, ढांक (एक वाद्य) और ढोल अच्छी हालत में टँगे मिलते थे। लहंगी-नृत्य करने वालों के डंडे भी वहाँ इकट्ठे रहते थे। हर तीज-त्यौहार पर बंगले की शोभा देखते ही बनती थी। तब तो यह माना जाता था कि बंगला नहीं तो सहराना नहीं, सहराने का कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं। अब सहराना बंगला की स्थिति बद-से-बदतर हो गई है। प्रत्येक सहराने में सहराना बंगले का अस्तित्व तो दिखाई देता है, किन्तु उसका महत्व वह नहीं रहा, जो कभी था। ***पुन्नी सिंह*** आगे लिखते हैं कि- अब सहरानों की संस्कृति के मूल केन्द्र बंगले की मर्यादा बच नहीं रह सकी है। बंगले की ओर नई पीढ़ी आँख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती। वहाँ सब कुछ तिरस्कृत और बहिष्कृत सा पड़ा रहता है। कई-कई सालों तक बंगलों को ढँका नहीं जाता। छप्पर का फूस उड़ता रहता है और पानी नीचे आता रहता है। कोई लीपने-पोतने, लेसने वाला नहीं मिलता। दिन में लड़के खेलते और बकरियाँ लेड़ी करती रहतीं हैं। रात को कुत्ते इन्हें अपना निवास बनाते हैं। जब कभी सहराने की पंचायत बैठती है, तो भी बंगले की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके स्थान पर कोई दूसरी जगह तलाश ली जाती है *(शंकर, 2014, पृ.35)*। वास्तव में, सहरियाओं की बस्ती सहराना में सहराना-बंगला के महत्व और मर्यादा की बातें बीते जमाने की बातें हैं। अब सभी सहरानों में सहराना-बंगला के अवशेष ही दिखाई देते हैं। उनका स्थान सरकार के आर्थिक सहयोग से बनने वाले एक कमरे

वाले मकानों ने ले लिया है, जिनमें ताला लगाकर या किराये पर उठाकर गृह स्वामी मजदूरी करने अन्यत्र चला जाता है।

1.10.5 सहरियाओं के गोत्र (Gotras of Sahariya):- सहरिया समुदाय अनेक गोत्रों और उपगोत्रों में विभक्त सामाजिक संगठन का एक प्रमुख आधार होने के साथ ही विभिन्न परिवारों के अस्तित्व और पहचान का प्रतीक भी है। सहरिया समुदाय में एक गोत्र वाले सभी सदस्य गोजी-भाई अथवा गोती के नाम से जाने जाते हैं। इस आत्मीयता की भावना के साथ-साथ सहरियाओं में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वैवाहिक बंधन भी इससे जुड़ा हुआ है। गोत्र वैवाहिक दृष्टि से सहरियाओं में खास महत्व रखता है। अंतर्विवाही जनजातीय समाज वाला सहरिया समुदाय निम्नांकित चार गोत्रो में विवाह संबंध की स्वीकृति नहीं देता।

1. स्वयं का गोत्र।

2. माँ का गोत्र।

3. माँ के ननिहाल का गोत्र।

4. पिता के ननिहाल का गोत्र।

सहरिया जनजातीय समाज में गोत्र सामाजिक नियम का आधार है। सहरिया समाज में अन्य जाति के लड़का अथवा लड़की से विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता है। पुरखों की परम्परा से चला आ रहा यह विधान कुछ अपवादों को छोड़कर अब तक सहरिया समाज में अनवरत रूप से चल रहा है। नाता-प्रथा में भी सहरिया में गोत्रों का ध्यान रखा जाता है। सहरियाओं के प्रमुख गोत्रों और उपगोत्रों के नाम निम्नलिखित हैं –

सहरियाओं के कुछ गोत्र नाग से लिये गये हैं, कुछ गोत्रों के नाम राजपूतों जैसे-चौहान, पवांर, सोलंकी इत्यादि के समान हैं। वसंत निरगुणे ने इस विषय में लिखा है कि-सहरियाओं में अन्य आदिवासियों की तरह पेड़-पौधों, नदी, पहाड़, पशु-पक्षियों आदि के नाम पर गोत्र बन गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सहरियाओं का जंगल से अटूट सम्बन्ध है और वे पेड़-पौधों के नाम पर गोत्र धारण करने

में गौरव का अनुभव करते है। सहरियाओं के कुछ गोत्र घास (पमार), महुआ (मोवार), बाज (बाजुल्या), नीम वृक्ष (लिमौया), नींबू (निवोरिया) इत्यादि के आधार पर भी मिलते हैं। सहरियाओं के गोत्रों के साथ धार्मिक विश्वास भी जुड़ा हुआ है। सहरियाओं का मानना है कि गोत्र में कोई-न-कोई देवी-शक्ति होती है, जो उनकी तथा उनकी कुल की रक्षा करती है।

तालिका-1.5
सहरिया समुदाय के गोत्रों और उपगोत्रों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्र. सं.	गोत्र का नाम	क्र. सं.	गोत्र का नाम	क्र. सं.	गोत्र का नाम	क्र. सं.	गोत्र का नाम
1.	सोहरा	28.	परोनी	55.	धोरिया	82.	कनवाल
2.	गोरछिया	29.	कंसबोदी	56.	झिज्वर	83.	कालुजा
3.	डोतिया	30.	सेमरियान	57.	झिलमिलिया	84.	सानोरजी
4.	चौहान	31.	देओरियान	58.	सिल्वर	85.	खण्डेलिया
5.	सोलिया	32.	भाजालिया	59.	खियादत्त	86.	गिरवार
6.	वर्वोडिया	33.	बाघेला	60.	अलगोड़िया	87.	कुनवाड़
7.	पलेडिया	34.	सोलंकी	61.	भाटभा	88.	देनिया
8.	नोगाया	35.	करोंद	62.	भावबेहि	89.	मांगेर
9.	कालखोरिया	36.	खरडिया	63.	चूंड़ावत	90.	निभेरिया
10.	सिमलिया	37.	मोहल	64.	कस्तिया	91.	खेल्ला
11.	रेवाडा	38.	मैने	65.	जारमोलिया	92.	बिलवार
12.	डोडिया	39.	मारिया	66.	चाकरिया	93.	जजवार
13.	नोगापन	40.	बागोलिया	67.	खगनिया	94.	नरवारिया
14.	बागरुलिया	41.	वर्वारिया	68.	राजौरिया	95.	बारेलिया
15.	केडवाल	42.	बरेरिया	69.	निवेतिया	96.	सुशील
16.	बावुलिया	43.	भादोसिंह	70.	कुलहार	97.	दूबेरिया
17.	जैसवाड़िया	44.	सोलंकिया	71.	पाटिया	98.	कुमार
18.	बोराड़िया	45.	वनभेरू	72.	कनछेरिया	99.	रेवर
19.	पराजिया	46.	वाथीला	73.	चौधरिया	100.	दाचेरिया
20.	जैसवाल	47.	सानोरिया	74.	अलेरिया	101.	खजूरिया
21.	कनवाड़	48.	गरवाड़	75.	कारवानिया	102.	सोनहारे
22.	कासरिया	49.	गिरबर	76.	सोपारिया	103.	धोतिया
23.	खुशियार	50.	पाडूण्डिया	77.	खेती	104.	अटेरेरिया
24.	नमासिया	51.	गोगैया	78.	खावत	105.	भालोरिया
25.	कुडावल	52.	देवड़ा	79.	मारगिया	106.	पनवार
26.	देओरिया	53.	धनचार्गा	80.	रथवार	107.	सेलिया
27.	वाघूधिया	54.	नवानिया	81.	सोलवार	108.	

(सन्दर्भ: खान, वाई. ए, 2000, पृ. 31-32 द्वारा साभार)

सहरियाओं के कुछ गोत्र देवी-देवताओं से भी संबंधित हैं, जैसे-बाजोलिया-बीजासन माता, सोमैया-नरसिंह देव, कुड़वाड़-भैरू जी, केरवाड़, सोहरा, कसरिया-शारदा इत्यादि *(खान, 2000, पृ. 31-*

32) । इस प्रकार, सहरिया समाज में गोत्र की सामाजिक, शैक्षणिक, वैवाहिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्ता है । इस प्रकार परिवार, पुरखत, कुल क्लान, सहरियाओं की बस्ती-सहराना, सहराना बंगला एवं सहरियाओं के गोत्र उनके सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार हैं, जो इनकी मनोसामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं ।

1.10.6 सामाजिक स्थिति (Social Status) :- स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व रियासती काल में सहरिया समुदाय की स्थिति गुलामों और बेगारों जैसी थी। तथाकथित सभ्य एवं उच्च वर्ग से भयग्रस्त सहरिया समुदाय के लोग घने जंगलों में निवास करते थे ।1 ***कर्नल जेम्स टॉड*** ने भी सहरिया के लिए सैरिया शब्द का प्रयोग करते हुए इन्हें पतित जाति का स्वीकार किया है । सहरियाओं के जीवन पर आधारित सहराना उपन्यास में ***पुन्नी सिंह*** ने थाने के एक पात्र दीवान के माध्यम से यह कहा है कि-सहरियाओं से लोग छुआछूत मानते हैं और उनके हाथ का भरा पानी पीना खटास मानते हैं । देखें- दारोगा एक नम्बर का हरामी है । जान-बूझकर सहरियाओं से पानी भरवाता है । उन्हीं का भरा पानी सबको पिलवाता है । पीना हो तो वही पानी पीकर बेदीन हो, न पानी हो तो प्यासे मरो । उत्तर प्रदेश के सहरिया समुदाय के विषय में ***टर्नर*** ने लिखा है कि- यहाँ ये पूरी तरह से अपने जनजातीय लक्षणों को त्यागकर जाति के रूप में बदल गये हैं । इन्हें निम्न जातियों की श्रेणी में रखा जाता है । राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ शाहबाद बारां के क्षेत्रीय संगठक ***बदनसिंह वर्मा***, जिन्होंने 1957-58 से अब तक (लगभग 60 वर्ष) सहरियाओं के बीच गुजारे हैं का भी मत है कि- सभी समुदायों के लोग सहरियाओं से अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार करते थे । उन्हें सेंटी कहते थे । घर-आँगन की बात तो दूर सहरिया दुकान पर भी नहीं चढ़ सकते थे । अन्य लोगों के साथ बैठ भी नहीं सकते थे । यदि किसी से ये भिड़ जाते तो लोग स्नान करते एवं उन्हें दुत्कारते थे । इसके पीछे कारण यह था कि ये महीनों तक नहाते भी नहीं थे । साफ-सफाई भी नहीं रखते थे । शोध के दौरान शाहबाद के रहने वाले ***मोहम्मद ईशहाक*** और ***शिवनारायण सेन*** ने बताया कि - एक समय सहरिया इतने गंदे रहते थे कि-उनके शरीर से भयंकर दुर्गन्ध आती थी और उनसे आप इस तरह बातें नहीं कर सकते थे जैसे आप हमसे कर रहे हैं । ***वसंत निरगुणे*** का भी मत है कि - सहरिया अपने आपको गिरे हुये निम्न जाति का मानते हैं । वे अपने को धरती पर अवतरित पहले आदिवासी कहते तो जरूर हैं, लेकिन अन्य आदिवासियों की तरह सहरियाओं में वैसा निजपन, स्वाभिमान और गौरव नहीं दिखाई देता है । यहाँ तक कि भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हुए भी सहरियाओं मे भीलों की तरह आदिम चमक का

अभाव है । इसके मूल में सहरियाओं की निरंतर गिरती सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और परम्परागत उद्योग-धंधों का समाज के अन्य तबको द्वारा हथियाना है ।

प्रकृति पूजक, बहुदेववादी सहरिया धर्मभीरू जनजाति है, जिनके धार्मिक संस्कार हिन्दू-धर्म से गृहीत हैं तो धार्मिक अंधविश्वास इनके आदिवासी समाज की परम्परागत तथा रूढ़िवादी देन है । आज भी सहरिया आदिम जनजाति की समाज में मनोसामाजिक स्थिति निम्न है । समाज में उन्हें वह आदर एवं सम्मान प्राप्त नहीं है, जो राजस्थान की अन्य जनजातियों को प्राप्त है *(शंकर, 2014, पृ.45-46)* ।

1.11 सहरिया जनजाति के समग्र विकास की नीतियाँ(Policies of wholisitic development for Sahariya Tribe):-:- मनुष्य अपने परिवेश की उपज है, उसे बेहतर बनाने के लिये उसके परिवेश को बदलना होगा जिसमें उसका पालन-पोषण होता है । इस परिवेश को आधुनिक समाज आर्थिक शब्दावली में विकास की संज्ञा देता है, जिसे जनजातीय समाज स्वीकार करने में कोई रुचि नहीं रखता है । जनजातीय समुदायों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकतायें विकसित समाज के लिये चुनौती हैं । एक ऐसी चुनौती जो उपभोक्ता संस्कृति अथवा मीडिया संस्कृति से कोसों दूर प्रकृति की गोद में अमन-चैन की नैसर्गिक जिन्दगी व्यतीत कर रहा है । उसे बंधन नहीं चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए, उसे कल-कारखानों का कोलाहलपूर्ण परिवेश नहीं चाहिए । जीवित रहने की आवश्यकता और वस्तु विनिमय प्रणाली से वह दुनिया का सबसे सुखी समाज है । इसलिए जनजातीय समुदाय के लोगों का सम्पूर्ण जीवन उनकी संस्कृति, समाज, नैसर्गिकता से परिपूर्ण प्रकृति के ज्ञान के कारण निरंतर आकर्षण एवं अध्ययन का विषय बना रहा है । 15 अगस्त, सन्1947 के बाद से ही जनजातीय विकास शासन का प्राथमिक उत्तरदायित्व रहा है *(त्रिपाठी, 2008, पृ 131)* । इसलिये संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के समग्र विकास के लिये और उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये कई संवैधानिक प्रावधान किये, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है-

1. जनजातीय समुदायों के हितों की सुरक्षा के लिए संरक्षी व्यवस्था ।
2. जनजातीय समुदायों को उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विकासी व्यवस्था ।

जनजातीय समुदायों के हितों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15(4), 16 (4), 19 (5), 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335, 338, 339 (1), 371 (क), 371(ख),

371(ग), पांचवी सूची एवं छठी सूची में निहित हैं। दूसरी ओर जनजातीय समुदायों के विकास से संबंधित प्रावधान प्रमुख रूप से अनुच्छेद-275(1) प्रथम उपबंध और अनुच्छेद-339(2) में निहित हैं *(त्रिपाठी, 2008, पृ 131-132)*।

इन व्यवस्थाओं को रखने का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से देश की मुख्यधारा के अन्य समुदायों के समकक्ष लाना था। स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनेक नीतियों के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनायें संचालित की गयीं, जिनमें से कुछ योजनाओं का संचालन आज भी किया जा रहा है। ये प्रमुख योजनायें निम्नलिखित हैं –

1) आवासीय विद्यालय।
2) कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय।
3) मां बाड़ी केन्द्रों का संचालन।
4) कक्षा XI व XII में अध्ययनरत जनजातीय छात्राओं को आर्थिक सहायता।
5) मॉडल पब्लिक विद्यालयों का संचालन।
6) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति।
7) आश्रम छात्रावासों का संचालन।
8) खेल छात्रावासों का संचालन।
9) महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु जनजातीय छात्राओं को आर्थिक सहायता।
10) सहरिया विद्यार्थिओं को मुफ्त स्टेशनरी (कक्षा I से V)।
11) सहरिया विद्यार्थिओं को मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फीस (कक्षा VI से XII)।
12) सहरिया विद्यार्थिओं को मुफ्त पोशाक।
13) सहरिया कॉलेज छात्र -छात्राओं को आर्थिक सहायता।
14) सहरिया एएनएम प्रशिक्षार्थी को आर्थिक सहायता।
15) सहरिया बी.एड. प्रशिक्षार्थी को आर्थिक सहायता।
16) सहरिया बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षार्थी को आर्थिक सहायता।
17) अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु नि:शुल्क कोचिंग।
18) सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण।

19) पी.एम.टी./पी.ई.टी./आई.आई.टी. की कोचिंग हेतु नि:शुल्क सहायता।

20) राजस्थान प्रशासनिक एवं ससंबंधित योजनाओं की परीक्षा की कोचिंग हेतु नि:शुल्क सहायता – अनुप्रति योजना।

परन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त सहरिया जनजाति की बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों के समाधान हेतु कौन–कौन से प्रयास केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं ? ऐसी कौन-सी नीतियाँ हैं ? जिनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है जिस कारण उनकी शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है ? क्यों इन योजनाओं का लाभ सीमान्त वर्ग के बालक-बालिकाओं को नहीं मिल पा रहा है ? क्या ये नीतियाँ अपर्याप्त हैं ? या फिर इन्हें सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की यथार्थ वस्तुस्थिति को समझे बिना ही क्रियान्वित किया गया है। वास्तविकता को समझे बिना आधारविहीन योजनाओं तथा नीतियों का कोई प्रयोजन नहीं है । ऐसी ढेरों योजनायें एवं नीतियाँ हैं जिनके अनुपालन में सरकारी तंत्र स्वयं ही अवरोध बन जाता है।

1.12 शोध समस्या की उत्पत्ति (Origin of Research Problem):-

मानव जाति ने अब तक जो भी प्रगति की है उसके पार्श्व में शिक्षा महत्वपूर्ण कारक रही है। शिक्षा के माध्यम से उसने अपना बहुमुखी विकास किया, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से स्वयं को सुसज्जित किया, अपनी आन्तरिक क्षमताओं को विकसित किया और अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के साथ-साथ सृजनात्मकता के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण करने के समानांतर विज्ञान के क्षेत्र में नवीन अनुसन्धान और आविष्कार किये। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके क्षेत्र में आवासित मानवीय संसाधनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व में विभिन्न कालों में निर्मित होने वाली गौरवशाली सभ्यताओं के सृजन और विकास का श्रेय मानव को ही जाता है। इस प्रकार जिस राष्ट्र का मानव संसाधन जितना अधिक शिक्षित और बुद्धिमान होगा, वह राष्ट्र उतना ही अधिक प्रगतिशील और विकसित होगा *(शर्मा, 2004, पृ.24-26)*। शिक्षा किसी भी देश और समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से मानव समाज को जागरूक कर उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है और विकास के शिखर पर पहुँचा जा सकता है। मानव समाज के अपेक्षित विकासक्रम में शिक्षा एक

ऐसा महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से निर्धनता उन्मूलन, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग, कुरीतियों और आडम्बरों का परिमार्जन कर समाज में वैज्ञानिक परिवेश का सृजन और मानवीय मूल्यों का प्रतिस्थापन सहजता से हो जाता है। शिक्षा की महत्ता पर विचार करते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि-संसार में सबसे श्रेष्ठ और सुन्दर वस्तु यदि है तो वह है शिक्षा। ***जॉन लॉक*** के मतानुसार- व्यक्तियों के विकास के लिए शिक्षा वैसे ही आवश्यक है, जैसे-पौधों के विकास के लिए खाद पानी बहुत जरुरी होता है *(सिंह, 2004, पृ.28-29)*।

मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। यदि उपलब्ध साधनों द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो एक समस्या की उत्पत्ति होती है। इससे तात्पर्य यह है कि - आवश्यकता की संतुष्टि के साधन या मार्ग में बाधा ही समस्या है। समस्या की गम्भीरता तथा मौलिकता आवश्यकता की गहनता और साधनों की उपलब्धता पर निर्भर होती है। शोध समस्या की उत्पत्ति अथवा अनुभूति उन परिस्थितियों में होती है, जब सिद्धान्तों को सुचारु रूप से व्यावहारिक जीवन में अपनाने में बाधायें आती हैं। इस प्रकार आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, समस्या उतनी ही मौलिक एवं गंभीर होगी। ***जॉन सी. टाउनसैण्ड*** के शब्दों में - समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है *(राय, 2014, पृ.39-40)*। हम अपने व्यावहारिक जीवन में अनेक समस्याओं की अनुभूति करते हैं, इसके बावजूद भी उनके समाधान का कोई सार्थक प्रयास नहीं करते हैं। अतः जब तक हमारे अन्तर्मन में जिज्ञासा न होगी, हमारी प्रवृत्ति तार्किक तथा वैज्ञानिक न होगी तब तक हमें किसी भी समस्या की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि जिज्ञासु, तार्किक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अनेक समस्याओं की अनुभूति करता है। इसलिए उनके उचित समाधान की आवश्यकता एवं महत्व को भली-भांति समझता हैं। शोधार्थी की पृष्ठभूमि विज्ञान से जुड़ी होने के कारण उसकी प्रवृत्ति किसी भी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान सूक्ष्म विवेचन द्वारा खोजने की रहती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा शोध समस्या की उत्पत्ति के अनेकानेक स्रोतों का वर्णन किया गया है, जिनमें ***बेस्ट एवं कोहन (1992)*** ने शोध समस्या की उत्पत्ति के साठ स्रोतों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख स्रोत अधोलिखित है - कार्यक्रमित निर्देश टेलीविजन निर्देश, समूह शिक्षण, घरेलू नीतियाँ एवं अभ्यास, खुला वर्ग, पाठ्येत्तर कार्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, विशेष शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन एवं शैक्षणिक उपलब्धि, दबाव एवं उपलब्धि, प्रशासनिक नेतृत्व, छात्रों का व्यावसायिक उद्देश्य आदि *(राय, 2014, पृ.40-41)*।

शोधार्थी को आदिवासी समुदाय के प्रति सामान्य जनसमुदाय के नकारात्मक दृष्टिकोण ने यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि में कौन-कौन से कारक सक्रिय हैं। विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से जब शोधार्थी को यह ज्ञात हुआ कि इस दृष्टिकोण के मूल में आदिवासियों में शिक्षा की कमी, दयनीय मनोसामाजिक स्थिति और विभिन्न शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय कारक हैं, जिनका उचित समाधान अति आवश्यक है। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये शोधार्थी के सम्मुख वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में राजस्थान के बारां जिले में आवासित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियां विषय समस्या के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका अध्ययन करने का मौलिक एवं सार्थक प्रयास शोधार्थी द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में किया गया है, साथ ही इससे जुड़े अनेकानेक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर तलाशने का तार्किक एवं वैज्ञानिक प्रयास शोधार्थी द्वारा इस शोध अध्ययन के माध्यम से किया गया है।

1.13 शोध समस्या कथन (Statement of Research Problem):-

उपरोक्त कारकों ने शोधार्थी को इस सम्बन्ध में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वह इन सुधार कार्यों को जनसामान्य के समक्ष शोध प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत कर सके। शोधार्थी ने अपनी इस अनुभूति को अधोलिखित शोध समस्या कथन के रूप में प्रस्तुत किया है –

''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन''

"Rajasthan Ki Sahariya Janjati Ke Balak-Balikaon Ki Shaikshnik aur Manosamajik Sthiti tatha Chunautiyon ka Adhyayan"

1.14 शोध समस्या का औचित्य एवं महत्व (Significance of Research Problem):-

प्रकृति प्रदत्त आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विश्व गुरू भारत शैक्षणिक चिन्तन के लिए ब्रिटिश शासन का ऋणी नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश काल में तथा इससे पूर्व मुगल काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया गया। उसके मूल तत्व को परिवर्तित किया गया, जिससे यहाँ के जीवन मूल्यों का पतन शुरू हुआ है। इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुई। शिक्षा और शिक्षक को महत्वहीन बना दिया गया, जिससे नैतिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक

शिक्षा के क्षेत्र में रिक्तता आयी। यह रिक्तता आज तक बनी हुई है। आदिवासी समुदायों में वर्तमान शिक्षा की स्थिति भी अत्यन्त विडम्बनापूर्ण तथा दयनीय है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंतर्मन में शिक्षा के प्रति नकारात्मक भाव व्याप्त है। राजस्थान के सहरिया जनजाति के लोगों का मानना है कि रोटी तो परिश्रम और खेती करने से मिलती है, पढ़ाई करने से नहीं। शिक्षा रोटी नहीं बल्कि परिश्रम की प्रवृत्ति छीनकर कमजोर, निठल्ला, आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाने के साथ ही समय, श्रम और धन को बर्बाद करती है *(शंकर, 2014, पृ. 57-58)*। शिक्षा के प्रति इस नकारात्मक व्यवहार ने इस समुदाय को शैक्षणिक विकास के पथ पर अन्य समुदायों के साथ दौड़ में काफी पीछे धकेल दिया है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Group's, PVTG's) में वर्गीकृत सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक अभावग्रस्त है *(GoI, 2012-2017, पृ. 228)*। ये लोग प्राकृतिक स्रोतों के सहारे अपना जीवनयापन करते थे, परन्तु आज केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा जैसी अनेक कल्याणकारी नीतियों पर इनकी अधिक निर्भरता है। अशिक्षा इसका मूल कारण है। सहरिया जनजाति में कुपोषण से हो रही बच्चों की मौतों के लिये भी साक्षरता की न्यूनतम दर है। साक्षरता कम होने की पृष्ठभूमि में कौन-से ऐसे कारण हैं, जिनका समाधान शोध अध्ययनों के माध्यम से तलाशकर उनकी साक्षरता में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार साक्षरता के मामले में सकारात्मक एवं ठोस कदम उठाती है तथा बालक-बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहन देती है, तो इससे राज्य की सहरिया जनजाति के बालक- बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों का उचित समाधान भी किया जा सकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कल्याणकारी नीतियों का ज्यादा से ज्यादा लाभ यह जनजाति प्राप्त कर सकती है। इसके साथ ही राजस्थान को सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध अध्ययन के औचित्य एवं महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है -

- ❑ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान वास्तविक शैक्षणिक स्थिति को जानने के दृष्टिकोण से।

- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति को जानने के दृष्टिकोण से।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक चुनौतियों को जानने के दृष्टिकोण से।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक चुनौतियों को जानने के दृष्टिकोण से।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आर्थिक चुनौतियों को जानने के दृष्टिकोण से।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पारिस्थितिकीय चुनौतियों को जानने के दृष्टिकोण से।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक स्थिति को सुधारने और चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावशाली सुझाव देने के दृष्टिकोण से।

इस दृष्टि से यह शोध कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस प्रकार शोधार्थी द्वारा अध्ययन के लिये चयनित समस्या ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** का औचित्य एवं महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है।

1.15 शोध समस्या से संबंधित प्रश्न (Questions related to Research Problem):-

प्रस्तुत शोध समस्या का चयन करने से पूर्व शोधार्थी द्वारा राजस्थान की सहरिया आदिम जनजाति के साथ ही अन्य आदिवासी समुदायों से संबंधित अनेक पुस्तकों, ग्रंथों, शोधकार्यों तथा इण्टरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं एवं तथ्यों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। फलस्वरूप जो शोध समस्या उसके सम्मुख उत्पन्न हुई, उससे जुड़े अनेक प्रश्न भी उसने अनुभव किये। इनमें से कुछ प्रमुख प्रश्न जो शोधकर्ता द्वारा अनुभूत किये गये वे अधोलिखित हैं, जिनका उत्तर उसने अपने इस शोध अध्ययन में देने का हर संभव प्रयास किया है।

- राजस्थान में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति कैसी है ?
- राजस्थान में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति कैसी है ?

- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियां कौन-कौन-सी हैं ?
- क्या नई सरकारी नीतियां सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों का समाधान कर पा रही हैं ?

1.16 शोध समस्या में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या एवं परिभाषीकरण (Operational definitions and explanation of important terms used in Research Problem):-

शोध समस्या में प्रयुक्त कुछ पद एवं संकल्पनायें ऐसी होती हैं, जिनके भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं अथवा जिन्हें भिन्न-भिन्न विशेषज्ञों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया होता है। इसलिए शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के सन्दर्भ में इन महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या एवं परिभाषीकरण करना आवश्यक होता है, जिससे इनका सही ढंग से मापन करना भी सरल हो जाता है। सामान्यतः, इनको मूर्त एवं निश्चित व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो शोधकर्ता की प्रस्तावित शोध समस्या से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार शोध समस्या में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या एवं परिभाषीकरण से उसके प्रत्येक पक्ष का निश्चयन एवं स्पष्टीकरण हो जाता हैं अर्थात तब शोध समस्या के कथन का वास्तव में क्या अर्थ है ? पूर्णतया सुनिश्चित एवं स्पष्ट हो जाता है।

प्रस्तुत शोध समस्या में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या एवं परिभाषीकरण शोधकर्ता द्वारा प्रस्तावित शोध समस्या के सन्दर्भ में अधोलिखितानुसार किया गया है –

1. **सहरिया जनजाति (Sahariya Tribe) –**

   सहरिया आदिम जनजाति परम्परागत रूप से जंगलों में निवास करती है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति मूलतः अरबी भाषा के सहेरा से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य जंगल में रहने वाले लोगों के समूह से है। प्रस्तुत शोध में दक्षिणी राजस्थान में आवासित सहरिया आदिम जनजाति को सम्मिलित किया गया है।

2. **शैक्षणिक स्थिति (Educational Status) –**

   प्रस्तुत शोध में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की विद्यालय तक पहुँच, विद्यालय में नामांकन, विद्यालय में ठहराव, अपव्यय–अवरोधन और विभिन्न विषयों में उपलब्धि की स्थिति को उनकी शैक्षणिक स्थिति माना गया है।

3. **मनोसामाजिक स्थिति (Psychosocial Status) –**

प्रस्तुत शोध में सहरिया जनजाति के बालक- बालिकाओं को परिवार, विद्यालय, समाज में व्यवहारों को प्रदर्शित करने हेतु जिन मानसिक एवं सांवेगिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है उन्हें मनोसामाजिक स्थिति माना गया है।

4. **शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियां (Educational andPsychosocial Challenges)** - उपरोक्त परिस्थितियों से संबंधित अवरोधों का सामना करने को शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियों के रुप में माना गया है।

1.17 शोध समस्या के उद्देश्य (Objectives of Research Problem):-

उद्देश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बॉब्बिट (Bobbitt, 1918) द्वारा शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में तकनीकी रूप में किया गया था। शोध - अध्ययन की प्रक्रिया उसके उद्देश्यों के निर्धारण के बिना अपूर्ण रहती है। उद्देश्यों पर ही शोधार्थी तथा शोध की पूर्ण कहानी निर्भर करती है। जिस प्रकार जीवन में कोई भी कार्य उद्देश्य रहित नहीं होता है; ठीक उसी प्रकार निश्चित उद्देश्यों के अभाव में किसी भी शोध कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक शोध कार्य का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इसलिए शोध कार्य करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि उसके कुछ सुनिश्चित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाये। शोधार्थी जब भी कोई शोध कार्य करता है, तो सर्वप्रथम वह यह विचार अवश्य करता है कि इस शोध कार्य को करने से समाज में किस प्रकार के परिवर्तन संभावित हैं अर्थात उसका शोध कार्य कितना व्यावहारिक एवं उपयोगी हो सकता है। ये सभी तथ्य शोध अध्ययन के उद्देश्य कहलाते हैं *(मुकर्जी, 2008, पृ.3)*। इस प्रकार उद्देश्य वह बिन्दु तथा अभिष्ट है, जिसकी दिशा में शोधार्थी द्वारा कार्य किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मूल उद्देश्य ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** शीर्षक से समस्या का निवारण करना है, जिसके प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित हैं -

❑ राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।

- ❑ राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
- ❑ राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
- ❑ राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव देना।

1.18 शोध समस्या की परिकल्पनायें (Hypotheses of Research Problem):-

जब शोधार्थी किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है, जिसे परिकल्पना कहा जाता है *(सिंह, 2006, पृ.55)* । इस प्रकार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के विषय में बनाये गये जांचनीय कथन को परिकल्पना कहा जाता है *(मैकगुइन, 1990, पृ.27)* । परिकल्पना शोध समस्या का एक अस्थायी समाधान है, जिसके सही अथवा गलत होने की जांच की जाती है । परन्तु इस विषय में ***करलिंगर (1986)*** का मत है कि –दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों के आनुमानिक कथन को परिकल्पना कहा जाता है *(करलिंगर, 1986, पृ.17)* । वास्तव में जैसे ही शोधार्थी शोध अध्ययन हेतु शोध समस्या का निर्धारण करता है वैसे ही शोध का क्षेत्र निर्धारित हो जाता है परन्तु शोध की दिशा सुनिश्चित नहीं हो पाती है। परिकल्पना शोध की दिशा का निर्धारण करती है। इसलिए सभी प्रकार के शोध अध्ययनों में परिकल्पना का निर्माण एक आवश्यक चरण है। यह शोध का केन्द्रबिन्दु है, जिसके चारों ओर शोध भ्रमण करता है। यद्यपि सभी प्रकार के शोध अध्ययनों में परिकल्पना एक आवश्यक शर्त है, परन्तु फिर भी शोधार्थी उद्देश्यों के अनुसार परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ***''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन''*** में शोधार्थी द्वारा द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है-

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 1$

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 2$

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 3$

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 4$

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 5$

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 6$

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$7

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$8

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में सार्थक नहीं अंतर पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$9

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$10

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$11

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$12

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$13

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$14

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$15

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$16

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$17

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$18

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$19

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$20

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

1.19 शोध अध्ययन का परिसीमांकन (Limitation of Research Study):-

किसी भी शोध कार्य का विश्वसनीय और वैध परिणाम प्राप्त करने के लिए उस शोध समस्या का परिसीमन करना शोधकर्ता के लिए आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसलिए क्षेत्रीय और व्यक्तिगत शोध की परिसीमाओं अर्थात समय, धन, श्रम तथा साधन को दृष्टि में रखते हुये शोधार्थी के द्वारा शोध अध्ययन की परिसीमाओं का निर्धारण कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित किया गया है; ये क्षेत्र अधोलिखित हैं -

- ❑ प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल बारां जिले की जनपदीय सीमा के अन्तर्गत ही किया गया है। जनपदीय सीमा से तात्पर्य बारां जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र।
- ❑ प्रस्तुत शोध अध्ययन में बारां जिले की केवल दो तहसीलों किशनगंज और शाहबाद को ही सम्मिलित किया गया है।
- ❑ प्रस्तुत शोध अध्ययन में बारां जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के अन्तर्गत कक्षा XII तक संचालित सरकारी शिक्षण संस्थानों को ही सम्मिलित किया गया है।
- ❑ प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा और केन्द्र सरकार के सहयोग से सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु वर्ग के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को ही सम्मिलित किया गया है।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल राजस्थान बोर्ड अजमेर से संबंधित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रतिदर्श के रूप में सहरिया जनजाति के बालक - बालिकाओं, समुदाय के सदस्यों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षा अधिकारियों और सहरिया विकास परियोजना अधिकारियों को ही सम्मिलित किया गया है।

1.20 भौगोलिक कार्यक्षेत्र का परिचय (Geographical introduction of working area):-

प्रस्तुत शोध अध्ययन भारत गणराज्य के राजस्थान प्रान्त के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में संपन्न किया गया है। राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की लोक संस्कृति सम्पूर्ण विश्व में विख्यात है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाणकाल से प्रारंभ होता है। राजस्थान राज्य 30 मार्च सन्1949 को भारत का एक ऐसा राज्य बना, जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुईं *(गुप्ता, 2004, पृ. 92)*।

1.21 बारां जिले का परिचय (Baran):-

स्वतंत्रता से पूर्व बारां कोटा राज्य का जिला मुख्यालय था। बारां जिले का सम्पूर्ण भाग कोटा राज्य के अन्तर्गत ही आता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 25 मार्च, सन्1948 को कोटा बून्दी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा रियासतों के संयुग्मन से राजस्थान संघ का निर्माण किया गया(गुप्ता, 2004, पृ. 98)। सन् 1949 जिलों के निर्माण के समय कोटा, टोंक, झालावाड़ राज्यों के कुछ हिस्सों के संयुग्मन से कोटा जिले का उद्भव हुआ। उस समय बारां गांव अटक तहसील का हिस्सा था। सन् 1961 में बारां को अटरु तह्सील से निकालकर बारां तहसील में स्थानांतरित किया गया एवं चार उपखण्ड कोटा, बारां, छबड़ा और चेचट (खैराबाद) का गठन किया गया। इन चारों उपखण्डों में 17 तहसीलें (इटावा, पीपलदा, बड़ोद, मांगरोल, डिगोद, अन्ता, बारां, किशनगंज, शाहबाद , लाडपुरा, चेचट रामगंज मण्डी, कनवास, सांगोद, अटरू छिपा बड़ोद एवं छबड़ा) सम्मिलित की गयीं। सन्1991 में जिलों के पुनर्गठन द्वारा कोटा और बारां दो जिले निर्मित किये गये। इस प्रकार सात तहसीलों के साथ 10 अप्रैल, सन्1991 को बारां जिला अस्तित्व में आया। शाहबाद

और किशनगंज बारां जिले की तहसीलें हैं, जिनमें विशेष रूप से का जोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत सहरिया आदिम समुदाय सघन रूप में आवासित है *(गुप्ता, 2004, पृ. 99)*।

बारां जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तरी अक्षांशों और पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। बारां शब्द वराह का अपभ्रंश है। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक वराह भगवान का अवतार गुप्तकाल में अपनी प्रतिष्ठा के चरम पर था। बारां नगर में भी वराह की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुई हैं। इसलिये ऐसी धारणा है कि यह स्थान पूर्व में वराह नगरी कहलाता था, जो कालान्तर में बारां नाम से विख्यात हुआ। यह जिला 10 अप्रैल, सन्1991 को अपने वर्तमान अस्तित्व में आया। इस जिले की सीमायें मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना, शिवपुरी, गुना और मंदसौर जिलों के साथ राजस्थान राज्य के कोटा और झालावाड़ जिलों को भी स्पर्श करती हैं। बारां जिले का कुल क्षेत्रफल 6955 वर्ग किलोमीटर है। जिले की वर्तमान जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 12.22 लाख है, जिसमें 6.34 पुरुष और 5.88 महिलायें सम्मिलित हैं।

तालिका 1.6

बारां जिला-एक नजर में, जनगणना 2011का तालिका द्वरा प्रदर्शन

वर्ष	2011
कुल जनसंख्या	12,22,755
पुरुष	6,33,945
महिला	5,88,810
जनसंख्या-घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी.)	175
लिंगानुपात(पुरुष:महिला)	1000:929
जसंख्या की दशकीय वृद्धि-दर (2001-11)	19.68%
ग्रामीण जनसंख्या	968541
शहरी जनसंख्या	254214
सहरिया जनसंख्या	94975

(सन्दर्भ:विधानसभा आम चुनाव 2013 निर्वाचन निर्देशिका, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां द्वारा प्रकाशित पुस्तिका एवं सांख्यिकीय विभाग, जिला अधिकारी कार्यालय बारां से साभार)

उपरोक्त तालिका-1.6 में दर्शाया गया है कि बारां जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर 19.68 प्रतिशत है। पुरुषों और महिलाओं का लिंगानुपात क्रमशः1000 : 929 है। लगभग 94975 सहरिया किशनगंज, शाहबाद , अतरु और मांगरोल तहसीलों में रहते हैं। जबकि 90 प्रतिशत सहरिया किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में रहते हैं *(जिला सर्वे रिपोर्ट, 2013, पृ. 03)*। जिले में प्रमुख रूप से प्रवाहित होने वाली नदियाँ परवन और पार्वती हैं। किशनगंज पार्वती नदी के तट पर आवासित सहरिया

बाहुल्य तहसील है। शाहबाद तहसील में बारां जिले की सर्वाधिक ऊँची पहाड़ी चोटी मामुनी समुद्र तल से 546 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह भाग अरावली की पहाड़ियों से आच्छादित है, जिसकी घाटी में सहरिया समुदाय जीवनयापन करता है *(गुप्ता, 2004, पृ. 98)*।

1.22 शोध कार्यक्षेत्र का परिचय (Introduction of Research working area):- शोध अध्ययन के प्रथम अध्याय में शोध अध्ययन की प्रस्तावना, जनजाति का सम्प्रत्यय, सहरिया आदिम जनजाति का उद्भव एवं विकासक्रम, द्वितीय अध्याय में संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, तृतीय अध्याय में शोध अभिकल्प, प्रतिदर्शन एवं शोध उपकरण, चतुर्थ अध्याय में आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण, पंचम अध्याय में निष्कर्ष, भावी शोध हेतु सुझाव, इसके उपरांत शोध अध्ययन की सीमाएं, ग्रंथ सूची, सहरिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण छायाचित्र एवं परिशिष्ट को व्यवस्थिति क्रम में प्रस्तुत किया गया है।

1.23 अध्याय सारांश (Chapter Conclusion):-

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान राज्य का संक्षिप्त परिचय देने के साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) का संप्रत्यय और उसकी प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान राज्य में आवासित बारह जनजातियों में से सहरिया जनजाति सरकार द्वारा घोषित एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है *(GoI, 2017, पृ.228)*। इस अध्याय में सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति के साथ ही उसके उद्भव एवं विकासक्रम के साथ-साथ प्रमुख चुनौतियों तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को भी रेखांकित करने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया गया है। राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सघनता के साथ आवासित सहरिया आदिम जनजाति शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई है, जो आज भी तिरस्कृत जीवनयापन कर रही है। इस अध्याय में शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र की रूपरेखा को भी प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में शोधार्थी के शोध विषय ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** से संबंधित साहित्य की विस्तृत चर्चा शोध की प्रकृति और उद्देश्यों के अनुसार सावधानीपूर्वक की गयी है।

*** ***

द्वितीय अध्याय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन
(Review of the Related Literature)

2.1 प्रस्तावना (Introduction):-

प्रथम अध्याय समस्या एवं शोध प्रश्न में शोधार्थी द्वारा प्रस्तावना, शोध समस्या, शोध समस्या के प्रत्यय, शोध प्रश्न, शोध उद्देश्य, शोध की आवश्यकता और महत्व के साथ ही शोध की सीमाओं एवं परिसीमाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में शोधार्थी द्वारा जनजातीय समुदाय से संबंधित साहित्य यथा-शोधपत्र, पुस्तकें, शोध आलेख और पत्र-पत्रिकाओं आदि का शोध के सन्दर्भ में सिंहावलोकन किया गया है।

विश्व में केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सदियों से संचित किये गये ज्ञान का लाभ उठा सकता है। मानवीय ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं - पहला ज्ञान को संचित करना, दूसरा ज्ञान का प्रसारण करना और तीसरा ज्ञान में वृद्धि करना *(शर्मा, 2008, पृ. 99)*। मानव की इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप ज्ञान की सहज धारा प्रवाहित हुई है तथा सदियों से उसका एक क्रम चला आ रहा है। ज्ञान की यह प्रक्रिया अनन्त है जब तक धरा पर मानव जीवन है। उसकी यह ज्ञान पिपासा कभी समाप्त नहीं होगी। क्या हो ? क्यों हो ? और कैसा होना चाहिये ? आदि प्रश्नों से घिरा मानव सदैव ही जिज्ञासु बना रहता है। उसकी इस जिज्ञासा ने हमेशा कल के ज्ञान को नया कलेवर प्रदान किया है। उसमें जहां कहीं उसे अपूर्णता का अनुभव हुआ है, उसे पूर्ण करने का प्रयास किया है।

सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणियों में मानव ही सर्वाधिक मननशील और तर्कयुक्त विचारों से युक्त है। इन्हीं गुणों के कारण वह ज्ञान-विज्ञान के अर्जन में अपने समय का सदुपयोग करता है। मानव ने समस्त ज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों को पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों के रूप में संचित करके भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा सशक्त साधन प्रदान किया है, जिसकी सहायता से वह अपने नवीन अनुभवों को ग्रहण करते हुए पूर्व ज्ञान-विज्ञान की खोज कर सके। यह तथ्य शोध में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है जो कि वास्तविकता के समीप पहुँचने के लिए शोधकर्ता की सहायता करता है। इसी प्रकार अतीत के अनुभवों का लाभ उठाते

हुए मानव विकास के पथ पर निरन्तर प्रगति करता रहता है *(शर्मा, 2008, पृ. 99)* । मानव संचित ज्ञान के आधार पर पुराने अनुभवों और आदर्शों के सहारे व्यर्थ की निराशाओं और असफलताओं से मुक्त रहता है । ज्ञान के विस्तृत कोष में उसका निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये गये प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है । मानव का उपयोगी संचित ज्ञान व्यवस्थित रूप से प्रत्येक पीढ़ी को धरोहर के रूप में प्राप्त होता है । पूर्व संचित ज्ञान और गत वर्षों में सम्पन्न हुए शोध कार्यों की पृष्ठभूमि में ही नये शोधकर्ता की शोध समस्याओं और आवश्यकताओं का जन्म होता है । प्रत्येक शोधार्थी के शोध कार्य की आधारभूमि ये पूर्व संचित ज्ञान और पूर्वसम्पादित अनुसंधान ही होते हैं । प्रत्येक क्षेत्र में इस ज्ञान राशि का विपुल कोष उपलब्ध है । इसकी जानकारी प्रत्येक शोधार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण और अनिवार्य होती है । इस जानकारी के अभाव में शोधार्थी का सम्पूर्ण प्रयास दिशाहीन रहता है । ज्ञान के विकास की दिशा में उसका योगदान शून्य रहता है और उसका समस्त प्रयास निरर्थक हो जाता है *(भटनागर, 2007, पृ. 50)* । अतः शोध समस्या का अन्तिम रूप से चयन करने से पूर्व शोधार्थी को शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक होता है ।

2.2 संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन (Review of the Related Literature) –

किसी भी शोध कार्य को करने से पूर्व उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन समस्या के विषय में कुछ विशिष्ट प्रकृति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने में सहायक होता है । अध्ययन के समय ऐसी अनेक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ शोधार्थी के सम्मुख आती हैं, जिनका सामना करने के लिए उसे निर्धारित नियोजन का विकल्प अन्वेषित करना होता है । इसलिए ऐसी समग्र परिस्थितियों की जानकारी का होना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि पहले से ही उचित विकल्पों की व्यवस्था की जा सके ।

साहित्य शब्द परम्परागत अर्थ से भिन्न अर्थ प्रदान करता है । जब इसे भाषा के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आशय गद्य और पद्य साहित्य से होता है, परन्तु अनुसंधान के क्षेत्र में साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान के क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता है, जिसके अन्तर्गत सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा तथ्यात्मक शोध अध्ययन आते हैं *(शर्मा, 2008, पृ. 99-100)* । संबंधित साहित्य के अध्ययन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए ***गुड्स बार और स्केट्स*** कहते हैं कि-एक कुशल चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता

रहे। उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए उस क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं और खोजों से परिचित होना आवश्यक है *(राय, 2014, पृ.95)*।

संबंधित साहित्य के अध्ययन द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अनुसंधान से संबंधित अतीत में क्या और किस प्रकार के अनुसंधान किये गये हैं ? उनमें किन-किन विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया गया है तथा उनके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ? संबंधित साहित्य के अध्ययन पर प्रकाश डालते हुये ***डब्ल्यू.आर. बोर्ग*** कहते हैं कि -किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है, जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते हैं, तो हमारा कार्य प्रभावहीन और महत्वहीन हो सकता है अथवा पुनरावृत्ति भी हो सकती है। इसी तरह ***जॉन डब्ल्यू. बेस्ट*** का कहना है कि - व्यावहारिक दृष्टि से सम्पूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों और पुस्तकालयों से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अन्य जीवों के अतिरिक्त प्रत्येक पीढ़ी नए सिरे से प्राप्त करती हैं। मानव समाज अपने प्राचीन अनुभव को संग्रहित और सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव का निरन्तर योगदान सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है *(राय, 2014, पृ.95)*। शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता को नवीनतम ज्ञान के शिखर पर ले जाता है, जहां उसे अपने शोध से संबंधित निष्कर्षो और परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ अन्तराल है। शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि - साहित्य समाज का दर्पण है। शैक्षणिक शोध कार्यों में संबंधित साहित्य का अध्ययन किसी शोधार्थी के लिए किसी समस्या विशेष के मूल में पहुँचने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य भण्डारगृह की चाबी महत्वपूर्ण समस्याओं और परिकल्पनाओं के द्वार खोल सकती है। यह समस्याओं के समाधान में सहायता देकर चयन प्रक्रिया और परिणामों के प्रस्तुतीकरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है *(शर्मा, 2008, पृ. 100)*। इस प्रकार साहित्य के पुनरावलोकन के माध्यम से शोधार्थी यह जानने का प्रयत्न करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में शोध अध्ययन को किन-किन दिशाओं में ले जाने से अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है।

पुनरावलोकन से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के साहित्य जैसे-पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, ज्ञान कोष, प्रकाशित और अप्रकाशित शोध-ग्रंथ, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल्स तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के चयन, शोध प्रश्नों के निर्माण, शोध उद्देश्यों के

निर्धारण, शोध अध्ययन का अभिकल्प तैयार करने और शोध कार्य को गति देने में सहायता मिलती है। शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के विषय में जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टि से कितना कार्य, किस विधि से संपन्न हो चुका है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं तब तक वह न तो अपनी शोध समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही उसकी रूपरेखा तैयार करके कार्य को समुचित गति प्रदान कर सकता है *(राय, 2014, पृ.97)* । अतः यह कहना सार्थक है कि शोधार्थी के लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन पथ प्रदर्शित करने का कार्य करता है।

2.3 सहरिया आदिम जनजाति से संबंधित किये गये अध्ययन (Researches Related to Sahariya Primitive Tribe) –संबंधित साहित्य का अध्ययन ही शोधकर्ता को ज्ञान के उस शिखर तक ले जाता है, जहां वह अपनी नवीन और विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करता है। मानव जीवन समस्या जनित है, जिसमें नित्य नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानों की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान तकनीकी युग में मानवीय ज्ञान पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और ज्ञान कोषों के साथ-साथ सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के साधनों में भी सुरक्षित रहता है। शोधार्थी इस संरक्षित ज्ञान को प्राप्त करके निरन्तर उन्नति की ओर विकसित करने का प्रयास करता है *(भटनागर, 2008, पृ.50)*।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध अध्ययन जिसका शीर्षक है - ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** से संबंधित उन पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, ग्रंथों, प्रकाशित और अप्रकाशित शोध अध्ययनों, ज्ञान कोषों, अभिलेखों, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्टरनेट और वर्चुअल साईटों पर उपलब्ध पठनीय सामग्री तथा पाण्डुलिपियों आदि स्रोतों का गहन अध्ययन किया है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी शोध समस्या से संबंधित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न शोध अध्ययनों के सर्वेक्षण के पश्चात शोधार्थी को अपने शोध से संबंधित जो अध्ययन प्राप्त हुए उन्हें सुविधा की दृष्टि से तीन वृहत वर्गों में विभाजित किया गया है।

- **शैक्षणिक स्थिति से संबंधित अध्ययन (Researches Related to Educational Status)**
- **मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित अध्ययन (Researches Related to Psychosocial Status)**
- **चुनौतियों से संबंधित अध्ययन (Researches Related to Challenges)**

उपरोक्त वृहत वर्गों के अन्तर्गत उपलब्ध संबंधित साहित्य की सहायता से ही शोधार्थी प्रस्तुत शोध अध्ययन की समस्या के चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, शोध प्रश्नों का निर्माण, शोध अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने तथा शोध कार्य को अग्रसारित करने में सफ़ल हो सका है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने इस शोध प्रबन्ध हेतु निम्नलिखित शोध संबंधित साहित्य का अध्ययन किया है।

2.3.1 शैक्षणिक स्थिति से संबंधित अध्ययन (Researches Related to Educational Status)-

तिवारी (पाण्डे), एम. शर्मा, ए. और शर्मा, एल. के. (2016) ने अपने शोध पत्र *"सहरिया समाज शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण"* में प्रस्तुत किया है कि आज प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व का बोध कराने एवं शक्ति प्रदर्शन के उद्देश्य से एक संगठित समाज की स्थापना में प्रयासरत है। सहरिया समाज अपनी सामाजिक एकता, संगठन की महत्ता और समाजोत्थान के उद्देश्य से जातीय संगठन अखिल भारतीय सहरिया समाज के नाम से पंजीकृत है। मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- शिवपुरी, गुना और अशोक नगर आदि में आवासित सहरिया समुदाय में बालिका शिक्षा की स्थिति बालकों की अपेक्षा दयनीय है। अन्य समाज के लोग भी सहरिया जनजाति का उत्थान करने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आवासित सहरिया समुदाय के लोगों से अन्य समुदाय के लोग छुआछूत नहीं मानते हैं।

वसावा, ए. जे.(2016) ने अपने शोध पत्र *"आदिवासी भाषाएँ और शिक्षा"* में यह बताया है कि आदिवासी बालक अपने समुदाय में अपनी मातृभाषा में ही व्यवहार करता है। परन्तु जब उसका विद्यालय में प्रवेश होता है, तब उसका परिचय अपरिचित भाषाओं से होता है। ये भाषाएँ उसके जीवन व्यवहार से जुड़ी नहीं होती हैं। ऐसा परिवेश उसे गहन हताशा का अनुभव कराता है। परिणामस्वरूप वह पढ़ाई से भयभीत होने लगता है। पढ़ना उसके लिए बड़ी मानसिक यातना का विषय बन जाता है। अपने कुटुम्ब की भाषा के प्रति विकृत भाव जाग्रत होने लगते हैं। अन्य भाषा में वह अपना अस्तित्व खोज नहीं पाता है और अन्य भाषा का शिक्षक उसे परगृहवासी जैसा प्रतीत होता है। शिक्षक की बात और भावों को वह समझ नहीं पाता है। अन्य भाषा का झंझावात उसे ठहरने नहीं देता है, फलस्वरूप वह विद्यालय

की पढ़ाई को त्यागकर माता-पिता के साथ मजदूरी करने लगता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भाषाओं का यह अप्राकृतिक प्रचलन अपव्यय (ड्रॉप आउट) का बहुत बड़ा कारण है। इससे आदिवासियों की सामाजिक संरचना भी ध्वस्त होने की ओर बढ़ रही है।

शर्मा, विभा (2016) ने अपने शोध पत्र *"शिक्षा, नगरीकरण और विकास प्रक्रिया एवं आदिवासी संस्कृति"* शीर्षक के अन्तर्गत अध्ययन किया और पाया कि आदिवासी समाज की अपनी शिक्षा प्राणाली रही है जो सैद्धान्तिक की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है। उनके अपने संवाद, संकेत और भाव इतने शक्तिशाली रहे हैं कि वे सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अपने ज्ञान और कौशल को पहुँचाते रहे हैं, जिससे न केवल इनके समाज की संस्कृति अक्षुण्ण रही है अपितु वे अपना नैसर्गिक विकास भी करते रहे हैं, किन्तु आधुनिक विकास यात्रा आदिम संस्कृति को क्षति पहुँचा रही है। सरकारों को आदिम समाज के कौशलों जैसे-वनोपज, कृषि, पशुपालन और औषधियों का ज्ञान आदि को ध्यान में रखते हुए विकास की नीतियों और कार्यक्रमों का नियोजन करना चाहिए। इससे ये समाज न केवल पारम्परिक निर्वाह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे अपितु समग्र विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनकर स्व-उत्थान के साथ ही राष्ट्र की प्रगति में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे।

खांट, नितेश (2016) ने अपने शोध पत्र *"दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में शिक्षा का विकास एवं स्थिति"* में बताया है कि राजस्थान में आदिवासी शिक्षा का प्रारम्भ ब्रिटिश मिशनरियों के प्रयासों से हुआ मेवाड़ भील के द्वारा खेरवाड़ा और कोटड़ा में विद्यालयों के माध्यम से भील समुदाय को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। परन्तु ये विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम थे। दूसरी ओर आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक उपलब्धता न्यून होने के कारण नए विद्यालय खोलने के प्रयास नहीं किये गये। आदिवासियों की भाषा और व्यवहार को समझने वाले योग्य शिक्षकों का अभाव भी था। स्वतन्त्रता के पश्चात केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा टी.एस.पी. बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे आज ये समुदाय सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। टी.एस.पी. क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण की सुविधाएँ होने से शिक्षा के क्षेत्र में इनके विकास की सम्भावनाओं में वृद्धि हो गयी है।

आर., सीमा (2015) ने अपने शोध पत्र *"सहरिया विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम"* में बताया है कि सहरिया जनजाति राजस्थान राज्य की एक मात्र आदिम जनजाति समूह है। सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे – आश्रम विद्यालय, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग, शैक्षणिक भ्रमण, माँ –बाड़ी केन्द्र और बाल बाड़ी केन्द्र आदि का संचालन केन्द्रीय सहायता के रूप में किया जा रहा है।

शंकर, विवेक (2014) ने अपनी पुस्तक *"सहरिया : समाज एवं संस्कृति"* में लिखा है कि आजादी के बाद शिक्षा की दृष्टि से सहरियाओं ने क्या पाया ? यह प्रश्न कल तक चिंता का प्रश्न था, जब सहरियाओं में शिक्षा का स्तर अत्यंत न्यून था। शैक्षणिक दृष्टि से सहरिया आदिम जनजाति के लोग काफी पिछड़े हुए थे। सन् 1961 ई. में सहरिया आदिम जनजाति में शिक्षा का प्रतिशत पुरुषों में 2.3 और महिलाओं में 0.2 था। सन् 1981 ई. में शिक्षा का यह प्रतिशत बढ़कर पुरषों में 10.27 और महिलाओं में 1.20 हो गया। शिक्षा की स्थिति ऐसी थी कि सन् 1982 ई. तक कोई भी सहरिया महिला स्नातक नहीं थी, जबकि इसी वर्ष हीरालाल सहरिया इस आदिम जनजाति के प्रथम स्नातक बने। सन् 2001 ई. में इनकी शिक्षा का प्रतिशत पुरुषों में 35.37 और महिलाओं में 5.00 था। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी और परम्परावादी जीवन जीने को अभिशप्त सहरिया आदिम जनजाति की नई पीढ़ी में शिक्षा के प्रति रुझान एवं जागरूकता बड़ी है। परन्तु आज भी बहुसंख्यक सहरिया शिक्षा की पहुँच से कोसों दूर हैं।

वी. ए., हसीना एवं मोहम्मद, अजीम्स पी. (2014) ने अपने शोध पत्र *"स्कोप ऑफ़ एजुकेशन एण्ड ड्रॉपआउट अमंग ट्राइबल स्टूडेंटस इन केरल-ए स्टडी शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन अत्तापपड़ी"* में लिखा है कि छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने के ये कारण हैं- निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर, भाषायी समस्या, अंग्रेजी सीखने की समस्या, जनजातियों की संस्कृति, मनोवैज्ञानिक समस्या, प्रशासनिक समस्या, जनजातीय शिक्षकों का भिन्न दृष्टिकोण, आर्थिक पिछड़ापन और विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का अभाव।

साहू, कविता कुमारी (2014) ने अपने शोध पत्र *"चैलेंजिंग इश्यूज ऑफ़ ट्राइबल एजुकेशन इन इण्डिया"* में उल्लेख किया है कि 1961 के दशक के दौरान भारतीय जनजातियों में साक्षरता दर मात्र 8.54 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 63.1 प्रतिशत हो गयी। कक्षा I से कक्षा V तक जनजातियों के

लड़कों और लड़कियों का समग्र पंजीकरण बढ़कर 137.2 तथा 136.7 हो गया। जनजाति के बच्चों में लैंगिक समानता कक्षा XI से XII के अतिरिक्त शेष वर्गों में एक जैसी पायी गयी।

श्रीवास्तव, रश्मि (2012) के द्वारा लिखित पुस्तक *"सहरिया जनजाति साहित्य एवं संस्कृति"* में यह बताया गया है कि सहरिया राजस्थान की एक ऐसी आदिम जनजाति है जिसमें शिक्षा का स्तर शून्य मात्र ही रहा है। अन्य आदिवासी समुदायों की अपेक्षा सहरिया सबसे कम मात्रा में साक्षर हैं। शिक्षा से ये हमेशा से ही दूर रहे। सहरिया समुदाय का वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली में कोई विश्वास नहीं है। इनका यह मानना है कि शिक्षा हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमसे मेहनत करने की आदत और छीन लेती है। अतः यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है। विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक नहीं है। औपचारिक शहरी शिक्षकों के लिए फाटे हाल, नंगे और मैले सहरिया बच्चों के प्रति घृणा का भाव होता है। सामाजिक स्थिति के साथ- साथ सामन्तवादी और जातिगत भेद इस समुदाय को शिक्षा से दूर करता है। सहरिया समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। सहरिया समुदाय द्वारा गाये जाने वाले गीत साधारण हैं, परन्तु फिर भी ये गीत सजीव और आत्मीय हैं।

मीणा, कान्ता (2011) ने *"बालश्रम : जनजातीय शोषण के सामाजिक आर्थिक आयाम"* शीर्षक के अन्तर्गत शोध अध्ययन किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि अधिकतर बालिकाएँ 8-9 वर्ष की अल्पायु में ही छोटे-छोटे कार्य करना आरम्भ कर देती हैं, जबकि बालक 10-11 वर्ष की अवस्था में कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। आधे से अधिक बाल-श्रमिक अशिक्षित हैं और उनमें से भी अधिकांश विद्यालय छोड़ चुके हैं। जो बाल-श्रमिक विद्यालय में जाते भी हैं, तो वे अनियमित रूप से मात्र 2-3 घन्टे के लिए ही जाते हैं। सहरिया बाल-श्रमिकों की न्यूनतम वैवाहिक आयु 9 वर्ष है और 14 वर्ष तक अधिकांश बाल-श्रमिकों का विवाह हो जाता है। बालक बाल-श्रमिकों की अधिकतम वैवाहिक आयु का प्रतिशत 14 वर्ष है, और बालिका बाल-श्रमिकों की वैवाहिक आयु का अधिकतम प्रतिशत 13 वर्ष है।

वी, आशारानी (2010) ने अपने अध्ययन *"झारखण्ड में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा"* में बताया है कि विद्यालय में अपेक्षित जगह और सुविधाओं की कमी है, जबकि प्रवेश चाहने वाली जनजातीय बालिकाओं की संख्या अधिक है। विद्यालय में सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, ना चारदीवारी और ना ही कोई चौकीदार। खाली समय में पढ़ने के लिये कोई समाचार पत्र या पत्रिका भी नहीं दी जाती है।

अवस्थी, रीता और पांडे, उमाशंकर (2008) ने अपने अध्ययन *"प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में 'विशेषकर बालिका शिक्षा में' अपव्यय और अवरोधन"* में पाया कि देश में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन के कारण विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर ह्रास हो रहा है। फलस्वरूप अभी तक सभी बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य पूर्ण नही हो पाया है। इसके मुख्य कारण गरीबी, अभिभावकों में जागरूकता का अभाव, प्रत्येक ग्राम में विद्यालय न होना, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, बेहतर विद्यालीयन व्यवस्था का अभाव, सामाजिक विषमताएँ आदि हैं। गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है कि जनजातियों के सभी बालक-बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाए।

प्रधान, नित्यानन्द एवं पटनायक जीसु केतन (2003) ने अपने शोध *आलेख "चैलेंजेज इन एजुकेशन ऑफ़ शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन:ए केस स्टडी ऑफ़ एन आश्रम स्कूल"* में लिखा है कि बालिका छात्रावास में बिस्तर नहीं हैं। कक्षाओं में बालिकाओं को बैठने के लिए बेंच नहीं हैं। अधिकांश जनजातीय छात्र-छात्राओं की उपलब्धि अंग्रेजी भाषा में कमजोर है। विद्यालय में गणित और विज्ञान विषयों की शिक्षण-अधिगम सामग्री का अभाव है।

कुरैशी, अब्दुल कादर (2002) ने अपने पीएच. डी. शोध अध्ययन *"इम्पेक्ट ऑफ डवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑन सोशियो – इकोनोमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स (ए केस स्टडी ऑफ दि सहरिया ट्राइब इन राजस्थान)"* में प्रस्तुत किया है कि सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं (6 से 14 आयु वर्ग) को शिक्षित करने के लिए जनजातीय छात्रावास, आश्रम वाले विद्यालय, बच्चों की कुटिया, पालना घर आदि राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा स्थापित किये गये। सन् 1960 में केलवाड़ा के छात्रावासों में बालकों को बालिकाओं के साथ शिक्षित करने के प्रयास किये गये, परन्तु ये प्रयास असफल रहे। दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को दास और अस्पृश्यता वाला समझा था तथा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। इसलिए सन् 1980 में गुजरात पद्धत्ति पर आधारित राजस्थान सरकार के आर्थिक सहयोग से शाहबाद में आदिवासी आश्रम विद्यालय स्थापित किया गया। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास से संबंधित कार्यक्रमों का उद्देश्य सहरिया समुदाय के जीवन स्तर को सुधारना है। इन कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सहरिया समुदाय

की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली में हुये परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं, घरेलु बचत, ऋण, वस्त्र, महिला एवं पुरुषों की शिक्षा का स्तर, बालक-बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक परम्पराओं आदि क्षेत्रों में सरकारी विकास कार्यक्रमों के प्रभाव से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, परन्तु यह परिवर्तन बहुत मंदगति से हो रहा है। सहरिया विकास परियोजना और अन्य कार्यक्रमों को वर्ष 1991 से वर्ष 2000 के दौरान दक्षिण राजस्थान के बारां जिले में सहरिया समुदाय के विकास हेतु आरम्भ किया गया गया। इन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सहरिया समुदाय के दृष्टिकोण में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मजदूरी के प्रति सकारात्मक परिवर्तन आया है। कई सामाजिक कुरीतियों जैसे-बाल-विवाह, दापा आदि पर सरकारी प्रतिबन्ध के कारण कमी आयी है, परन्तु सहरिया और गैर-सहरिया विकास के स्तर में अभी भी बहुत बड़ा अन्तर है, जिसे कम करने की आवश्यकता है।

बिन्दु (2001) ने अपने अध्ययन *"आदिवासी शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन"* में पाया कि आदिवासी जाति के बच्चों के घर का वातावरण उनके विकास के लिए पोषक नहीं है। उनके अधिकतर अभिभावक निरक्षर हैं। मात्र 1/10 आदिवासी जाति के बच्चे पाठ्यसहगामी क्रियाओं में उच्च स्तर पर प्रतिभाग करते हैं और 2/3 निम्न स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। आदिवासी बच्चों और उनके अभिभावकों का शैक्षणिक और व्यावसायिक आकांक्षा स्तर बहुत ही निम्न पाया गया। पुराने पाठ्क्रम की अपेक्षा नवीन पाठ्यक्रम ने आदिवासी बच्चों को अधिक आकर्षित किया। नवीन पाठ्यक्रम उनके लिए रुचिकर पाया गया।

नायक, ए.एल. (2001) ने अपने *अध्ययन "भील बच्चों के माइग्रेशन का शिक्षा में प्रभाव का अध्ययन"* में पाया कि आदिवासियों की अच्छी कृषि भूमि न होने और अनियमित तथा पर्याप्त वर्षा न होने के कारण उन्हें जहां अच्छी मजदूरी मिलती है, वहाँ अपने परिवार के साथ पलायन कर जाते हैं। पलायन के पश्चात सहरिया जनजाति के लोग अपनी आय का अधिकांश भाग ऋण वापस करने और वैवाहिक कार्यक्रमों में व्यय करते हैं। अपने मूल स्थान पर वापस आने के बाद भी कुछ माह तक बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, और यदि कुछ बच्चे विद्यालय आते भी हैं तो वे पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं। फलस्वरूप वे स्वयं को विद्यालय के परिवेश में समायोजित नहीं कर पाते हैं और अपव्यय (ड्रॉप आउट) की श्रेणी में आ जाते हैं।

व्यास, जे.सी.(1992) ने अपने अध्ययन *"राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर छात्रों का अपव्यय (ड्रॉप आउट)"* में पाया कि राजस्थान में यह समस्या 44.66 प्रतिशत थी। बालकों (41 प्रतिशत) की अपेक्षा बालिकाओं (54 प्रतिशत) में यह समस्या अधिक थी। इसके मुख्य कारण पारिवारिक परिस्थितियाँ, कार्य की अधिकता, पैतृक व्यवसाय, निरक्षरता, अभिभावकों की अपने पाल्यों को विद्यालय में भेजने की अनिच्छा, बेरोजगारी, रोगग्रस्तता, ऋणग्रस्तता आदि थे।

प्रभातचन्द्र (1990) ने *"आदिवासी छात्रों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक रुचियों का बौद्धिक उपलब्धि, सामाजिक, आर्थिक स्तर और शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन"* शीर्षक के अन्तर्गत किये गये अध्ययन में पाया कि व्यावसायिक विकास हेतु लिंग, आयु, उच्चतम उपाधि, व्यावसायिक संतुष्टि, पद व सेवा काल जैसे स्वतन्त्र चरों का उत्तरदाताओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं से कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस स्तर पर कार्यरत व्यक्ति अपने व्यावसायिक विकास के प्रति सजग होते हैं।

इक्का (1990) ने अपने अध्ययन *"उड़ीसा में स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास का अध्ययन"* में पाया कि 73.48 प्रतिशत बालक-बालिकाएँ प्राथमिक स्तर पर कक्षा छोड़ देते हैं। प्राथमिक स्तर पर 12.44 प्रतिशत और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 15.89 प्रतिशत अवरोधन की समस्या है। इनमें औसत रूप से13.5 प्रतिशत शिक्षा पायी जाती है। शिक्षा में कमी का मुख्य कारण इनके लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अपनी शिक्षा के लिए लाभ न उठाना है।

यादव, एम.एस.(1990) एन.एफ.ई.-सी.ए.पी.ई.का राजस्थान में त्वरित और तात्कालिक मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 15000 केन्द्र कार्यरत हैं, जिनमें 10 लाख सीखने वाले हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इन केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण और प्रशासन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग सराहनीय है, परन्तु उनकी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा में विद्यालय से बाहर बच्चों को शिक्षित करने की क्षमता पायी गयी।

रोका, एस.डी., रस्तोगी एवं अन्य (1990) ने अपने अध्ययन *"प्राथमिक शिक्षा का व्यापक मूल्यांकन (कैप)"* में पाया कि हिन्दी बाहुल्य क्षेत्र और अन्य कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर अधिगम, प्रशिक्षण और मूल्यांकन का एक पूर्ण सेट वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में विकसित किया गया, जो बालकों के

लिए न केवल सहायक सिद्ध हुआ वरन् अत्यंत आकर्षक भी रहा और इस सेट के द्वारा उनके उपलब्धि स्तर में भी वृद्धि पायी गयी।

गुप्ता, जे.के. एवं ए. बी. एल., श्रीवास्तव (1989) ने *"शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय (ड्रॉप आउट) और अवरोधन (स्टैगनेशन) का अध्ययन"* शीर्षक के अन्तर्गत अध्ययन किया और पाया कि-आंध्रप्रदेश, बिहार, जम्मू.और कश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल में अपव्यय की दर 60 प्रतिशत से अधिक थी। मध्य प्रदेश में यह दर 58 प्रतिशत और असम, उड़ीसा, राजस्थान, तथा उत्तेर प्रदेश में 50 प्रतिशत थी। आरक्षित वर्ग के छात्रों में अपव्यय और अवरोधन की प्रतिशत मात्रा अधिक थी।

उपरोक्त शैक्षणिक अध्ययनों के अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन भारतीय जनजातियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर किये गये हैं, उनमें **ठाकुर, टी. (1988)** का शोध अध्ययन *"असम में प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट"*, **मल्होत्रा (1992)** का शोध अध्ययन *"निबोकर के आदिवसियों पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन"*, **भार्गव, एस.एम. (1990)** का शोध अध्ययन *"भारत में प्रप्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विकास का अध्ययन"* और जोसेफ, **याजली (2000)** का अध्ययन *"आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन एवं ठहराव की स्थिति का अध्ययन"* आदि जनजातियों के संबंध में उनकी शैक्षणिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किये जाने वाले अध्ययन पप्रमुख हैं तथा उनके परिणाम भी लगभग एक जैसे हैं। सभी का निष्कर्ष निकाला गया है कि- आधुनिक शिक्षा का आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का नामांकन एवं ठहराव अधिक है। इसका मुख्य कारण विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण अभिभावकों का अपने पाल्यों को विद्यालय में नहीं भेजना था। विशेषकर बालिकाओं के सन्दर्भ में अभिभावक उन्हें विद्यालय भेजने में डरते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सहरिया पर हुए शैक्षणिक शोध नगण्य हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के एवं अन्य राज्यों के राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों ने अब इस दिशा में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

2.3.2 मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित अध्ययन (Researches Related to Psychosocial Status) -

श्रीवास्तव, सुरभि (2016) ने अपने शोध पत्र- *"इण्डीजीनस टूरिज्म डवलपमेंट : केस एनालिसिस ऑफ सहरिया ट्राइब"* शीर्षक के अन्तर्गत किये गये अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन के खजाने को उजागर करना और सहरिया जनजाति की सामाजिक तथा सांकृतिक संरचना का अध्ययन करना है । इसमें उल्लेख किया है कि शहरी संस्कृति के बढ़ने से सभ्य मानव धीरे-धीरे प्राकृतिक वातावरण से दूर होता जा रहा है । इसलिए सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरण पर्यटन की मांग भी बढ़ रही है । पर्यावरण पर्यटन न केवल स्थानीय निवासियों के लिए जीवन निर्वहन के साधन उपलब्ध कराता है और स्थानीय परम्परा एवं संस्कृति में भी वृद्धि करता है, बल्कि इससे वातावरण संरक्षण और प्रबन्धन के लिए प्रत्यक्ष आय भी उत्पन्न होती है । पर्यावरण पर्यटन और जनजातीय विकास दोनों वन क्षेत्रों के लिए एक-दूसरे के पूरक हैं । सहरिया आदिम समुदाय को उसकी कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत और औषधीय देशज ज्ञान आदि के विकास द्वारा पर्यावरण पर्यटन का हिस्सा बनाकर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त बनाया जा सकता है ।

डामोर,राकेश (2016) ने अपने शोध पत्र *"राजथान की जनजातियों में प्रचलित प्रथागत कानून"* में यह बताया है कि भारत में आदिम जाति समूहों की विधिक व्यवस्था समाज की विभिन्न इकाइयों का परस्पर सहयोग है । उनका सामाजिक संगठन ही उनकी सुदृढ़ विधिक व्यवस्था का आधार है । अन्य आदिवासियों की भांति सहरिया आदिम समुदाय में भी प्रजनन परिवारों की बहुलता रहती है, क्योंकि इस समुदाय में भी वयस्क पुरुष सदस्य को विवाह के पश्चात पिता के परिवार को त्यागना होता है । यह समुदाय विवाह के संविदा स्वरूप को अधिक महत्त्व देता है और वधू क्रय के नियम को दृढ़ता के साथ लागू करते हैं । परन्तु वधू क्रय का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मौत-वीराना की सहायता अभिप्राप्त करते हैं । आदिम समाज आज शिक्षा के माध्यम से विधि की मुख्यधारा की ओर आकर्षित हो रहा है ।

ताबीयार, वी.एस.(2016) ने अपने शोध पत्र *"वागड़ के आदिवासी : भाषा और पहचान"* में उल्लेख किया है कि सदियों से भील आदिवासियों का दक्षिणी राजस्थान के प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण होता रहा है । अरावली पर्वतीय क्षेत्र और वर्षा की अधिकता ने आदिवासियों की वनोत्पादों पर निर्भरता और

सामाजिक संरचना को जीवित बनाये रखने में मदद की है। यद्यपि आधुनिक सभ्यता के विकास की चमक ने आदिवासियों की प्राचीन पहचान को धूमिल सा बना दिया है, परन्तु इस दौर में भी स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने वाली संस्कृति है, तो वह आदिवासी संस्कृति है।

दरंगा, निरंजन (2016) ने अपने शोध पत्र *"आदिवासी जन-जाग्रति में प्रतिभा एवं शिक्षक सम्मान की भूमिका व सांस्थानिक प्रयास"* में बताया है कि आदिवासी समाज द्वारा अपनी स्वजातीय प्रतिभाओं को पुरुस्कार देकर प्रोत्साहित करना सबसे बड़ा नैतिक दायित्व है। ये पुरुस्कार आदिवासी समुदाय की महान विभूतियों या उस समाज के विकास हेतु कार्य करने वाले महापुरुषों की स्मृति में समाज की प्रतिभाओं को दिए जाते हैं, ताकि उन्हें उच्च उपलब्धियाँ प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सके।

खान, नसीमा(2016) ने अपने शोध पत्र *"आदिवासी जीवन: लोक विश्वास और परम्पराएँ"* में विवेचना करते हुए बताया है कि सहरिया समुदाय में भी वधू-मूल्य विवाह का मुख्य आधार होता है। यदि कोई सहरिया स्त्री अन्य जाति के पुरुष से विवाह करती है, तो उसे सहरिया पंचायत द्वारा निर्धारित दंड देना पड़ता है, अन्यथा सहरिया पंचायत उसे जाति से वहिष्कृत कर देती है। इस जाति में लड़की से विवाह की सहमति लेने की परम्परा नहीं है। चेचक या अन्य किसी प्रकार की बीमारी की स्थिति में और ग्राम को रोगों से मुक्ति के लिए स्थानीय देवी की पूजा की जाती है। साँप द्वारा काटने पर रोग से मुक्ति तेजा जी की आराधना से मिलती है। भूत-प्रेत द्वारा अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए तंत्र-मन्त्र और झाड़-फूंक का सहारा लिया जाता है।

मेहता, ज्योति (2016) ने अपने शोध पत्र *"आदिवासी परम्परागत चिकित्सा ज्ञान एवं दस्तावेजीकरण"* में विश्लेषण करते हुए बताया है कि आदिवासी सुदूरवर्ती जंगलों में निवासित होकर जन्म से मरण तक वनस्पतियों के बीच फलते फूलते हैं। इसी कारण वन में पायी जाने वाली जड़ी-बूटियों और औषधियों के अच्छे जानकार होते हैं। आदिवासियों का प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य होता है। ये लोग वन सम्पदा और वन्य प्राणियों के सम्बन्ध में तथा उनके उपयोग में दक्ष होते हैं। भले ही आदिवासी निरक्षर हों, शास्त्रों के ज्ञाता न हों तब भी उनका औषधीय ज्ञान और चिकित्सीय योग्यता पर अविश्वास का कोई तर्क सटीक प्रतीत नहीं होता है। उनका यह ज्ञान अब तक बिखरा हुआ-सा है, जिसे बौद्धिक सम्पदा मानकर संरक्षित और प्रचारित करने की आवश्यकता है। इससे स्थानीय रूप से पायी जाने वाली दुर्लभ और लुप्तप्राय

औषधियों का संरक्षण, संवर्धन और विकास होगा तथा आयुष चिकित्सा की वृद्धि से जनसमुदाय को मंहगी रासायनिक दवाइयों से मुक्ति भी मिलेगी।

अग्रवाल, ए.के., महोत्रे, आर.एन., अग्रवाल, अंजू और गुप्ता, गिनीषा (2016) ने अपने शोध पत्र *''ग्वालियर डिवीजन में सहरिया आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और स्वास्थ्य स्थिति : एक सांतिष्क विश्लेषण''* में बताया है कि सहरिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन के मुख्य आदिवासी हैं। भारत की सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 416070 के साथ सहरिया मध्य प्रदेश की चौथी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, जो कुल एस.टी. जनसंख्या 45,36547 का 11.2 प्रतिशत गठन करती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और गुना तथा राजस्थान के बारां जिले में मुख्य रूप से पायी जाती है। इनके आवास (सहराना) ग्रामके बाहर पत्थरों (पेटौर) के बने होते हैं। पेटौर सहरियाओं के आवास की स्लैब होती है। इस जनजाति में भी पुरुष शिशु प्राथमिकता है, परन्तु कन्या शिशु हत्या और लड़कियों से भेदभाव नहीं किया जाता है। लड़के और लड़कियों को समान विरासत कानून नहीं है। विशेष परिस्थितियों या मातृवंशीय समाज के अतिरिक्त आदिवासी समुदाय की लड़कियों को भूमि विरासत में नहीं मिलती है। सहरिया समुदाय में दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता को रकम का भुगतान करता है। विधवा महिलायें पुनर्विवाह की अधिकारी हैं। महिलाओं की भूमिका केवल आर्थिक गतिविधियों में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गैर-आर्थिक गतिविधियों में भी उनकी समानार्थी भूमिका है। समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट (1995) के अनुसार गैर-कृषि क्षेत्र में औसत महिला मजदूरी पुरुष मजदूरी का केवल तीन-चौथाई है। निष्कर्षतः शोधकर्ताओं का विश्लेषण है कि प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय, शैक्षणिक और स्वास्थ्य मापदंडों मे आदिवासी महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सहरिया आदिवासी महिलाओं के बीच कुपोषण की व्यापक समस्या है, उनमें एनीमिया का उच्च प्रसार भी है। मातृ स्वास्थ्य देखभाल का उपयोग भी सहरिया आदिवासी महिलाओं में बहुत कम है। आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों का उपयोग भी सहरिया आदिवासी महिलाओं में काफी कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने अक्सर आदिवासी लोगों की स्वास्थ्य सेवा की उपेक्षा की है और विशेषकर आदिवासी महिलाओं की। स्वास्थ्य हस्तक्षेप को जनजातीय संस्कृति, आदिवासी लोगों के चिकित्सा प्रशिक्षण और एक जानकार

स्वास्थ्य प्रसव खानपान का प्रबन्ध करने वाली प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ,जो आदिवासी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

शंकर, विवेक (2014) ने अपनी पुस्तक *"सहरिया जनजाति का लोक साहित्य"* में लिखा है कि सहरिया आदिम जनजाति की लोक संस्कृति, लोक मानस और लोक जीवन से संबंधित सहरिया लोक-साहित्य वह दर्पण है, जिसकी परिधि लोक व्यापक है। सहरिया लोक कथाओं और लोक गाथाओं की परम्परा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इनमें इतिहास, परम्परा, उत्पत्ति, जीवन-दर्शन, शिक्षा, धर्म और मान्यताओं आदि का सुन्दर प्रतिबिम्ब मिलता है। इनमें लोकमंगल की भावना, मानव कल्याण, नैतिकता और कर्म की महत्ता का सन्देश भी मिलता है। सहरिया लोकोक्तियाँ सचल दर्शनशास्त्र, जीवनशास्त्र, मूल्यशास्त्र, व्यवहारशास्त्र और नीतिशास्त्र के साथ-साथ उनकी जातीय अस्मिता के प्रतीक भी हैं। इनकी लोककलाएँ अर्थोपार्जन का साधन नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक जगत से जोड़ने का माध्यम हैं। ये बच्चों को सहज रूप में शिक्षा देने का सशक्त साधन भी हैं।

शर्मा, अशोक (2009) अपने शोध पत्र *"राजस्थान में जनजाति : स्थिति एवं विकासात्मक आयाम "* में बताया है कि राजस्थान में प्रमुख रूप से भील, मीणा, गरेसिया सहरिया, डामोर और धानका आदि कुल 12 जनजातियां पायी जाती हैं, जो यहाँ पाषाणकाल के पूर्व से ही निवास कर रही हैं। राजस्थान में सहरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति आयोग ने अत्यंत अल्प-विकसित स्थिति की जनजाति वाली सूची में रखा है। इनमें साक्षरता का स्तर अत्यंत न्यूनतम है। बालिका शिक्षा की स्थिति भी अत्यंत गंभीर है। सामाजिक जीवन का नेतृत्व कोतवाल द्वारा किया जाता है, जो इस समुदाय का अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इस समुदाय के लोग दो प्रकार के गांवों पहला सघन और दूसरा विखरा हुआ में रहते हैं। सघन ग्राम का छतरीनुमा मकान बंगला या हथाई कहलाता है, जिसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है।

व्यास, एन., एन .और भानावत, महेन्द्र (2008) के द्वारा अपनी पुस्तक *"आदिवासी जीवनधारा"* में उल्लेख किया गया है कि आदिवासियों की जीवनधारा का इतिहास चक्र बड़ा अनूठा है। इनकी संस्कृति अद्भुत है। वे अन्यों को बहुत कुछ सिखाने की सामर्थ्य लिए हैं। जीवन का आनंद भोगने की स्वतः प्रवृत्ति उनमें मौजूद है। प्रकृति और पर्यावरण के वे सबसे नजदीक हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो इन्हें अनपढ़, निरक्षर, जंगली और मानवीय स्तर से भी नीचा बताते हैं। इनकी संस्कृति को भी

जंगलीपन का द्योतक मानते हैं । आंकड़ों की बात करें तो क्या यह स्थिति त्रासदीपूर्ण नहीं है कि आदिवासी समाज आज भी अँधेरे में खा-पी रहा है । न वे स्वास्थ्य से परिचित हैं और न पढ़ाई-लिखाई से ही । शिक्षा, समझ और सोच का अभाव इन्हें कोई सुमार्ग नहीं देता । कोटा की ओर रहने वाले सहरियाओं का तो जैसा अध्ययन होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हो पाया है ।

समदानी, सत्यनारायण (2001) अपने शोध पत्र *"आदिम सहरिया"* में वर्णन किया है कि सहरिया समुदाय में नारी को व्यावहारिक रूप से पूर्ण प्राथमिकता और स्वतंत्रता प्राप्त है । परिवार में बालिका के जन्म को बुरा नहीं माना जाता है । परिवार में एक या दो पुत्रियों का जन्म शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे परिवार को कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है । परिवार के सञ्चालन में बालिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है । सात-आठ वर्ष की आयु में ही सहरिया बालिका अपने परिवार के कार्यों में सहायता करना आरम्भ कर देती है और तेरह-चौदह वर्ष की आयु के पश्चात परिवार की आर्थिक क्रियाओं में सहयोग करना प्रारम्भ कर देती है । यह समुदाय आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा होते हुए भी अपने परम्परागत मूल्यों और अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को आज भी आत्मसात किये हुये है ।

जावलिया, बृजमोहन (2001) ने अपने शोध पत्र *"सहरिया : प्राचीन इतिवृत्त"* में प्रस्तुत किया है कि सहरिया एक वनवासी जाति है, जो भारतवर्ष की बहुत पुरानी जातियों में से एक है । इस समुदाय के लोग शाहबाद की पहाड़ियों से बहेड़ा और हरड़ा के फल एकत्र करते हैं । चट्टानों पर चढ़कर मधुमक्खियों के छत्तों से शहद एकत्र करने में ये लोग कुशल होते हैं । परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ये लोग खेती करते हैं और पकने से पूर्व ही फसल को खाने लग जाते हैं । इनके साथ सभ्य समाज में जंगली जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है और लोग इन्हें बड़े ही हीन सम्बोधन के साथ पुकारते हैं । कृतज्ञता के विषय में इन लोगों की भावनाएँ बहुत गहरी हैं । इनके विषय में यह मान्यता है कि किसी सहरिये को आप एक बार खाना खिला दें तो वह आजीवन आपका अहसान मानता रहेगा ।

खान, याकूब अली (2000) ने अपनी पुस्तक *"ट्राइबल लाइफ ऑफ इण्डिया"* में अपने विचार व्यक्त किये हैं कि राजस्थान का जनजातीय क्षेत्र सामान्यतः बिखरा हुआ है । सहरिया समुदाय बारां जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जो कि मात्र मानसूनी वर्षा वाली फसलों, वनोत्पादों और लघु कृषि पर निर्भर है । यह समुदाय अभी तक दूरस्थ और एकांत स्थानों पर रहना पसंद

करता है और राजस्थान की सभी जनजातियों में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। यद्यपि सरकार द्वारा सहरिया समुदाय के आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए अनेकों विकास कार्यक्रमों की घोषणा की गयी है, परन्तु फिर भी ये लोग इन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा का व्यापक प्रसार और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में वृद्धि के साथ ही महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और शिक्षित सहरिया युवकों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आश्रम स्कूलों की व्यवस्था को उचित प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

गुप्ता, यू. सी. और गुप्ता, मंजू (1994) ने अपने शोध पत्र *" सहरिया जनजाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति : एक विवेचन "* में वर्णन किया है कि सहरिया लोग शोषण, निरक्षरता को लादे, मलेरिया रोग से ग्रस्त और रोटी के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहते हैं। ये लोग अभाव और कुपोषण का शिकार होते हुये भी कठोर श्रम करके जीवनयापन करते हैं। अभाव में जीना और मदिरापान कर मस्ती में सुस्त पड़े रहना इनका स्वभाव ही नहीं, बल्कि जीवन का एक अंग बन चुका है। बाल-विवाह, अशिक्षा, कुपोषण, साहूकारों और जमीदारों द्वारा शोषण, वनों एवं कृषि योग्य भूमि की कमी आदि इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। इस समुदाय में सामाजिक चेतना लाने और पूर्ण शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

उपरोक्त मनोसामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अध्ययनों के अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन भारतीय जनजातियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर किये गये हैं, उनमें कुछ अध्ययन ऐसे भी हैं जो कि सहरिया जनजाति पर भी हुए हैं। **मीणा, कान्ता (2014)** का शोध अध्ययन *"सहरिया व भील जनजाति का तुलनात्मक अध्ययन"*, **कुमार, मधु (2012)** का शोध अध्ययन *"सहरिया व बंगाली समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन"* **कुमार, सुबोध (2016)** का शोध अध्ययन *"सहरिया जनजाति में सामाजिक परिवर्तन"* और **सुनयना (2015)** का अध्ययन *"सहरिया जनजाति का सामाजिक और आर्थिक विकास"* आदि जो कि सहरिया आदिम जनजाति के संबंध में उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किये जाने वाले अध्ययन हैं, उनके परिणाम भी एक जैसे हैं तथा सभी का निष्कर्ष निकाला गया है कि सहरिया समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से विपन्नता का जीवनयापन करता है। समाज का दृष्टिकोण अभी भी इस समुदाय के प्रति नकारात्मक है। वास्तव में

किसी भी अध्ययन के परिणामों द्वारा सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के बारे में किसी प्रकार का कोई बोध नहीं होता है।

2.3.3 चुनौतियों से संबंधित अध्ययन (Researches Related to Challenges)-

मीणा, एस.के. (2016) ने अपने शोध पत्र *"अर्थसत्ता विमर्श और आदिवासी जीवन सन्दर्भ"* में बताया है कि भारत का आदिवासी समुदाय जंगलों में रहते हुए कृषि कार्य करता रहा है। उसने वनोत्पादों को हमेशा अपनी आजीविका का साधन माना है, परन्तु अपने लाभ के लिए उनको कभी नष्ट नहीं किया है। उसने प्राकृतिक संसाधनों का मालिक बनने की कभी आवश्यकता ही नहीं समझी। परिणामस्वरूप उसे समतल से जंगलों में, जंगलों से पहाड़ों पर, पहाड़ों से गिरि-कन्दराओं की ओर पलायन के लिए विवश किया जाता रहा है और अब भी उसे खदेड़ा जा रहा है। वनोत्पादों पर आधारित जीवन यापन करने वाले आदिवासियों में सहरिया, भील, जारवा, गोंड, हो, संथाली, मुंडा, बेंगा, गरासिया और काथौड़िया आदि अनेक आदिवासी जातियां हैं, जो मजदूर (हाली) बनने पर विवश हो सरकारी भ्रष्ट तंत्र के शोषण का शिकार होती रहती हैं। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुए आर्थिक समझौते भारत के मूलनिवासियों (आदिवासियों) के विनाश का प्रथम कारक सिद्ध हुए हैं। इन समझौतों ने प्रकृति प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार आदिवासी समुदायों की चुनौतियों में लगातार वृद्धि की है। भौतिकवादी वर्चस्व के कारण उन्हें स्वर्ग से सुन्दर भारतभूमि पर नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है।

पंवार, कमला (2016) ने अपने शोध पत्र *"आदिवासी जीवन : विविध आयाम"* में विस्तार से बताया है कि राजस्थान की जनजातियों और समुदायों को पोषित करने वाली अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक परिवेश और वनों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में प्राचीनकाल से वनोत्पादों पर निर्भर रहने वाली भील, काथौड़िया, सहरिया, गरासिया और डामोर आदि जनजातियां निवास करती हैं। आदिवासियों की भाषा में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिससे वे हीन बने रहते हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, रोजगार और अस्मिता आदि पर लगातार डाका पड़ रहा है। उनके लिए बनाये गये छात्रावास खाली और वीरान पड़े हैं। आदिवासियों से उनकी जमीने छीन ली गयी हैं। विस्थापन उनकी नियति बना दी गयी है। आज सरकारी उपेक्षा, गलत नीतियों और सभ्य समाज की घृणा ने उन्हें हिंसा का मार्ग अपनाने पर विवश कर दिया है। वे एक सस्ते मजदूरों की जमात बनकर रह गये हैं।

नागा,बाबूलाल (2013) ने अपने शोध आलेख *"भूख से जंग लड़ते सहरिया"* में बताया है कि राजस्थान राज्य का बारां जिला हर बार कुपोषण, भुखमरी, अशिक्षा और बंधुआ मजदूरी के कारण चर्चा में रहता है। वर्ष 2002 में बारां जिले में अकाल के चलते 18 लोगों की मृत्यु हो गयी थी जिनमें 12 बच्चे थे। अकाल की इस विभीषिका के लगभग डेढ़ दशक बाद भी सहरिया जनजाति के लोग सालभर में करीब चार महीने जंगलों से मिलने वाली घास व पत्तियों पर निर्भर हैं, जिन्हें ये हरी सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। पुरुषों के खाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बेटी-बेटे के खानपान में भी अंतर है। कभी पूरा खाना मिल जाता है, तो कभी नहीं मिल पाता। भुखमरी व गरीबी के दुश्चक्र में फंसे इन सहरियाओं को पैसों की जरूरत होने पर अपने राशनकार्ड जमीदारों के यहाँ गिरवी रखने पड़ते हैं। जब तक पैसा नहीं चुकता, तब तक उसके यहां ये हाली का काम करते हैं। भरपूर और पोषणयुक्त भोजन के अभाव में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, जिससे वे अन्य बच्चों की तरह पढ़-लिख नहीं पाते।

मीणा, हरिराम (2012) ने अपनी पुस्तक *"आदिवासी दुनियां"* में वर्णन किया है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्र-समाज का आदिवासी घटक इस दौर में जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। वे आदिवासी-जन के लिए बहुत ही पेचीदा बनती जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम-2006 बनाये जाने के बाद भी जल, जंगल और जमीन का मुद्दा परिचर्चा का विषय बना हुआ है। संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी नीतियों में आदिवासियों के कल्याण की बहुत सारी योजनाओं के बावजूद उनका लाभ इस समुदाय को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। ये अत्यंत शोचनीय हालात हैं, जिन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। नक्सलवाद का जो स्वरूप सामने आया है वह स्वयं में एक चुनौती है, जिससे आदिवासी सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। सवर, सावरा, सओर, सहरा, सौंर और सहरिया आदिवासी एक प्राचीन मानव समाज है, जिसका गहरा सम्बन्ध जल, जमीन, जंगल, जड़ी-बूटियों और सामूहिक जीवन शैली से रहा है।

सक्सैना, एन. सी. (2011) ने अपने शोध आलेख *"आदिवासियों की उपेक्षा और अधिकार एवं समेकित पहल जरुरी"* में बताया है कि सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की कर्तव्य विमुखता के कारण प्रतिवर्ष आदिवासी विकास की योजनाओं के लिए आबंटित धन प्रतिवर्ष जनजातीय कार्य मंत्रालय को

वापस चला जाता है। फलस्वरूप ये योजनायें विफल हो जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ आदिवासी समाज को नहीं मिल पाता है। विकास की इन योजनाओं में शिक्षा सम्बन्धी योजनायें भी होती हैं, जिन पर खर्च किया जाने वाला धन भी लेप्स हो जाता है।

मीणा, रमेशचन्द्र (2010) ने अपने शोध *पत्र "हर जगह से विस्थापित है आदिवासी"* में बताया है कि आदिवासियों का इतिहास विस्थापनों का इतिहास रहा है, परन्तु विडम्बना यह भी है कि वे स्वयं सदा इतिहास से विस्थापित रहे हैं। राजस्थान के दो आदिवासी समुदाय सहरिया और कथौड़ी अपनी पुश्तैनी जमीनों से खदेड़ दिए गये हैं जो आजकल मार्बल खानों में या कृषि फार्मों में मजदूरी कर रहे हैं। अनेक पूंजीपतियों ने सहरियाओं को अपना नौकर या हाली बनाकर जमीन को अपने इस्तेमाल में लेना आरम्भ कर रखा है। स्थानीय प्रशासन और राजनेता भी पूंजीपतियों का ही सहयोग करते हैं। सन् 1962 में जो जमीन खेती करने के लिए सहरिया जनजाति के लोगों को आवंटित की गयी थी, उसे नाकेदारों ने जंगलात की बताकर इन्हें खेती नहीं करने दी, बल्कि कब्ज़ा करने के उद्देश्य से इन पर अदालती मुकदमे लाद दिए थे। इन मुकदमों की पेशियों को ये लोग अब तक भुगत हैं।

जैन, संजीव कुमार (2007) ने अपने शोध कार्य *"सहरिया आदिम जनजाति के वहिष्कार और अधिकार के बारे में एक दस्तावेज"* में प्रस्तुत किया है कि सहरिया आदिवासियों की आय का 80 प्रतिशत योगदान मजदूरी का है, जबकि दलित समुदाय परम्परागत पेशे और मजदूरी से 80 प्रतिशत आय प्राप्त करते हैं। सहरिया परिवार अपने आप में गरीब हो सकता है, परन्तु उस परिवार में भी बच्चे ज्यादा गरीबी का सामना करते हैं। ये वे बच्चे हैं, जो अपनी जरुरत को स्वयं समझ और अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। परिवार, समुदाय एवं समाज इन बच्चों की सीमाओं को नजरअंदाज करते हुए व्यवहार करता है। यह व्यवहार उनके जीवन में अवसरों की इस हद तक कमी कर देता है कि वे प्रोत्साहित किये जाने के बावजूद विकास और व्यवस्था की प्रक्रिया में सहज रूप से सहभागिता नहीं कर पाते हैं। उनकी स्थिति केवल शारीरिक स्वास्थ्य, उत्पादन और रचनात्मकता के दृष्टिकोण से ही कमजोर नहीं होती है, बल्कि वे वैचारिक धरातल पर भी यह मानने लगते हैं कि उनके जीवन का यथार्थ ही वंचित रहकर जीवन व्यतीत करना है।

विश्वास, रंजन कुमार. एवं कपूर, ए. के. (2003) ने अपने अध्ययन *"ए स्टडी ऑन मोर्टेलिटी अमंग सहरिया - ए प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ़ मध्य प्रदेश"* में बताया है कि सहरिया जनजाति में बच्चों की अकाल मृत्यु दर की अधिकता के कारण हैं - कम उम्र में बालिकाओं का विवाह, शिक्षा की कमी, आर्थिक विपन्नता, परम्परागत सामाजिक नियम, परिवार-नियोजन के उपायों को स्वीकार न करना, पोषणयुक्त आहार की न्यूनता और घर का दूषित एवं निम्न स्तरीय वातावरण।

उपरोक्त सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन भारतीय जनजातियों पर किये गये उनमें कुछ अध्ययन विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सहरिया पर भी हुए हैं, जिनमें इस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के विषय में आंशिक जानकारी प्राप्त होती है। सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को किस प्रकार की शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यह तथ्य इन अध्ययनों से सिद्ध नहीं होता।

2.4 शोध अन्तराल (Research gap)- उपरोक्त संबंधित साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी समुदाय के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के क्षेत्र में बहुत से शोध कार्य किये गये हैं, परन्तु राजस्थान राज्य के बारां जिले में आवासित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहरिया समुदाय से संबंधित कोई विशेष शोधकार्य नहीं हुआ है, जिसमें इस समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन किया गया हो। अतः शोधार्थी ने ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** विषय के अन्तर्गत शोध अध्ययन को पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया है, जो इस समुदाय की स्थिति को परिवर्तित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, साथ ही बालक-बालिकाओं की शिक्षा प्रणाली को पक्षपात रहित और पारदर्शी बनाने में भी लाभकारी हो सकता है। इस समुदाय के अभिभावकों और बालक-बालिकाओं में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भी संभव है, जिससे वे समाज की मुख्यधारा के साथ मिलकर राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी आदि से संबंधित चुनौतियां भी कम हो सकती हैं। वे अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जल, जंगल और जमीन माफियाओं के भय से इस समुदाय में होने वाले पलायन पर भी अंकुश

लग सकता है। उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात शोधार्थी को निम्नलिखित मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए जिनके अनुसार – शिक्षा ही व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक व्यवहारों को दिशा प्रदान करके जीवन को उपयोगी बनाती है। जीवन की चुनौतियों को शिक्षा के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। यदि जीवन के प्रारम्भिक काल में ही उचित शिक्षा व्यवस्था हो जाये, तो व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन सुखमय और बाधाओं से रहित व्यतीत होता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये ही शोधार्थी द्वारा सन्दर्भित विषयवस्तु को अपने शोध अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है।

2.5 अध्याय सारांश (Chapter Conclusion):- प्रस्तुत अध्याय में शोधार्थी द्वारा संबंधित साहित्य का सिंहावलोकन जनजातीय समुदाय की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों के सन्दर्भ में किया गया है। संबंधित साहित्य की समीक्षा के परिणामस्वरूप शोधार्थी को पूर्व में हुये शोध अध्ययनों में जिस अन्तराल की अनुभूति हुई, उसे शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन का विषय बनाया है। तृतीय अध्याय शोध प्रविधि में शोधार्थी के द्वारा शोध विषय ***''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन''*** की शोध योजना की विस्तृत चर्चा शोध की प्रकृति और उद्देश्यों के अनुसार सावधानीपूर्वक की गयी है।

तृतीय अध्याय

शोध प्रविधि

(Res: * *** gy)**

3.1 प्रस्तावना (Introduction):-

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा मुख्य रूप से राजस्थान की सहरिया जनजाति से संबंधित शोध साहित्य यथा-शोधपत्र, पुस्तकें, शोध आलेख और पत्र-पत्रिकाओं आदि पर एक विहंगात्मक दृष्टि डाली गयी है। इससे जनजातीय क्षेत्र में संपन्न विभिन्न अध्ययनों और कार्यों का सार सम्मुख आया है। अभी भी ऐसे जनजातीय विषय और क्षेत्र हैं, जिनसे संबंधित अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। द्वितीय अध्याय की पृष्ठभूमि में शोधकर्ता को अपने शोध अध्ययन हेतु शोध प्रविधि को तैयार करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली है। प्रस्तुत अध्याय में शोध प्रविधि और न्यादर्श चयन के साथ ही उपकरण निर्माण की प्रक्रिया आदि को सुव्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है।

यदि हम शोध की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि प्रारम्भ में लिखने और पढ़ने मात्र को ही शोध माना जाता था। परन्तु शोध की यह परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं थी, अतः शीघ्र ही इस परिभाषा में परिवर्तन किया गया और यह माना जाने लगा कि हम ज्ञान की खोज करने के लिये सुव्यवस्थित और तार्किक चिन्तन की सहायता लेते हैं तथा समस्या के उचित समाधान के लिए अपनी शोध समस्या को कई बार परिभाषित करते हैं, आवश्यक एवं उपयोगी आंकड़ों को संकलित करने के लिये प्राथमिक तथा गौण तथ्यों की सहायता लेते हैं, चयनित समष्टि पर विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ट परीक्षणों का प्रशासन तथा फलांकन करके प्राप्तांक एकत्र करते हैं, विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके इन प्राप्तांकों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण करते हैं, जिनके आधार पर शोध प्रश्नों अथवा परिकल्पनाओं की जांच करके समस्या का समाधान तथा निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जाता है। इस दीर्घकालिक प्रक्रिया को ही वैज्ञानिक शोध माना जाता है। ***करलिंगर, एफ. एन. (Kerlinger, F.N., 1964)*** शोध के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि- अनुसंधान घटनाओं के मध्य अनुमानित संबंधों की परिकल्पनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभवाधारित्त और आलोचनात्मक विश्लेषण है। ***कौरनेल*** का भी मानना है कि – विद्यालय के विद्यार्थियों, विद्यालय की सामाजिक संरचना और अधिगमकर्ता की विशेषताओं और उनके बीच होने वाले संचार के विषय में सुव्यवस्थित रुप से सूचनायें संकलित करना, शिक्षा- अनुसन्धान है (भटनागर, 2007, पृ. 26-27)।

सामाजिक और शैक्षणिक शोधकार्य मुख्यतः तीन बातों से संबंधित होता है – समय, धन और श्रम। समाज परिवर्तनशील होता है, इसलिए समाज से संबंधित शोध को यथासंभव जितनी शीघ्रता से सम्पन्न किया जायेगा, तो उसके परिणाम भी उतने ही अधिक समय सापेक्ष, सार्थक और उपयोगी होंगे। इसी प्रकार से शोधकार्य के लिए धन और श्रम भी सीमित होते हैं। शोधकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह सीमित धन और श्रम से उच्चकोटि के सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय परिणाम प्रदान करे। इन तीनों समय, धन और श्रम की सीमित उपलब्धता के कारण शोधकर्ता के सम्मुख यह चुनौती आती है कि वह इन सीमितताओं का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमतानुसार उच्चकोटि का शोधकार्य सम्पन्न करे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि शोधकार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व शोधकर्ता को अनुसन्धान - प्रचना या शोध अभिकल्प का निर्माण करना चाहिए *(शर्मा, 2007, पृ. 126)*। ***ऐकॉफ, आर. एल. (Ackoff, R. L.)*** ने दी ***डिजाइन ऑफ़ सोशल रिसर्च (The Design of Social Research)*** में शोध अभिकल्प के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि - निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभिकल्प कहते हैं *(पाण्डेय, 2005, पृ. 68)*। तात्पर्य यह है कि उद्देश्य की पूर्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोधकार्य की जो रूपरेखा तैयार कर ली जाती है, उसे शोध अभिकल्प कहा जाता है। सामाजिक शोध अभिकल्प अनेक प्रकार के होते हैं। शोधकर्ता अपने शोध की प्रकृति और उद्देश्यों के अनुसार उनमें से किसी एक प्रकार के अभिकल्प को अपने शोध कार्य करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझकर चयन कर लेता है। ***करलिंगर, एफ. एन. (Kerlinger, F.N., 1964)*** ने ***फाउंडेशन्स ऑफ़ बिहेविरल रिसर्च (Foundations of Behavioral Research)*** में अपना मत स्पष्ट करते हुए लिखा है कि -शोध अभिकल्प शोध के लिये बनायी गयी एक ऐसी योजना और संरचना है जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है और प्रसरण पर नियंत्रण लगाया जाता है *(शर्मा, 2007, पृ. 127)*। इस प्रकार शोध अभिकल्प दो कार्य प्रमुखता के साथ करता है। पहले कार्य के अन्तर्गत यह शोध को सार्थक, उपयोगी, विश्वसनीय और वैध बनाता है तथा दूसरे कार्यानुसार यह शोध को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित करता है। करलिंगर, एफ. एन. (Kerlinger, F.N., 1964) के इस दृष्टिकोण को विद्वानों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, परन्तु आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने चरों की भूमिका की उपेक्षा करने के कारण कर्लिंगर की इस विचारधारा की आलोचना की है। ***मैथ्यूज*** की भूमिका इन आलोचकों में सबसे

महत्वपूर्ण रही है। उनके अनुसार- शोध अभिकल्प एक ऐसी आधारभूत योजना है, जिसमें स्वतंत्र चर को प्रयोज्यों के सम्मुख विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग मात्राओं में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उन्हें प्रतिक्रिया करने हेतु निर्देशित और प्रेरित किया जा सके। इस प्रकार शोध एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें स्वतंत्र चर की मात्रा तथा तीव्रता में परिवर्तन करके निर्भर परिवर्ती चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ***सेलिज, सी., जहोदा, एम., ड्यूश, एम., और कुक, एस. डब्ल्यू. (Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M., and Cook, S.W.)*** के अनुसार- शोध अभिकल्प वह साधन है जो आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, जिसकी सहयता से महत्वपूर्ण शोध उद्देश्यों को मितव्ययी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है *(शर्मा, 2007, पृ. 127)*। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शोध अभिकल्प एक ऐसी योजना या रूपरेखा है जो समस्या के प्रतिपादन से लेकर शोध-प्रतिवेदन के अन्तिम चरण तक के विषय में भली-भाँति विचार – विमर्श करके और उपलब्ध सभी विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार से निर्णय लेती है कि न्यूनतम समय, श्रम और धन के व्यय से अधिकतम शोध उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

अतः शोध अभिकल्प किसी भी शोध की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो न केवल शोध की विश्वसनीयता और वैधता को निर्धारित करता है अपितु स्वतंत्र भूमिका भी सुनिश्चित करता है। वास्तव में शोध अभिकल्प तो एक दीर्घकालिक और जटिल प्रक्रिया है जिसमें शोध प्रश्नों की संरचना एवं परिकल्पना के निर्माण से लेकर उनका सत्यापन करने तथा समस्या का समाधान ज्ञात करने तक के सभी चरणों को सम्मिलित किया जाता है। ***किर्क*** के अनुसार शोध अभिकल्प के उद्देश्यों को निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है-

- विश्वसनीय एवं वैध परिणाम प्राप्त करना।
- प्राप्त परिणामों को विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से त्रुटि रहित रखना।
- प्राप्त परिणामों को अधिकाधिक व्यापक बनाना।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अभिकल्प को समय, श्रम और धन की मितव्ययीता की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. शोध विधि (Research Method)

2. शोध अध्ययन की जनसंख्या(Popultion of the Research Study)
3. शोध अध्ययन का प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन विधि (Sample and Sampling Technique of the Research Study)
4. शोध अध्ययन हेतु प्रयुक्त उपकरण (Tools used for the Research Study)
5. शोध अध्ययन की योजना (Planning of the Research Study)
6. शोध अध्ययन हेतु आंकड़ों का संकलन (Data Collection for the Research Study)
7. शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियां (Statistical Techniques used in the Research Study)
8. अध्याय निष्कर्ष (Chapter Conclusion)

3.2 शोध विधि (Research Method)

अनुसंधान कार्य हेतु चयनित शोध समस्या तथा उससे संबंधित चरों के वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिए वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को संकलित करने के लिए शोधकर्ता जिस विधि का प्रयोग करता है, उसे अध्ययन प्रविधि कहा जाता है। **गुड तथा हॉट (Goode & Hatt,1952)** ने ***मेथड्स इन सोशल रिसर्च (Methods in Social Research)*** में लिखा है कि- प्रविधि के अन्तर्गत वे विशिष्ट तरीके सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने तथ्यों को उनमें तार्किक या सांख्यिकीय विश्लेषण के पूर्व एकत्रित तथा क्रमबद्ध करता है *(सिंह, 2006. पृ. 173)* । प्रविधि के विषय में अन्य विद्वान ***कोफार्ड (Kofard)*** ने अपना मत स्पष्ट करते हुए लिखा है कि – अनुसंधान चिन्तन एक ऐसी क्रमबद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है, जिसमें यंत्रों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है, ताकि एक समस्या का अधिक समुचित ढंग से समाधान उपलब्ध हो सके *(सिंह, 2006. पृ. 173)*।

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रविधि के अन्तर्गत वे समस्त विधियाँ एवं प्रविधियां आ जाती हैं जिनका प्रयोग प्रदत्तों के संकलन के लिए किया जाता है। अनुसंधान कार्य में चयनित या स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग भी प्रविधि के अन्तर्गत ही आता है। शोधकार्य में यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही विधि का प्रयोग शोध समस्या के समाधान हेतु किया जाये। वस्तुतः यह चयनित शोध समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता हैं।

शोध शब्द की उत्पत्ति शुध धातु से मानी जाती है, जिसका सामान्य अर्थ शुद्ध करना, बनाना, रूप देना, त्रुटियों को दूर करना, रहस्यमय तथ्यों की खोज करना और अज्ञात तथ्यों का पता लगाना होता है। व्यापक अर्थ में शोध शब्द से तात्पर्य किसी भी पदार्थ अथवा तत्व की परिशुद्धी करना होता है। परन्तु जीवन और जगत की व्यापकता के अन्तर्गत अनुसन्धान के क्षेत्र में शोध शब्द भिन्न अर्थ प्रदर्शित करता है। ***डॉ0 तिलक सिंह*** के अनुसार – अनुसन्धान के क्षेत्र में अज्ञात तथा विस्मृत तथ्यों को सर्वग्राह्य बनाना और अज्ञात तथ्यों को नवीन दृष्टि से संदेहरहित तथा निभ्रान्त बनाना शोध कहलाता है *(अरोड़ा, 2011, पृ. 11)*। ***मौलि*** ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि –शोध एक प्रकार का समस्या-समाधान है, जिसमें वैज्ञानिक विधि क्रमबद्ध रूप में प्रयुक्त की जाती है *(भटनागर,2007, पृ.25)*।

शोध का मुख्य प्रयोजन अज्ञात की खोज से आरम्भ होता है इसलिए ज्ञान के अगाध भण्डार से प्रकृति और प्राणी की अनन्य उपलब्धियों को खोजकर उन्हें विवेचित करते हुए प्रस्तुत करना ही शोध का कार्य है। ज्ञान का क्षेत्र जितना व्यापक है उतना ही विस्तृत शोध का क्षेत्र भी है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो शोध का विषय नहीं बन सकता। ज्ञान-विज्ञान की पूर्ण गहराई तक पहुँचना और उसे प्रकाशित करना ही शोधकर्ता का लक्ष्य होता है *(अरोड़ा, 2011, पृ. 19)*।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** एक विशेष प्रकार का अध्ययन है, जिसमें राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति के साथ ही प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

किसी भी शोध कार्य को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न करने के लिए किसी शोध-प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में शोधकर्ता ने शोध समस्या के अनुरूप प्रविधि का चयन करते समय यह अनुभव किया कि प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अन्वेषणात्मक सामाजिक सर्वेक्षण एवं मिश्रित प्रविधि (Mixed Method) है। इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रवृति गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की होने के आधार पर मिश्रित विधि (Mixed Method) का चयन किया गया है, जिसमें उद्देश्यवार पहले गुणात्मक अध्ययन और उसके बाद मात्रात्मक अध्ययन किया किया गया है। अतः इसकी मिश्रित प्रकृति के आधार पर अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential

Exploratory Design) का प्रयोग कर समस्या का समाधान करने का सफल प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है।

मिश्रित विधि (Mixed Method) का जन्मदाता क्रासवेल (J.W. Creswell) को माना जाता है। सामाजिक और मानविकी विषयों से संबंधित शोध अध्ययनों में इस विधि के प्रयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। उक्त विधि के माध्यम से मनोसामाजिक स्थितियों, प्रणालियों, व्यवहारों तथा संरचनाओं का गहन अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक एवं व्याख्यात्मक दोनों प्रकार की प्रविधियों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों की सम्मिलित व्याख्या शोध अध्ययन के परिणामों की उद्देश्यपरकता में वृद्धि कर देती है *(क्रासवेल, 2015, पृ. 234)*।

सामान्यतः मिश्रित विधि (Mixed Method) के अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) का प्रयोग तब किया जाता है, जब हमारे शोध की दिशा गुणात्मक से मात्रात्मक अध्ययन की ओर होती है। अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) में पहले गुणात्मक आंकड़ों का संकलन किया जाता है, उसके पश्चात उनका विश्लेषण करके अर्थापन किया जाता है। प्रथम चरण में प्राप्त आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर ही मात्रात्मक चरण का अध्ययन किया जाता है *(क्रासवेल, 2015, पृ. 234)*। शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन के गुणात्मक भाग के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों स्वनिर्मित अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (Semistructured Interview Schedule), सहभागी प्रेक्षण (Participatory Observation), अभिलेख एवं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण –विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) और केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion) के प्रयोग द्वारा किया गया है। इसी तरह शोध अध्ययन के परिमाणात्मक भाग में विभिन्न उपकरणों मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS) एवं तालिका पंजिका (Tabulation Register) की सहायता से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण उद्देश्यों के अनुसार वर्णनात्मक प्राचलिक (Descriptive Parametric Statistics) तथा आनुमानिक अप्राचलिक सांख्यिकी (Inferential Non-Parametric Statistics) विधियों के द्वारा किया गया है।

अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अथवा प्रतिपादनात्मक शोध-अभिकल्प का सम्बन्ध नवीन तथ्यों की खोज से होता है अर्थात जब किसी शोध-कार्य का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना में अंतर्निहित

कारणों को खोजना होता है तो उससे संबंधित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) की संज्ञा दी जाती है। इस अभिकल्प के माध्यम से अज्ञात तथ्यों की खोज अथवा सीमित ज्ञान के विषय में व्यापक ज्ञान की खोज की जाती है। इस अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज और मानवीय ज्ञान में वृद्धि करना होता है। ***कान्ह, ए. जे. (Kanh, A.J., 1960)*** के अनुसार - एक ओर सार्थक अवधारणाओं के विकास, प्रश्नों के प्रतिपादन या समस्याओं के चयन हेतु इसके अन्तर्गत अप्रतिबन्धित प्रारम्भिक यात्राएँ सम्मिलित हैं, दूसरी ओर इसके अन्तर्गत एकल समग्रों के सूक्ष्म सांख्यिकीय अध्ययन अथवा एक दिए हुए परिमण्डल के अन्तर्गत परिकल्पनाओं के विकास के लिए समग्रों की तुलना सम्मिलित है *(शर्मा, 2007, पृ. 135)*। कुछ विद्वान इन अध्ययनों को अनुभव सर्वेक्षण भी कहते हैं, जिनमें प्रमुख नाम ***सेलिज, सी., जहोदा, एम., ड्यूश, एम., और कुक, एस. डब्ल्यू. (Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M., and Cook, S. W.)*** का है। उन्होंने ***रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन्स (Research Methods in Social Relations)*** में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि- अन्वेषणात्मक अध्ययन ऐसे अनुभव की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, जो कि अधिक निश्चित अध्ययन के लिए परिकल्पनाओं के निरूपण में सहायक होता है *(पाण्डेय, 2005, पृ. 81)*।

3.2.1 अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प के निर्माण की कार्य प्रणाली :- शोध समस्या से संबंधित प्राथमिक सामग्री को संकलित करने के लिए क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) को कार्यान्वित किया जाता है, जिसके निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है-

- **संबंधित साहित्य का अध्ययन -** अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) के निर्माण की पहली अवस्था में शोध समस्या से संबंधित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का गहनतापूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसमें शोध समस्या से संबंधित सन्दर्भ साहित्य, पत्र-पत्रिकाएं, आलेख और शोध पत्र आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार के अध्ययन से शोध समस्या से संबंधित पूर्व में हुए अध्ययनों की सम्पूर्ण जानकारी शोधकर्ता को हो जाती है तथा उसे शोध अन्तराल का भी पता चलता है, जिसको आधार मानकर वह अपना शोध कार्य आरम्भ कर सकता है *(शर्मा, 2007, पृ. 137)*।

- **अनुभव सर्वेक्षण :-** इसका आशय यह है कि शोध समस्या से संबंधित जिन व्यक्तियों को अनुभव और ज्ञान है, उन व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके उनके अनुभव और ज्ञान का संकलन किया जाये। ऐसे अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति अज्ञात कारणों से अपने अनुभवों और ज्ञान को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे समाज उनकी इस अमूल्य निधि से परिचित नहीं हो पाता है। अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प का कार्य ऐसे व्यक्तियों की खोज करना, उनसे सम्पर्क स्थापित करना और साक्षात्कार के माध्यम से शोध समस्या से सम्बन्धित्त उनके अतुल्य अनुभवों और ज्ञान का संकलन करके वर्णन एवं व्याख्या करना होता है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस कार्य को करने के लिए समय और धन की मितव्ययिता के साथ-साथ पूर्ण सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़े शोध का उचित पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं *(शर्मा, 2007, पृ. 137)*।
- **सही सूचनादाताओं का चयन :-** अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) की सफलता उपयुक्त एवं अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले सूचनादाताओं के चयन पर निर्भर करती है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि शोध समस्या से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले उन व्यक्तियों, समाज सुधारकों, जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और हितधारकों आदि का चयन करना चाहिए जो शोध समस्या के विषय में विस्तृत जानकारी दे सकें *(पाण्डेय, 2005, पृ. 81)*।
- **उपयुक्त प्रश्न पूछना :-** अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) के निर्माण की इस अवस्था में शोध समस्या से संबंधित प्रश्नों की संरचना इस प्रकार से की जाती है कि वे सूचनादाता को अनर्गल प्रतीत न होते हों। सभी प्रश्न क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा तारतम्यता से परिपूर्ण होने चाहिए और सभी प्रश्न समस्या से गहनतापूर्वक जुड़े हों। ऐसा करने से ही शोधकर्ता शोधसमस्या से संबंधित विश्वसनीय और वैध आँकडों एवं तथ्यों का संकलन कर सकता है *(पाण्डेय, 2005, पृ. 82)*।
- **अंतर्दृष्टि-प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण :-** यह अन्वेषणात्मक शोध-अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) के निर्माण का महत्वपूर्ण पक्ष है, जिससे शोधकर्ता के सीमित ज्ञान में

वृद्धि होती है। उसे शोध समस्या से संबंधित सभी पक्षों की समग्र जानकारी प्राप्त होती है तथा उसके सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित होता है। प्रत्येक समुदाय या समूह के जीवन में कुछ ऐसी विशिष्ट गुण-सम्बन्धी घटनायें होती हैं, जो शोधकर्ता के प्रज्ञान को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इन घटनाओं का कई बार विशेष अध्ययन करने पर भी पता नहीं चलता है। ऐसी जानकारियों से शोधकर्ता के ज्ञान में वृद्धि के साथ ही उसके शोध-कार्य को आशातीत सफलता भी प्राप्त होती है *(पाण्डेय, 2005, पृ. 82)*।

इस प्रकार अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक शोध-अभिकल्प के सभी पक्षों की ओर शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित करना है। इससे शोध की संभावनाओं और क्षेत्र का निर्णय करने में सहायता मिलती है। इस शोध-अभिकल्प के माध्यम से सामाजिक महत्व की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसीलिए प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) का प्रयोग किया गया है।

ग्राफ 3.1

अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प का आरेखीय प्रदर्शन

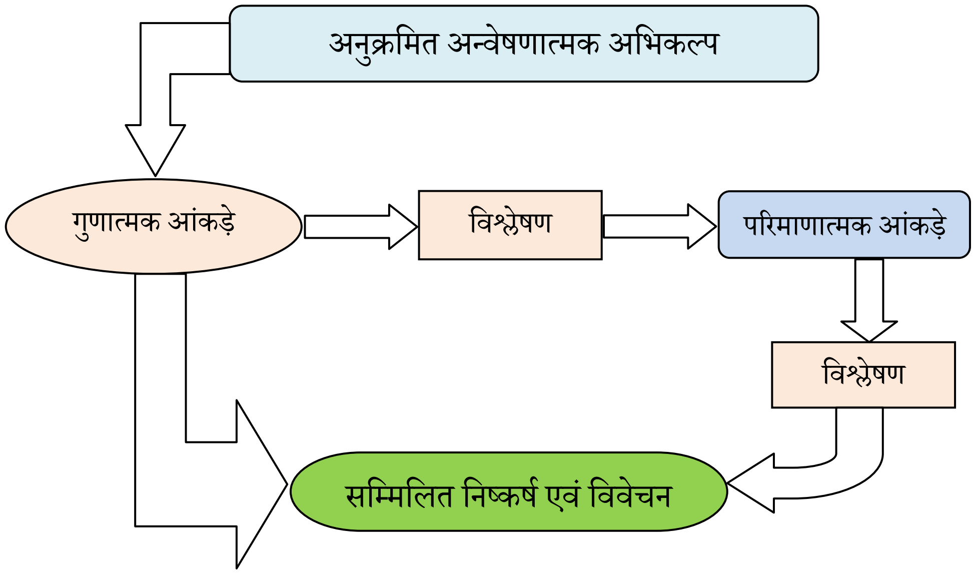

3.3 शोध अध्ययन की जनसंख्या (Popultion of the Research):-

जनसंख्या से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है, जिसे शोधकर्ता अपने शोध अध्ययन के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा जिसकी पहचान करके रखता है, इसे समष्टि या जीवसंख्या भी कहते हैं *(सिंह, 2006. पृ. 267)*।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में समजातीयता के आधार पर जनसंख्या के रूप में बारां जिले की जनपदीय सीमा की परिधि में सहरिया बाहुल्य शाहबाद और किशनगंज तहसीलों की ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को ही सम्मिलित किया गया है।

तालिका- 3.1

शोध प्रविधि का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्रं. सं.	**शोध के उद्देश्य**	**शोध हेतु संभाव प्रतिदर्श**	**शोध हेतु प्रदत्त संकलन के उपकरण व तकनीक**	**सांख्यिकी का चयन**
1.	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना ।	बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि से विद्यालयों का चयन (उपयुक्त संख्या का निर्धारण क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर किया गया)	तालिका पंजिका (T.R.), केन्द्रित समूह परिचर्चा एवं सहभागी प्रेक्षण	वर्णनात्मक सांख्यिकी
2.	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।	बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि से बालक-बालिकाओं और शिक्षकों का चयन (उपयुक्त संख्या का निर्धारण क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर किया गया)	स्वनिर्मित पांच बिन्दु निर्धारण मापनी, केन्द्रित समूह परिचर्चा एवं सहभागी प्रेक्षण	वर्णनात्मक सांख्यिकी
3.	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करना।	बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि से हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) का चयन किया गया	स्वनिर्मित अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी प्रेक्षण एवं केन्द्रित समूह परिचर्चा	वर्णनात्मक सांख्यिकी
4.	राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रभावशाली सुझाव।	बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि से हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) का चयन	स्वनिर्मित अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची एवं केन्द्रित समूह परिचर्चा	वर्णनात्मक सांख्यिकी

तालिका -3.2

जनसंख्या के चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

राज्य	संभाग	जिला	तहसील	खण्ड/ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ग्राम	प्रा/उच्च प्रा. विद्यालय	विद्यार्थी
राजस्थान	कोटा	बारां	शाहबाद	शाहबाद	30	236	135	10733
			किशनगंज	किशनगंज	35	213	158	10586
कुल योग					65	449	293	21,319

(सन्दर्भ: http://baran.nic.in/dept/saharia/genral.htm1/10/2014/10:40AM से साभार)

3.4 शोध अध्ययन का प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन विधि (Sample and Sampling Technique of the Research Study):- मनुष्य का शिक्षित होना ही उसे पशुओं की श्रेणी से भिन्न तथा श्रेष्ठ बनाता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में किये गये सभी अनुसंधानों में इकाईयों के रूप में विद्यार्थियों अथवा व्यक्तियों का ही चयन किया जाता है। वास्तव में हम एक निश्चित भू-भाग में आवासित व्यक्तियों पर परीक्षण करके उनके व्यवहारों के विषय में निष्कर्ष निकालते हैं। परीक्षण हेतु व्यक्तियों का चयन करने के लिए प्रारम्भ में जनगणना विधि का प्रयोग किया जाता था। इस विधि के अन्तर्गत किसी निश्चित भू-भाग पर आवासित सभी व्यक्तियों का चयन परीक्षण हेतु किया जाता था तथा यह मान लिया जाता था कि इस प्रकार के अध्ययन के परिणाम पूर्ण रूप से विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ होते हैं। परन्तु इकाइयों के चयन की यह विधि न तो व्यावहारिक थी और न ही बहुत विश्वसनीय थी, क्योंकि एक निश्चित भू-भाग की समग्र इकाइयों पर परीक्षण प्रशासित करना असम्भव था, वृद्ध, रोगी, बच्चे और दिव्यांगों को परीक्षण हेतु लाना दुष्कर था साथ ही वे इकाइयाँ जो बहुत व्यस्त हैं अथवा जो अपने व्यवसाय के सन्दर्भ में बाहर रहते हैं, उन पर भी परीक्षण करना असम्भव था। अतः जो परिणाम प्राप्त होते थे वे अपूर्ण जनसंख्या पर ही प्राप्त होते थे। इसलिये उन परिणामों से विश्वसनीय निष्कर्ष निकालना असम्भव था। जनगणना विधि की चुनौतियों के कारण ही शिक्षाशास्त्रियों ने प्रतिदर्श विधि अथवा न्यादर्श विधि का प्रयोग करना आरम्भ किया। वास्तव में जनगणना विधि उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही उपयोगी थी, जिनमें अध्ययनकर्ता छोटी और सीमित तथा संगठित जनसंख्या पर अध्ययन करते थे। बड़ी और बिखरी जनसंख्या पर अध्ययन करने के लिये यह विधि उपयोगी नहीं थी। अतः ऐसी जनसंख्या पर अध्ययन करने के लिये प्रतिदर्शन विधि का उपयोग करना आवश्यक हो गया। जनगणना विधि के उपयोग में एक कठिनाई यह भी थी कि इसके उपयोग में समय, शक्ति और धन का अपव्यय होता था तथा परिणामों की विश्वसनीयता पर भी संदेहास्पद स्थिति रहती थी। इसीलिये जनगणना विधि के स्थान पर प्रतिदर्शन विधि का उपयोग

किया जाने लगा। प्रतिदर्शन इकाइयों को चुनने की एक ऐसी विधि है, जिसके द्वारा हम बहुत बड़ी या बिखरी हुयी जनसंख्या में से एक छोटी तथा सरलता से उपलब्ध हो सकने वाली जनसंख्या को चुन लेते हैं और उन्हीं पर परीक्षण करके परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिये ***गुड तथा हॉट (Goode & Hatt, 1952)*** ने प्रतिदर्श को परिभाषित करते हुये कहा कि -किसी बड़ी जनसंख्या में से चुना गया छोटा प्रतिनिधि समूह ही न्यादर्श कहलाता है। इस परिभाषा में लघु प्रतिनिधि समूह पर बल दिया गया है क्योंकि यदि चयनित इकाइयाँ अपनी जनसंख्या का प्रतिनधित्व नहीं करती हैं तो ऐसे प्रतिदर्श पर प्राप्त किये गये परिणाम भी विश्वसनीय नहीं होते। अतः प्रतिदर्श का प्रतिनिधिक होना बहुत आवश्यक है। यद्यपि ***गुड तथा हॉट (Goode & Hatt, 1952)*** की यह परिभाषा सरल, संक्षिप्त तथा स्पष्ट है *(पाण्डेय, 2005, पृ.164)*। परन्तु प्रतिदर्श का केवल प्रतिनिधिक होना ही पर्याप्त नहीं है। इसीलिये ***बोगार्ड्स*** ने इसे कुछ व्यापक बनाते हुये कहा कि-प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या में से प्रतिशत के अनुसार चुना गया एक छोटा समूह है, जो किसी पूर्व निर्धरित योजना के अनुसार चुना जाता है *(पाण्डेय, 2005, पृ.164)*। इस प्रकार ***बोगार्डस*** ने न्यादर्श और जनसंख्या के बीच एक निश्चित अनुपात पर बल दिया तथा यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुपात पूर्व निर्धरित विधि के अनुसार चुना जाना चाहिये। परन्तु आदर्श प्रतिदर्श में प्रतिनिधिक तथा अनुपातिक होने के साथ-साथ कुछ और विशेषताएँ भी होनी चाहिये। जिन विधियों के द्वारा इकाइयों का चयन किया जाता है, वे वस्तुगत, तार्किक और वैज्ञानिक होनी चाहिये। प्रतिदर्श अपनी समग्र जनसंख्या का कम से कम 10 प्रतिशत और अधिक से अधिक 20 प्रतिशत होना चाहिये। चयनित इकाइयों का व्यावहारिक और मितव्ययी होना आवश्यक है। इसके साथ ही चयनित इकाइयों में उपलब्ध्ता भी होनी चाहिये, क्योंकि यदि कोई इकाई परीक्षण के लिये उपलब्ध ही नहीं होगी, तो उसमें पायी जाने वाली अन्य किसी भी विशेषता का शोधकर्ता को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

प्रस्तुत अध्ययन ***राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन*** विषय पर किया गया है। शोध की प्रकृति के अनुसार गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के अध्ययन के लिए प्रतिदर्शन की वैज्ञानिक प्रणालियों का चयन किया गया है।

ग्राफ-3.2

प्रतिदर्श चयन का आरेखीय प्रदर्शन

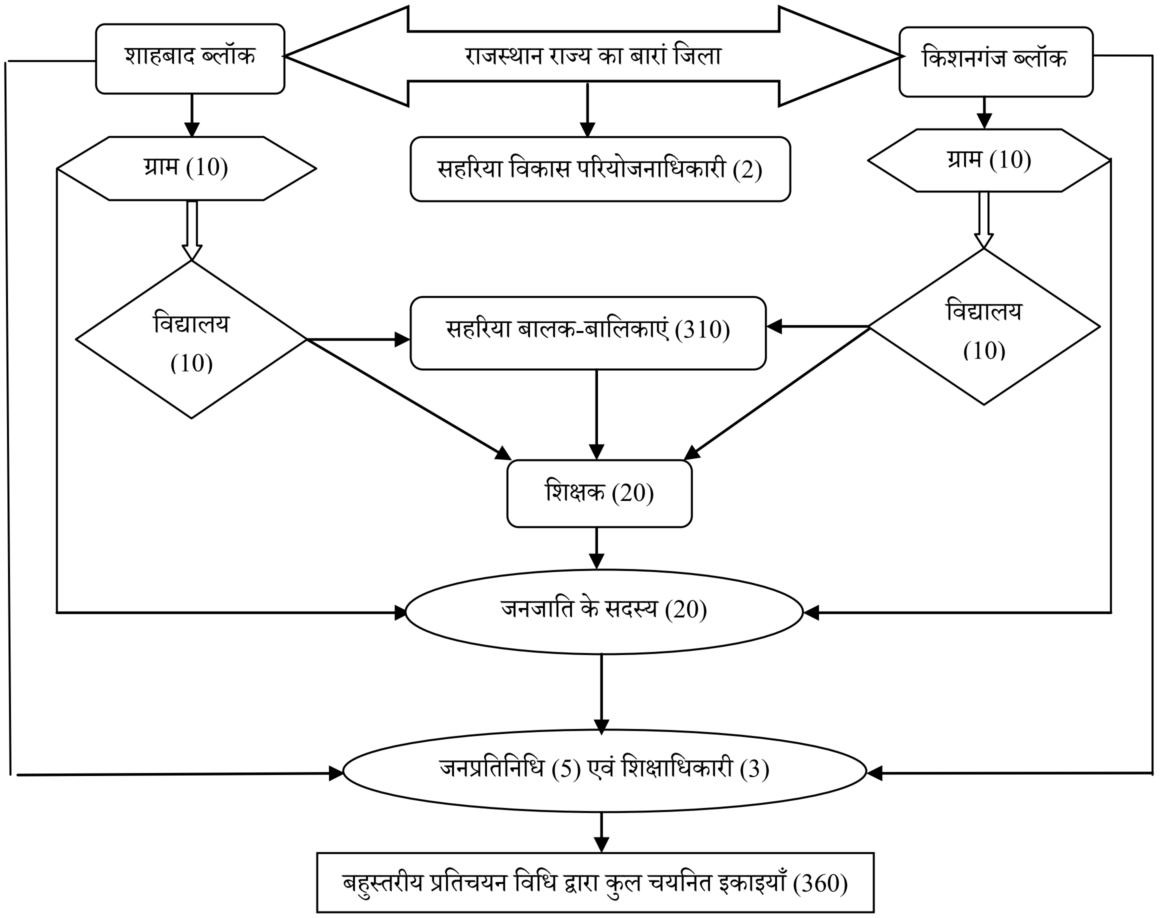

बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि से ग्रामों, विद्यालयों, सहरिया बालक-बालिकाओं, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों का चयन (उपयुक्त संख्या का निर्धारण क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर किया गया है)

इसलिए प्रतिदर्श के चयन में उद्देश्यपूर्ण (Purposive) और बहुस्तरीय (Multistage) विधियां प्रयुक्त की गई हैं। प्रारम्भ में बारां जनपद के सभी राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची तैयार की गयी । दूसरे चरण में इन विद्यालयों में से शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के सभी राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों की एक सूची तैयार की गयी तथा सहरिया बाहुल्य ग्रामों, जिनकी सहरिया जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी की अलग से सूची तैयार की गयी। अंत में लाटरी पद्धति के द्वारा इन विद्यालयों के सहरिया बालक-बालिकाओं तथा शिक्षकों का चयन किया गया। समुदाय के सदस्यों का चयन बहुस्तरीय न्यादर्श विधि (Multistage Sampling Method) के अन्तर्गत दैव निदर्शन पद्धति (Random Sampling Method) द्वारा किया गया । इस प्रकार शाहबाद और किशनगंज तहसीलों से कुल 310 सहरिया

बालक-बालिकाओं का चयन मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS) के प्रशासन हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त सहरिया जनजाति के विकास कार्य में संलग्न समुदाय के 50 अनुभवी सदस्यों का साक्षात्कार अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से लिया गया है। समग्र रूप से 360 इकाइयों का चयन शोध अध्ययन हेतु किया गया है। संस्थाओं तथा इकाइयों का चयन दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) से किया गया है।

3.4.1 ग्रामों का चयन- शाहबाद ब्लॉक से 5 ग्राम पंचायतों और किशनगंज ब्लॉक से 5 ग्राम पंचायतों का चयन बहुस्तरीय न्यादर्श विधि (Multistage Sampling Method) से किया गया है। शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक की चयनित 5-5 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक से 2-2 ग्रामों का चयन किया गया है। इस प्रकार शोध हेतु (5x 2 =10 और 5x 2 =10) कुल 20 ग्रामों का चयन दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) से किया गया।

3.4.2 विद्यालयों का चयन – इसी प्रकार चयनित ग्रामों से 20 राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) से किया गया है। विद्यालयों के चयन हेतु राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाईट शाला-दर्पण के साथ ही जिला विद्यालय अधिकारी के कार्यालय से बारां जिले में संचालित सरकारी विद्यालयों की सूची प्राप्त की गयी।

3.4.3 शिक्षकों का चयन – दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) से राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के (20x1=20) शिक्षकों का चयन शोध अध्ययन हेतु किया गया है।

3.4.4 सहरिया बालक-बालिकाओं का चयन- बहुस्तरीय न्यादर्श विधि (Multistage Sampling Method) से चयनित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 5th, 6th, 7th और 8th तक प्रयेक कक्षा से 3-3 सहरिया बालकों को साधारण दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) द्वारा चुना गया है। इसी प्रकार कक्षा 5th, 6th, 7th और 8th से 1-1 सहरिया बालिकायें प्रत्येक कक्षा से चुनी गयीं हैं।

तालिका - 3.3

शोध हेतु चयनित राजकीय विद्यालय के चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	विद्यालय का नाम
बारां	शाहबाद	गोयरा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोयरा
		खुशालपुरा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खुशालपुरा
		राजपुर	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजपुर
		मुण्डियर	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डियर
		समरानिया	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय,समरानिया
		पीपलखेड़ी	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलखेड़ी
		हथवारी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हथवारी
		सीलोरा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीलोरा
		नारायणखेड़ा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नारायणखेड़ा
		खुशियारा	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुशियारा
	किशनगंज	लक्ष्मीपुरा	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुरा
		जलवाड़ा	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलवाड़ा
		जैसवां	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जैसवां
		खांखरा	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खांखरा
		माधोपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर
		घट्टी	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, घट्टी
		खण्डेला	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खण्डेला
		खेड़ला	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेड़ला
		हलावनी	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हलावनी
		रामपुर टोड़िया	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर टोड़िया
	योग	20	20

इसी क्रम से राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 6th, 7th और 8th तक प्रत्येक कक्षा से 3-3 सहरिया बालकों को साधारण दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) द्वारा चुना गया है। इसी प्रकार कक्षा 6th, 7th और 8th तक प्रत्येक कक्षा से 2-2 सहरिया बालिकाओं का चयन किया गया है। समग्र रूप से कुल 310 सहरिया बालक-बालिकाओं का चयन शोध अध्ययन हेतु किया गया है।

3.4.6 हितधारकों का चयन- शाहबाद और किशनगंज तहसीलों से चयनित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 1-1 शिक्षक कुल 1x10=10 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसी प्रकार राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1-1 शिक्षक कुल 1x10=10 शिक्षकों का चयन दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) से किया गया है। इस प्रकार दोनों स्तर के विद्यालयों से कुल 20 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। इसी प्रकार 30 समुदाय के सदस्यों का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 50 हितधारकों का चयन किया गया है। दोनों तहसीलों के ग्रामों का

चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है, जिनमें सहरिया समुदाय की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक है। इसके लिए बारां जिले के अधिकृत पोर्टल से शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के जनसंख्या सम्बन्धी अभिलेखों को प्राप्त कर बहुस्तरीय दैव निदर्शन विधि (Multistage Random Sampling Method) से विद्यालयों का चयन किया गया। प्रतिदर्श चयन का क्रमबद्ध विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

तालिका-3.4
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	तहसील	विद्यालय	प्रतिदर्श इकाईयां	
			सहरिया	
			बालक	बालिकायें
बारां	शाहबाद	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोयरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खुशालपुरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हथवारी	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीलोरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नारायणखेड़ा	12	4
		योग	60	20
	किशनगंज	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जैसवां	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेड़ला	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हलावनी	12	4
		योग	60	20
		कुल योग	120	40
		महा योग	160	

उपरोक्त तालिका-3.4 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का विवरण दिया गया है। शाहबाद तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 60 बालकों और 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। किशनगंज तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से भी 60 बालकों और 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। दोनों तहसीलों के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से

कुल 120 बालकों और 40 बालिकाओं का चयन यादृच्छिक विधि (Random Sampling Method) से किया गया है।

तालिका-3.5

राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	**तहसील**	**विद्यालय**	**प्रतिदर्श इकाईयां**	
			सहरिया	
			बालक	**बालिकायें**
बारां	शाहबाद	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजपुर	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डियर	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, समरानिया	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलखेड़ी	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुशियारा	9	6
		योग	45	30
	किशनगंज	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलवाड़ा	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खांखरा	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, घट्टी	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खण्डेला	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर टोड़िया	9	6
		योग	45	30
		योग	90	60
		कुल योग	150	

उपरोक्त तालिका-3.5 में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का विवरण दिया गया है। शाहबाद तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 45 बालकों और 30 बालिकाओं का चयन किया गया है। किशनगंज तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों से भी 45 बालकों और 30 बालिकाओं का चयन किया गया है। दोनों तहसीलों के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कुल 90 बालकों और 60 बालिकाओं का चयन यादृच्छिक विधि (Random Method) से किया गया है।

तालिका-3.6

शाहबाद तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	**तहसील**	**विद्यालय**	**प्रतिदर्श इकाईयां**	
			सहरिया	
			बालक	**बालिकायें**
बारां	शाहबाद	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोयरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खुशालपुरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हथवारी	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीलोरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नारायणखेड़ा	12	4
		योग	60	20
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजपुर	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डियर	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, समरानिया	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलखेड़ी	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुशियारा	9	6
		योग	45	30
		कुल योग	105	50
		महा योग	155	

उपरोक्त तालिका-3.6 में शाहबाद तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का विवरण दिया गया है। शाहबाद तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कुल 105 बालकों और 50 बालिकाओं का चयन यादृच्छिक विधि (Random Method) से किया गया है।

तालिका-3.7

किशनगंज तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	**तहसील**	**विद्यालय**	**प्रतिदर्श इकाईयां**	
			सहरिया	
			बालक	**बालिकायें**
बारां	किशनगंज	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुरा	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जैसवां	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेड़ला	12	4
		राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हलावनी	12	4
		योग	60	20
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलवाड़ा	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खांखरा	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, घट्टी	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, खण्डेला	9	6
		राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर टोड़िया	9	6
		योग	45	30
		कुल योग	105	50
		महा योग	155	

उपरोक्त तालिका-3.7 में किशनगंज तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिदर्श चयन का विवरण दिया गया है। किशनगंज तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कुल 105 बालकों और 50 बालिकाओं का चयन दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) से किया गया है।

तालिका 3.8
सम्पूर्ण प्रतिदर्श चयन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	तहसील	शिक्षक	शिक्षिकायें	सहरिया बालक-बालिकायें		जनजाति के सदस्य	जनप्रतिनिधि	शिक्षाधिकारी	परियोजनाधिकारी
				बालक	बालिकायें				
बारां	शाहबाद	8	2	105	50	10	3	3	2
	किशनगंज	8	2	105	50	10	2		
	योग	16	4	210	100	20	5	3	2
	कुल योग	360							

उपरोक्त तालिका-3.8 में शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के समग्र प्रतिदर्श चयन का विवरण दिया गया है। दोनों तहसीलों से 210 बालकों और 100 बालिकाओं के अतिरिक्त 50 हितधारकों का चयन दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) से किया गया है। इस प्रकार समग्र रूप से 360 का प्रतिदर्श लिया गया है।

3.5 शोध अध्ययन हेतु प्रयुक्त उपकरण (Tools used for the Research Study) :-

मनोसामाजिक स्थिति को मापने के लिए प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा रेटिंग मापनी का चयन किया गया है। सामान्यतः रेटिंग मापनी (Rating Scale) एक ऐसा शोध उपकरण (Research Instrument) है, जिसके माध्यम से प्रेक्षक (Observer) किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को एक दी गयी वर्ग मापनी (Category Scale) के रूप में मापता है *(सिंह, 2006. पृ. 182)*। यह प्रेक्षक की प्रतिक्रिया की तीव्रता को उच्चतर क्रम से निम्नतर क्रम में प्रदर्शित करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा आंकिक निर्धारण मापनी का प्रयोग किया गया है। यह निर्धारण मापनी का ही एक प्रकार है। आंकिक मापनी (Numerical Scale) से तात्पर्य ऐसी मापनी से है जिसमें प्रेक्षक को निश्चित अंकों का क्रम दिया जाता है जो उचित प्रकार से परिभाषित होते हैं। प्रेक्षक मापित वस्तुओं या विचारों को अपने सामान्य अनुभव के आधार पर परिभाषाओं के अनुरूप अंक प्रदान करते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में लिकर्ट की पांच बिन्दु अभिवृत्ति मापनी को आधार बनाया गया है जिसमें चार उपमापनियाँ हैं। प्रत्येक उपमापनी में आठ उपकथन हैं, जो कि राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित हैं। इस अन्वेषिका के चार उपक्षेत्रों का निर्धारण विशेषज्ञों के परामर्श, पूर्व में हुए शोधकार्यों और शोधपत्रों के अध्ययन के आधार पर किया गया है। अन्वेषिका के ये चार उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं-

- **सामाजिक समायोजन (Social Adjustment)**
- **सामाजिक सहभागिता (Social Participation)**
- **सामाजिक भय (Social Phobia)**
- **सामाजिक अभिवृत्ति (Social Attitude)**

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी की वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और मानकीकरण जैसी विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए, इसके निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया गया है-

(1) मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के निर्माण की परियोजना (Planning of the PSSS)

(2) निर्धारण मापनी में सम्मिलित किए जाने वाले पदों की रचना (Item Writing)

(3) निर्धारण मापनी का प्रारम्भिक क्रियान्वयन (Preliminary Try-out)

a) प्राक्- क्रियान्वयन (Pre- Tryout)

b) खास-क्रियान्वयन (Proper-Tryout)

c) अन्तिम – क्रियान्वयन/ड्रेस रिहर्सल (Final-Tryout/Dress Rehearsal)

(4) मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी का मानकीकरण (Standardisation)

(5) नियमावली (Manual)

मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) की सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया के क्रम को समझने के लिए उपरोक्त चरणों का वर्णन निम्नलिखित है-

(1) मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के निर्माण की परियोजना (Planning of the PSSS)

मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के निर्माण की परियोजना के इस चरण में मापनी हेतु विषयवस्तु, उद्देश्य, पदों के प्रकार, पदों का स्वरूप, पदों की संख्या, समयावधि, अंकन विधि, सांख्यिकीय विश्लेषण, मापनी में सम्मिलित किये जाने वाले पदों के विश्लेषण - उपागम और मनोसामाजिक स्थिति के विभिन्न उपक्षेत्र आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के चार उपक्षेत्रों (सामाजिक समायोजन, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक भय एवं सामाजिक अभिवृत्ति) को सम्मिलित किया गया। ये सभी उपक्षेत्र राजस्थान की सहरिया जनजाति की मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित हैं। मापनी के उपक्षेत्रों को सुनिश्चित करने के पश्चात पदों के निर्माण हेतु निकष-परिस्थिति (Criterion Situation) की पहचान कर मापनी की रूपरेखा तैयार की गयी।

(2) निर्धारण मापनी में सम्मिलित किए जाने वाले पदों की रचना (Item Writing)

प्रस्तुत मनोसामाजिक स्थिति मापनी में पदों के चयन और निरस्तीकरण के लिए गुणित मापनी (Product Scale) उपागम का प्रयोग किया गया। यह उपागम ***एल. थर्स्टन (L. Thurston,1920)*** की समदृष्टि अन्तराल विधि (Method of Equal Appearing Interval) और ***रेनेसिस लिकर्ट (Renesis Likert, 1932)*** की संकलित निर्धारण मापनी विधि का संयुग्मन है। प्रारम्भिक क्रियान्वयन के प्राक्- क्रियान्वयन में थर्स्टन उपागम का प्रयोग किया गया है, जिससे मापनी में सम्मिलित पदों की विषयगत वैधता सुनिश्चित की जा सके। इस विधि में ऐसे विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया, जो सहरिया समुदाय और आदिवासी जीवन का ज्ञान रखते हों। सभी विशेषज्ञों से पदों की विषयगत वैधता की तीव्रता के आधार पर पांच बिन्दु मापनी पूर्ण असहमति (1) से लेकर पूर्ण सहमति (5) सांतत्य (Continutity) पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया अर्थात मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS) में सम्मिलित पद सहरिया समुदाय की विशेषताओं को कितनी सीमा तक प्रतिबिम्बित करता है। इसे प्रतिक्रिया का आधार माना गया। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्रत्येक पद का मापनी भारांक माध्यिका के रूप में परिकलन किया गया। इसके पश्चात उन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक कथन का चतुर्थांश विचलन (Quartile Deviation) ज्ञात किया गया। चतुर्थांश विचलन से किसी कथन द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं के विषय में निर्णायकों की असहमति की मात्रा का पता चलता है। ऐसे कथन जिनका चतुर्थांश विचलन अधिक होता है को इस विचार से पृथक् कर दिया जाता है कि उनके विषय में निर्णायकों में मतभेद है। अतः चतुर्थांश विचलन का मान पदों के चयन और निरस्तीकरण का आधार होता है। मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) में सम्मिलित प्रत्येक पद का चतुर्थांश विचलन ज्ञात किया गया, जिनका भारांक सार्थक चतुर्थांश विचलन (Significant Quartile Deviation) मान से अधिक पाया गया उस पद को निरस्त कर दिया गया। एल. थर्स्टन उपागम पदों का विश्लेषण विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से करता है, जो उस जीवसंख्या के दृष्टिकोण को महत्त्व नहीं देता है, जिसके लिए मापनी को निर्मित किया गया है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए रेनेसिस लिकर्ट (Renesis Likert, 1932) की संकलित निर्धारण मापनी विधि का प्रयोग किया गया है। यह विधि पदों के विश्लेषण का आधार लक्षित समष्टि की प्रतिक्रिया को आधार मानती है। मापनी के निर्माण में पदों की विषयगत वैधता के लिए

एल.थर्स्टन और विभेदन वैधता के लिए आर. लिकर्ट विधि का प्रयोग किया गया जो कि मापनी की सार्थकता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

(3) निर्धारण मापनी का प्रारम्भिक क्रियान्वयन (Preliminary Try-out)

प्रारम्भिक क्रियान्वयन के खास- क्रियान्वयन में लिकर्ट की संकलित निर्धारण मापनी विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि में मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के उन सभी पदों को सम्मिलित किया गया जो थर्स्टन विधि के माध्यम से चुने गये थे। इस चरण में लक्षित जीवसंख्या जो कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले सहरिया समुदाय के बालक-बालिकायें थे, उनमें से स्तरीकृत दैव निदर्शन विधि (Stratified Random Sampling Method) से 180 बालक-बालिकाओं का चयन किया गया, जो कि 5^{th}, 6^{th}, 7^{th}, 8^{th}, 9^{th} और 10^{th} कक्षाओं में अध्ययनरत थे। उन विद्यार्थियों के चयन के पश्चात, उन पर मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) को प्रशासित किया गया एवं उनसे निवेदन किया गया कि वे अपनी प्रतिक्रिया को पांच बिन्दु मापनी पर पूर्ण असहमति (1) से लेकर पूर्ण सहमति (5) के सांतत्य (Continuity) पर व्यक्त करें। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के पद मापनी में सम्मिलित किये गये थे। अध्ययन में प्रयुक्त मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) के भारांक की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका -3.9

मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी में सम्मिलित धनात्मक पदों एवं ऋणात्मक पदों की अंकन पद्धति का तालिका द्वारा प्रदर्शन

प्रतिक्रिया के प्रकार	धनात्मक पद हेतु	ऋणात्मक पद हेतु
पूर्ण असहमत	1	5
असहमत	2	4
अनिश्चित	3	3
सहमत	4	2
पूर्ण सहमत	5	1

अन्त में कथनों का चयन एकांश विश्लेषण के माध्यम से किया गया। एकांश विश्लेषण में एकांश-योग सह-सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है, परन्तु प्रस्तुत मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी में

लिकर्ट की संशोधित विधि (Edwards, 1957) द्वारा मापनी के एकांशों का विश्लेषण किया गया है। इसमें कुल प्राप्तांक के आधार पर सभी विद्यार्थियों के समूह को दो भागों उच्च समूह और निम्न समूह में विभाजित किया गया। कुल प्राप्तांक के 27 प्रतिशत उपरी भाग को उच्च समूह और नीचे वाले 27 प्रतिशत को निम्न समूह का नाम दिया गया। इसके पश्चात प्रत्येक कथन के लिए उच्च समूह और निम्न समूह दोनों का पृथक-पृथक माध्य (Mean) और प्रामाणिक विचलन (Standard Deviation) ज्ञात किया गया। माध्य और प्रामाणिक विचलन के मानों के माध्यम से प्रत्येक कथन पर इन दोनों समूहों के माध्यों के अन्तर की सार्थकता (Significance) का परीक्षण टी-टेस्ट (t-test) से किया गया और सार्थक टी-मान (t-value) को पदों के चयन का आधार माना गया, जिन पदों का टी-मान (t-value) सार्थक नहीं था, उन्हें इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वे पद उच्च मनोसामाजिक स्थिति वाले विद्यार्थियों और निम्न मनोसामाजिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के बीच सार्थक विभेद प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों समूहों के मध्य सार्थक अन्तर विद्यमान होता है। टी-मान (t-value) की सार्थकता को 0.05 और 0.01 के सार्थकता स्तर (Level of Significance) पर ज्ञात किया गया। इस प्रकार मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए थर्स्टन और लिकर्ट दोनों विधियों को समन्वित रूप से प्रयोग किया गया एवं अन्त में मापनी के लिए कुल चालीस पदों (Forty Items) का चयन किया गया अर्थात मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) के चार उपक्षेत्रों के अन्तर्गत दस-दस पदों को सम्मिलित किया गया। पदों के अन्तिम रूप से चयन और निरस्तीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है-

तालिका-3.10

प्रारम्भिक क्रियान्वयन के प्राक्- क्रियान्वयन में थर्स्टन उपागम में कुल पदों, चयनित पदों और निरस्तीकृत पदों की संख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन

मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के उपक्षेत्र	**कुल पदों की संख्या**	**चयनित पदों की संख्या**	**निरस्तीकृत पदों की संख्या**
सामाजिक समायोजन	33	27	06
सामाजिक सहभागिता	20	18	02
सामाजिक भय	15	12	03
सामाजिक अभिवृत्ति	15	13	02
कुल पद	83	70	13

उपरोक्त तालिका-3.10 के अवलोकन से यह पता चलता है कि विषय विशेषज्ञों की असहमति के आधार पर कुल 83 पदों में से 13 पदों को अनुपयुक्त मानकर निरस्त कर दिया गया, जिनका चतुर्थांश विचलन मान (Quartile Deviation Value) 2 या 2 से अधिक था। शेष 70 चयनित पदों को लिकर्ट उपागम से उपचयनित किया गया। इसे निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है-

तालिका-3.11

अन्तिम – क्रियान्वयन/ड्रेस रिहर्सल में लिकर्ट उपागम में कुल पदों, चयनित पदों और निरस्तीकृत पदों की संख्या का तालिका द्वारा प्रदर्शन

मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के उपक्षेत्र	कुल पदों की संख्या	चयनित पदों की संख्या	निरस्तीकृत पदों की संख्या
सामाजिक समायोजन	27	15	12
सामाजिक सहभागिता	18	12	06
सामाजिक भय	12	10	02
सामाजिक अभिवृत्ति	13	11	02
कुल पद	70	48	22

उपरोक्त तालिका-3.11 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि कुल 70 पदों में से 22 पदों को अनुपयुक्त मानकर निरस्तीकृत किया गया, जिनका आधार टी-मान (t-value) था। प्रत्येक पद के लिए टी-मान (t-value) की सार्थकता 0.05 और 0.01 के स्तर पर ज्ञात की गयी। इस प्रकार 48 पदों का चयन किया गया, परन्तु अन्त में सभी क्षेत्रों को समान रूप से मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी में भार देने के लिए 10-10 पदों को ही सम्मिलित किया गया। तात्पर्य यह है कि मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) के अन्तिम प्रारूप में कुल 40 पदों को स्थान दिया गया। इस प्रकार इसके अन्तिम प्रारूप के निर्धारण के पश्चात मानकीकरण (Standardisation) किया गया।

(4) मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी का मानकीकरण (Standardisation)

किसी भी परीक्षण पर प्राप्त निष्कर्ष से व्याख्यात्मक त्रुटि दोष को दूर करने और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए परीक्षण का मानक निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। मानक एक वर्णनात्मक रूपरेखा होती है, जिसका उद्देश्य परीक्षण पर आये मूल प्राप्तांक (Raw Scores) की व्याख्या करना होता है। बिना मानक के परीक्षण पर मिले प्राप्तांक अर्थहीन हो जाते हैं। ***स्टेनली एवं हापकिन्स (Stanely & Hapkins,1964)*** के अनुसार- मानक छात्रों के बड़े समूहों की निष्पादकता के आधार पर

प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है *(सिंह, 2012, पृ. 228)* । मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) के मानक (Norms) को प्रतिशतांक (Percentile) के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके प्रत्येक उपक्षेत्र और समग्र के लिए पृथक-पृथक मानक निर्धारित किये गये। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ग के लिए (कक्षा 5th से लेकर 10th तक) भी अलग-अलग प्रतिशतांक की गणना की गयी, ताकि मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSS) के प्रत्येक उपक्षेत्र पर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक की त्रुटिरहित व्याख्या की जा सके।

मापनी की मानकीकरण की प्रक्रिया में उसके दोनों पक्षों विश्वसनीयता (Reliaability) और वैधता (Validity) को ध्यान में रखा गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

(i) मापनी की विश्वसनीयता (Reliability)

किसी भी परीक्षण की तकनीकी विशेषता उसकी विश्वसनीयता (Reliability) होती है, जिसका सम्बन्ध चर त्रुटि (Variable Error) से होता है। विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म-सहसम्बन्ध होता है। ***मार्शल एवं हेल्स (Marshal & Hales, 1972)*** ने अपनी पुस्तक ***इसेंशियल्स ऑफ़ टेस्टिंग (Essentials of Testing)*** में विश्वसनीयता के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि- परीक्षण प्राप्तांकों के बीच संगति की मात्रा को ही विश्वसनीयता कहा जाता है *(सिंह, 2006, पृ. 350)*। मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए संगणक द्वारा एसपीएसएस के 20वें वर्जन की सहायता से गुणांक-अल्फा (Coefficient alpha) विधि का प्रयोग किया गया। इससे परीक्षण की आन्तरिक संगतता विश्वसनीयता (Internal Consistency Reliability) का आकलन किया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन ***क्रानबैक (Cronbach, 1951)*** द्वारा किया गया परन्तु इसके व्यावहारिक उपयोग का विकास ***कैसर एवं माईकेल (Kaiser & Michael, 1975)*** और उनके सहयोगी ***नोविक एवं लेविस (Novick & Lewis, 1967)*** द्वारा किया गया। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, जब परीक्षण के पद ऐसे होते हैं, जिनका फलांकन सही-गलत में न होकर बहु चयन विधि (Multiple Choice) जैसे- पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्ण असहमत आदि में होता है *(सिंह, 2006, पृ. 362)*। मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के विश्वसनीयता गुणांक के विवरण को निम्नलिखित तालिका 3.3 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका-3.12

क्रानबैक गुणांक-अल्फा विश्वसनीयता का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्र. सं.	**मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी के उपक्षेत्र**	**गुणांक-अल्फा विश्वसनीयता गुणांक**
1.	सामाजिक समायोजन (A)	.76
2.	सामाजिक सहभागिता (B)	.64
3.	सामाजिक भय (C)	.78
4.	सामाजिक अभिवृत्ति (D)	.73
	मापनी का समग्र विश्वसनीयता गुणांक	.79

(ii) मापनी की वैधता (Validity)

विश्वसनीयता के अतिरिक्त वैधता (Validity) भी किसी परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिसका सम्बन्ध परीक्षण की स्थिर त्रुटि से है। ***एनास्टेसी (Anastasi, 1986)*** ने ***साइकोलॉजीकल टेस्टिंग (Psychological Testing)*** नामक पुस्तक में वैधता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि – परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है *(सिंह, 2006, पृ. 370)*। मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) की निर्माण प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में एल. थर्स्टन विधि को प्रारम्भिक क्रियान्वयन के प्राक्- क्रियान्वयन में प्रयुक्त किया गया जो कि अन्तर्विषय वैधता (Content Validity) को इंगित करती है। यह वैधता अनुभवी विशेषज्ञों के परामर्श पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त रूप वैधता (Face Validity) और विषयवस्तु वैधता (Content Validity) का प्रयोग करके भी मापनी की वैधता ज्ञात की गयी तथा उपरोक्त विधियों के द्वारा ज्ञात की गई मापनी की वैधता उच्च पायी गयी।

(5) नियमावली (Manual)

मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी की निर्माण प्रक्रिया के अन्तिम चरण के सफलतापूर्वक पूर्ण सम्पादन के पश्चात शोधकर्ता द्वारा परीक्षण की आवश्यकतानुसार प्रतियों को टंकित किया गया और एक नियमावली पुस्तिका तैयार की गयी। इस पुस्तिका में परीक्षण निर्माण प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी के साथ ही उसे प्रशासित करने के सामान्य निर्देशों के विषय में संक्षित सूचनाएँ दी गयी हैं।

(i) मापनी का प्रशासन (Administration)

यदि इस मापनी के व्यावहारिक पक्ष पर दृष्टिपात किया जाये तो इस तथ्य की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसका अन्तिम प्रारूप लिकर्ट की पांच बिन्दु मापनी पर आधारित है, जिस पर लक्षित न्यादर्श के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। इस मापनी को प्रशासित करने के लिए यद्यपि समय की कोई कठोर सीमा नहीं है, परन्तु फिर भी इसे पूरा करने के लिए 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का समय पर्याप्त है। इस मापनी पर प्राप्तांकों को उपक्षेत्रों के अनुसार और समग्र रूप से विभाजित किया जा सकता है। प्राप्तांकों का आकलन पांच बिन्दु मापनी पर दिए गये व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया है, क्योंकि प्रत्येक उपक्षेत्र के अन्तर्गत अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के पदों को सम्मिलित किया है, इसलिए प्रतिक्रिया को प्राप्तांक में परिवर्तित करने समय सजग रहना अत्यंत आवश्यक है, जिससे गणना में कोई विसंगति न होने पाये। शोधकर्ता मापनी के प्रशासन हेतु व्यक्तिगत रूप से शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के शोध हेतु चयनित विद्यालयों में गया और वहां के प्रधानाध्यापक से अनुमति लेकर सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं से संपर्क किया तथा मापनी पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के संबंध में उनको विशेष निर्देश दिये। एक बालक अथवा बालिका से मापनी पर उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में लगभग 30 मिनट का समय लगा।

(ii) अंकन प्रक्रिया (Scoring)

समग्र रूप में यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु इस अन्वेषिका का निर्माण शोधकर्ता द्वारा शोध निर्देशक, शोध सहायकों, शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों की सहायता से किया गया है। मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी में दिये गये कथनों का चयन विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा किया गया है। तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसके माध्यम से माध्यमिक स्तर के जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों की मनोसामाजिक स्थिति का आकलन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर जनजातीय समुदाय के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति (Psychosocial Status) को जाना जा सकता है तथा उसमें सुधार के लिए समन्वित प्रयास किया जा सकता है। इस मापनी में अनुकूल प्रतिक्रियाओं का भार क्रमशः 5 पूर्ण सहमत, 4 सहमत, 3 अनिश्चित, 2 असहमत, 1 पूर्ण असहमत तथा प्रतिकूल कथनों में 1 पूर्ण सहमत, 2 सहमत, 3 अनिश्चित, 4 असहमत

तथा 5 पूर्ण असहमत के लिये निर्धारित किया गया है। सहरिया जनजाति के एक बालक अथवा एक बालिका को अधिकतम 184 अंक और न्यूनतम 24 अंक प्राप्त हो सकते हैं। प्रयोज्य को120 अंक से कम अंक प्राप्त होने पर मनो-सामाजिक स्थिति (Psychosocial Status) असंतोषजनक मानी जाती है तथा 120 अंक से अधिक अंक प्राप्त होने पर उसकी मनोसामाजिक स्थिति (Psychosocial Status) संतोषजनक श्रेणी में गिनी जाती है।

3.6 शोध अध्ययन की योजना (Planning of the Research Study):- प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य रूप से चार चरों का प्रयोग किया गया है। अतः प्रत्येक चर के लिए आंकड़ों का संकलन करने के उद्देश्य से इनके लिये उपयोगी समुचित परीक्षणों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक समूह पर किये गये परीक्षणों का फलांकन कर लेने के बाद प्रत्येक के लिये आवृत्ति वितरण तैयार किये गये तथा प्रत्येक आवृत्ति वितरण के लिये मध्यमान तथा मानक विचलन ज्ञात किया गया। अंत में सभी सहरिया बालकों तथा सभी बालिकाओं के प्राप्तांकों को अलग-अलग संगठित करके आवृत्ति वितरण तैयार किये गये तथा मध्यमान और मानक विचलन ज्ञात किये गये। इस प्रकार सम्पूर्ण न्यादर्श को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन परीक्षणों की अनुसंधान योजना निम्नवत है-

1. सहरिया बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति जानने हेतु विद्यालय तालिका पंजिका (Tabulation Register) का अवलोकन।
2. सहरिया बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति जानने हेतु शोधकर्ता के द्वारा निर्मित मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) का प्रशासन।
3. सहरिया बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करने हेतु शोधकर्ता के द्वारा निर्मित अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (Semistructured Interview Schedule) का प्रशासन।
4. सहरिया बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion) का आयोजन।

3.6.1 तालिका पंजिका (Tabulaton Register)-

परिचय- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का मापन करने के लिये विद्यालय तालिका पंजिका (Tabulation Register) का प्रेक्षण किया गया है। छात्र प्रवेश पंजिका (Students Admission Register), परीक्षा परिणाम पंजिका (Exams Results Register), वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका (Annual Assessment Documents Register) और मध्याह्न भोजन पंजिका (Mid-day Meal Register) आदि का भी अवलोकन (Observation) शोधकर्ता द्वारा किया गया है। राजकीय विद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयीं पंजिकाओं का विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) करके इन विद्यालयों में वर्ष 2016-17 में अध्ययन कर रहे सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति को जानने का प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया गया है।

3.6.2 मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS)-

परिचय- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति का मापन करने के लिये शोधकर्ता द्वारा निर्मित पांच बिन्दु मापनी का प्रयोग किया गया है। इस परीक्षण का निर्माण लिकर्ट की पांच बिन्दु मापनी पर आधरित है। परीक्षण का निर्माण करने के लिये मनोसामाजिक स्थिति से जुड़े सभी कारकों का अध्ययन किया गया है। यह मापनी सहरिया बालक-बालिकाओं के लिये बनायी गयी है। इस मापनी में कुल 40 पदों को सम्मिलित किया गया है। मनोसामाजिक स्थिति का मापन करने के लिये प्रत्येक मापनी को निम्नलिखित चार उपक्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक उपक्षेत्र के लिये अलग-अलग पद निर्धारित किये गये हैं।

1. **सामाजिक समायोजन (Social Adjustment) -** सामाजिक इकाई होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते समय सामाजिक परिवेश का भी ध्यान रखता है। वह अपने व्यवहार और सामाजिक वातावरण के मध्य वांछनीय संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जिससे वह स्वयं को अनुकूल स्थिति में पाता है। परिवेश के साथ संतुलन स्थापित करने की यह प्रक्रिया मनोविज्ञान की भाषा में समायोजन कहलाती है। समायोजन वह अवस्था है, जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकतायें और दूसरी ओर वातावरण के कुछ दावे पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। वातावरण के परिवर्तनों के प्रति व्यक्ति के सफल अथवा असफल अनुकूलन को समायोजन कहा जाता है। समायोजन की यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सतत् रूप से चलती रहती है। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान समायोजन को

परिभाषित करते हुए कहता है कि –मनोविज्ञान समायोजन का विज्ञान है *(भार्गव, 2009, पृ. 463)* । ***एल. एस. शेफर*** ने समायोजन की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुये लिखा है कि –समायोजन वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जीव अपनी आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाये रखता है *(मंगल, 2014, पृ. 575)* । समायोजन के विषय में ***कोलमैन*** ने परिभाषा के रूप में लिखा है कि – समायोजन किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने एवं तनाव की स्थिति से मुक्ति के लिए किये गये प्रयासों का परिणाम है । समायोजन की प्रक्रिया में मनुष्य और उसका वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं । जैविक और सांस्कृतिक कारक व्यक्ति के समायोजन को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं । व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत देने वाले प्रसिद्ध मनोविश्लेषक ***इरिक एरिक्सन*** ने अपनी पुस्तक ***बचपन और समाज (Childhood and Society, 1963)*** में समायोजन के विषय में लिखा है कि – मनुष्य मात्र जैविक और मानसिक जीवधारी ही नहीं होता है, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है, जिसके लिए सामाजिक परिवेश के साथ ही अहम् (Ego) भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है *(सिंह, 2015, पृ. 1048)* । समायोजन संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन को तीन भागों – व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक समायोजन और व्यावसायिक समायोजन में विभाजित किया है *(सिंह, 2015, पृ. 1048)* ।

मनुष्य सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई है । वह हमेशा अपने सामाजिक परिवेश के सम्पर्क में रहता है । जन्म के बाद से ही बालक का परिवार उसके सामाजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर देता है । वह अपने परिवेश के साथ अन्तःक्रिया करता है । इसी प्रक्रिया के माध्यम से वह समाज में अपने स्थान और सम्मान को निर्मित करता है । सामाजिक कार्यों में सहयोग करने के साथ ही वह सामाजिक परिस्थितियों में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करता है । इसलिए मनुष्य के लिये अपने सामाजिक परिवेश के साथ संतुलन बनाये रखने के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए समायोजन करने की क्षमता को विकसित करना अति आवश्यक है । परिवार, विद्यालय और समुदाय के साथ अनुकूल वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करना सामाजिक समायोजन है । ***जॉन ड्यूवी*** ने अपनी पुस्तक ***विद्यालय और समाज (School and Society)*** में विद्यालय को समाज के लघु रूप की संज्ञा दी है । ***मैकाइवर एवं पेज*** ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है, जो हमेशा परिवर्तित होता रहता है *(सक्सैना, 2004, पृ.183)* । अर्थात विद्यालय में सामाजिक संबंधों का जाल है यथा- शिक्षक,

अधिगमकर्ता, सहपाठी और विद्यालय के सहायक कर्मचारी आदि के मध्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसके साथ अनुकूलन स्थापित करना सामाजिक समायोजन के अन्तर्गत आता है। बालक-बालिकायें विद्यालय, परिवार और समुदाय में अपने स्व और उपयोगिता की रक्षा के लिए निरन्तर समायोजित होने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में नई परिस्थितियाँ, नये साथी, नये शिक्षक, नये पाठ्यक्रम और नई पुस्तकें होती हैं जिनके साथ उन्हें संतुलन स्थापित करना पड़ता है। शैक्षणिक वातावरण में बालक जितनी अच्छी तरह स्वयं को समायोजित करता है और जिस परिधि तक शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करने में सफल होता है, उसी सीमा तक उसके सामाजिक समायोजन को अच्छा माना जाता है *(सिंह, 2015, पृ. 754)*। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा विकसित किये गये उपकरण मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS) में प्रथम उपक्षेत्र सामाजिक समायोजन का है, जिसमें 10 पद (A1से A10 तक) सम्मिलित हैं।

2. सामाजिक सहभागिता (Social Participation)- सामाजिक शब्द एक जीवधारी का अन्य जीवधारियों के साथ सह-अस्तित्व और निरपेक्षता का सूचक है। निरपेक्षता जीवधारियों की इच्छा पर निर्भर करती है। सामाजिक सहभागिता वास्तव में एक मनोसामाजिक संप्रत्यय है, जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली अन्यान्य क्रियाओं की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। व्यक्ति का सामाजिक विकास उसकी सामाजिक सहभागिता पर निर्भर करता है *(गोयल, 2016, पृ.25)*। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज में एक स्वीकार्य, सहयोगी उपयोगी और कुशल नागरिक के रूप में अपना स्थान बना लेता है। सामाजिक अन्तःक्रिया से ही व्यक्ति की जन्मजात प्रवृतियों और क्षमताओं का प्रस्फुटन होता है। सामाजिक सहभागिता को परिभाषित करते हुये ***लेवास्यर एवं रिचर्ड*** लिखते हैं कि- सामाजिक सहभागिता को सामान्यतः व्यक्ति की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दूसरों के साथ अन्तःक्रिया का अवसर प्रदान करती हैं *(नोवेक, 2013, पृ. 9)*। बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता को शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा विकसित किये गये उपकरण मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS) में द्वितीय उपक्षेत्र सामाजिक सहभागिता से संबंधित है, जिसमें 10 पद (B1से B10 तक) सम्मिलित हैं।

3. सामाजिक भय (Social Phobia)- सामाजिक संबंधों से निर्मित सामाजिक समूह को समाज की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य जिस समाज के बीच जन्म लेता है, वह समाज उसका सामाजीकरण करता है। यह वह प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अन्तःक्रिया करके समायोजन करता है। समायोजन के दौरान कई शंकायें भय के रूप में जन्म लेती हैं जैसे- आकुलता, संकोच, परीक्षा में अनुतीर्ण होना, शिक्षक द्वारा दण्डित किया जाना और प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना *आदि (लाल, 2009, पृ. 430)*। ***मैकड्यूगल*** ने सामाजिक भय को संवेग की श्रेणी में रखा है, जिसकी मूल प्रवृति पलायन है। यह नैसर्गिक, दुखद और ऋणात्मक होता है *(गुप्ता, 2008, पृ. 162)*। यह एक मनोसामाजिक विकार है, जिसके कारण व्यक्ति उन्नति के सभी अवसरों का पर्याप्त लाभ नहीं ले पाता है। बालक-बालिकाओं द्वारा किये गये सृजनात्मक कार्यों के लिए माता-पिता अथवा शिक्षकों द्वारा पुनर्बलन न देना, उनको शारीरिक अथवा मानसिक दण्ड देना और उनकी अवहेलना करना आदि कारणों से वे आत्महीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इन सभी कारणों से बालक-बालिकायें परिवार, विद्यालय और समुदाय में लोगों के सम्मुख विचारों को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं कि पता नहीं कोई डांट ही न दे। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक भय से ग्रसित होता है, तो वह अन्य दूसरे प्रकार के मनोसामाजिक विकारों से भी पीड़ित होने लगता है *(पाण्डेय, 2015, पृ. 01)*। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा विकसित किये गये उपकरण मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS) में तृतीय उपक्षेत्र सामाजिक भय का है, जिसमें 10 पद (C1से C10 तक) सम्मिलित हैं।

4. सामाजिक अभिवृत्ति (Social Attitude)- विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, स्थितियों तथा योजनाओं आदि के प्रति व्यक्ति विशेष के विचार एवं पूर्वधारणायें ही उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को इंगित करती हैं। मनोविज्ञान में इसे अभिवृत्ति कहा जाता है। वास्तव में यह एक मनोसामाजिक प्रत्यय है, जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किये जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। अन्य शब्दों में अभिवृत्ति उस व्यक्तित्व की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है, जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति व्यक्ति व्यवहार का निर्णय करता है। अभिवृत्ति एक ऐसी स्थायी प्रणाली है, जिसमें संज्ञानात्मक तत्व, एक अनुभूति सम्बन्धी तत्व तथा एक सक्रिय प्रकृति रहती है *(गुप्ता, 2008, पृ. 438)*। अभिवृत्ति में एक भावनात्मक तत्व भी सम्मिलित रहता है। यही कारण है कि जब भी कभी कोई अभिवृत्ति बनती है, तो वह परिवर्तन की प्रतिरोधी हो जाती है एवं सामान्य रूप से नवीन तथ्यों के

प्रति अनुक्रिया नहीं करती है। अभिवृत्ति में विश्वासों और मूल्यों का भी समावेश रहता है। अभिवृत्ति को ***फ्रीमैन*** ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि - अभिवृत्ति किन्ही निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली वह स्वभाविक तत्परता है, जिसे सीखा जाता है तथा वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक रीति बन जाती है। ***रेमर्स, रूमेल एवं गेज*** ने अभिवृत्ति के विषय में लिखा है कि- अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। ***गुड तथा हॉट (Goode & Hatt, 1952)*** ने अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि - अभिवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। ***थर्सटन एवं चेव*** ने अभिवृत्ति के संबंध में लिखा है कि - किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति व्यक्ति की प्रवृत्तियों व भावनाओं, पूर्वाग्रहों अथवा पक्षपातों, पूर्व निर्मित अभिप्रायों, विचारों, भय, दबाबों तथा मान्यताओं का कुल योग है *(गुप्ता, 2008, पृ. 439)*। उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि - अभिवृत्ति किसी वस्तु या प्रक्रिया की प्रति व्यक्ति की स्वाभाविक तत्परता है। यह सदैव परिवर्तन शील होती है और व्यक्ति की विशिष्ट दिशा को निर्देशित करती है। अभिवृत्ति प्रायः भाव एवं संवेगों से संबंधित होती है। यह अर्जित तथा जन्मजात दोनों तरह की होती है। अभिवृत्ति अनुभवों के आधार पर अर्जित होती है तथा वस्तुओं, मूल्यों एवं व्यक्तियों के सम्बन्ध से सीखी जाती है। इसके विकास में प्रत्यक्षीकरण एवं संवेगात्मक तत्व सहायक होते हैं। इसके सामाजिक (Social) तथा मानसिक (Mental) दो पक्ष हैं। इसका सम्बन्ध व्यक्तित्व के वृहत पक्षों - बुद्धि, मानसिक प्रतिभा एवं शाब्दिक विचारों से होता है। यह व्यवहार को प्रभावित करती है, इसलिए यह व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वकथन करने में भी सहायक होती है।

इस प्रकार अभिवृत्ति में किसी वस्तु, प्रक्रिया, व्यक्ति या सामाजिक इकाई के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों से विचार व्यक्त किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा विकसित किये गये उपकरण मनोसामाजिक स्थिति मापनी में चतुर्थ उपक्षेत्र सामाजिक अभिवृत्ति का है, जिसमें 10 पद (D1से D10 तक)सम्मिलित हैं। राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS) में चार उपक्षेत्रों के कथनों का वर्गीकरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.13

सहरिया बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति मापनी में विभिन्न उपक्षेत्रों में वर्गीकृत कथनों का विवरण

क्र. सं.	**उपक्षेत्र**	**सकारात्मक कथनों की क्रम संख्या**	**नकारात्मक कथनों की क्रम संख्या**	**कुल कथन**
1.	समाजिक समायोजन	A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10	A4	10
2.	सामाजिक सहभागिता	B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10	-	10
3.	सामाजिक भय	C1, C3, C4, C5, C6, C7, C8 C9 C10	C2	10
4.	सामाजिक अभिवृति	D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9	D1, D10	10
	योग	36	4	40

3.6.3 अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (Semi Structure Interview Schedule)-

परिचय- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है, जो कि तीन खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड जनांकिकीय विवरण (Demographical Details) से संबंधित है। द्वितीय खण्ड को पांच उपखण्डों में बांटा गया है, जो कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों से संबंधित है। तृतीय खण्ड इन चुनौतियों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझावों को इंगित करता है। इसका निर्माण शोधकर्ता द्वारा शोध निर्देशक, शोध सहायकों, शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों की सहायता से किया गया है।

3.7 शोध अध्ययन हेतु आंकड़ों का संकलन (Data Collection):- प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः तीन प्राथमिक सूचना स्रोतों पर आधारित है। प्रथम स्रोतों के अन्तर्गत सहरिया जनजाति क्षेत्र में उनके विकास और कल्याण हेतु कार्य करने वाले अनुभवी लोगों के साथ बैठकर अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (Semistructured Interview Schedule) तथा मनोसामाजिक स्थिति मापनी (PSSS), द्वितीय में केन्द्रित समूह परिचर्चा और तृतीय प्रकार के स्रोतों में सहभागी प्रेक्षण को रखा गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिये आंकड़ों को संकलित करने का कार्य 10 मार्च 2015 से आरम्भ होकर 5 दिसम्बर 2017 तक

किया गया है। इनमें से कुछ साक्षात्कार अत्यंत गहन और सारगर्भित थे। दूसरी ओर सहभागी प्रेक्षण भी चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमों से युक्त था। किसी भी अनुसन्धान की सफलता इस बात पर नर्भर करती है कि आंकड़ों के स्रोत विश्वसनीय और वैध हैं या नहीं। इसके अभाव में आंकड़ों के संकलन में त्रुटियां होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। सामाजिक अनुसन्धान में आंकड़ों को संकलित करने के विभिन्न प्रकार और स्रोत हैं। जिन आंकड़ों का अनुसन्धान में विशेष महत्व है, उन्हें दो भागों प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में विभाजित किया गया है।

3.7.1 प्राथमिक आंकड़े (Primary Data):- प्राथमिक आंकड़े उसे कहते हैं, जिसके अन्तर्गत शोधकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर या संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और मापनी या चेकलिस्ट द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है। इसे प्राथमिक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि शोधकर्ता पहली बार सामग्री को मूल स्रोतों से प्राप्त करता है। इस सामग्री को क्षेत्रीय सामग्री भी कहा जाता है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर प्रेक्षण करता है और संबंधित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करता है। ***श्री मती यंग*** के अनुसार-प्राथमिक आंकड़े प्रथम स्तर पर एकत्रित किये जाते हैं एवं इनके संकलन और प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस अधिकारी पर रहता है, जिसने मौलिक रूप से उन्हें संकलित किया था *(जैन, 2007, पृ. 126)*। आंकड़ों के संकलन में शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि (Personal Interest) भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। सामान्यतः शोधकर्ता जिस सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन करना है, उनका भली-भांति प्रेक्षण करके वह अनावश्यक सामग्री को छोड़कर उपयोगी सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ***पीटर एच. मैन*** के विचारानुसार- प्राथमिक स्रोत हमें प्रथम स्तर पर संकलित की गयी तथ्य-सामग्री प्रदान करते हैं अर्थात जिन लोगों ने उनका संकलन किया है, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी सामग्री के ये मौलिक रूप हैं *(जैन, 2007, पृ. 128)*। सामान्यतः प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने के निम्नलिखित दो स्रोत हैं-

(i) **समस्या से संबंधित व्यक्ति** – ये व्यक्ति न केवल भूतकाल की बीती-बातों के ज्ञान से अवगत कराते हैं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर उन घटनाओं का भविष्य भी बता सकते हैं। ये संबंधित व्यक्ति व्यवसायी, समाजसेवी, सामुदायिक नेता, अधिकारी और कर्मचारी इत्यादि हो सकते हैं।

(ii) **प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा-** शोधकर्ता स्वयं किसी समूह अथवा संगठन के सम्बन्ध में आंकड़ों का प्रेक्षण या अवलोकन करके उन्हें संकलित करता है।

3.8 प्रेक्षण प्रणाली (Observation Method) :- किसी घटना, तथ्य या पदार्थ की यथार्थता का ज्ञान तभी सम्भव है, जब हम उसे अपने सामने घटित होता हुआ देखें। प्राकृतिक विज्ञानों (Natural Sciences) में पदार्थ की सत्यता की जांच के लिए प्रेक्षण (Observation) को अधिक महत्व दिया जाता है और किसी तथ्य की विश्वसनीयता नेत्रों से देखकर की जाती है। एक वैज्ञानिक किसी तथ्य को तब तक स्वीकार नहीं करता है, जब तक वह अपने नेत्रों से उसको देख न ले। वह प्रेक्षण द्वारा कुछ भ्रांतियों को दूर कर सत्य के निकट पहुँचने का प्रयास करता है। ***गुड एवं हॉट*** ने अपनी पुस्तक ***मेथड्स इन सोशल रिसर्च (Methods in Social Research)*** में लिखा है कि –विज्ञान प्रेक्षण से आरम्भ होता है और इसके सत्यापन के लिए अन्त में प्रेक्षण पर ही लौट कर आना पड़ता है *(जैन, 2007 पृ. 148)*। प्रेक्षण प्रणाली आंकड़ों को संकलित करने की की विश्वसनीय विधि है तथा वैज्ञानिक विधि के समान ही है, क्योंकि जिस तरह एक वैज्ञानिक विभिन्न साधनों के माध्यम से मूल तथ्यों को एकत्रित करता है, नवीन सिद्धांत एवं विचारधारायें प्रदान करता है, उसी तरह प्रेक्षण प्रणाली के आधार पर समाज विज्ञानी भी अनेकानेक साधनों का प्रयोग करके निष्कर्ष प्राप्त करता है। इस तरह सामाजिक और मानविकी विषयों (Social and Humanistics Subjects) में भी प्रेक्षण प्रणाली के माध्यम से वर्ग, समुदाय, धर्म और संस्थाओं आदि के अध्ययन किये जाते हैं। ***सी. ए. मोजर*** के शब्दों में –ठोस अर्थ में प्रेक्षण का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक उपयोग है *(जैन, 2007 पृ. 149)*। एक समाज विज्ञानी अथवा शिक्षाशास्त्री के लिए प्रेक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामूहिक व्यवहार से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना है। यह प्रणाली सामाजिक घटनाओं, तथ्यों और मानवीय व्यवहार के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रतिमानों में विद्यमान महत्वपूर्ण तत्वों की प्रकृति का ज्ञान कराती है। ***एम. एच. गोपाल*** ने अपनी पुस्तक ***एन इंट्रोडक्शन टु रिसर्च प्रोसीजर इन सोशल साइंसेज (An Introduction to Research Procedure in Social Sciences)*** में प्रेक्षण के महत्व को इस रूप में बताया है कि - प्रेक्षण निम्नलिखित चार उद्देश्यों की पूर्ति करता है- प्रथम उद्देश्य के रूप में प्रेक्षण सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करता है। द्वितीय में यह किसी भी स्थिति को उत्पन्न करने वाली इकाइयों का अध्ययन

करता है। तृतीय यह उनके अन्तर्सम्बन्ध को आंशिक और पूर्ण स्तर पर समझता है, तथा चतुर्थ उद्देश्य के रूप में प्रेक्षण किसी स्थिति से संबंधित अन्य विवरण प्राप्त करता है *(शर्मा, 2007 पृ. 249)* । सामाजिक और मानविकी अध्ययनों में प्रेक्षण प्रणाली के बढ़ते उपयोग ने इसके अनेक रूपों को विकसित किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर प्रेक्षण प्रणाली को निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया है-

3.8.1 व्यक्तिगत प्रेक्षण (Individual Observation)- व्यक्तिगत प्रेक्षण वैयक्तिक स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसे पुनः दो उप-प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है-

3.8.2 अनियन्त्रित प्रेक्षण (Uncontrolled Observation)- यह व्यक्तिगत प्रेक्षण का ही एक प्रकार है, जिसमें प्रेक्षणकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर बिना किसी नियन्त्रण के किसी विशिष्ट घटनाक्रम का अध्ययन प्रेक्षण के माध्यम से करता है। वह घटनाओं का स्वाभाविक और यथार्थ रूप में अध्ययन बिना किसी औपचारिकता को ध्यान में रखे करता है। इसमें किसी प्रकार की संरचना और पूर्व नियोजन को निश्चित नहीं किया जाता है। इसे असंरचित अवलोकन, साधारण अवलोकन, स्वतन्त्र अवलोकन, अनौपचारिक प्रेक्षण और अनिर्देशित प्रेक्षण आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें सामाजिक घटनाओं को उनके यथार्थ स्वरूप में ही देखने का प्रयास किया जाता है। इसके तीन प्रकार हैं-

A. पूर्ण-सहभागी प्रेक्षण (Full-Participant Observation)

B. अर्ध-सहभागी प्रेक्षण (Quasi-Participant Observation)

C. असहभागी प्रेक्षण (Non-Participant Observation)

3.8.3 नियन्त्रित प्रेक्षण (Controlled Observation) – इस प्रकार के प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता और सामाजिक घटनाओं, दोनों पर नियन्त्रण रखा जाता है। प्रेक्षण की सम्पूर्ण संरचना और योजना पहले से ही निश्चित कर ली जाती है, उसके पश्चात प्रेक्षण द्वारा आंकड़ों का संकलन किया जाता है। यह प्रेक्षण लघु-समूह-अनुसन्धान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। इसमें पक्षपात से बचने के लिए शोधकर्ता को अपने प्रेक्षण लेखों की सहायता के लिए अनेक अनुसूचियां, प्रश्नावलियां और परीक्षण आदि का निर्माण करना पड़ता है, जिससे प्रेक्षण की एक व्यवस्थित रूपरेखा सुनिश्चित हो जाती है। इसमें शोधकर्ता के

समय, श्रम और धन का अपव्यय नहीं होता है साथ ही प्रेक्षण के परिणाम भी अत्यधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं।

3.8.4 सामूहिक प्रेक्षण (Mass Observation)- व्यक्तिगत प्रेक्षण की तरह सामूहिक प्रेक्षण भी अध्ययन की एक विधि है, जिसमें एक से अधिक प्रेक्षणकर्ता एक ही घटना का एक ही समय पर, परन्तु विभिन्न स्वरूपों में अध्ययन करते हैं। इसका प्रयोग सहकारी शोध (Co-Operative Research) अथवा अन्तःशास्त्रीय शोध (Inter-Disciplinary Research) में अधिक किया जाता है। इसमें किसी समूह का प्रेक्षण नहीं, वरन किसी समूह के द्वारा प्रेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के प्रेक्षण के प्रयोग का प्रचलन मुख्य रूप से अमेरिका और इंग्लैण्ड में आधिक है। वास्तव में इस प्रेक्षण विधि का सबसे पहला प्रयोग सन् 1944 में जमैका में शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा प्रेक्षण के उपरोक्त प्रकारों में से पूर्ण सहभागी प्रेक्षण के द्वारा प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया है।

3.9 द्वितीयक आंकड़े (Secondary Data):- शोध में द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के लिये विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, उपलब्ध शोध अध्ययन से संबंधित जानकारियों, सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों और इंटरनेट पर पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया गया है।

3.10 साक्षात्कार (Interview)- सामान्य भाषा में साक्षात्कार से आशय एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप के माध्यम से उसकी योग्यता, ज्ञान और अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त करना है, परन्तु सामाजिक और मानविकी अनुसन्धानों में साक्षात्कार एक विशिष्ट और सुनिश्चित अवधारणा है। व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, भावनाओं और आन्तरिक विचारों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी प्रणाली है। यह तथ्य-संकलन के उपकरण के रूप में एक पारस्परिक-प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से गुणात्मक और परिमाणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करके सामाजिक और मानविकी अनुसन्धानों को विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ अन्तर-दर्शन अथवा आन्तरिक रूप से देखना होता है अर्थात आन्तरिक तथ्यों को जानने की प्रक्रिया साक्षात्कार कहलाती है। ***सी. ए. मोजर*** के शब्दों में –सर्वेक्षण साक्षात्कार, साक्षात्कारकर्ता और विषयी के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य विषयी से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है *(शर्मा, 2007 पृ. 268)*। साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए ***पी. वी. यंग*** ने ***साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च***

(Scientific Social Survey Research) में लिखा है कि –साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में सामान्य कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए साधारणतया तुलनात्मक रूप से अनभिज्ञ है *(पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2005, पृ. 302)*। ***लूथर फ्राई*** ने भी साक्षात्कार को परिभाषित करते हुये लिखा है कि –साक्षात्कार सामग्री संकलन की एक प्रणाली है। यह किसी निश्चित उद्देश्य हेतु परिचर्चा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे से प्रेरित होते हुए उत्तर-प्रत्युत्तर करते हैं *(पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2005, पृ. 304)*। अध्ययन-प्रणाली के आधार पर साक्षात्कार को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है-

1. केन्द्रित अथवा निर्देशित साक्षात्कार (Focused or Structured Interview)
2. अकेन्द्रित अथवा अनिर्देशित साक्षात्कार (Unfocused or Unstructured Interview)
3. मिश्रित साक्षात्कार (Mixed Interview)
4. पुनरावृत्ति साक्षात्कार (Repeated Interview)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार के उपरोक्त प्रकारों में से केन्द्रित अथवा निर्देशित साक्षात्कार के द्वारा प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया है।

3.11.1 केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion)- इसे गहन साक्षात्कार और केन्द्रित अथवा निर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं। यह सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में होने वाले अध्ययनों में प्रयुक्त होने वाली गुणात्मक शोध विधि है *(राय एवं राय, 2014, पृ.268)*। यह एक कुशल मध्यस्थ के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार है। केन्द्रित समूह परिचर्चा में विषय विशेषज्ञों की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ***डब्ल्यू. एफ. आगबर्न*** द्वारा सार्वजानिक संदेशवाहन के साधनों का प्रभाव जानने के लिए किया गया था। इसमें शोधकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केन्द्रित रहकर ही विविध प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं। अध्ययनकर्ता जिन समाजशास्त्रीय परिकल्पनाओं अथवा शोधप्रश्नों का निर्माण करता है, उनसे संबंधित अध्ययन के सभी पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्रम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें मध्यस्थ का मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित समयावधि में अधिकाधिक विवेचन, परिचर्चा और राय उत्पन्न करना होता है। इसके अन्तर्गत प्रेरणा के स्रोत और अन्य गहन तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित होता है। इस प्रकार की केन्द्रित

समूह परिचर्चा में उत्तरदाता को भी अपने विचारों को विशिष्टतापूर्ण ढंग से व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। परन्तु साक्षात्कारकर्ता द्वारा इस बात का हर संभव प्रयास किया जाता है कि उत्तरदाता अध्ययन के विषय पर केन्द्रित रहते हुए ही प्रश्नों का उत्तर दें। इस साक्षात्कार का आयोजन वही साक्षात्कारकर्ता कर सकता है, जो अपने विषय से पूर्व परिचित हो तथा परिचर्चा के विषय पर क्यों और कैसे के भावार्थ को समझ सके *(पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2005, पृ. 312-315)*।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion) के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए किया गया है।

3.12 अनुसूची (Schedule) - सामाजिक और शैक्षणिक शोध के क्षेत्र में आंकड़ों के संकलन हेतु जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उनमें अनुसूची भी एक है। यह सामाजिक शोध की एक विशिष्ट विधि है, जिसमें शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होकर उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं को प्रपत्र में अंकित करता है। अनुसूची को परिभाषित करते हुए ***पी.वी. यंग*** ने लिखा है कि-अनुसूची औपचारिक और मानक शोधों में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण है, जिसका प्रमुख लक्ष्य बहुस्तरीय गणनात्मक आंकड़ों के संकलन में सहायता प्रदान करना है *(पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2005, पृ. 259)*। विद्वानों द्वारा अनुसूची को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है-

1. अवलोकन अनुसूची (Ovservation Schedule)
2. मूल्यांकन अनुसूची (Evaluation Schedule)
3. प्रलेख अनुसूची (Documentary Schedule)
4. साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule)
5. संस्था सर्वेक्षण अनुसूची (Institutional Survey Schedule)

साक्षात्कार के दौरान कुछ तथ्य और सूचनायें ऐसी होती हैं, जिन्हें स्मरण रखना शोधकर्ता के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) का प्रयोग शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। ***गुड तथा हॉट (Goode & Hatt,1952)*** ने ***मेथड्स इन सोशल रिसर्च (Methods in Social Research)*** में साक्षात्कार अनुसूची के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुये कहा है कि - जब साक्षात्कार के समय अनुसूची का

प्रयोग किया जाता है, तब उसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है *(पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2005, पृ. 290)* । इसमें अध्ययनकर्ता अध्ययन करने से पूर्व प्रश्नों की सूची तैयार करता है और साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता से मूर्त रूप में संपर्क स्थापित कर प्रश्नों को पूछकर उनके उत्तर साक्षात्कार अनुसूची प्रपत्र में स्वयं लिखता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता के द्वारा अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (Semistructured Interview Schedule) का निर्माण राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की चुनौतियों से संबंधित आंकड़ों को संकलित करने के लिये किया गया है।

3.13 विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis)- सामाजिक और शैक्षणिक शोध के क्षेत्र में विषयवस्तु विश्लेषण को एक वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है । इसे दस्तावेज-विश्लेषण भी कहा जाता है, जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किये जाने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गये संचारों अथवा उनके व्यवहारों के विषय में संकलित किये गये दस्तावेजों का विश्लेषण करता है और एक समग्र निष्कर्ष को प्राप्त करने का प्रयास करता है । ***करलिंगर, एफ. एन.*** ने विषय-वस्तु विश्लेषण के विषय में अपनी पुस्तक ***फाउंडेशन्स ऑफ़ बिहेविरल रिसर्च (Foundations of Behavioral Research)*** में लिखा है कि – विषय-वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचारों का एक क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और परिणामात्मक ढंग से विश्लेषण करने तथा अध्ययन करने की एक विधि है *(सिंह, 2006, पृ.236)* । ***केपलान*** ने विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक ***कंटेंट एनालिसिस एण्ड दी थ्यौरी ऑफ़ साईन (Content Analysis and the Theory of Sign)*** में लिखा है कि – विषय-वस्तु विश्लेषण दी हुई बातों के अंग के अर्थों का एक व्यवस्थित और मात्रात्मक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करती है *(जैन, 2007, पृ.144)* । इस प्रकार यह एक ऐसी विधि है, जिसमें संचार में निहित तथ्यों को अलग करके उन्हें अध्ययन के आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) के माध्यम से द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

3.14 शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियां (Statistical Techniques used in the Research Study) :- मनुष्य अपने विवेक और इच्छा शक्ति से प्रेरित होने के कारण कतिपय व्यवहार,

विशिष्ट अवस्थाओं जैसे- सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवेश तथा मूल्यों एवं भावनाओं में बंधा होता है, उनके परिवर्तित हो जाने पर सामान्य रूप से संभावित परिणाम का अनुमान लगाकर वह अपने व्यवहार को भी बदल लेता है। इसी प्रकार सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होती है और इनमें स्थिरता का अभाव पाया जाता है। इतना होते हुए भी सामाजिक विज्ञानों के तीव्रता से बदल रहे स्वरूप में तकनीकी विकास और संगणकों (Computers) के आविर्भाव के साथ ही सामाजिक विज्ञानों में पूर्व कथन की संभावनाओं में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। किसी भी सामाजिक घटना का यथा-तथ्य अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय विधियों (Statistical Methods) और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। उनके सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन किया जाता है और उनका वर्गीकरण तथा सारणीयन करके उन्हें सरल, बोधगम्य और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि उससे निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकें। ये विधियाँ और प्रविधियां सांख्यिकीय विश्लेषण की प्रारंभिक व्यवस्थायें ही हैं, जिनसे आंकड़ों की सभी विशेषताएँ स्पष्ट नहीं होती हैं। इस कारण शोधकर्ता आंकड़ों की विशेषताओं को कम से कम अंकों में सारांश रूप में प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकीय माध्यमों की गणना करके उस समूह या समस्या से संबंधित केन्द्रीय प्रवृत्ति (Central Tendency) का ज्ञान प्राप्त करता है। ***बाऊले*** के मतानुसार- सांख्यिकी वह विज्ञान है, जो सामाजिक व्यवस्था को सामूहिक रूप में सभी दृष्टिकोणों से मापता है *(पाण्डेय, 2005, पृ. 387-387)*। सांख्यिकी (Statisctics) का आशय ऐसे विज्ञान से होता है, जिसके द्वारा संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, विवेचन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षाशास्त्र आदि मानविकी विषयों में सांख्यिकी का प्रयोग इसी रूप में अधिक होता है। ***फर्ग्युसन(1966)*** के अनुसार – सांख्यिकी वैज्ञानिक कार्य प्रणाली की एक शाखा है, जिसके द्वारा प्रयोगों और सर्वेक्षणों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, विवरण और विवेचना किया जाता है *(सिंह, 2006, पृ. 486)*। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रयोगों और सर्वेक्षणों के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनका तब तक कोई औचित्य नहीं है जब तक कि उनका सांख्यिकी विश्लेषण नहीं किया जाता है। सांख्यिकी अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करके उनका वर्गीकरण, विश्लेषण और अर्थापन करती है, जिसके आधार पर शोधकर्ता अपने शोध के निष्कर्ष निकालता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध की मिश्रित विधि (Mixed Method) का प्रयोग होने के कारण वर्णनात्मक प्राचलिक सांख्यिकी (Descriptive Parametric Statistics) तथा आनुमानिक अप्राचलिक सांख्यिकी (Inferential Non-Parametric Statistics) प्रविधियों का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर शोधकर्ता के द्वारा मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एवं अर्थापन चतुर्थ अध्याय में विस्तारपूर्वक किया गया है। शोधकर्ता ने मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में उपलब्ध एस.पी.एस.एस. (SPSS-Statistical Package for the Social Sciences) मृदुल उपागम (Software) के 20वें वर्जन के साथ ही एक्सल मृदुल उपागम (Software) का भी प्रयोग किया गया है।

3.15 अध्याय सारांश (Chapter Conclusion):- प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा शोध प्रविधि एवं अभिकल्प को नियोजित रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए शोध उपकरणों मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी (PSSS) के निर्माण की प्रक्रिया तथा आंकड़ों के संकलन की अन्य विधियों, अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (Semistructured Interview Schedule), सहभागी प्रेक्षण (Participatory Obsrevation) और केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion) का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र हेतु संकलित आंकड़ों के विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियों के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गयी है।

प्रस्तुत अध्याय के आधार पर चतुर्थ अध्याय में शोधकर्ता के शोध विषय ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन और विस्तृत चर्चा शोध शीर्षक की परिधि में शोध अध्ययन की प्रकृति तथा उद्देश्यों के अनुसार योजनापूर्वक की गयी है।

*** ☼ ***

ग्राफ-3.3

समग्र शोध प्रविधि का आरेखीय प्रदर्शन

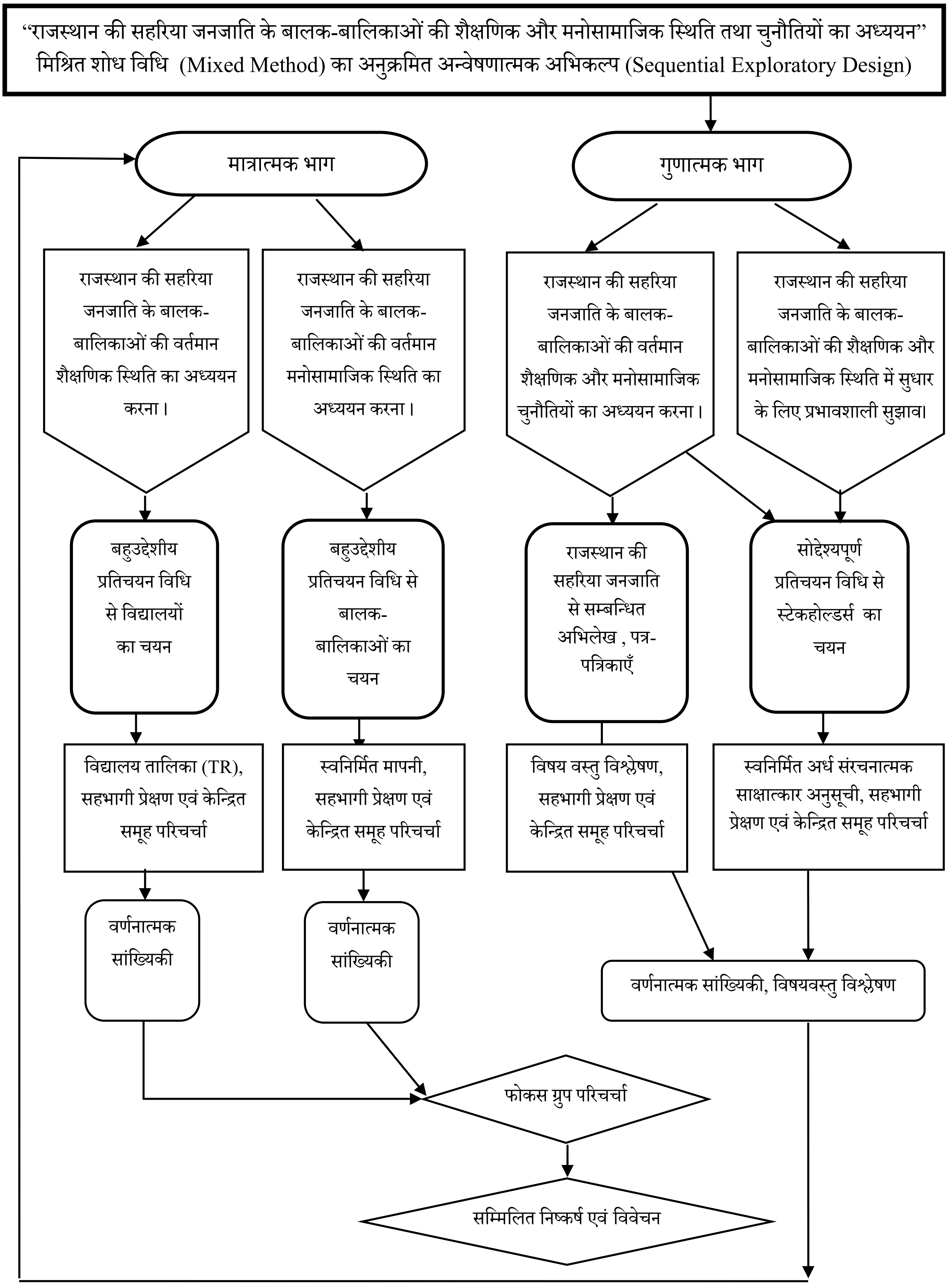

चतुर्थ अध्याय

आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन
(Analysis of Data and Interpretation of Results)

4.1. प्रस्तावना (Introduction)

तृतीय अध्याय में शोधकर्ता द्वारा शोध अध्ययन की विस्तृत रुपरेखा शोध प्रविधि शीर्षक के अन्तर्गत विस्तृत ढंग से प्रस्तुत की गयी है, जिसके आधार पर चतुर्थ अध्याय में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन सुनियोजित रुप से किया है।

किसी भी शोध अध्ययन में शोध उपकरणों के प्रशासन तथा फलांकन के पश्चात आंकड़ों का संकलन एवं व्यवस्थापन किया जाता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में संकलित आंकड़े अपरिपक्व आंकड़ों के रुप में पाये जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अपरिपक्व आंकड़ों को सुव्यवस्थित करके इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये कि अध्ययन की गई विशेषताओं का ज्ञान सुगमता से हो सके। इस समग्र प्रक्रिया को आंकड़ों का विश्लेषण कहा जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण से तात्पर्य यह है कि - अपरिपक्व आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाया जाये अथवा उपयुक्त सांख्यिकीय गणनाओं के द्वारा परिणामों को प्राप्त किया जाये। इस कार्य के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग एक आवश्यक उपकरण के रुप में किया जाता है। अतः सार्थक परिणामों की प्राप्ति हेतु आंकड़ों के विश्लेषण की सहायता से शोध प्रश्नों की पुष्टि की जाती है। ***एफ.एन.करलिंगर*** के अनुसार – विवेचन के अन्तर्गत विश्लेषण के परिणामों को लिया जाता है। इसके द्वारा अनुसंधान के अन्तर्गत प्राप्त सम्बन्धों की तर्क संगतता के आधार पर अनुमान लगाये जाते हैं और अध्ययन से संबंधित सम्बन्धों के प्रति निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं *(भटनागर, 2007, पृ. 90)* । ***डब्ल्यू कुक*** के शब्दों में – वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन के तथ्यों, परिणामों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के सम्बन्धों की खोज करता है। आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण परिकल्पनाओं के परीक्षण में सहायक होता है एवं शोधकर्ता शोध निष्कर्ष प्राप्त करता है *(भटनागर, 2007, पृ.91)* । ***पी. वी. यंग*** ने ***साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च (Scientific Social Survey and Research)*** में लिखा है कि –वैज्ञानिक विश्लेषण की यह धारणा है कि संकलित आंकड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और रहस्य खोलने वाली बातें और कुछ भी हैं, यदि सुव्यवस्थित आंकड़ों को सम्पूर्ण अध्ययन से संयुक्त किया जाए तो उनका एक

महत्वपूर्ण सामान्य भावार्थ प्रकट हो जाता है, जिसके माध्यम से प्रामाणिक व्याख्यायें निकाली जा सकती हैं *(पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2005, पृ. 379)* ।

प्रस्तुत अध्याय में आंकड़ों का विश्लेषण एवं अर्थापन शोधकर्ता द्वारा शोध अध्ययन के निम्नलिखित शोध प्रश्नों और शोध उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है ।

शोध अध्ययन के प्रश्न (Research Questions)-

प्रश्न (Question) Q_1 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति कैसी है ?

प्रश्न (Question) Q_2 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति कैसी है?

प्रश्न (Question) Q_3 - सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियां कौन-कौन-सी हैं ?

प्रश्न (Question) Q_4 - क्या नई सरकारी नीतियां सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों का समाधान कर पा रही हैं ?

शोध अध्ययन के उद्देश्य (Research Objectives)-

उद्देश्य (Objective) O_1 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना ।

उद्देश्य (Objective) O_2 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति का अध्ययन करना ।

उद्देश्य (Objective) O_3 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करना ।

उद्देश्य (Objective)O_4 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव देना ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणामों का अर्थापन करने के लिये प्रतिदर्श को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

1. राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया बालक।
2. राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया बालिकायें।
3. राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के शिक्षक – शिक्षिकायें, जनजाति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, शिक्षाधिकारी और सहरिया विकास परियोजनाधिकारी।

तालिका-4.1.1

सम्पूर्ण प्रतिदर्श चयन की श्रेणियों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	तहसील	शिक्षक	शिक्षिकायें	**सहरिया बालक-बालिकायें**		जनजाति के सदस्य	जन प्रतिनिधि	शिक्षा अधिकारी	परियोजना अधिकारी
				बालक	**बालिकायें**				
बारां	शाहबाद	8	2	105	50	10	3	3	2
	किशनगंज	8	2	105	50	10	2		
	योग	16	4	210	100	20	5	3	2
	कुल योग	360							

उपरोक्त तालिका- 4.1.1 में प्रस्तुत शोध अध्ययन के समग्र प्रतिदर्श (360) को दर्शाया गया है। शोध अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण और परिणामों का अर्थापन समग्र प्रतिदर्श के आधार पर चार खण्डों में किया गया है। शोध अध्ययन की मिश्रित विधि (Mixed Method) के अन्तर्गत अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) के प्रथम खण्ड में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन शोध अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार तालिकाओं एवं चित्रों की सहायता से किया गया है। उसके पश्चात द्वितीय खण्ड में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन शोध अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार तालिकाओं एवं दंड आरेखों की सहायता से किया गया है। तृतीय खण्ड में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। चतुर्थ खण्ड में सहरिया जनजाति के बालक-

बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझावों का विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार शोध शीर्षक के प्रमुख चरों से संबंधित प्राप्त आंकड़ों का उपयुक्त ढंग से व्यवस्थापन करके प्रस्तुत अध्याय को निम्नलिखित चार खण्डों में विभाजित किया गया है-

4.2 खण्ड- अ (Section-A):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति

प्रस्तुत खण्ड में राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है -

उद्देश्य (Objective) O_1 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।

प्रयुक्त उपकरण (Tool)– प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा पंजिका तालिका (TR), अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष सहभागी प्रेक्षण का प्रयोग किया गया।

प्रतिदर्श (Sample) – प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा बहुस्तरीय (Multistage) चयन विधि के अन्तर्गत दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Method) द्वारा चयनित बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के शोध हेतु चयनित राजकीय विद्यालयों, कार्यालय सहरिया विकास परियोजना अधिकारी और कार्यालय शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का प्रत्यक्ष सहभागी प्रेक्षण किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकी (Statistics)- प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु संकलित आंकड़ों के विश्लेषण में वर्णनात्मक अप्राचलिक सांख्यिकी (Descriptive Non-Parametric Statistics) विश्लेषण विधियों (प्रतिशत एवं विषयवस्तु विश्लेषण) का प्रयोग किया गया है।

प्रत्यक्ष सहभागी प्रेक्षण (Observation)-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु शोधकर्ता द्वारा सहभागी प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया गया।

शोधकर्ता कोर्स वर्क पूर्ण कर 10 मार्च 2015 से 5 दिसम्बर 2017 तक सहरिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र दांता ग्राम पंचायत के सहराना में रहने वाले श्री मोहन सिंह जोधा जी के मकान में जाकर रहने

लगा। यह ग्राम पंचायत सीताबाड़ी के निकट है, जहां से शाहबाद और किशनगंज लगभग समान दूरी पर स्थित हैं अर्थात सीतावाड़ी शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के केन्द्र में स्थित है । यहाँ रहकर शोधकर्ता ने सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की गतिविधियों का नजदीकी से प्रेक्षण किया । शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के 30 ग्रामों का भ्रमण किया और उनमें आवासित सहरिया परिवारों के सदस्यों के क्रिया-कलापों का प्रेक्षण किया। शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के 30 ग्रामों के 20 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालयी अभिलेखों का प्रेक्षण किया, जिनके आधार पर सहरिया बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति को जाना। इससे प्राप्त विवरण के आधार पर सहरिया बालक – बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति के अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर प्रेक्षण किया गया-

- **विद्यालय तक पहुँच (Access)**
- **विद्यालय में नामांकन (Enrollment)**
- **विद्यालय में ठहराव (Retention)**
- **अपव्यय-अवरोधन (Wastage & Stagnation)**
- **कक्षानुरुप मुख्य विषयों में उपलब्धि (Achievment)**

उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित आंकड़ों को सत्र 2016-17 की प्रवेश और नामांकन पंजिका तथा परीक्षाफल पंजिका के प्रेक्षण द्वारा संकलित किया गया । शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सहभागी प्रेक्षण के माध्यम से शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के केवल 20 ग्रामों और उनमें संचालित राजकीय विद्यालयों को ही उपयुक्त माना, क्योंकि शोधकर्ता अपने शोध की परिसीमाओं के अनुसार ही कार्य कर सकता है। यह विषय इतना विस्तृत है कि इस विषय पर अनेकानेक शोध हो सकते हैं । सहरिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का विस्तृत विवरण उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार निम्नलिखित है-

- **विद्यालय तक पहुँच (Access):-** राजस्थान के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में आवासित सहरिया बालक – बालिकाओं की विद्यालय तक पहुँच के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से किया गया है।

राजस्थान के बारां जिले में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक संरचना का विवरण इस प्रकार है-

तालिका-4.2.1

बारां जिले के ब्लॉकों में संचालित राजकीय विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

ब्लॉक का नाम	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय	नामांकन	राजकीय आदर्श माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	नामांकन
अंता	120	6919	59	5245
अटरु	115	6260	45 (पीपीपी)	4035
बारां	89	5978	39	3936
छबड़ा	170	10992	34	4180
छीपाबड़ोद	177	11795	36	5237
किशनगंज	158	10586	43	6152
मांगरोल	98	9679	38	5750
शाहबाद	135	10733	37	7285
योग	1062	72942	331	41820

(सन्दर्भ:कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बारां द्वारा साभार)

उपरोक्त तालिका-4.2.1 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बारां जिले के 1062 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2016-17 में कुल 72942 बालक-बालिकाओं का नामांकन है। इसी सत्र के 331 राजकीय आदर्श माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 41820 विद्यार्थियों का पंजीकरण है। अटरू ब्लॉक के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली को राजस्थान सरकार द्वारा पीपीपी (Public Private Partnership) मोड पर दिया गया है। यह जिले का एक मात्र विद्यालय है, जिसे राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य के 300 पीपीपी (Public Private Partnership) विद्यालयों की सूची में रखा गया है।

- **विद्यालय में नामांकन (Enrollment):-** राजस्थान के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में आवासित सहरिया बालक – बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से किया गया है।

तालिका-4.2.2

बारां जिले में सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्रं.स.	छात्रावास का नाम	संख्या	कक्षा							योग	क्षमता	पुराने विद्यार्थी	नवीन विद्यार्थी
			6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th				
1.	कन्या	7	21	45	43	90	55	58	24	334	345	222	128
2.	बालक	22	62	102	160	203	161	157	135	980	980	586	384
योग		29	83	147	203	293	216	215	159	1314	1325	808	512
(सन्दर्भ:कार्यालय सहरिया विकास परियोजना अधिकारी, शाहबाद द्वारा साभार)													

उपरोक्त तालिका-4.2.2 में सहरिया विकास परियोजना शाहबाद के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों का विवरण दिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत बारां जिले में कुल 29 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 7 कन्या छात्रावास और 22 बालक छात्रावास हैं। इन छात्रावासों में 334 बालिकायें और 980 बालक कुल 1314 विद्यार्थी आवासित हैं। जबकि इन छात्रावासों की समग्र रुप से कुल आवासी क्षमता 1325 विद्यार्थियों की है। बारां जिले के विभिन्न ब्लॉकों में छात्रावासों के अतिरिक्त सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों का भी संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.2.3

बारां जिले में सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

ब्लॉक का नाम	राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय				कुल नामांकन
	बालक	नामांकन	बालिका	नामांकन	
अंता	-	-	-	-	-
अटरु	1	113	-	-	113
बारां	1	85	-	-	85
छबड़ा	-	-	-	-	-
छीपाबड़ोद	-	-	-	-	-
किशनगंज	2	162+120	1	191	473
मांगरोल	-	-	-	-	-
शाहबाद	1	350	2	180+120	650
योग	5	830	3	491	1321

(सन्दर्भ:कार्यालय सहरिया विकास परियोजना अधिकारी, शाहबाद द्वारा साभार)

उपरोक्त तालिका-4.2.4 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बारां जिले के आठ ब्लॉकों में से चार ब्लॉकों में ही सहरिया विकास परियोजना के माध्यम से आठ राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अटरू ब्लॉक के कवाई ग्राममें एक राजकीय जनजाति बालक आवासीय

विद्यालय, बारां ब्लॉक के कोयला ग्राम में एक राजकीय जनजाति बालक आवासीय विद्यालय, किशनगंज ब्लॉक में तीन राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से एक बालक आवासीय विद्यालय रामगढ़ ग्राम में और एक बालक आवासीय विद्यालय परानिया ग्राम में और एक किशनगंज नगर में बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। शाहबाद ब्लॉक में भी तीन राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से एक हनोतिया ग्राम में बालक आवासीय विद्यालय और एक खुशियारा ग्राम में बालिका आवासीय विद्यालय तथा एक शाहबाद नगर में बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। शाहबाद और किशनगंज दोनों तहसीलों में कुल तीन बालक आवासीय विद्यालयों और तीन बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन सहरिया विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। समग्र रुप से इन राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल नामांकन संख्या सत्र 2016-17 के अनुसार 1321 है, जिनमें से 830 बालक और 491 बालिकायें पंजीकृत हैं। इन आवासीय विद्यालयों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.2. 4

बारां जिले में सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों का कक्षावार तालिका द्वारा प्रदर्शन

क्र.स.	आवासीय विद्यालय का नाम	संख्या	कक्षा							योग	क्षमता	पुराने विद्यार्थी	नवीन विद्यार्थी
			6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th				
1.	कन्या	3	85	85	90	90	55	58	28	491	510	316	191
2.	बालक	5	160	153	154	160	79	54	60	830	890	335	495
योग		8	245	238	244	250	134	112	88	1321	1400	651	686

(सन्दर्भ:कार्यालय सहरिया विकास परियोजना अधिकारी, शाहबाद द्वारा साभार)

उपरोक्त तालिका-4.2.4 में बारां जिले में सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालयों के विवरण को दर्शाया गया है। इन आवासीय विद्यालयों में केवल कक्षा छः से कक्षा बारह तक की कक्षाओं का संचालन होता है। सहरिया विकास परियोजना के

अन्तर्गत कुल 8 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 3 कन्या आवासीय विद्यालय और 5 बालक आवासीय विद्यालय हैं। इन आवासीय विद्यालयों में 491 बालिकायें और 830 बालक कुल 1321 विद्यार्थी आवासित रुप में अध्ययन कर रहे हैं। क्रमशः कक्षा छः में 85 बालिकायें और 160 बालक, कक्षा सात में 85 बालिकायें और 153 बालक, कक्षा आठ में 90 बालिकायें और 154 बालक, कक्षा नौ में 90 बालिकायें और 160 बालक, कक्षा दस में 55 बालिकायें और 79 बालक, कक्षा ग्यारह में 58 बालिकायें और 54 बालक और कक्षा बारह में 28 बालिकायें और 60 बालक अध्ययनरत हैं। इन आवासीय विद्यालयों की समग्र रुप से कुल आवासी क्षमता 1400 विद्यार्थियों की है। इनमें सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को 80 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश दिया जाता है, शेष 20 प्रतिशत सीटों पर अन्य जनजातियों के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।

तालिका-4.2.5

बारां जिले में संचालित राजकीय विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

जिला	**राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या**	**सत्र 2016-17 में नामांकन**	**माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय**	**संख्या**	**सत्र 2016-17 में नामांकन**
बारां	938	14918	सरकारी	284	41820
			निजी	251	31746
योग	938	14918		535	73566

(सन्दर्भ:कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बारां द्वारा साभार)

उपरोक्त तालिका-4.2.5 में बारां जिले में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण दर्शाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बारां जिले में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 938 है, जिनमें 14918 विद्यार्थी सत्र 2016-17 में अध्ययन हेतु पंजीकृत हैं। बारां जिले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 535 है, जिनमें से 284 विद्यालय राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के हैं और 251 विद्यालय निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों 41820 विद्यार्थी वर्तमान सत्र में अध्ययन कर रहे हैं। निजी माध्यमिक विद्यालयों में 31746 विद्यार्थी वर्तमान सत्र में अध्ययन हेतु पंजीकृत हैं। समग्र रुप से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2016-17 के दौरान 14918 बालक-बालिकायें अध्ययन कर रहे हैं। इसी

प्रकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सम्मिलित रुप से 73566 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शोधकर्ता के शोध अध्ययन का क्षेत्र बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज सहरिया बाहुल्य तहसीलें हैं। इन तहसीलों में संचालित राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है –

तालिका-4.2.6

शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में संचालित राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का तालिका द्वारा प्रदर्शन

तहसील	राजकीय विद्यालयों की संख्या		योग	प्राथमिक विद्यालयों में सहारिया नामांकन			उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहारिया नामांकन			कुल योग
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
शाहबाद	87	48	135	961	834	1795	1546	1313	2859	4554
किशनगंज	121	37	158	902	789	1691	1088	1042	2130	3821
कुल योग	208	85	293	1863	1623	3486	2634	2355	4989	8375

(सन्दर्भ:कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद एवं किशनगंज द्वारा साभार)

उपरोक्त तालिका-4.2.6 में बारां जिले की सहरिया बाहुल्य शाहबाद और किशनगंज तहसीलों का विवरण दर्शाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील में 135 और किशनगंज तहसील में 158 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। समग्र रुप से दोनों तहसीलों में 293 राजकीय प्राथमिक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। दोनों तहसीलों में 208 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 85 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल 8375 सहरिया बालक –बालिकायें कक्षा तीन से कक्षा आठ तक के विभिन्न वर्गों में पंजीकृत हैं, जिनमें से 4554 बालक-बालिकाएं शाहबाद तहसील में और 3821 बालक-बालिकायें किशनगंज तहसील में अध्ययन कर रहे हैं। दोनों तहसीलों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3486 बालक-बालिकायें नामांकित हैं तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समग्र रुप से 4989 बालक-बालिकायें वर्तमान सत्र 2016-17 में अध्ययन कर रहे हैं। दोनों तहसीलों के राजकीय प्राथमिक और राजकीय उच्च

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.2.7

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का तालिका द्वारा प्रदर्शन

तहसील	**प्राथमिक विद्यालयों में सहरिया नामांकन**			**उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहारिया नामांकन**			**कुल योग**
	बालक	**बालिका**	**योग**	**बालक**	**बालिका**	**योग**	
शाहबाद	961	834	1795	1546	1313	2859	4554
किशनगंज	902	789	1691	1088	1042	2130	3821
योग	1863	1623	3486	2634	2355	4989	8375

(सन्दर्भ:कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद एवं किशनगंज द्वारा साभार)

उपरोक्त तालिका-4.2.7 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील की सीमा में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1795 सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें पंजीकृत हैं, जिनमें से 961 बालक और 834 बालिकाएं हैं। इसी तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2859 बालक-बालिकायें पंजीकृत हैं, जिनमें से 1546 बालक और 1313 बालिकायें हैं। इसी प्रकार किशनगंज तहसील की सीमा में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1691 सहरिया जनजाति के बालक बालिकायें पंजीकृत हैं, जिनमें से 902 बालक और 789 बालिकाएं हैं। इसी तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2130 बालक-बालिकायें पंजीकृत हैं, जिनमें से 1088 बालक और 1042 बालिकायें वर्तमान सत्र 2016-17 में अध्ययन कर रहे हैं। सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव का विवरण इस प्रकार है।

- **विद्यालय में ठहराव (Retention):-** राजस्थान के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में आवासित सहरिया बालक – बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से किया गया है।

तालिका-4.2.8

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की विद्यालय में ठहराव की स्थिति का तालिका द्वारा प्रदर्शन

तहसील	**राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन**		**नामांकन**	**विद्यालय में ठहराव**	
	बालक	**बालिका**		**उपस्थिति प्रतिशत**	**अनुपस्थिति प्रतिशत**
शाहबाद	2407	2147	4554	65	35
किशनगंज	1990	1831	3821	75	25
योग	4397	3978	8375		

उपरोक्त तालिका-4.2.8 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समग्र रुप से सहरिया जनजाति के 8375 बालक-बालिकायें अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से 4554 बालक-बालिकायें शाहबाद तहसील के राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत हैं और 3821 बालक-बालिकायें किशनगंज तहसील के राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हैं । शाहबाद तहसील के राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की औसत उपस्थिति 65 प्रतिशत और अनुपस्थिति 35 प्रतिशत है । दूसरी ओर किशनगंज तहसील के राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत और अनुपस्थिति 25 प्रतिशत है । सहरिया जनजाति में शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण बालक-बालिकायें सत्र के मध्य में ही विद्यालय को छोड़ देते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है।

- **अपव्यय-अवरोधन (Wastage & Stagnation):-** राजस्थान के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में आवासित सहरिया बालक – बालिकाओं के अपव्यय-अवरोधन के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से किया गया है।

तालिका-4.2.9

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की अपव्यय-अवरोधन की स्थिति का तालिका द्वारा प्रदर्शन

तहसील	**राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन**		**कुल नामांकन**	**अपव्यय-अवरोधन**	
	बालक	**बालिका**		**अनुत्तीर्ण प्रतिशत**	**विद्यालय छोड़ने का (%)**
शाहबाद	2407	2147	4554	शून्य	45
किशनगंज	1990	1831	3821	शून्य	35
योग	4397	3978	8375	शून्य	

उपरोक्त तालिका-4.2.9 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का कुल नामांकन 8375 है, जिनमें से 4554 बालक-बालिकायें शाहबाद और 3821 बालक-बालिकायें किशनगंज तहसील में नामांकित हैं। सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ने वाले सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का प्रतिशत किशनगंज तहसील की अपेक्षा शाहबाद तहसील में अधिक है।

- **कक्षानुरुप मुख्य विषयों में उपलब्धि (Achievment):-** राजस्थान के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में आवासित सहरिया बालक – बालिकाओं की कक्षानुरुप मुख्य विषयों में उपलब्धि के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से किया गया है।

सामान्यतः वर्ष 2010 के पश्चात बालक-बालिकाओं की विभिन्न विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि की मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन किया गया है। इससे पूर्व मूल्यांकन की जो पद्धति प्रचलित थी वह अंकीय थी, लेकिन वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार-2009 (RTE-2009) कानून अस्तित्व में आने से मूल्यांकन की ग्रेडिंग पद्धति के आधार पर बालक-बालिकाओं का वर्षपर्यन्त मूल्यांकन किया जाने लगा। मूल्यांकन की यह पद्धति सतत् एवं समग्र मूल्यांकन (Continuous Comprehensive Evaluation, CCE) के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में बालक-बालिकाओं के वार्षिक मूल्यांकन हेतु राजकीय विद्यालयों में वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका उपलब्ध करायी जाती है। इस पंजिका में विभिन्न विषयों में अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष ग्रेड का अंकन सतत् रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन पुस्तिका (चैक लिस्ट) के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन की इस पद्धति में बालक-बालिकाओं के रचनात्मक और योगात्मक कौशलों को प्राथमिकता दी जाती है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना है। यदि कोई बालक या बालिका किसी एक विषय अथवा क्षेत्र में कुशलता रखता है, तो उसे उसी क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि - यदि कोई बालक या बालिका शैक्षणिक रुप से कमजोर है और कला संकाय अथवा खेलकूद में बेहतर कर रही है, तो उसे इस क्षेत्र में अधिक अंक मिल जाते हैं। व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन वर्ष में दो बार एसए-2 और एसए-4 के समय किया जाता है। राजस्थान में सी.सी.ई. के

अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं का मूल्यांकन ग्रेड लिखने का आधार पांच श्रेणियों A^+, A, B, C और D हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक विषयों के मूल्यांकन में A^+ ग्रेड किसी विषय में 91-100 अंक लाने पर, A ग्रेड किसी विषय में 76-90 अंक प्राप्त करने पर, B ग्रेड किसी विषय में 61-75 अंक लाने पर, C ग्रेड 41-60 अर्जित करने पर और D ग्रेड तब दिया जाता है, जब किसी बालक-बालिका ने किसी शैक्षणिक विषय में 0-40 अंक प्राप्त किये हों। व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा के मूल्यांकन में A^+ या A ग्रेड बालक-बालिका को तब दिया जाता है, जब वह स्वतंत्र रुप से कार्य करने में सक्षम हो या उसमें अपेक्षित स्तर की समझ हो अथवा दक्षता हो, शिक्षक की सहायता से कार्य करने में सक्षम होने या माध्यम स्तर की समझ अथवा दक्षता होने पर B ग्रेड दिया जाता है, शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य करने या प्रारम्भिक स्तर की समझ अथवा दक्षता होने पर उक्त बालक-बालिका C ग्रेड अर्जित करते हैं। शिक्षक की विशेष सहायता से भी कार्य न कर पाने की स्थिति या प्रारम्भिक स्तर की समझ अथवा दक्षता न होने पर विद्यार्थी D ग्रेड प्राप्त करते हैं। वर्ष 2014-15 के सत्र से आठवीं कक्षा में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा के आधार पर करने का निर्णय केन्द्र सरकार के द्वारा लिया गया और इसे वर्ष 2015-16 के सत्र से अनिवार्य बनाया गया। राजस्थान राज्य में आठवीं बोर्ड परीक्षा जिला स्तरीय डाइट के माध्यम से आयोजित होती थी। परन्तु वर्ष 2014-15 के सत्र से इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। इससे उनकी विभिन्न विषयों में उपलब्धि के स्तर में भी परिवर्तन हुआ है, जिसका विवरण इस प्रकार है

तालिका-4.2.10

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि का तालिका द्वारा प्रदर्शन

तहसील	कक्षा	कुल नामांकन			बालक-बालिकाओं की प्रमुख विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि (ग्रेड में) सत्र 2016-17																			
					हिन्दी					अंग्रेजी					गणित					विज्ञान				
					A^+	A	B	C	D	A^+	A	B	C	D	A^+	A	B	C	D	A^+	A	B	C	D
शाहबाद	5^{th}	514	बी*	275	15	165	90	5	0	0	15	73	175	12	20	173	68	14	0	13	62	87	113	0
			जी*	239	17	150	65	7	0	2	15	50	165	7	12	83	97	43	4	9	15	63	152	0
	6^{th}	392	बी*	228	9	152	58	9	0	3	11	58	152	4	5	115	98	10	0	9	9	58	152	0
			जी*	164	11	103	43	7	0	9	11	41	103	0	4	109	45	6	0	11	11	39	103	0
	7^{th}	358	बी*	186	21	113	43	9	0	5	7	52	122	0	11	87	78	10	0	7	31	53	95	0
			जी*	172	14	114	39	5	0	3	9	39	119	2	8	81	78	3	2	12	44	49	67	0
	8^{th}	291	बी*	162	5	115	38	4	0	4	5	38	115	0	5	56	89	12	0	5	32	38	87	0
			जी*	129	9	92	23	5	0	3	9	20	97	0	9	57	44	19	0	9	18	68	34	0
किशनगंज	5^{th}	235	बी*	128	11	91	20	6	0	3	5	21	97	2	7	59	56	6	0	6	9	41	72	0
			जी*	107	12	77	13	5	0	4	7	19	77	0	4	47	49	5	2	5	17	36	49	0
	6^{th}	337	बी*	171	13	112	41	5	0	3	4	51	113	0	3	68	71	25	4	13	16	43	99	0
			जी*	166	12	103	44	7	0	3	8	39	116	0	7	68	75	16	0	5	13	46	102	0
	7^{th}	291	बी*	142	16	151	66	9	0	4	7	38	92	1	9	47	58	28	0	3	11	66	62	0
			जी*	149	14	93	32	10	0	5	14	36	94	0	6	54	66	23	0	7	8	41	93	0
	8^{th}	198	बी*	106	11	79	13	3	0	3	5	14	84	0	5	35	62	4	0	5	9	13	79	0
			जी*	92	9	67	11	5	0	2	7	28	55	0	4	43	31	12	2	7	11	43	31	0

(तालिका में प्रयुक्त बी* बालकों का और जी* बालिकाओं का संकेत देता है।)

उपरोक्त तालिका-4.2.10 में बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि को दर्शाया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि-

- शाहबाद तहसील से चयनित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं ने सर्वाधिक हिन्दी विषय में A^+ और A ग्रेड प्राप्त किया है, जबकि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय में B और C ग्रेड लाने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या अधिक है।
- अंग्रेजी और गणित विषयों में कुछ बालक-बालिकाओं ने D ग्रेड भी प्राप्त किया है, जबकि हिन्दी और विज्ञान में किसी भी बालक-बालिका ने D ग्रेड प्राप्त नहीं किया है।
- किशनगंज तहसील से चयनित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं ने सर्वाधिक हिन्दी विषय में A^+ और A ग्रेड प्राप्त किया है, जबकि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में विषय में B और C लाने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या अधिक है।
- अंग्रेजी और गणित विषयों में कुछ बालक-बालिकाओं ने D ग्रेड भी प्राप्त किया है, जबकि हिन्दी और विज्ञान में किसी भी बालक-बालिका ने D ग्रेड प्राप्त नहीं किया है।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की अंग्रेजी विषय में शैक्षणिक उपलब्धि अन्य विषयों की अपेक्षा कमजोर है। हिन्दी विषय में A^+ और A ग्रेड अधिक बालक-बालिकाओं द्वारा अर्जित किया गया है।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि सहरिया बालक-बालिकाओं की हिन्दी विषय में रुचि अधिक है।
- यह तालिका यह तथ्य भी स्पष्ट करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या उच्च प्राथमिक कक्षाओं की अपेक्षा अधिक है और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या प्रत्येक कक्षा में कम है जो कि लैंगिक असामनता की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। इसका कारण यह है कि सहरिया जनजाति के प्रतिभाशाली बालक-बालिकायें प्राथमिक कक्षा राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण करने के पश्चात उच्च प्राथमिक अथवा

माध्यमिक स्तर का अध्ययन करने हेतु सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों को प्राथमिकता देते हैं। बालिकायें सहराना में रहकर घर के विभिन्न कार्य जैसे-छोटे भाई या बहन की देखभाल करना, जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाना और परिवार के सदस्यों हेतु भोजन तैयार करना इत्यादि।

उपरोक्त के अतिरिक्त सहरिया बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति को जानने के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अध्ययन किया गया एवं विशेषज्ञों से भी केन्द्रित समूह परिचर्चा की गयी, जिनसे प्राप्त प्रमुख जानकारियों का विवरण इस प्रकार है-

- **माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन-** बारां जिले में 324 माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शाहबाद तहसील में 127 माँ बाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें लाभान्वित होने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या 3810 से अधिक है। किशनगंज तहसील में 136 माँ-बाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें लाभान्वित बालक-बालिकाओं की संख्या 4080 से अधिक है। इस प्रकार शाहबाद और किशनगंज दोनों तहसीलों के माँ बाड़ी केन्द्रों में कुल 7890 सहरिया बालक-बालिकायें पंजीकृत हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उदृेश्य सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में 6 से 12 वर्ष की आयु के शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ये केन्द्र शिक्षा से वंचित सहरिया बालक-बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनौपचारिक शिक्षा से भी जोड़ते हैं। सहरिया जनजाति की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना भी इन्हीं केन्द्रों का उत्तरदायित्व है। इन माँ बाड़ी केन्द्रों में शिक्षा सहयोगी का कार्य करने वाले युवक और युवतियां सहरिया जनजाति के ही होते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन स्वच्छ परियोजना के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक माँ बाड़ी केन्द्र में 30 सहरिया बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त केन्द्र पर नामांकित बच्चों को मध्याह्न भोजन, एक समय का अल्पाहार, विद्यालय की पोशाक आदि नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। माँ बाड़ी केन्द्र स्वच्छ परियोजना द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सहरिया जनजातीय परिवार जो रोजगार हेतु बाहर चले जाते हैं। उनके बालक-बालिकाओं को इन केन्द्रों पर प्रातःकाल 8 बजे

से सायंकाल 6 बजे तक रखकर अध्ययन के साथ-साथ घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे बालक-बालिकाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को आत्मसात कर लें।

- **नि:शुल्क पोशाक वितरण (कक्षा 1 से 5)-** सहरिया आदिम जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। फलस्वरुप वे अपने पाल्यों के लिए विद्यालय की पोशाक पर होने वाले व्यय को वहन करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वर्ष 2004-05 से नि:शुल्क पोशाक वितरण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बारां जिले के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के नियमित अध्ययनरत सहरिया बालक-बालिकाओं को विद्यालय पोशाक उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति के बालक–बालिकायें विद्यालय में विद्यालयी पोशाक पहन कर आ सकें। इस योजना का क्रियान्वयन सभी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।
- **नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5)-** आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े होने के कारण सहरिया जनजाति के अभिभावक अपने बच्चों के लिए मंहगी स्टेशनरी उपलब्ध कराने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए सहरिया बालक-बालिकाओं को स्टेशनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बारां जिले के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के नियमित अध्ययनरत सहरिया बालक-बालिकाओं को स्टेशनरी क्रय करने हेतु शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में नकद राशि वितरित कर दी जाती है, ताकि वे स्टेशनरी को क्रय कर सकें। इस योजना का क्रियान्वयन भी सभी ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।
- **नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक एवं विद्यालय फीस वितरण (कक्षा 6-12 तक)-** सहरिया छात्र-छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का शैक्षणिक विकास करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। बारां जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया विद्यार्थियों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला शिक्षा अधिकारी बारां और जिले के सभी ब्लॉक प्रारम्भिक

शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 के नियमित सहरिया छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्टेशनरी, पोशाक और विद्यालय शुल्क की राशि पुनर्भरण के रुप में शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2010-11 से इस योजना के अन्तर्गत देय राशि 1500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 800 रुपये पोशाक हेतु और 500 रुपये लेखन सामग्री के लिए तथा 200 रुपये विद्यालय शुल्क हेतु होते हैं।

- **प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति-** सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा शैक्षणिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देष्य से यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना का लाभ आर्थिक रुप से विपन्न सहरिया परिवार के बालक-बालिकाओं को दिया जाता है, ताकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वे शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहें। इस योजना के अंतर्गत बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति के बालक-बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होने पर तथा आगे की कक्षा में अध्ययन करने के लिए 6000 रुपये की छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से मंगवाये जाते हैं। तदोपरान्त सहरिया विकास परियोजना कार्यालय में स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी को वितरण हेतु आवंटित कर दी जाती है।
- **आश्रम छात्रावासों का संचालन-** इस योजना के अंतर्गत सहरिया आदिम जनजाति के ऐसे बालक-बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है, जो अपने गृह निवास स्थान से दूर विद्यालय में अध्ययनरत हैं। ऐसे बालक-बालिकाओं को विद्यालय के निकट ही रहने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनका अध्ययन सतत् रुप से बिना किसी अवरोध के चलता रहे। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत राजस्थान की सहरिया जनजाति के लिए वर्तमान में 29 आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 22 छात्रावास बालकों के लिये और 7 छात्रावास बालिकाओं के लिये हैं। छात्रावासों का संचालन वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ किया गया था और समय-समय पर आवश्यकतानुसार छात्रावासों की संख्या में वृद्धि की जाती रही है। शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें जो आश्रम छात्रावासों में रहकर अध्ययन करते हैं। उन सभी बालक-बालिकाओं को आवास और भोजन की सुविधा के साथ-साथ पोशाक , कोचिंग एवं अन्य सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

- **उच्च माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा हेतु जनजातीय बालिकाओं को आर्थिक सहायता-** यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहरिया जनजाति की बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे सहरिया जनजाति की ऐसी बालिकायें जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं (11वीं और 12वीं) में नियमित रुप से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं तथा जिन्हें छात्रावास में निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनको आर्थिक सहायता देकर अवरोध से मुक्त अध्ययन को नियमित रुप से जारी रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। अहर्ता पूरी करने वाली जनजातीय छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारुप में गत वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका, जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जाता है। संस्था प्रधान अपनी संस्था में अध्ययनरत सभी पात्र जनजातीय छात्राओं की सूची प्रमाणित कर अतिरिक्त कलक्टर एवं सहरिया विकास परियोजना अधिकारी शाहबाद को भुगतान हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने पर धन का आवंटन कर दिया जाता है। शिक्षा सत्र के आरम्भ में 10 माह के लिए 350 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता जनजातीय छात्राओं को प्रदान जाती है।
- **सहरिया छात्रों को उपस्थिति प्रोत्साहन-** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया आदिम जनजाति की बालक-बालिकाओं के लिए इस योजना का संचालन किया जाता है। सहरिया जनजाति के कुछ माता-पिता स्वयं कार्य न करके अपने पाल्यों को विद्यालय न भेजकर कार्य करने के लिए जंगल अथवा खेतों में भेज देते हैं। इसलिए इन बालक-बालिकाओं की विद्यालय में नियमित उपस्थिति और ठहराव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए प्रतिमाह 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपस्थिति होने पर उस सहरिया बालक-बालिका को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे विद्यालय में नियमित रुप से उपस्थित हो सकें। यह योजना वर्ष 2007-08 से संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत

उपस्थित रहने वाले सहरिया बालक-बालिकाओं को क्रमशः कक्षा 6वीं एवं 7वीं में 70 रुपये, कक्षा 8वीं को 80 रुपये, कक्षा 9वीं एवं 10वीं को 90 रुपये, कक्षा 11वीं और 12वीं को 100 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- **आवासीय विद्यालय का संचालन एवं संस्थापन-** विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें निर्धनता के कारण अपने अध्ययन को आवास, भोजन, बिजली, पानी और शैक्षणिक वातावरण इत्यादि की सुविधाओं के अभाव में सतत् रुप से जारी नहीं रख पाते हैं। ऐसे बालक-बालिकाओं को निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार से भारतीय संविधान की धारा-275 (1) के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, ताकि सहरिया बालक-बालिकायें उसी में आवास कर परिसर में अध्ययन कर सकें। यह योजना वर्ष 2002-03 से प्रारम्भ की गई है। इन आवासीय विद्यालयों में सहरिया बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर उच्च माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ नामांकित बालक-बालिकाओं को निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित बालक-बालिकाओं को आवास और शिक्षा की समस्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती हैं।

4.2.1 **निष्कर्ष (Conclusion):** प्रस्तुत शोध अध्ययन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण प्रथम उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न तथ्य शोधकर्ता के सम्मुख परिलक्षित हुये हैं, जो सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, जिनका बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार है-

- **विद्यालय तक पहुँच (Access)**

सहरिया बाहुल्य शाहबाद तहसील में संचालित राजकीय विद्यालयों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा यह जा सकता है कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की विद्यालय तक पहुँच पर्याप्त रुप में है अर्थात प्रत्येक ग्राम में या उसके निकट राजकीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

- **विद्यालय में नामांकन (Enrollment)**

शाहबाद तहसील की सीमा में संचालित राजकीय विद्यालयों में पंजीकृत बालक और बालिकाओं के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।

- **विद्यालय में ठहराव (Retention)**

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें यदि विद्यालय में प्रवेश ले भी लेते हैं तो दीपावली के बाद उनके माता-पिता मजदूरी करने अन्य प्रदेशों जैसे गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बड़े शहरों में अपने परिवार सहित चले जाते हैं। इससे उनके बालक या बालिकाओं का नाम निरंतर अनुपस्थिति के कारण विद्यालय नामांकन पंजिका से पृथक कर दिया जाता है। ऐसे माता-पिता जो अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में नहीं जाते हैं, वे अपने बालक-बालिकाओं को प्रातःकाल विभिन्न कार्यों में लगा देते हैं, जिससे मध्याह्न भोजन के पश्चात मध्य अवकाश में बालक-बालिकायें घर चले जाते हैं कुछ ही बालक-बालिकायें वापस विद्यालय आते हैं।

सहरिया बालक-बालिकाओं को उनके माता-पिता फसल काटने के दौरान विद्यालय नहीं भेजते हैं। इस दौरान विद्यालयों में सहरिया बालक-बालिकाओं की उपस्थिति भी नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि वे बच्चे अपने माता-पिता के साथ या अकेले ही खेतों में फसल काटने के पश्चात खाली खेत में फसल के अवशेष जैसे-गेहूँ की वालियां एकत्र करते हैं। इसके साथ ही अन्य जनजाति के पशुओं को भी चराते हैं। बालिकायें ईधन हेतु जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव संतोषजनक नहीं है।

- **अपव्यय –अवरोधन (Wastage & Stagnation)**

शोधकर्ता को सहरिया क्षेत्र में रहकर गत कई वर्षों से शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करने वाले विशेषज्ञों के साक्षात्कार से सहरिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति के विषय में कुछ महत्वपूर्णआंकड़े प्राप्त हुए, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि -शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें सत्र के मध्य में ही विद्यालय को छोड़ देते हैं

। इसके पार्श्व में आलस्य, जागरूकता का अभाव, समय पर उचित परामर्श न मिलना, निर्धनता, सामान्य जनजाति की उपेक्षा और आय के साधनों की कमी इत्यादि का होना भी सम्मिलित हैं।

- **कक्षानुरुप मुख्य विषयों में उपलब्धि (Achievment)**

राजस्थान में बालक-बालिकाओं के वार्षिक मूल्यांकन हेतु राजकीय विद्यालयों में वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका उपलब्ध करायी जाती है। इस पंजिका में विभिन्न विषयों में अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष ग्रेड का अंकन सतत् रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन पुस्तिका (चैक लिस्ट) के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन की इस पद्धति में बालक-बालिकाओं के रचनात्मक और योगात्मक कौशलों को प्राथमिकता दी जाती है। परीक्षाफल पंजिका का अवलोकन करने पर शोधकर्ता को ज्ञात हुआ कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की गणित एवं अंग्रेजी विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि अन्य विषयों की अपेक्षा कमजोर है, जबकि हिन्दी, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि उत्तम है। वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका के अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि संतोषजनक नहीं है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि राजस्थान राज्य के बारां जिले की सहरिया बाहुल्य शाहबाद और किशनगंज तहसीलों की विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। यदि तुलनात्मक रुप से देखा जाये तो किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से अधिक अच्छी है। इसके पार्श्व में किशनगंज तहसील का बारां नगरीय सीमा के नजदीक होना और बाह्य समाजों का अधिक प्रभाव होना है।

4.3 खण्ड- ब (Section-B):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति

प्रस्तुत खण्ड में राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.3.1

आंकड़ों के संकलन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

आंकड़ों के संकलन में प्रयुक्त उपकरण	उपकरण प्रशासित प्रतिदर्श (N=310)				आंकड़ों के विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकी
	शाहबाद (n=155)		किशनगंज (n=155)		
मनोसामाजिक स्थिति मापनी	बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें	वर्णनात्मक अप्राचलिक (प्रतिशत) एवं प्राचलिक सांख्यिकी (मध्यमान, मानक विचलन टी-क्रान्तिक अनुपात)
प्रत्यक्ष सहभागी प्रेक्षण	105	50	105	50	

उद्देश्य (Objective) O_2 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

प्रयुक्त उपकरण (Tool)– प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा मनोसामाजिक स्थिति मापनी का प्रयोग किया गया, जिसे चार उपक्षेत्रों सामाजिक समायोजन, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक भय और सामाजिक अभिवृत्ति में वर्गीकृत किया गया है। इसके प्रत्येक उपक्षेत्र में 10-10 कथनों पर हितधारकों की प्रतिक्रियाएं ली गयी हैं। इस प्रकार मनोसामाजिक स्थिति मापनी में कुल 40 कथनों पर हितधारकों की प्रतिक्रियायें शोधकर्ता द्वारा प्राप्त की गयीं हैं तथा इससे संबंधित चारों उपक्षेत्रों का पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के अनुसार विश्लेषण किया गया है।

प्रतिदर्श (Sample) - प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा बहुस्तरीय (Multistage) चयन विधि द्वारा चयनित बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के शोध हेतु चयनित राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के (310) बालक-बालिकाओं की प्रतिक्रियाओं को मनोसामाजिक स्थिति निर्धारण मापनी पर प्राप्त किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकी (Statistics)- प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु संकलित मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में वर्णनात्मक प्राचलिक (मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात) सांख्यिकी विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शोधकर्ता द्वारा शोध के उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सांख्यिकीय विधियों द्वारा परिकल्पनाओं के परीक्षण के आधार पर शोध के परिणामों की पुष्टि की गयी है।

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक - बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबन्धित चारों उपक्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं

विवेचन निम्नलिखित तालिका-4.3.2 के अनुसार पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के आधार पर किया गया है।

तालिका-4.3.2

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े

क्र. सं.	**समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्र**	**शाहबाद**				**टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)**	**मुक्तांश (df)**	**सार्थकता स्तर (p)**	**परिणाम (Result)**
		बालक (n=105)		**बालिकाएं (n=50)**					
		मध्यमान (M)	**मानक विचलन (σ_d)**	**मध्यमान (M)**	**मानक विचलन (σ_d)**				
1.	समग्र मनोसामाजिक स्थिति	129.13	11.57	125.92	8.42	1.97	153	0.01	स्वीकृत
2.	सामाजिक समायोजन	28.79	3.36	29.92	3.27	1.97	153	0.01	स्वीकृत
3.	सामाजिक सहभागिता	30.90	7.99	29.26	4.78	1.98	153	0.01	स्वीकृत
4.	सामाजिक भय	35.14	2.54	33.32	3.58	1.98	153	0.01	स्वीकृत
5.	सामाजिक अभिवृत्ति	34.23	2.41	33.52	3.51	1.97	153	0.01	स्वीकृत

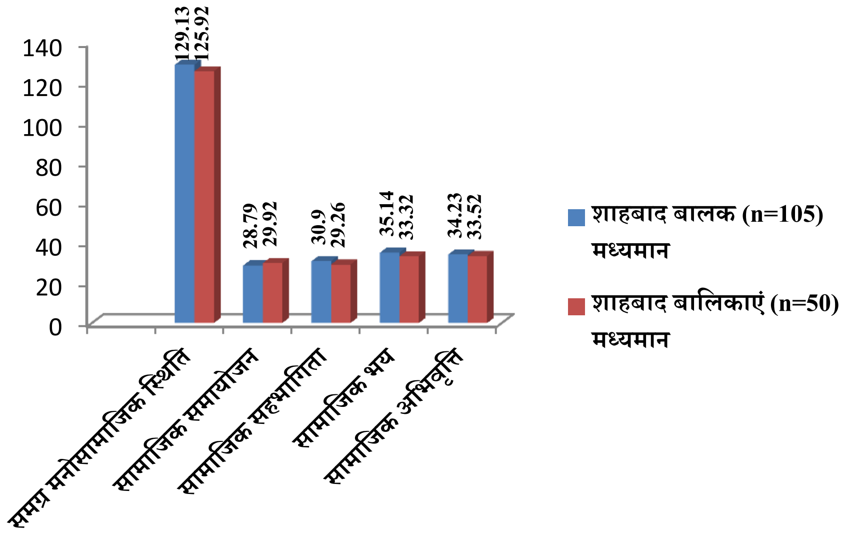

दंड आरेख-4.3.1 (शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन)

उपरोक्त तालिका-4.3.2 एवं दंड आरेख-4.3.1 में शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबंधित चारों उपक्षेत्रों के विवरण को

प्रदर्शित किया गया है। शोधकर्ता द्वारा मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित चारों उपक्षेत्रों का विश्लेषण पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के अनुसार किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$1 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.1 शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.3 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.3

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	129.13	11.57	**1.97**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	125.92	8.42				

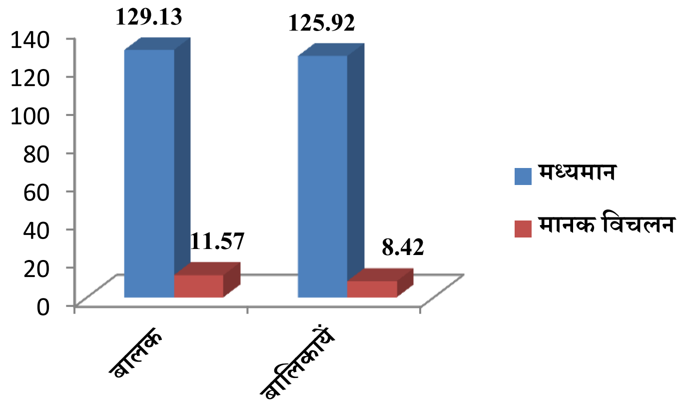

दंड आरेख-4.3.2 (शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति)

उपरोक्त तालिका-4.3.3 एवं दंड आरेख-4.3.2 में शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के मध्यमान क्रमशः 129.13 तथा 125.92 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 11.57 तथा 8.42 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 125.92 बालकों के मध्यमान 129.13 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालकों की मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$2 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.2 शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक समायोजन संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.4 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.4

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	28.79	3.36	**1.97**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	29.92	3.27				

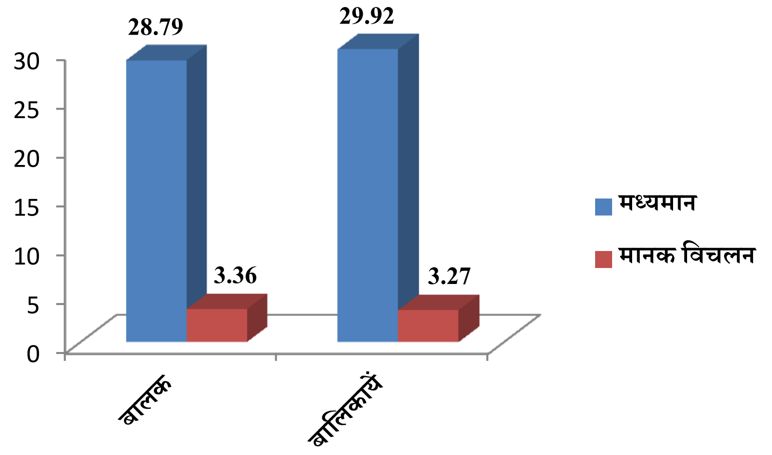

दंड आरेख-4.3.3 (शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक समायोजन)

उपरोक्त तालिका-4.3.4 एवं दंड आरेख-4.3.3 में शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं के सामाजिक समायोजन के मध्यमान क्रमशः 28.79 तथा 29.92 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 3.36 तथा 3.27 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 29.92 बालकों के मध्यमान 28.79 की तुलना में कुछ अधिक है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 3$ का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.3 **शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-**

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक सहभागिता संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.5 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.5

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	30.90	7.99	**1.98**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	29.26	4.78				

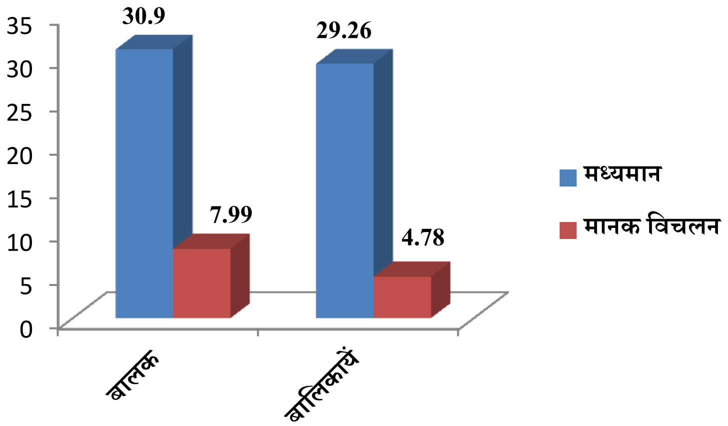

दंड आरेख-4.1.4 (शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक सहभागिता)

उपरोक्त तालिका-4.3.5 एवं दंड आरेख-4.3.4 में शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है

कि 105 बालक और 50 बालिकाओं के सामाजिक समायोजन के मध्यमान क्रमशः 30.90 तथा 29.26 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 7.99 तथा 4.78 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 29.26 बालकों के मध्यमान 30.90 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभगिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$4 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.4 **शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-**

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक भय संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.6 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.6

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	35.14	2.54	**1.98**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	33.32	3.58				

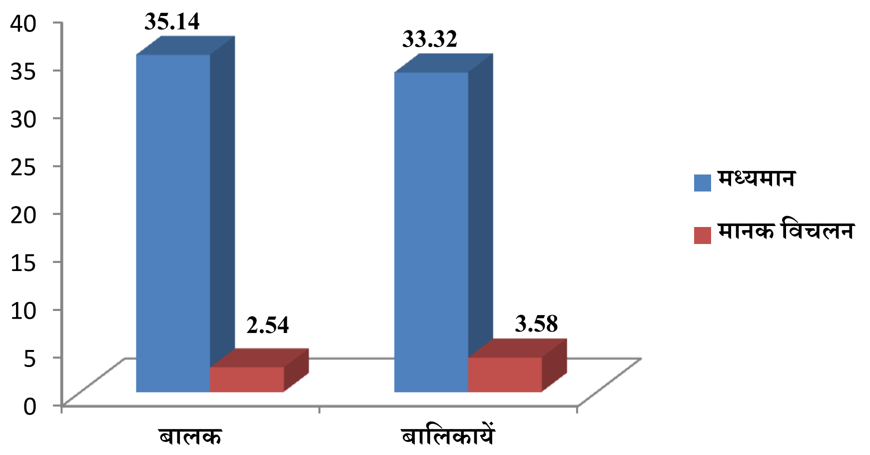

दंड आरेख -4.3. 5 (शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक भय)

उपरोक्त तालिका-4.3.6 एवं दंड आरेख-4.3.5 में शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं के सामाजिक भय के मध्यमान क्रमशः 35.14 तथा 33.32 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 2.54 तथा 3.58 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 33.32 बालकों के मध्यमान 35.14 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$5 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.5 शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक अभिवृत्ति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.7 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.7

शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	34.23	2.41	**1.97**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	33.52	3.51				

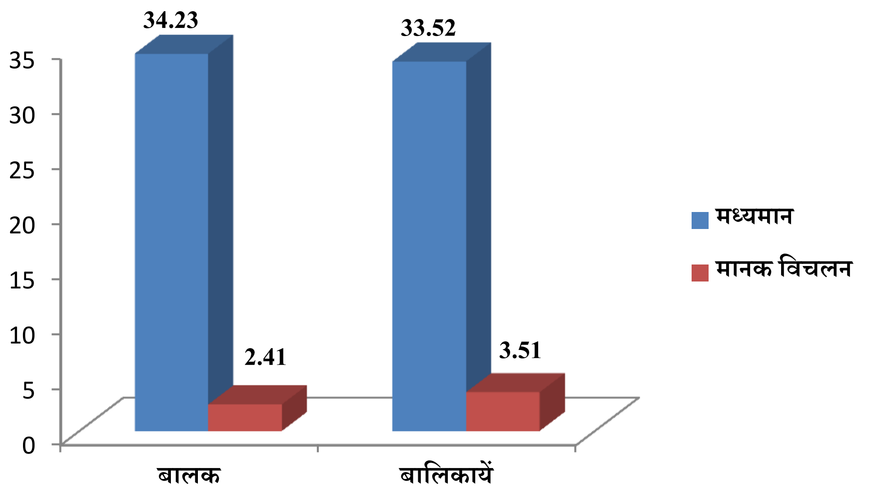

दंड आरेख-4.3.6 (शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति)

उपरोक्त तालिका-4.3.7 एवं दंड आरेख-4.3.6 में शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं के सामाजिक अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 34.23 तथा 33.52 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 2.41 तथा 3.51 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी

शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 33.52 बालकों के मध्यमान 34.23 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबन्धित चारों उपक्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका-4.3.8 के अनुसार पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के आधार पर किया गया है।

तालिका-4.3.8

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े

क्र. सं.	समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्र	किशनगंज				टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
		बालक (n=105)		बालिकाएं (n=50)					
		मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)				
1.	समग्र मनोसामाजिक स्थिति	128.15	10.91	124.66	8.52	1.98	153	0.01	स्वीकृत
2.	सामाजिक समायोजन	28.86	3.43	29.67	3.22	1.98	153	0.01	स्वीकृत
3.	सामाजिक सहभागिता	31.21	7.98	29.12	4.93	1.98	153	0.01	स्वीकृत
4.	सामाजिक भय	34.73	3.37	32.22	3.84	1.97	153	0.01	स्वीकृत
5.	सामाजिक अभिवृत्ति	34.54	1.41	33.06	3.19	1.97	153	0.01	स्वीकृत

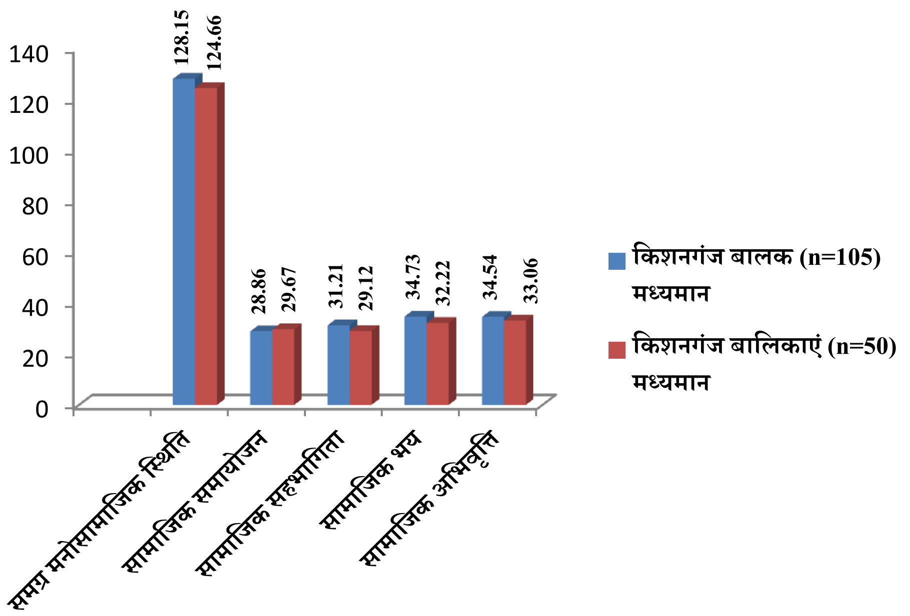

दंड आरेख-4.3.7 (किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन)

उपरोक्त तालिका-4.3.8 एवं दंड आरेख-4.3.7 में किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबंधित चारों उपक्षेत्रों के विवरण को प्रदर्शित किया गया है। शोधकर्ता द्वारा मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित चारों उपक्षेत्रों का विश्लेषण पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के अनुसार किया गया है जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$6 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4..3.7 किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.9 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.9

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σD)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	128.15	10.91	**1.98**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	124.66	8.52				

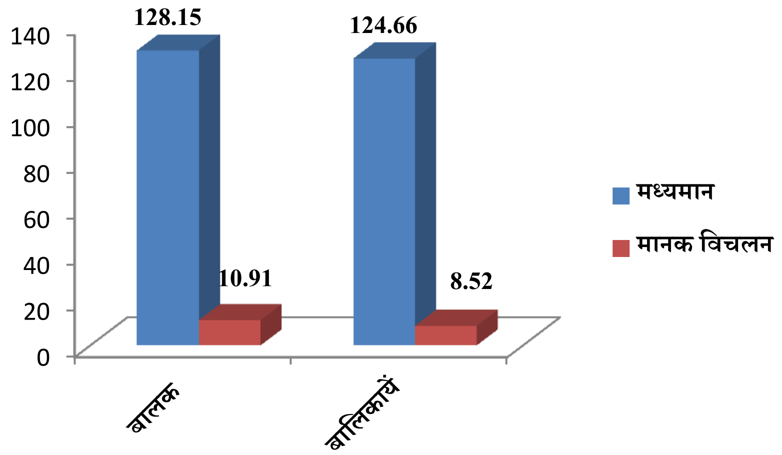

दंड आरेख 4.3.8 (किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति)

उपरोक्त तालिका-4.3.9 एवं दंड आरेख-4.3.8 में किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के मध्यमान क्रमशः 128.15 तथा 124.66 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 10.91 तथा 8.52 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 124.66 बालकों के मध्यमान 128.15 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालकों की

मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0 7$ का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4..3.8 **किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-**

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक समायोजन संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.10 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.10

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	28.86	3.43	**1.98**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	29.67	3.22				

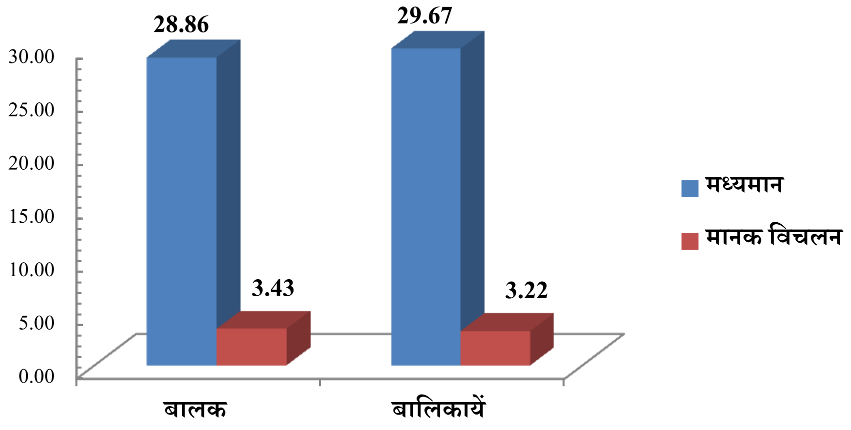

दंड आरेख-4.3.9 (किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक समायोजन)

उपरोक्त तालिका-4..3.10 एवं दंड आरेख-4.3.9 में किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक समायोजन का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता

है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं के सामाजिक समायोजन के मध्यमान क्रमशः 28.86 तथा 29.67 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 3.43 तथा 3.22 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 29.67 बालकों के मध्यमान 28.86 की तुलना में कुछ अधिक है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$8 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.9 किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक सहभागिता संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.11 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.11

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σD)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	31.21	7.98	**1.98**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	29.12	4. 93				

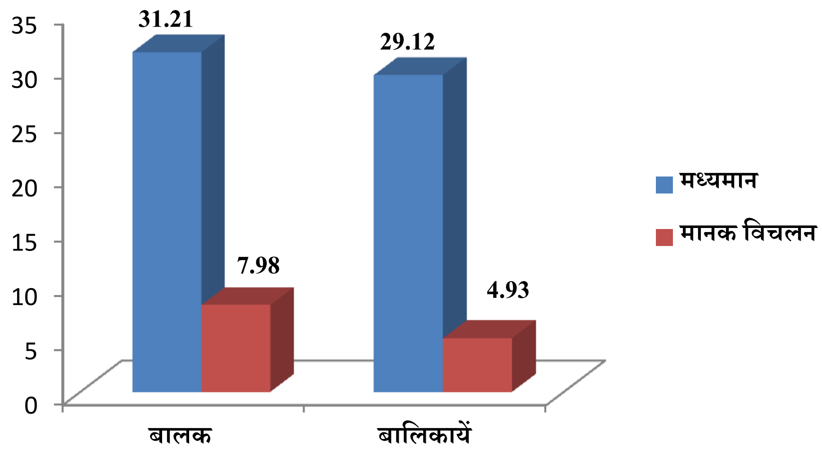

उपरोक्त तालिका-4.3.11 एवं दंड आरेख-4.3.10 में किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता के मध्यमान क्रमशः 31.21 तथा 29.12 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 7.98 तथा 4.93 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 29.12 बालकों के मध्यमान 31.21 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$9 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.10 **किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-**

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक भय संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.12 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.12

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	**संख्या (n)**	**मध्यमान (M)**	**मानक विचलन (σD)**	**टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)**	**मुक्तांश (df)**	**सार्थकता स्तर (p)**	**परिणाम (Result)**
बालक	105	34.73	2.37	**1.97**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	32.22	3. 84				

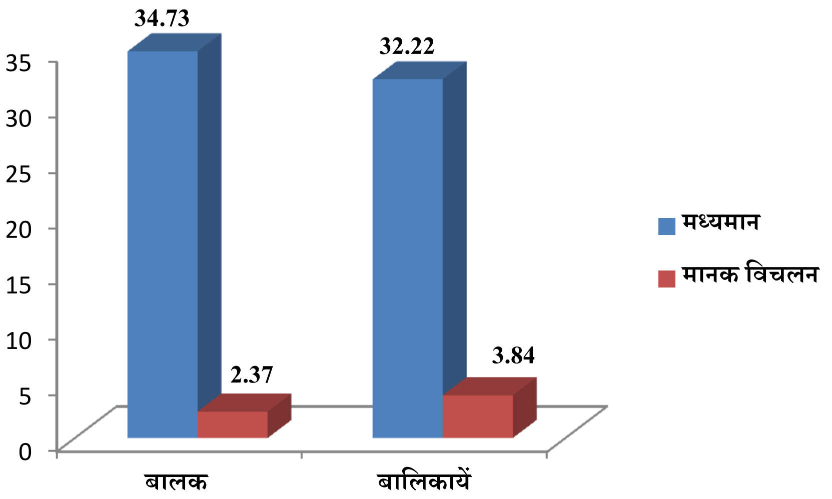

दंड आरेख-4..3.11 (किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सामाजिक भय)

उपरोक्त तालिका-4.3.12 एवं दंड आरेख-4.3.11 में किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सामाजिक भय का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं के सामाजिक भय के मध्यमान क्रमशः 34.73 तथा 32.22 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 2.37 तथा 3.84 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश

पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 32.22 बालकों के मध्यमान 34.73 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$10 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.11 किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के अन्तर्गत आने वाले उपक्षेत्र सामाजिक अभिवृत्ति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.13 में दिया जा रहा है।

तालिका- 4.3.13

किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σD)	टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
बालक	105	33.54	1.41	**1.97**	153	0.01	स्वीकृत
बालिकायें	50	33.96	3. 19				

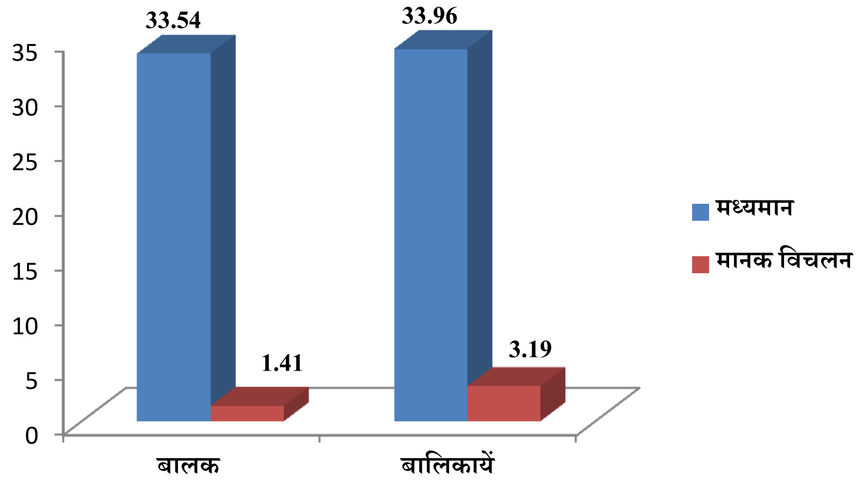

दंड आरेख-4.3.12 (किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति)

उपरोक्त तालिका-4.3.13 एवं दंड आरेख-4.3.12 में किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 105 बालक और 50 बालिकाओं के सामाजिक समायोजन के मध्यमान क्रमशः 33.54 तथा 33.96 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 1.41 तथा 3.19 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 153 मुक्तांश पर सारणी मान 2.601से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर बालिकाओं का मध्यमान 33.96 बालकों के मध्यमान 33.54 की तुलना में कुछ अधिक है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबन्धित चारों उपक्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन निम्नलिखित तालिका-4.3.14 के अनुसार पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के आधार पर किया गया है।

तालिका-4.3.14

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े

क्र. सं.	समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्र	तहसील				टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
		शाहबाद		किशनगंज					
		बालक (n=105)		बालिक (n=105)					
		मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)				
1.	समग्र मनोसामाजिक स्थिति	128.18	11.56	128.51	10.91	1.97	208	0.01	स्वीकृत
2.	सामाजिक समायोजन	28.90	3.43	28.94	3,48	1.97	208	0.01	स्वीकृत
3.	सामाजिक सहभागिता	30.90	7.99	31.17	7.77	1.97	208	0.01	स्वीकृत
4.	सामाजिक भय	35.14	2.54	34.86	2.69	1.97	208	0.01	स्वीकृत
5.	सामाजिक अभिवृत्ति	30.90	2.41	31.17	2.42	1.97	208	0.01	स्वीकृत

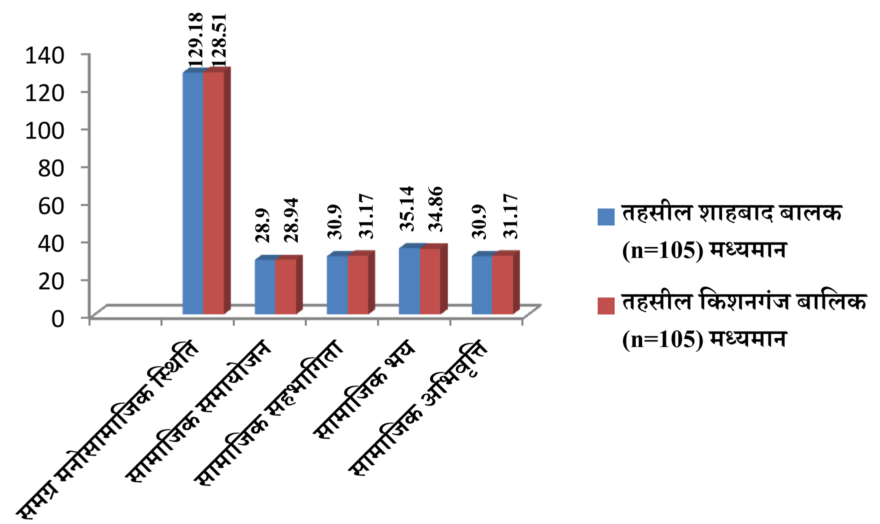

दंड आरेख-4.3.13 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन)

उपरोक्त तालिका-4.3.14 एवं दंड आरेख-4.3.13 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबंधित चारों उपक्षेत्रों के विवरण को प्रदर्शित किया गया है। शोधकर्ता द्वारा मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित चारों उपक्षेत्रों का विश्लेषण पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के अनुसार किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$11 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.12 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.15 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.15

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालक	105	129.18	11.56	1.97	208	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालक	105	128.51	10.91				

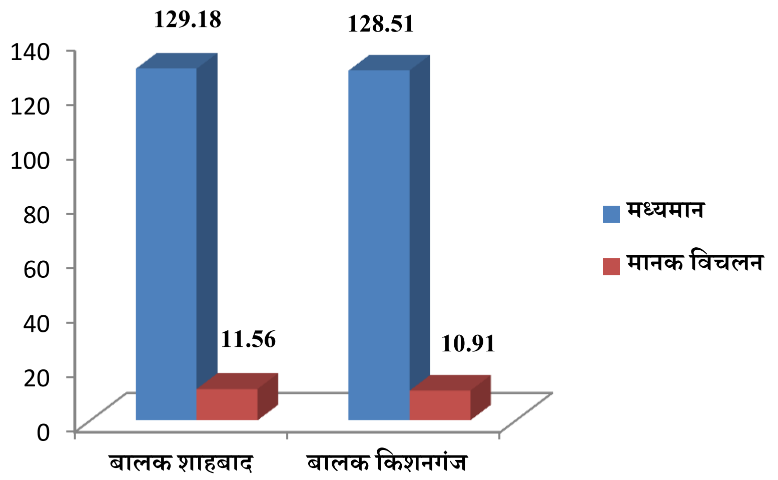

दंड आरेख-4.3.14 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति)

उपरोक्त तालिका-4.3.15 एवं दंड आरेख-4.3.14 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से

स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के 105 बालकों और किशनगंज तहसील के 105 बालकों की मनोसामाजिक स्थिति के मध्यमान क्रमशः 129.18 तथा 128.51 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 11.56 तथा 10.91 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी-क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 208 मुक्तांश पर सारणी मान 2.592 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील के बालकों का मध्यमान 129.18 किशनगंज तहसील के बालकों के मध्यमान 128.51 की तुलना में कुछ अधिक है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि शाहबाद तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति किशनगंज तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$12 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.13 **शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक समायोजन सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-**

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक समायोजन संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.16 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.16

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालक	105	28.90	3.43	1.97	208	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालक	105	28.94	3.48				

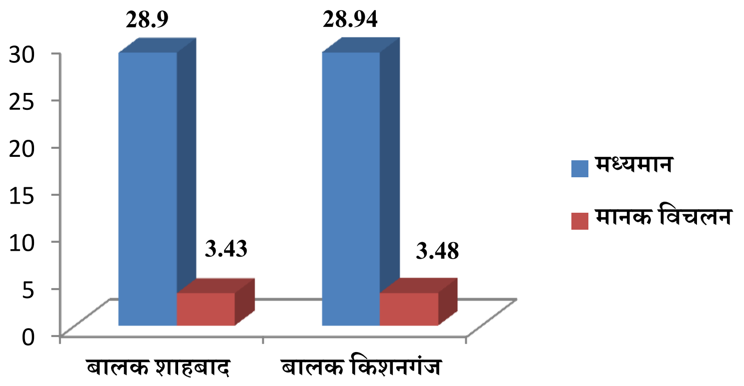

दंड आरेख-4.3.15 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक समायोजन)

उपरोक्त तालिका-4.3.16 एवं दंड आरेख-4.3.15 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक समायोजन का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के 105 बालकों और किशनगंज तहसील के 105 बालकों के सामाजिक समायोजन के मध्यमान क्रमशः 28.90 तथा 28.94 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 3.43 तथा 3.48 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 208 मुक्तांश पर सारणी मान 2.592 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील के बालकों का मध्यमान 3.43 किशनगंज तहसील के बालकों के मध्यमान 3.48 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि किशनगंज तहसील के बालकों का सामाजिक समायोज शाहबाद तहसील के बालकों के सामाजिक समायोज से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$13 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.14 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.17 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.17

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालक	105	30.90	7.99	1.97	208	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालक	105	31.17	7.77				

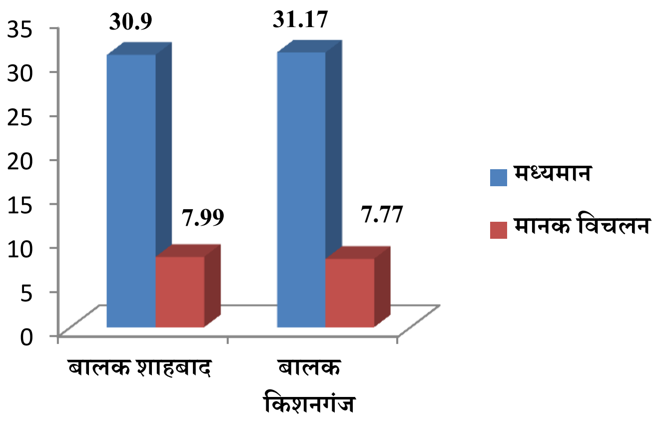

दंड आरेख-4.3.16 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता)

उपरोक्त तालिका-4.3.17 एवं दंड आरेख-4.3.16 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से

स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के 105 बालकों और किशनगंज तहसील के 105 बालकों की सामाजिक सहभागिता के मध्यमान क्रमशः 30.90 तथा 31.17 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 7.99 तथा 7.77 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 208 मुक्तांश पर सारणी मान 2.592 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील के बालकों का मध्यमान 30.90 किशनगंज तहसील के बालकों के मध्यमान 31.17 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$14 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.15 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक भय सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक भय संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.18 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.18

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालक	105	35.14	2.54	1.97	208	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालक	105	34.86	2.69				

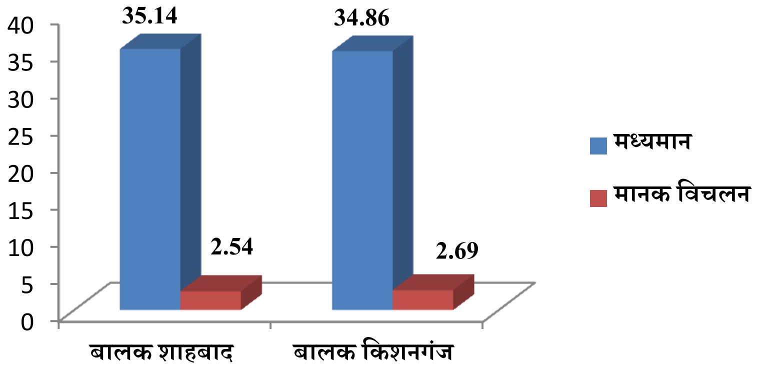

दंड आरेख-4.3.17 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक भय)

उपरोक्त तालिका-4.3.18 एवं दंड आरेख-4.3.17 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक भय का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के 105 बालकों और किशनगंज तहसील के 105 बालकों के सामाजिक भय के मध्यमान क्रमशः 35.14 तथा 34.86 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 2.54 तथा 2.69 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 208 मुक्तांश पर सारणी मान 2.592 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील के बालकों का मध्यमान 35.18 किशनगंज तहसील के बालकों के मध्यमान 34.86 की तुलना में कुछ अधिक है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि शाहबाद तहसील के बालकों का सामाजिक भय किशनगंज तहसील के बालकों के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$15 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.16 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.19 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.19

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालक	105	34.23	2.41	1.97	208	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालक	105	33.54	2.42				

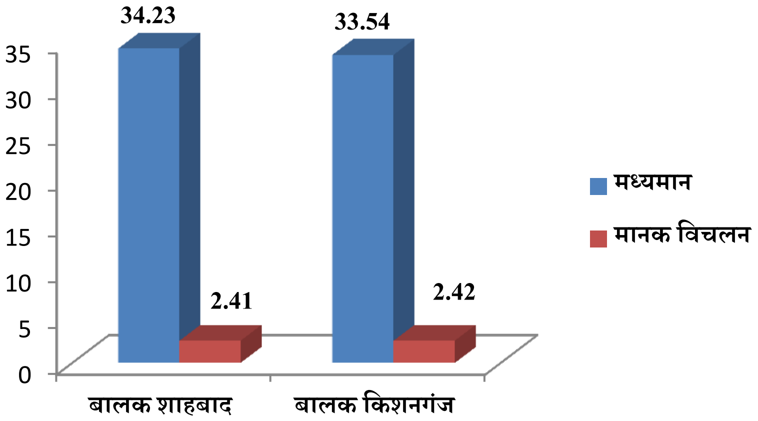

दंड आरेख-4.3.18 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति)

उपरोक्त तालिका-4.3.19 एवं दंड आरेख-4.3.18 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के 105 बालकों और किशनगंज तहसील के 105 बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 34.23 तथा 33.54 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 2.41 तथा 2.42 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.97 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 208 मुक्तांश पर सारणी मान 2.592 से कम है तथा

सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील के बालकों का मध्यमान 34.23 किशनगंज तहसील के बालकों के मध्यमान 33.54 की तुलना में कुछ अधिक है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबन्धित चारों उपक्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन निम्नलिखित तालिका-4.3.20 के अनुसार पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के आधार पर किया गया है।

तालिका-4.3.20
शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्रों सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े

क्र. सं.	**समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उसके विभिन्न उपक्षेत्र**	**तहसील**				**टी-क्रान्तिक अनुपात (t-CR)**	**मुक्तांश (df)**	**सार्थकता स्तर (p)**	**परिणाम (Result)**
		शाहबाद बालिकायें (n=50)		**किशनगंज बालिकायें (n=50)**					
		मध्यमान (M)	**मानक विचलन (σ_d)**	**मध्यमान (M)**	**मानक विचलन (σ_d)**				
1.	समग्र मनोसामाजिक स्थिति	125.92	8.43	129.96	8.78	1.98	98	0.01	स्वीकृत
2.	सामाजिक समायोजन	29.82	3.22	30.20	3.26	1.98	98	0.01	स्वीकृत
3.	सामाजिक सहभागिता	29.26	4.78	29.60	4.84	1.98	98	0.01	स्वीकृत
4.	सामाजिक भय	33.32	3.58	34.04	3.90	1.98	98	0.01	स्वीकृत
5.	सामाजिक अभिवृत्ति	33.52	3.52	36.12	3.42	198	98	0.01	स्वीकृत

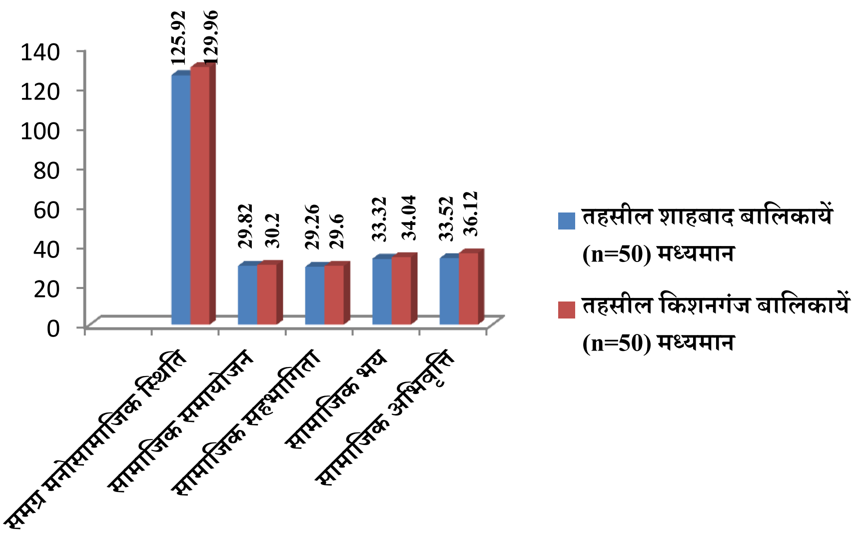

दंड आरेख-4.3.19 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़े का दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन)

उपरोक्त तालिका-4.3.20 एवं दंड आरेख-4.3.19 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की समग्र मनोसामाजिक स्थिति एवं उससे संबंधित चारों उपक्षेत्रों के विवरण को प्रदर्शित किया गया है। शोधकर्ता द्वारा मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित चारों उपक्षेत्रों का विश्लेषण पृथक-पृथक परिकल्पनाओं के अनुसार किया गया है जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

परिकल्पना (Hypothesis) H_0 16 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.17 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.21 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.21

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर मनोसामाजिक स्थिति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालिकायें	50	125.92	8.43	1.98	98	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालिकायें	50	129.96	8.78				

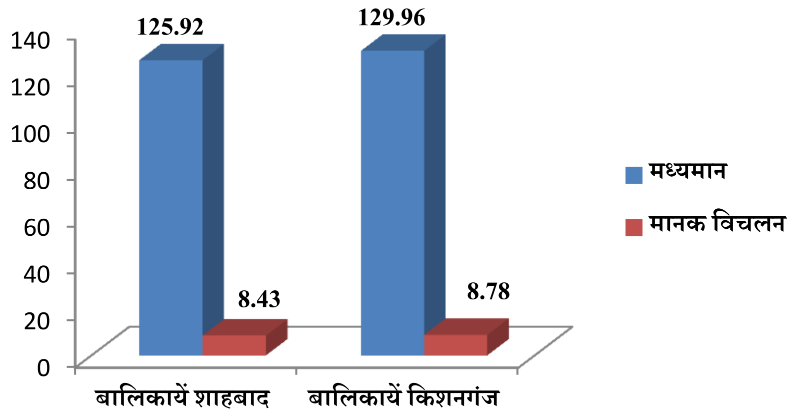

दंड आरेख-4.3.20 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति)

उपरोक्त तालिका-4.3.21 एवं दंड आरेख-4.3.20 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील की 50 बालिकाओं और किशनगंज तहसील के 50 बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति के मध्यमान क्रमशः 125.92 तथा 129.96 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 8.43 तथा 8.78 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी-क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 98 मुक्तांश पर सारणी मान 2.626 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील की बालिकाओं का मध्यमान 125.92 किशनगंज तहसील की बालिकाओं के मध्यमान 129.96 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि किशनगंज

तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$17 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.18 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.22में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.22

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक समायोजन सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालिकायें	50	29.82	3.22	1.98	98	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालिकायें	50	30.20	3.26				

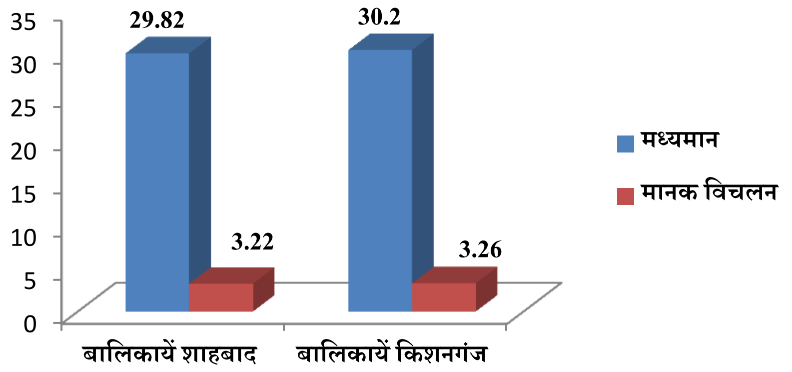

दंड आरेख-4.3.21 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन)

उपरोक्त तालिका-4.3.22 एवं दंड आरेख-4.3.21 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से

स्पष्ट होता है शाहबाद तहसील की 50 बालिकाओं और किशनगंज तहसील की 50 बालिकाओं के सामाजिक समायोजन के मध्यमान क्रमशः 29.82 तथा 30.20 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 3.22 तथा 3.26 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 98 मुक्तांश पर सारणी मान 2.626 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील की बालिकाओं का मध्यमान 29.82 किशनगंज तहसील की बालिकाओं के मध्यमान 30.20 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$18 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.19 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.23 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.23

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक सहभागिता सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालिकायें	50	29.26	4.78	1.98	98	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालिकायें	50	29.60	4.84				

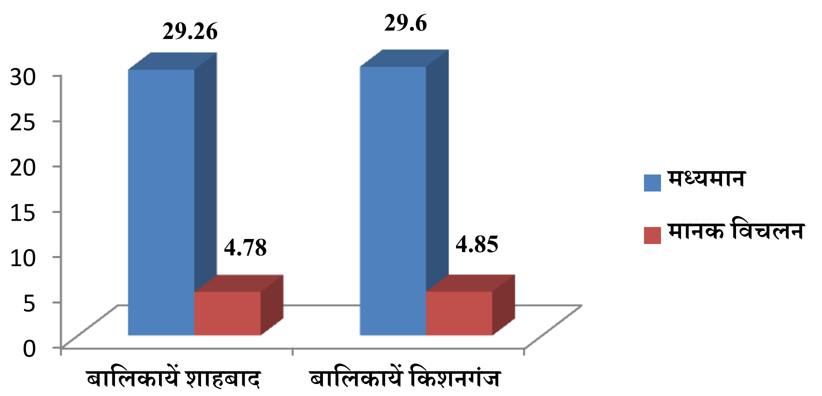

दंड आरेख-4.3.22 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता)

उपरोक्त तालिका-4.3.23 एवं दंड आरेख-4.3.22 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील की 50 बालिकाओं और किशनगंज तहसील के 50 बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता के मध्यमान क्रमशः 29.26 तथा 29.60 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 4.78 तथा 4. 84 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी-क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 98 मुक्तांश पर सारणी मान 2.626 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील की बालिकाओं का मध्यमान 29.26 किशनगंज तहसील की बालिकाओं के मध्यमान 29.60 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$19 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक भय में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.20 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक भय सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक भय संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या- 4.3.24 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.24

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक भय सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	प्रतिदर्श (Sample)	संख्या (n)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ_d)	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम (Result)
शाहबाद	बालिकायें	50	33.32	3.58	1.98	98	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालिकायें	50	34.04	3.90				

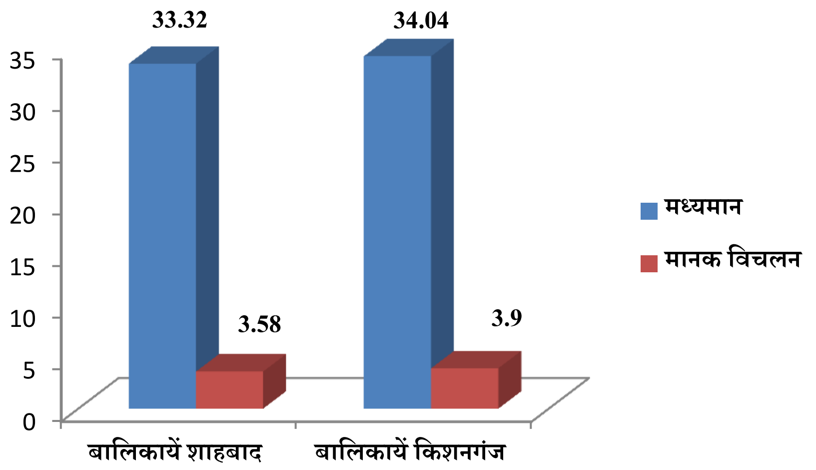

दंड आरेख-4.3.23 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक भय)

उपरोक्त तालिका-4.3.24 एवं दंड आरेख-4.3.23 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक भय का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील की 50 बालिकाओं और किशनगंज तहसील के 50 बालिकाओं के सामाजिक भय के मध्यमान क्रमशः 33.32 तथा 34.04 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 3.58 तथा 3.90 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 98 मुक्तांश पर सारणी मान 2.626 से कम

है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील की बालिकाओं का मध्यमान 33.32 किशनगंज तहसील की बालिकाओं के मध्यमान 34.04 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक भय शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis) $H_0$20 का परीक्षण एवं विश्लेषण

राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

4.3.21 शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण:-

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति संबंधी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-क्रान्तिक अनुपात मान तालिका संख्या 4.3.25 में दिया जा रहा है।

तालिका-4.3.25

शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सामाजिक अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी –क्रान्तिक अनुपात मान

तहसील	**प्रतिदर्श (Sample)**	**संख्या (n)**	**मध्यमान (M)**	**मानक विचलन (σ_d)**	**टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)**	**मुक्तांश (df)**	**सार्थकता स्तर (p)**	**परिणाम (Result)**
शाहबाद	बालिकायें	50	33.52	3.52	1.98	98	0.01	स्वीकृत
किशनगंज	बालिकायें	50	36.12	3.42				

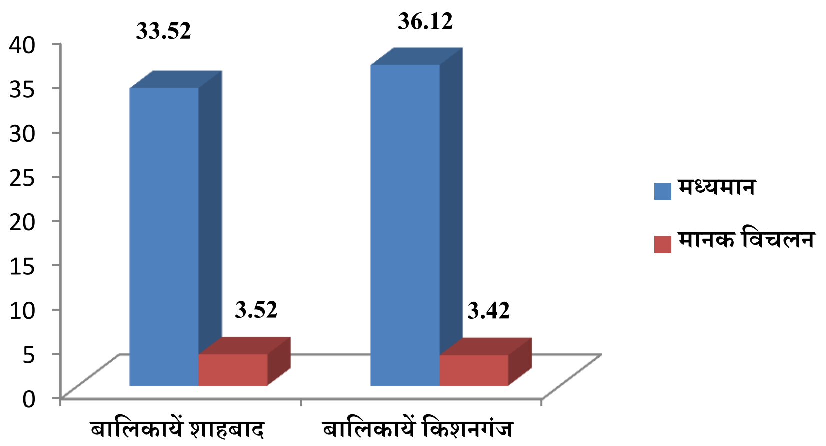

दंड आरेख-4.3.24 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति)

उपरोक्त तालिका-4.3.25 एवं दंड आरेख-4.3.24 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील की 50 बालिकाओं और किशनगंज तहसील के 50 बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 33.52 तथा 36.12 प्राप्त हुए हैं, जबकि मानक विचलन के मान क्रमशः 3.52 तथा 3.42 प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमानों की तुलना करने पर टी- क्रान्तिक अनुपात का मान 1.98 प्राप्त हुआ है, जो कि 0.01 स्तर तथा 98 मुक्तांश पर सारणी मान 2.626 से कम है तथा सार्थक नहीं है। अतः शोध कार्य से पूर्व बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है तथा यह कहा जा सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परन्तु मध्यमान का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर शाहबाद तहसील की बालिकाओं का मध्यमान 33.52 किशनगंज तहसील की बालिकाओं के मध्यमान 36.12 की तुलना में कुछ कम है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

उपरोक्त परिकल्पनाओं के परीक्षण एवं विश्लेषण के पश्चात प्राप्त परिणामों के विवरण को सारांश रुप में निम्नलिखित तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.26

परिकल्पनाओं के परीक्षण एवं विश्लेषण के पश्चात प्राप्त परिणामों के सारांश का तालिका द्वारा प्रदर्शन

परिकल्पना संख्या	मध्यमान (M_1)	मध्यमान (M_2)	मानक विचलन (σ_{d1})	मानक विचलन (σ_{d2})	टी –क्रान्तिक अनुपात (t-CR)	मुक्तांश (df)	सार्थकता स्तर (p)	परिणाम
$H_0$1	129.13	125.92	11.57	8.42	1.97	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$2	28.79	29.92	3.36	3.27	1.97	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$3	30.90	29.26	7.99	4.78	1.98	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$4	35.14	33.32	2.54	3.58	1.98	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$5	34.23	33.52	2.41	3.51	1.97	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$6	128.15	124.66	10.91	8.52	1.98	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$7	28.86	29.67	3.43	3.22	1.98	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$8	31.21	29.12	7.98	4.93	1.98	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$9	34.73	32.22	2.37	3.84	1.97	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$10	33.54	33.96	1.41	3.19	1.97	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$11	128.18	128.51	1156	10.91	1.97	153	0.01	स्वीकृत
$H_0$12	29.90	28.94	3.43	3.48	1.97	208	0.01	स्वीकृत
$H_0$13	30.90	31.17	7.99	7.77	1.97	208	0.01	स्वीकृत
$H_0$14	35.14	34.86	2.54	2.69	1.97	208	0.01	स्वीकृत
$H_0$15	30.90	31.17	2.41	2.42	1.97	208	0.01	स्वीकृत
$H_0$16	125.92	129.96	8.43	8.78	1.98	98	0.01	स्वीकृत
$H_0$17	29.82	30.20	3.22	3.26	1.98	98	0.01	स्वीकृत
$H_0$18	29.26	29.60	4.78	4.84	1.98	98	0.01	स्वीकृत
$H_0$19	33.32	34.04	3.58	3.90	1.98	98	0.01	स्वीकृत
$H_0$20	33.52	36.12	3.52	3.42	1.98	98	0.01	स्वीकृत

4.3.1 निष्कर्ष (Conclusion): प्रस्तुत शोध अध्ययन में मात्रात्मक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण द्वितीय उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित विभिन्न तथ्य शोधकर्ता के सम्मुख परिलक्षित हुए हैं, जो सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति तथा उनके विभिन्न उपक्षेत्रों की दृष्टि से सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है, लेकिन पृथक से यदि सभी उपक्षेत्रों (सामाजिक समायोजन, सहभागिता, सामाजिक भय एवं सामाजिक अभिवृत्ति) के चरों को मध्यमान के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ अन्तर दिखाई पड़ता है जो इस प्रकार है-

1. बारां जिले की शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
2. शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।
3. शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभगिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
4. शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।
5. शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
6. बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
7. किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।
8. किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
9. किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।
10. किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
11. शाहबाद तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति किशनगंज तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

12. किशनगंज तहसील के बालकों का सामाजिक समायोजन शाहबाद तहसील के बालकों के सामाजिक समायोज से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।
13. किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
14. शाहबाद तहसील के बालकों का सामाजिक भय किशनगंज तहसील के बालकों के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।
15. शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
16. किशनगंज तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
17. किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।
18. किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
19. किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक भय शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।
20. किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सहरिया बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति को जानने के लिए विशेषज्ञों से भी केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discusion) की गयी एवं सहभागी प्रेक्षण (Participatory Observation) भी किया गया, जिनसे प्राप्त प्रमुख जानकारियों का विवरण इस प्रकार है-

- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। परन्तु आर्थिक विपन्नता के कारण यह परिवर्तन बहुत मंदगति से हो रहा है।

- पर्याप्त रोजगार न मिलने और उपलब्ध रोजगार में स्थायित्व नहीं होने के कारण यह जनजाति अनेक दुर्व्यसनों जैसे-मद्यपान, गुटखा खाने और गांजा पीने में लिप्त हो रही है। ये दुर्व्यसन उनके बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं।
- आधुनिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति, सामान्य जनजाति के साथ समायोजित न होना एवं सामाजिक भय भी इनके विकास को प्रभावित कर रही है।
- भारत के विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला सहरिया जनजाति समूह आज भी विपरीत परस्थितियों में अपना जीवनयापन कर रहा है।
- राजस्थान की अन्य जनजातियों की अपेक्षा आज भी सहरिया जनजाति की स्थिति अत्यंत कमजोर है। सरल स्वभाव और एकांतवास के कारण सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण सतत रुप से किया जा रहा है।
- सहरिया बालक-बालिकाओं को उनकी मूल संस्कृति और विरासत के विषय में उनके परिवार अथवा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्हें अपने उद्भव और विकास से संबंधित अब वैसा नैसर्गिक ज्ञान नहीं है जो कि तीन-चार दशक पूर्व था। फलस्वरुप राजस्थान का यह एकमात्र विशेष रुप से कमजोर जनजतीय समूह (PVTG) आज अपने इतिहास, पैतृक कौशल, विद्या, विरासत, कला और संस्कृति को विस्मृत करता जा रहा है।
- आज भी यह जनजाति सामान्य समुदायों की उपेक्षा का सामना करते हुए आत्मग्लानि के भार को वहन कर रहा है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान तकनीकी समाज को सहरिया जनजाति के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए आत्मीयता के भाव को जागृत करने की आवश्यकता है। ताकि इस जनजाति के बालक-बालिकायें भी राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़कर देश के विकास में सहभागिता कर सकें।

4.4 खण्ड- स (Section-C):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियां

प्रस्तुत खण्ड में राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयोंकी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक - बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियां के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.4.1

आंकड़ों के संकलन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

<table>
<tr><th rowspan="3">आंकड़ों के संकलन में प्रयुक्त उपकरण</th><th colspan="8">उपकरण प्रशासित प्रतिदर्श (n=50)</th><th rowspan="3">आंकड़ों के विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकी</th></tr>
<tr><th colspan="2">शिक्षक (20)</th><th colspan="2">जनजाति के सदस्य (20)</th><th colspan="2">जन प्रतिनिधि (5)</th><th rowspan="2">शिक्षा अधिकारी (3)</th><th rowspan="2">परियोजना अधिकारी (2)</th></tr>
<tr><th>पु.</th><th>म.</th><th>पु.</th><th>म.</th><th>पु.</th><th>म.</th></tr>
<tr><td>अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार</td><td rowspan="3">16</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">3 (डीओ, बारां बीओ शाहबाद और बीओ किशनगंज)</td><td rowspan="3">2 (एडीएम और कार्यालयाधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद)</td><td rowspan="3">विषयवस्तु विश्लेषण एवं वर्णनात्मक अप्राचलिक (प्रतिशत) सांख्यिकी</td></tr>
<tr><td>केन्द्रित समूह परिचर्चा</td></tr>
<tr><td>सहभागी प्रेक्षण</td></tr>
</table>

उद्देश्य (Objective) O_3 – राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करना।

प्रयुक्त उपकरण (Tool) – इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी प्रेक्षण एवं केन्द्रित समूह परिचर्चा के माध्यम से शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया गया।

प्रतिदर्श (Sample)-इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा बहुस्तरीय चयन की दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित 50 सदस्यों का अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार लिया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकी (Statistics)- प्रस्तुत शोध अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण में विषयवस्तु विश्लेषण एवं वर्णनात्मक अप्राचलिक (प्रतिशत) सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

4.2.2 अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार (Semistructured Interview)–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के तीसरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु आंकड़ों का सकंलन अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची (Semistructured Interview Schedule) एवं सहभागी प्रेक्षण (Participatory Observation) द्वारा किया गया है। इससे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण विषयवस्तु विश्लेषण एवं वर्णनात्मक अप्राचलिक (प्रतिशत) सांख्यिकीय विधियों के द्वारा किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

प्रथम खण्ड:उत्तरदाता का जनांकिकीय विवरण –

अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार के प्रथम खण्ड के अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के जनांकिकीय विवरण को जाना गया । प्रतिक्रिया देने वाले उत्तरदाताओं में शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के सहरिया बालक-बालिकाओं के अभिभावक, शिक्षक. जनजाति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, शिक्षाधिकारी और सहरिया विकास परियोजना अधिकारी शाहबाद सम्मिलित हैं ।

द्वितीय खण्ड: चुनौतियों का विवरण –

अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार (Semistructured Interview) के दौरान शोध अध्ययन हेतु चयनित हितधारकों से जो प्रतिक्रियायें शोधकर्ता द्वारा ली गयीं, शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों से संबंधित तात्कालिक प्रश्न कुछ इस प्रकार थे ।

प्रश्न 1 आपके मतानुसार सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक चुनौतियां क्या हैं ?

प्रश्न 2 आपके विचार से सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां क्या हैं ?

प्रश्न 3 आप सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक चुनौतियां किन्हें मानते हैं ?

प्रश्न 4 आपके दृष्टिकोण में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आर्थिक चुनौतियां क्या हैं ?

प्रश्न 5 सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पारिस्थितिकीय चुनौतियां आप किन्हें मानते हैं ?

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में विभिन्न उत्तरदाताओं द्वारा अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार (Semistructured Interview) के दौरान जो प्रतिक्रियायें व्यक्त की गयीं वे इस प्रकार हैं।

- सहरिया जनजाति के बालक –बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में सहशिक्षा दी जाती है । जबकि राजकीय विद्यालयों में बालक-बालिकायें एक ही कक्षा में अलग-अलग बैठते हैं ।
- सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में सहशिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है । बालक और बलिका विद्यालय अलग-अलग हैं, जहां महिला शिक्षकों का अभाव है । यद्यपि बाह्यय शिक्षक एक घंटे के लिए मुख्य विषयों की ट्यूशन पढ़ाने आते हैं ।
- बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए भी महिला चिकित्सक नहीं है । कहीं-कहीं पुरुष शिक्षकों द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत बालिकाओं द्वारा अपने

अभिभावकों से की गयी हैं, परन्तु दोषी पुरुष शिक्षक या कर्मचारी पर कभी भी विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

- एक बार किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यालय से निकाल दिया जाता है। आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के लिए बजट आवंटित किये जाने के बावजूद कई छात्रावासों में विद्यार्थियों को भोजन और पानी की समस्या से जूझना पड़ता है।
- उच्च कक्षाओं में विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विषयों के शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था गिनती के कुछ ही विद्यालयों जैसे-शाहबाद, केलवाड़ा और किशनगंज के राजकीय उच्च आदर्श विद्यालयों में ही है, परन्तु इन विषयों के शिक्षक नहीं हैं।
- 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में वाणिज्य और विज्ञान के शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए विवशता में प्रतिभाशाली निर्धन बालक-बालिकाओं को 11th कक्षा में कला वर्ग के विषयों का चयन करना पड़ता है।
- आवासीय विद्यालयों में 20 प्रतिशत सीटें अन्य जनजाति जैसे- मीणा, भील और गरासिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं।
- शैक्षणिक विकास के लिए जो योजनायें सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनका पूरा लाभ सहरिया बालक-बालिकायें नहीं ले पा रही हैं।
- सहरिया समाज के क्षेत्र को डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही जिलों की तरह टीएसपी में सम्मिलित नहीं किया गया है। यही कारण है कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को शैक्षणिक विकास योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। गरीबी, अशिक्षा एवं जागरूकता में कमी इत्यादि इसके प्रमुख कारण हैं।
- शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ ही कमजोर अर्थव्यवस्था, जागरूकता का अभाव, स्थायित्व की समस्या, रोजगार हेतु अन्य प्रदेशों में पलायन, निर्धनता, बेरोजगारी, आत्मविश्वास की कमी इत्यादि अनेकानेक कारणों से सहरिया जनजाति शैक्षणिक विकास की दौड़ में प्रारंभ से काफी पीछे रहा है।

तालिका- 4.4.2

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख चुनौतियां के परिणामों का सारांश

क्र सं.	प्रमुख चुनौतियां		जनजाति के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं (प्रतिशत में)			
			शाहबाद (n=25)		किशनगंज (n=25)	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	शैक्षणिक	विद्यालय का अभाव	44	56	32	68
		विद्यालय तक पहुँच न होना	32	68	24	76
		विद्यालय में नामांकन न होना	32	68	20	80
		अपव्यय-अवरोधन	40	60	16	84
		प्रतिकूल पाठ्यक्रम	72	28	68	32
		विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव	80	20	64	36
		योग्य शिक्षकों की कमी	40	60	24	76
2.	मनोवैज्ञानिक	नकारात्मक दृष्टिकोण	84	16	92	8
		समायोजन का अभाव	44	56	28	72
		सामान्य जनजाति की संवेदनहीनता	84	16	76	24
		मूल्यहीनता	88	12	48	52
		अंतर्मुखी व्यक्तित्व	96	4	64	36
		संकोची स्वभाव	84	16	60	40
		उपेक्षित जीवन	88	12	72	28
3.	सामाजिक	सामान्य जनजाति से पृथक रहना	88	12	60	40
		विस्थापन एवं पुनर्वास	96	4	52	48
		बाल विवाह	56	44	28	72
		बाल श्रम	48	52	48	52
		नेतृत्व का अभाव	92	8	72	28
		सामान्य जनजाति द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार	96	4	68	32
		सामाजिक कुरीतियाँ	40	60	48	52
4.	आर्थिक	जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव	88	12	52	48
		स्थानान्तरण कृषि पर प्रतिबन्ध	92	8	88	12
		उच्च ब्याज दर एवं ऋणग्रस्तता	84	16	56	44
		सूदखोरी एवं महाजनी व्यवस्था	92	8	68	32
		बन्धुआ मजदूरी	56	44	52	48
		सरकारी सहायता का दुरुपयोग	60	40	56	44
5.	पारिस्थितिकीय	वनोन्मूलन	92	8	76	24
		वनोत्पादों के दोहन पर प्रतिबन्ध	96	4	80	20
		कृषि योग्य भूमि का अभाव	96	4	60	40
		जंगली हिंसक पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध	88	12	96	4
		जंगली भूमि पर सरकार का नियन्त्रण	92	8	92	8
		प्राकृतिक आपदा	96	4	88	12
		सरकारी वनकर्मियों द्वारा उत्पीड़न	92	8	52	48

सहरिया जनजाति को जिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनकी अनगिनत कहानियाँ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा सुनायी जाती हैं। यह कटु सत्य है कि अरबों

रुपये सहरिया जनजाति के कल्याणार्थ व्यय करने के पश्चात भी कुछ क्षेत्रों जैसे-स्वास्थ्य, कृषि और मजदूरी आदि में हुये परिवर्तनों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में सहरिया जनजाति की स्थिति स्थिर है। सहरिया जनजाति का जीवन अब भी दुःख, दर्द, अभाव-पीड़ा का पर्याय बना हुआ है। निर्धनता, बेराजगारी, बेकारी के साथ-साथ जल, जंगल, जमीन, आवास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, भोजन और पेयजल इत्यादि जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित सहरिया आज भी बंधुआ-मजदूरी, ऋणग्रस्तता और शोषण के साथ-साथ अन्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। विभिन्न श्रेणी के हितधारकों द्वारा साक्षात्कार के दौरान संरचित प्रश्नों द्वारा सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण सारांश रुप में उपरोक्त तालिका - 4.4.2 में दिया गया है, जिसके आंकड़ों के आधार पर सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की चुनौतियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

1. **सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक चुनौतियां** (Educational Challenges)- विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में निर्दिष्ट राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक चुनौतियों के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.4.3

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख शैक्षणिक चुनौतियां

क्र सं.	**प्रमुख चुनौतियां**		**जनजाति के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं (प्रतिशत में)**			
			शाहबाद (n=25)		**किशनगंज (n=25)**	
			हाँ	**नहीं**	**हाँ**	**नहीं**
1.	शैक्षणिक	विद्यालय का अभाव	44	56	32	68
		विद्यालय तक पहुँच न होना	32	68	24	76
		विद्यालय में नामांकन न होना	32	68	20	80
		अपव्यय-अवरोधन	40	60	16	84
		प्रतिकूल पाठ्यक्रम	72	28	68	32
		विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव	80	20	64	36
		योग्य शिक्षकों की कमी	40	60	24	76
		औसत	**48**	**52**	**36**	**64**

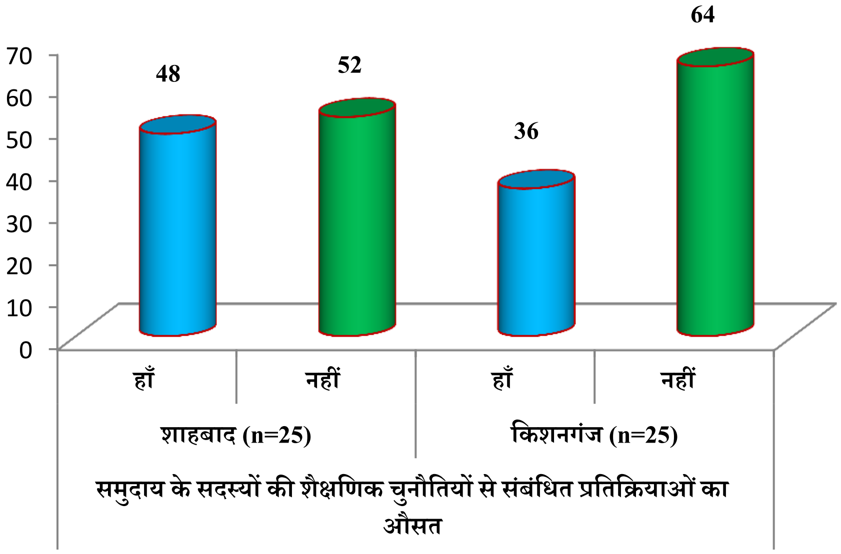

दंड आरेख-4.4.1 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक चुनौतियां)

उपरोक्त तालिका-4.4.3 एवं दंड आरेख-4.4.1 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक चुनौतियों का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के हितधारकों की शैक्षणिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत 48 प्रतिशत हाँ तथा 52 प्रतिशत नहीं है। किशनगंज तहसील के हितधारकों की शैक्षणिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत क्रमशः 36 प्रतिशत हाँ तथा 64 प्रतिशत नहीं है। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत के औसत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की तुलना में शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को शैक्षणिक चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ता है। तुलनात्मक रुप से देखा जाये, तो शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में प्रतिकूल पाठ्यक्रम और विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव प्रमुख चुनौतियों के रुप में उभर कर सामने आये हैं।

2. **सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां** (Psychological Challenges) – विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में निर्दिष्ट राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.4. 4

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौतियां

क्र सं.	**प्रमुख चुनौतियां**		**जनजाति के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं (प्रतिशत में)**			
			शाहबाद (n=25)		**किशनगंज (n=25)**	
			हाँ	**नहीं**	**हाँ**	**नहीं**
2.	मनोवैज्ञानिक	नकारात्मक दृष्टिकोण	84	16	92	8
		समायोजन का अभाव	44	56	28	72
		सामान्य जनजाति की संवेदनहीनता	84	16	76	24
		मूल्यहीनता	88	12	48	52
		अंतर्मुखी व्यक्तित्व	96	4	64	36
		संकोची स्वभाव	84	16	60	40
		उपेक्षित जीवन	88	12	72	28
		औसत	**75**	**25**	**63**	**37**

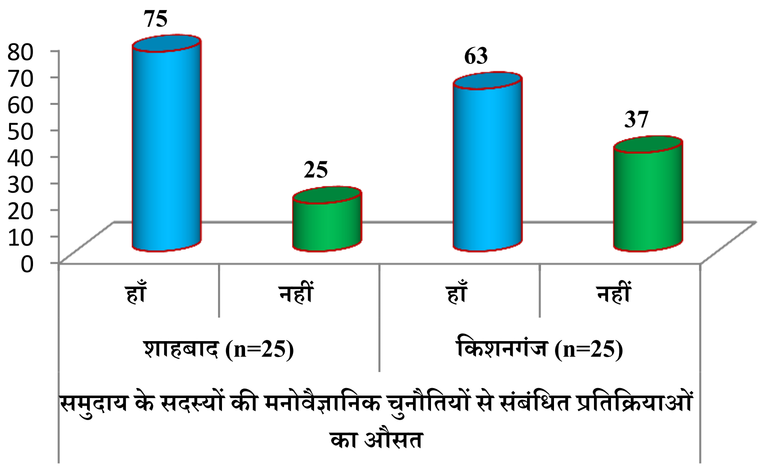

दंड आरेख-4.4.2 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां)

उपरोक्त तालिका-4.4.4 एवं दंड आरेख-4.4.2 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के हितधारकों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत 75 प्रतिशत हाँ तथा 25 प्रतिशत नहीं है। किशनगंज तहसील के हितधारकों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत क्रमशः 63 प्रतिशत हाँ तथा 37 प्रतिशत नहीं है। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत के औसत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की तुलना में शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ता है। तुलनात्मक रुप से

देखा जाए तो शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में नकारात्मक दृष्टिकोण, सामान्य जनजाति की संवेदनहीनता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संकोची स्वभाव और उपेक्षित जीवन प्रमुख चुनौतियों के रुप में उभर कर सामने आये हैं। तात्पर्य यह है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का जीवन चुनौतियों से परिपूर्ण है। इनके माता-पिता गुटखा खाने, मद्यपान करने और नशा-खोरी इत्यादि व्यसनों के कारण शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। घर में खाने के लिए खाद्य सामग्री भले न हो परंतु मद्यपान करना इनकी मानसिकता और जीवन का अभिन्न अंग है। इसके दुष्परिणाम स्वरुप सहरिया जनजाति के लोगों की श्रमशक्ति कम हुई है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक-बालिकाओं के मन-मस्तिष्क पर भी हो रहा है। वे भी अपने माता-पिता का अनुकरण करते हुए बाल्यावस्था से ही गुटखा खाना आरंभ कर देते हैं। एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा किये गये सर्वे के दौरान ज्ञात हुआ है कि 90 प्रतिशत से अधिक सहरिया जनजाति के पुरुष तथा 70 प्रतिशत महिलायें किसी-न-किसी प्रकार का व्यसन अवश्य करते हैं।

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक चुनौतियां (Social Challenges)– विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में निर्दिष्ट राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक चुनौतियां के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.4.5

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख सामाजिक चुनौतियां

क्र सं.	प्रमुख चुनौतियां		जनजाति के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं (प्रतिशत में)			
			शाहबाद (n=25)		किशनगंज (n=25)	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
3.	सामाजिक	सामान्य जनजाति से पृथक रहना	88	12	60	40
		विस्थापन एवं पुनर्वास	96	4	52	48
		बाल विवाह	56	44	28	72
		बाल श्रम	48	52	48	52
		नेतृत्व का अभाव	92	8	72	28
		सामान्य जनजाति द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार	96	4	68	32
		सामाजिक कुरीतियाँ	40	60	48	52
		औसत	**73**	**27**	**54**	**46**

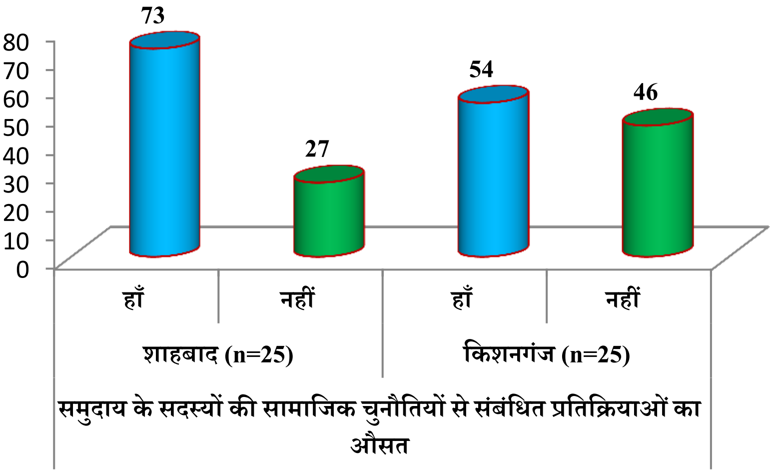

दंड आरेख-4.4.3 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक चुनौतियां)

उपरोक्त तालिका-4.4.5 एवं दंड आरेख-4.4.3 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सामाजिक चुनौतियों का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के हितधारकों की सामाजिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत 73 प्रतिशत हाँ तथा 27 प्रतिशत नहीं है। किशनगंज तहसील के हितधारकों की सामाजिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत क्रमशः 54 प्रतिशत हाँ तथा 46 प्रतिशत नहीं है। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत के औसत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की तुलना में शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को सामाजिक चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ता है। तुलनात्मक रुप से देखा जाए तो शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में सामान्य जनजाति से पृथक रहना, विस्थापन एवं पुनर्वास, नेतृत्व का अभाव और सामान्य जनजाति द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रमुख चुनौतियों के रुप में उभर कर सामने आये हैं। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता यह कह सकता है कि शाहबाद और किशनगंज तहसील के सहरियाजनजाति के बालक-बालिकाओं को उपरोक्त चुनौतियों के अतिरिक्त अपनी जनजाति की सामाजिक कुरीतियों के कारण भी विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। झगड़ा, दापा और अन्धविश्वास इत्यादि सामाजिक चुनौतियों के कारण बालक-बालिकाओं का जीवन नारकीय बन जाता है। सहरिया जनजाति में बाल-विवाह की चुनौती प्रारंभ से ही विद्यमान रही है। सहरियाओं में दूध पीते बालक-बालिकाओं का विवाह गोद में लेकर या थाली में बिठाकर कर दिया

जाता था। बाल-विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत बारां जिला प्रशासन सहरिया जनजाति में बाल-विवाह को रोकने के लिए प्रति वर्ष सजग रहता है परंतु कई निरक्षर और अशिक्षित सहरिया परिवार कानून के सामने चुनौती रखते हुए बालक-बालिकाओं का बाल-विवाह कर ही देते हैं। 27 अप्रैल 2008 को किशनगंज थाना क्षेत्र में एक समाजसेवी द्वारा नवनिर्मित मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले सामूहिक विवाह में आधा दर्जन नाबालिग सहरियाओं का विवाह पुलिस प्रशासन के सहयोग से रूकवाया था। वर्ष 2011 में भी बारां जिला प्रशासन ने आधा दर्जन सहरियाओं का बाल-विवाह रूकवाते हुए पटवारी प्रेमसिंह को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया था। आखातीज और देव-उठनी एकादशी के अवसर पर सहरिया जनजाति में बाल-विवाह बहुत किये जाते हैं। इसके मुख्य कारण सहरिया जनजाति की निर्धनता, अशिक्षा, जागरूकता की कमी और बेरोजगारी इत्यादि हैं। सामान्य जनजाति की उपेक्षा, विस्थापन, नेतृत्व का अभाव झगड़ा और दापा आदि सहरिया जनजाति की दूसरी प्रमुख सामाजिक चुनौतियां हैं, जिनके कारण बालक-बालिकाओं को विपरीत परिस्थितयों का सामना करना पड़ता है।

3. **सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आर्थिक चुनौतियां** (Economical Challenges) **-** विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में निर्दिष्ट राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आर्थिक चुनौतियां के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.4.6

सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख आर्थिक चुनौतियां

क्र सं.	**प्रमुख चुनौतियां**		**जनजाति के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं (प्रतिशत में)**			
			शाहबाद (n=25)		**किशनगंज (n=25)**	
			हाँ	**नहीं**	**हाँ**	**नहीं**
4.	आर्थिक	जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव	88	12	52	48
		स्थानान्तरण कृषि पर प्रतिबन्ध	92	8	88	12
		उच्च ब्याज दर एवं ऋणग्रस्तता	84	16	56	44
		सूदखोरी एवं महाजनी व्यवस्था	92	8	68	32
		बन्धुआ मजदूरी	56	44	52	48
		सरकारी सहायता का दुरुपयोग	60	40	56	44
		औसत	**78**	**22**	**62**	**38**

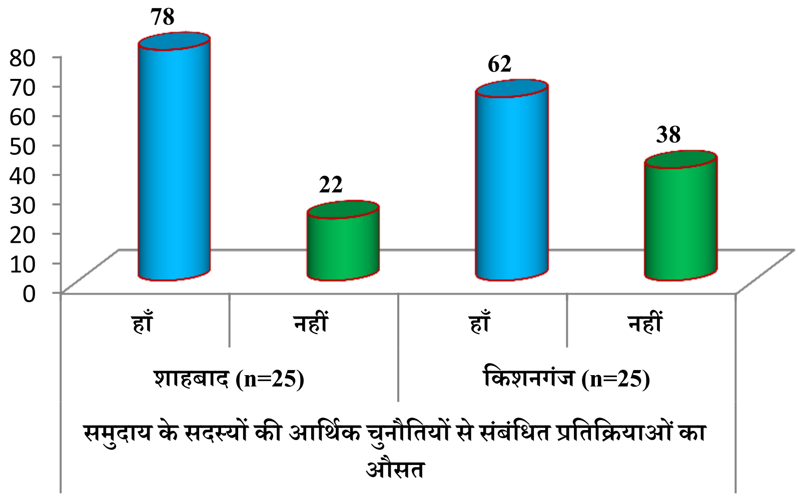

दंड आरेख-4.4.4 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आर्थिक चुनौतियां)

उपरोक्त तालिका-4.4.6 एवं दंड आरेख-4.4.4 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आर्थिक चुनौतियों का विवरण दिया गया है। इसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के हितधारकों की आर्थिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत 78 प्रतिशत हाँ तथा 22 प्रतिशत नहीं है। किशनगंज तहसील के हितधारकों की आर्थिक चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत क्रमशः 62 प्रतिशत हाँ तथा 38 प्रतिशत नहीं है। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत के औसत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की तुलना में शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को आर्थिक चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ता है। तुलनात्मक रुप से देखा जाए तो शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव, स्थानान्तरण कृषि पर प्रतिबन्ध, उच्च ब्याज दर एवं ऋणग्रस्तता, सूदखोरी एवं महाजनी व्यवस्था प्रमुख चुनौतियों के रुप में उभर कर सामने आये हैं। तात्पर्य यह है कि अन्य वनवासी समुदायों की भाँति सहरिया जनजाति भी विस्थापित है। इनकी जमीनें भू-माफियाओं और बड़े किसानों द्वारा जबरन ले ली गई हैं। सहरिया जनजाति के निर्धन परिवारों को उनकी जमीनों से खदेड़ दिया गया है। अधिकांश सहरिया जनजाति के लोगों की जमीनें गिरवी रखी हुई हैं। इस कारण यह जनजाति अपने पाल्यों को मंहगी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाता है। निर्धनता और बेरोजगारी सहरिया जनजाति की पीड़ादायक अंतहीन कहानी है, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से बालक-बालिकाओं का समग्र विकास भी प्रभावित हो रहा है।

4. **सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पारिस्थितिकीय चुनौतियां** (Ecological Challenges) **-** विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में निर्दिष्ट राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पारिस्थितिकीय चुनौतियां के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.4.7
सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख पारिस्थितिकीय चुनौतियां

क्र सं.	**प्रमुख चुनौतियां**		**जनजाति के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं (प्रतिशत में)**			
			शाहबाद (n=25)		**किशनगंज (n=25)**	
			हाँ	**नहीं**	**हाँ**	**नहीं**
5.	पारिस्थितिकीय	वनोन्मूलन	92	8	76	24
		वनोत्पादों के दोहन पर प्रतिबन्ध	96	4	80	20
		कृषि योग्य भूमि का अभाव	96	4	60	40
		जंगली हिंसक पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध	88	12	96	4
		जंगली भूमि पर सरकार का नियन्त्रण	92	8	92	8
		प्राकृतिक आपदा	96	4	88	12
		सरकारी वनकर्मियों द्वारा उत्पीड़न	92	8	52	48
		औसत	**93**	**7**	**77**	**23**

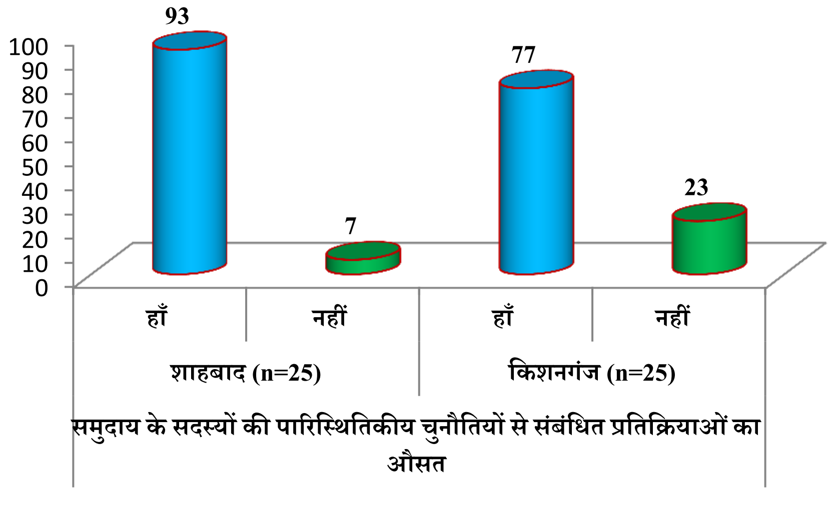

दंड आरेख-4.4.5 (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पारिस्थितिकीय चुनौतियां)

उपरोक्त तालिका-4.4.7 एवं दंड आरेख-4.4.5 में शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पारिस्थितिकीय चुनौतियों का विवरण दिया गया है। इसके

आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शाहबाद तहसील के हितधारकों की पारिस्थितिकीय चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत 93 प्रतिशत हाँ तथा 7 प्रतिशत नहीं है। किशनगंज तहसील के हितधारकों की पारिस्थितिकीय चुनौतियों पर दी गयीं प्रतिक्रियाओं के प्रतिशतों का औसत क्रमशः 77 प्रतिशत हाँ तथा 23 प्रतिशत नहीं है। हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत के औसत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की तुलना में शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को पारिस्थितिकीय चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ता है। तुलनात्मक रुप से देखा जाए तो शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में वनोत्पादों के दोहन पर प्रतिबन्ध, कृषि योग्य भूमि का अभाव, जंगली भूमि पर सरकार का नियन्त्रण, प्राकृतिक आपदा और सरकारी वनकर्मियों द्वारा उत्पीड़न प्रमुख चुनौतियों के रुप में उभर कर सामने आये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त सहरिया बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियों को जानने के लिए विशेषज्ञों से भी केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion) की गयी एवं सहभागी प्रेक्षण (Participatory Observation) किया गया, जिनसे प्राप्त प्रमुख जानकारियों का विवरण इस प्रकार है।

- सहरिया ग्रामों में बिजली नहीं पहुँचने के कारण अँधेरा पसरे रहने की चुनौती।
- अनेक सहरानों और बस्तियों में विद्युत कनेक्शन की चुनौती।
- निशक्तजन या दिव्यांग सहरिया बालक-बालिकाओं की विशिष्ट शिक्षा की चुनौती।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और चीनी नहीं मिलने की चुनौती।
- बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क दवा न मिलने की चुनौती।
- 12 वीं तक के सहरिया बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने हेतु बैंक में समय पर खाता न खुलने की चुनौती।
- सहरिया क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय, माँ-बाड़ी केन्द्रों और आँगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित न खुलने की चुनौती।

- राजकीय और आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के न भरने के कारण विभिन्न विषयों के अध्ययन की चुनौती और इन विद्यालयों में शिक्षकों के समय पर नहीं आने की चुनौती इत्यादि महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

4.4.1 निष्कर्ष (Conclusion): प्रस्तुत शोध अध्ययन में गुणात्मक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण तृतीय उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की चुनौतियों से संबंधित विभिन्न तथ्य शोधकर्ता के सम्मुख परिलक्षित हुए हैं, जो सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनका सारांश बिन्दुवार इस प्रकार है।

शैक्षणिक चुनौतियां (Educational Challenges)

- राजस्थान राज्य के बारां जिले की सहरिया बाहुल्य शाहबाद और किशनगंज तहसीलों की विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से परिवार, विद्यालय और जनजाति में अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके समग्र विकास को प्रभावित करती हैं।
- ग्राम में उच्च स्तरीय राजकीय अथवा निजी विद्यालय का न होना और यदि विद्यालय है, तो माता-पिता द्वारा उसमें बालक-बालिकाओं का नामांकन न कराना, माता-पिता के द्वारा अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में पलायन करने के कारण शैक्षणिक सत्र के मध्य में बालक-बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की विवशता, प्रतिकूल और अरुचिकर पाठ्यक्रम का होना, विद्यालयों में खेलकूद के मैदान और भौतिक संसाधनों की कमी, शिक्षकों द्वारा देर से विद्यालय आना और शीघ्र चले जाना आदि शैक्षणिक चुनौतियां का सामना, किशनगंज तहसील की अपेक्षा शाहबाद तहसील के सहरिया बालक-बालिकाओं को अधिक करना पड़ता है।
- दिव्यांग सहरिया बालक-बालिकाओं की विशिष्ट शिक्षा की चुनौती, 12वीं तक के सहरिया बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने हेतु बैंक में समय पर खाता न खुलने की चुनौती, सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय संस्थाओं के नियमित रुप से न खुलने की चुनौती, राजकीय और आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के न भरने के कारण प्रमुख विषयों जैसे-गणित,

विज्ञान, वाणिज्य और कम्प्यूटर आदि के अध्ययन की चुनौती इत्यादि महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तुलनात्मक रुप से देखा जाए तो शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में प्रतिकूल पाठ्यक्रम, विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी और विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव प्रमुख चुनौतियों के रुप में उभर कर सामने आये हैं।

मनोवैज्ञानिक चुनौतियां (Psychological Challenges)

- एक दशक पूर्व सहरिया समाज की शिक्षा के प्रति यह धारणा और मानसिकता थी कि जब एम.ए.और बी.ए. पास बेरोजगार हैं तो ऐसी शिक्षा का क्या औचित्य ? रोटी तो परिश्रम, मेहनत-मजदूरी और खेती करने से मिलती हैं। पढ़ाई रोटी नहीं देती बल्कि यह हमारे बच्चों से मेहनत की प्रवृत्ति और आदत को छीनकर उन्हें कमजोर, निठल्ला बनाने के साथ-साथ समय और पैसे की बर्बादी करती है।
- माता-पिता का शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण एवं सामान्य जनजाति के साथ समायोजन न करना, अंतर्मुखी, एकाकीपन तथा संकोची स्वभाव और सामान्य जनजाति द्वारा की जाने वाली उपेक्षा आदि मनोवैज्ञानिक चुनौतियां किशनगंज तहसील की अपेक्षा शाहबाद तहसील के सहरिया बालक-बालिकाओं के सम्मुख आधिक हैं।
- शाहबाद और किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का जीवन अनेक मानसिक चुनौतियों से परिपूर्ण है। इनके माता-पिता गुटखा खाने, मद्यपान करने और नशा-खोरी इत्यादि व्यसनों के कारण शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सामान्य समुदायों के बालक-बालिकाओं द्वारा सम्मानजनक व्यवहार न किये जाने के कारण भी इस जनजाति के बालक-बालिकाओं को समायोजन में परेशानी होती है।

सामाजिक चुनौतियां (Social Challenges)

- मद्यपान, गुटखा खाना, गांजा और आलस्य आदि व्यसन भी इस जनजाति की बहुत बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं। गुटखा खाना बालक-बालिकायें परिवार के सदस्यों को देखकर सीख जाते हैं और किशोरावस्था तक आते-आते गुटखा खाने की आदत में वृद्धि हो जाती है।

- झगड़ा, दापा, बाल-विवाह और अन्धविश्वास इत्यादि सामाजिक चुनौतियों के कारण बालक-बालिकाओं का सामाजीकरण उचित रुप से नहीं हो पाता है।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को अपने परिवार के साथ सामान्य जनजाति से पृथक सहराना में रहना पड़ता है। परिवार द्वारा विस्थापन किये जाने पर बालक-बालिकाओं को नये स्थान पर समायोजन करने में कठिनाई होत्ती है।
- बाल-श्रम, कुशल एवं योग्य नेतृत्व की कमी और सामाजिक कुरीतियाँ आदि चुनौतियों से भी सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को संघर्ष करना पड़ता है।

आर्थिक चुनौतियां (Economical Challenges)

- शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव, स्थानान्तरण कृषि पर प्रतिबन्ध, उच्च ब्याज दर एवं ऋणग्रस्तता, सूदखोरी एवं महाजनी व्यवस्था प्रमुख आर्थिक चुनौतियां हैं।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के अभिभावकों एवं माता-पिता की जमीनें भू-माफियाओं और बड़े किसानों द्वारा जबरन ले ली गई हैं, जिससे आर्थिक अभाव का सामना करना इस जनजाति की मज़बूरी है।
- सहरिया जनजाति के निर्धन परिवारों को उनकी जमीनों से खदेड़ दिया गया है या फिर हाली के रुप में न्यूनतम मासिक मजदूरी पर रख लिया जाता है। अधिकांश सहरिया जनजाति के लोगों की जमीनें गिरवी रखी हुई हैं। इस कारण सहरिया जनजाति को आर्थिक रुप से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
- विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के माता-पिता और अभिभावकों को सरकारी योजनाओं की उचित जानकारी न होने के कारण उनका दुरुपयोग सरकारी कर्मचारियों और सामान्य समाज के द्वारा किया जाता है। इस कारण सहरिया जनजाति को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है।

- कुछ दशक पूर्व तक सहरियाओं की आय का प्रमुख स्रोत जंगल और जमीन थे। परन्तु वर्तमान परिदृश्य में उनके समक्ष जमीन की चुनौती अत्यन्त गंभीर है। सहरियाओं का वनों के अंधाधुंध कटाव से ध्यान हटाने एवं जमीन तथा कृषि की ओर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1961 ई. में सहरियाओं के बीच भू-आबंटन कार्यक्रम का अभियान चलाया गया, परन्तु दशकों बाद भी सहरिया जनजाति की इस चुनौती का आज भी कोई उचित समाधान नहीं हो पाया है।

पारिस्थितिकीय चुनौतियां (Ecological Challenges)

- सहरिया जनजाति के समक्ष जल, जंगल एवं जमीन की भयंकर चुनौती है, जिससे इस जनजाति का जीवन संकटमय बना हुआ है।
- राजस्थान की शाहबाद और किशनगंज तहसीलें सहरिया आवासित क्षेत्र है। यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां सामान्य वर्षा होती थी। आज यह क्षेत्र सूखा जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। सहरिया क्षेत्र अधिकतर पहाड़ियों से घिरा होने के कारण शुद्ध पेयजल की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है।
- दशकों पूर्व वनोत्पाद का संग्रहण और जंगली पशुओं का शिकार करना ही सहरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय था अर्थात वन, वनोत्पाद, वन के जानवर इनकी आजीविका के प्रमुख साधन थे। सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था जंगल की पारिस्थितिकी पर आधारित थी। वस्तुतः जल, जंगल और जमीन इनके लिए कभी वरदान थीं। इनके जीवन का आरंभ जंगल से ही होता था और जंगल में ही अस्त हो जाता था। सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा प्राकृतिक परिवेश में ही होती थी। जंगल के पेड़-पौधे और पशुपक्षी उनके शिक्षक होते थे, परन्तु आज के जंगलों की पारिस्थितिकी सहरिया जनजाति के लिए उपयोगी नहीं है।
- विलुप्त होती औषधिय वनस्पतियां, जंगलों का लगातार कटाव, सरकार के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरुप वन उपज के कार्य का न होना, जंगली हिंसक पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध इत्यादि के कारण सहरिया जनजाति के लिए जंगल का पारिस्थितिकीय महत्व अब कम हो गया है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की अपेक्षा शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनौतियों के कारण विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में सम्मिलित राजस्थान की सहरिया जनजाति आज भी समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रही है। निर्धनता, बेराजगारी, बेकारी के साथ-साथ जल, जंगल, जमीन, आवास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, भोजन और पेयजल इत्यादि जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित सहरिया आज भी बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता और शोषण के साथ-साथ अन्य कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

4.5 खण्ड-द (Section-D):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव

प्रस्तुत खण्ड में राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति को सुधारने तथा चुनौतियों के समाधान से संबंधित महत्वपूर्ण सुझावों के अध्ययन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

तालिका-4.5.1
आंकड़ों के संकलन का तालिका द्वारा प्रदर्शन

आंकड़ों के संकलन में प्रयुक्त उपकरण	उपकरण प्रशासित प्रतिदर्श (n=10)	आंकड़ों के विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकी
केन्द्रित समूह परिचर्चा एवं सहभागी प्रेक्षण	सहरिया जनजाति विशेषज्ञ (समाजसेवी, सहरिया परियोजना अधिकारी, शिक्षाशास्त्री एवं सहरिया समाज के प्रतिनिधि)	विषयवस्तु विश्लेषण

उद्देश्य (Objective) O_4 - राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रभावशाली सुझाव देना।

प्रयुक्त उपकरण (Tool)– इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा केन्द्रित समूह परिचर्चा का आयोजन किया गया।

प्रतिदर्श (Sample)-इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा उद्देश्यपूर्ण चयन विधि द्वारा सहरिया क्षेत्र में अनुभव रखने वाले10 विशेषज्ञों का चयन किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकी (Statistics) - प्रस्तुत शोध अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण हेतु विषयवस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

4.5.1 केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion):-

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों के संकलन हेतु केन्द्रित समूह परिचर्चा का आयोजन भी किया गया। परिचर्चा में सम्मिलित होने वाले विशेषज्ञों द्वारा सहरिया जनजाति के विषय में समग्र विश्लेषण किया गया, जिसमें सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति के साथ ही उसकी प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा की गयी। इसी दौरान विशेषज्ञों ने सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति को सुधारने से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये, विशेषज्ञों की इस केन्द्रित समूह परिचर्चा का सम्पूर्ण विवरण इस प्रकार है।

4.5.1.1 केन्द्रित समूह परिचर्चा (FGD-1) प्रथम केन्द्रित समूह परिचर्चा राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ शाहबाद में 20 मई 2016 को संपन्न हुई। इस समूह परिचर्चा में सहरिया विकास से जुड़े पांच अनुभवी विशेषज्ञों की सक्रिय भूमिका रही। इनमें से एक विशेषज्ञ पिछले 60 वर्षों से सहरिया जनजाति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। शेष चार विशेषज्ञों द्वारा पिछले न्यूनतम 10 वर्षों और अधिकतम 30 वर्षों से सहरिया जनजाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और कृषि आदि में सतत रुप से कार्य किया जा रहा है। मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन स्वयं शोधकर्ता द्वारा किया गया। केन्द्रित समूह विवेचन के प्रश्न मुख्य रुप से सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक तथा मनोसामाजिक स्थिति एवं चुनौतियों से संबंधित थे, जिनकी संरचना कुछ इस प्रकार थी।

- ❑ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रमुख शैक्षणिक चुनौतियां क्या हैं और इनका निवारण कैसे किया जा सकता है ?
- ❑ अपने परिवेश में सहरिया वालक –बालिकाओं को किस प्रकार की मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?
- ❑ सहरिया बालक – बालिकाओं की मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है ?

केन्द्रित समूह परिचर्चा (FGD-1) के सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ का अभिमत था कि-

- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सबसे प्रमुख शैक्षणिक चुनौती माता-पिता की अशिक्षा है। वे अपने पाल्यों का विद्यालय में प्रवेश भी समय पर नहीं करवाते हैं। इसके पार्श्व में प्रमुख कारण उनके पास आय के आर्थिक साधनों का न होना है।
- यदि बालक-बालिकायें विद्यालय में प्रवेश ले भी लेते हैं, तो दीपावली के बाद उनके माता-पिता मजदूरी करने अन्य प्रदेशों जैसे गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बड़े शहरों में अपने परिवार सहित चले जाते हैं। इससे उनके बालक या बालिका का नाम निरंतर अनुपस्थिति के कारण विद्यालय पंजिका से पृथक कर दिया जाता है। जब माता-पिता होली के पश्चात सीताबाड़ी मेले से पहले अपने आवासों में लौटते हैं, तब तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो जाता है। वे जो भी कमाकर लाते हैं उसे ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को लगने वाले 15 दिवसीय मेले में खर्च कर देते हैं। इस मेले को सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। इन 15 दिनों में वे अपनी जमा पूंजी शराब और गांजा पीने एवं गुटखा खाने पर व्यय कर देते हैं। ज्येष्ठ माह के अन्त में जब वर्षा ऋतु का आगमन होने लगता है, तब पुनः इन सहरिया बालक-बालिकाओं के परिवार अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं।
- जो माता-पिता अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में नहीं जाते हैं, वे अपने बालक-बालिकाओं को प्रातःकाल विभिन्न कार्यों में लगा देते हैं। वे स्वयं कुछ नहीं करते बालक-बालिकाओं से ही कार्य कराते हैं। माता-पिता के आचरण का प्रभाव बच्चों पर भी होता है। फलस्वरुप वे भी अल्पायु में गुटखा खाना आरम्भ कर देते हैं।
- सहरिया बालक-बालिकाओं को उनके माता-पिता फसल काटने के दौरान विद्यालय नहीं भेजते हैं। इस दौरान विद्यालयों में सहरिया बालक-बालिकाओं की उपस्थिति भी नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि वे बच्चे अपने माता-पिता के साथ या अकेले ही खेतों में फसल काटने के पश्चात खाली खेत में फसल के अवशेष जैसे-गेहूँ की वालियां एकत्र करते हैं। इसके साथ ही अन्य जनजाति के पशुओं को भी चराते हैं। बालिकायें ईंधन हेतु जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती हैं।

- सहरिया जनजाति की बालिकाओं का ध्यान शिक्षा की ओर कम और साज-सज्जा पर अधिक रहता है। कम आयु में ही माँ, बहिन या भाभी अथवा चाची का अनुकरण करते हुए ये बिंदी और लिपस्टिक लगाने के साथ ही गुटखा भी खाना आरम्भ कर देती हैं।
- सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। अन्य समुदायों के साथी सहपाठियों का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं होता। वे उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठने देते हैं। इतना ही नहीं सहरिया जनजाति की बालिकाओं का उपहास उड़ाना, बात-बात पर झगड़ना और अपशब्द कहना आदि बाधायें उन्हें विद्यालय जाने से रोकती हैं।
- विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों का न होना और यदि किसी विद्यालय में शिक्षक हैं भी तो वे समय पर नहीं आते और विद्यालय बंद होने के समय से पहले ही विद्यालय का अवकाश कर वापस चले जाते हैं। कुछ शिक्षक तो पूरे दिन स्मार्टफोन पर लगे रहते हैं। विद्यालय समय में अधिकांश समय फोन पर गाने सुनना, बालक-बालिकाओं को बुलाने में असभ्य भाषा का प्रयोग करना और कक्षा में रोचक ढंग से न पढ़ाना भी शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पा रहा है।
- विद्यालयी पाठ्यक्रम का सहरिया बालक-बालिकाओं की रुचि, अभिरुचि और क्षमता के अनुकूल न होना तथा उनके माता-पिता का शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रमुख शैक्षणिक चुनौतियां हैं।
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग का न होना, उनमें शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा करता है। आठवीं या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई बालक-बालिका विज्ञान अथवा वाणिज्य वर्ग का अध्ययन करना चाहती है, तो इसकी सुविधा 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक एवं निजी विद्यालयों में ही है जहां तक पहुँचने के लिए यातायात का कोई साधन नहीं होता है। यदि किसी बालक या बालिका ने प्रवेश ले भी लिया तो पैदल या साईकिल से ही जाना होता है।
- सरकारी या निजी विद्यालयों में परामर्शन सेवाओं का अभाव भी सहरिया बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास को अवरुद्ध करता है। उद्देश्य विहीन शिक्षा प्राप्त करना सहरिया बालक-बालिकाओं को सबल प्रदान न करके बेरोजगारों की भीड़ का हिस्सा बनाती है।

- शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि किसी सहरिया युवक को बेरोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार युवक या युवती अन्य सहरिया बालक-बालिकाओं के लिए एक प्रतिमान बन जाती है कि सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करना समय, धन और श्रम को नष्ट करना मात्र है। इसलिए सरकारों को सहरिया बालक-बालिकाओं के पैतृक कौशलों को पहचानकर व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका आरम्भ प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ अध्यायों को जोड़कर कर किया जा सकता है, ताकि माध्यमिक कक्षाओं तक पहुँचते ही सहरिया बालक-बालिकायें अपनी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक निपुणता प्राप्त करने के साथ ही उस विषय का सैद्धांतिक ज्ञान भी हासिल कर सकें। इससे बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ ही सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं में शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति भी उत्पन्न नहीं होगी।
- सामाजिक व्यसनों जैसे-शराब और गांजा पीना, गुटखा खाना कार्य न करना आदि को दूर करने के लिए सरकार को प्रत्येक पंचायत के विद्यालय या सामुदायिक केन्द्रों में सक्रिय परामर्शन सेवाओं की स्थापना करना अति आवश्यक है। इन सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक परामर्शन सेवाओं को महत्वपूर्ण मानते हुये प्राथमिकता देनी चाहिए। अंततः सभी विशेषज्ञ इस बात पर एक मत थे कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर शैक्षणिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनका निराकरण सरकार और अन्य समुदायों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा ही संभव है। इसके साथ ही सहरिया जनजाति के शिक्षित और जागरूक युवा जो कि विभिन्न सरकारी लाभ के पदों पर कार्यरत हैं उन्हें भी अपनि जनजाति के उत्थान के लिए मिलकर आदर्श स्थापित कर अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

4.5.1.2 केन्द्रित समूह परिचर्चा (FGD-2)

प्रथम केन्द्रित समूह परिचर्चा के पश्चात द्वितीय केन्द्रित समूह परिचर्चा का आयोजन महर्षि वाल्मीकि मन्दिर परिसर दांता में 3 दिसम्बर 2017 को सहरिया जनजाति की बैठक के आरम्भ होने से पूर्व प्रातः 9 बजे से 11.15 बजे के मध्य किया गया। इस समूह परिचर्चा में सहरिया विकास मंच से जुड़े पांच प्रबुद्ध और अनुभवी सदस्यों द्वारा परिचर्चा को सजीव रुप प्रदान किया गया। साथ ही इस परिचर्चा

में वनवासी कल्याण आश्रम सीताबाड़ी के एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन किया, क्योंकि उन्हें वनवासी समाज के कल्याण हेतु कार्य करने का दीर्घकालिक व्यावहारिक अनुभव था। दूसरे विशेषज्ञ संकल्प संस्था मामौनी से पधारे। इस प्रकार परिचर्चा में कुल पांच अनुभवी सदस्यों ने हिस्सा लिया। शोधकर्ता द्वारा केन्द्रित समूह परिचर्चा के उद्देश्यों को सामान्य परिचय के साथ स्पष्ट किया गया, तत्पश्चात पूर्व में आयोजित केन्द्रित समूह विवेचना की भांति इस परिचर्चा के भी मुख्य प्रश्न सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामजिक स्थिति और चुनौतियों से संबंधित थे, जिनके टंकित प्रपत्रों का वितरण शोधकर्ता द्वारा सामान्य परिचय सत्र के दौरान ही कर दिया गया। इस परिचर्चा का आयोजन एक-एक घंटे के दो सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र की मध्यस्थता के उत्तरदायित्व का निर्वहन शोधकर्ता द्वारा किया गया और द्वितीय सत्र की मध्यस्थता की भूमिका वनवासी कल्याण आश्रम से पधारे विषय विशेषज्ञ द्वारा पूर्ण की गयी। प्रथम सत्र के प्रश्नों की संरचना कुछ इस प्रकार थी।

- ❑ सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक योजनायें सहरिया बालक-बालिकाओं को किस प्रकार लाभान्वित कर रही हैं?
- ❑ क्या सहरिया बालक-बालिकायें शैक्षणिक योजनाओं का पूरा लाभ ले पा रहे हैं ?
- ❑ सहरिया बालक-बालिकाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनायें किस प्रकार उपयोगी हैं ?
- ❑ सहरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति किस प्रकार बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास को प्रभावित कर रही है ?

विशेषज्ञों के द्वारा उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में परिचर्चा आरम्भ करने से पूर्व आपस में मंत्रणा की गयी कि कौन-से विषय पर किस विशेषज्ञ को अपने विचार रखने हैं ? परिचर्चा का आरम्भ करते हुए मध्यस्थता कर रहे शोधकर्ता ने विशेषज्ञों के मतों को उपरोक्त प्रश्नों के सन्दर्भ में जानना चाहा तो एक विशेषज्ञ ने अपने मत को प्रकट करते हुए कहा कि सहरिया जनजाति का कोई भी सदस्य भिक्षावृत्ति नही करता है। सहरिया आदिम जनजाति के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान और विकास के लिए वर्ष 1977-78 से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के माध्यम से सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बारां जिले की पंचायत समिति शाहबाद और किशनगंज में विगत वर्षों में अनेक योजनाओं का संचालन तथा क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 1977-

78 से अब तक राज्य और केन्द्र सरकारें विभिन्न योजनाओं पर लगभग 23 अरब रुपये व्यय कर चुकी हैं। सहरिया जनजाति के लोग निश्छल, सरल, स्वाभिमानी और संकोची होते हैं। इस कारण सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। सहरिया बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन सहरिया विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार द्वारा किशनगंज और शाहबाद तहसील के 22273 से अधिक सहरिया जनजाति के परिवारों को प्रतिमाह 1 लीटर घी, 2 लीटर खाद्य तेल और 2 किलो दाल का नि:शुल्क वितरण दिसम्बर 2012 से निरंतर हो रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने परिचर्चा को गति देते हुए कहा कि भारतीय संविधान की अनुसूची-5 में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सन् 1975 में जनजाति क्षेत्र की स्थापना की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना (सन् 1974-77) में सम्पूर्ण देश में 75 जनजातीय समूहों को आदिम जनजाति के रुप में चिन्हित किया गया। जिसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य की एक मात्र आदिम जनजाति सहरिया है, जिसे आदिम जनजाति समूह (पीटीजी) का नाम दिया गया है। वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा आदिम जनजातीय समूहों के लिए विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) का नाम दिया गया है। सहरिया आदिम जनजाति के विकास हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा दिनांक 24. दिसम्बर, 1977 को सर्वप्रथम सहरिया विकास समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जिला कलक्टर को बनाया गया। सहरिया आदिम जनजाति के विकास की कार्ययोजना शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में प्रशासित की गई। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2011-12 द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम सम्पूर्ण बारां जिले में निवास करने वाली सहरिया जनजाति के लिए सक्रिय रुप से क्रियान्वित किया गया है। सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत ही बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण, सहरिया ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थी को आर्थिक सहायता, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाऐं, सहरिया आवास निर्माण, सम्पर्क सड़क निर्माण, स्वरोजगार योजना, आश्रम छात्रावासों में पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर सहित रीडिंग रूम निर्माण, कृषि उपकरण वितरण, निःशुल्क सामुदायिक डीजल पम्पसेट वितरण, व्यक्तिगत डीजल पम्पसेट वितरण, सामुदायिक कृषि ट्यूवबैल, कृषि और सिंचाई, दुर्घटना और बीमारी में सहायता, क्षयरोग नियन्त्रण और स्वास्थ्य कर्मी योजना इत्यादि विकासात्मक कार्यक्रमों का लाभ जागरूकता के अभाव में सहरिया जनजाति के लोग नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनके बालक-बालिकाओं की शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। इन योजनाओं का उचित और

पूरा लाभ लेने के लिए एक के साथ एक पढ़े अर्थात एक शिक्षित सहरिया एक अशिक्षित सहरिया को पढ़ाये। बालिका शिक्षा के महत्व को समझकर स्वयं शिक्षा सहायता समूह बनाकर परिवार की एक शिक्षित युवती अन्य किसी एक निरक्षर महिला को साक्षर करे, तो निश्चित ही सहरिया जनजाति की दशा और दिशा दोनों में अपेक्षित परिवर्तन हो सकता है।

प्रथम सत्र के समापन के पश्चात 15 मिनट का समय जलपान हेतु दिया गया। तत्पश्चात द्वितीय सत्र आरम्भ हुआ, जिसमें प्रश्नों की संरचना कुछ इस प्रकार थी-

- सहरिया जनजाति की मनोसामाजिक स्थिति किस प्रकार बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास को प्रभावित कर रही है ?
- विभिन्न सामाजिक कुरीतियाँ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास को कैसे प्रभावित कर रही हैं ?
- ऐसे कौन-कौन से पारिस्थितिकीय कारक हैं जो सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के मार्ग में चुनौती बनकर खड़े हैं ?
- सहरिया बालक-बालिकाओं की विभिन्न शैक्षणिक और मनोसामजिक में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए ?

केन्द्रित समूह परिचर्चा (FGD-2) में भाग ले रहे एक विशेषज्ञ, जिन्होंने सन् 1958-1960 के बीच सहरिया क्षेत्र में आकर सामाजिक सेवा का कार्य आरम्भ किया ने सहरिया जनजाति की मनोसामाजिक स्थिति के विषय में अपना मत प्रकट करते हुये कहा कि -

- 60 वर्ष पूर्व सहरिया जनजाति के लोग नंगे बदन रहते थे। पुरुष घुटने से कमर तक का ही वस्त्र पहनते थे। वे केवल अपने गुप्तांगों को ढ़कते थे। महिलायें अंगिया या एक धोती से ही अपने शरीर को ढ़कती थीं।
- इस जनजाति के सदस्य कुल्हाड़ी से अपने सिर के बाल बनाते थे। केवल पटेल के पास सलूका या ओहदा होता था। पटेल ही जनजाति का नेतृत्व करता था उसकी सदरी में चमड़े के बटन होते थे। पटेल के अतिरिक्त जनजाति के अन्य सदस्य कन्द मूल और गुठली सहित बोर खाकर जीवन व्यतीत करते थे। इस जनजाति में कोई पढ़ा-लिखा नहीं था अर्थात सम्पूर्ण सहरिया

जनजाति शिक्षा विहीन था। किसी एक व्यक्ति के द्वारा गलती करने पर पूरे सहराना को दण्डित किया जाता था। सामान्य समाज के लोग इनसे घृणा करते थे। सहरियाओं को सेंटी और धोरी कहा जाता था। ये लोग जूते नहीं पहन सकते थे। गोद में लेकर बालक-बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था।

- लड़की वाला विवाह का प्रस्ताव लेकर लड़के वालों के यहाँ नहीं जाता था। शीत ऋतु में ठण्ड से बचने के लिए अपनी टापरी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर उसी के नजदीक सोते थे। अधिक ठण्ड लगने पर दिशा बदल लेते थे अर्थात शरीर का जो भाग पहले आग के सामने होता था दिशा बदलने पर वह भाग आग के विपरीत दिशा में हो जाता था।
- सहरिया जनजाति के लोग पूरी रात इसी तरह गुजारते थे। घर में सामान के नाम पर एक लोहे की थाली, एक लोटा, मिट्टी का घड़ा और एक कुल्हाड़ी होती थी। यह जनजाति अपने सहराना में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करती है। यह जनजाति भगवान श्री राम का सहयोगी रही है। वनागमन के दौरान भीलों के साथ मिलकर सहरिया जनजाति ने श्रीराम का सहयोग किया। इसलिए ये लोग स्वयं को महर्षि वाल्मीकि का वंशज मानते हैं। छः दशक पूर्व और वर्तमान स्थिति में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। अब सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें विद्यालय जाने लगे हैं। शिक्षा के प्रति समाज के लोग जागरूक हुए हैं।
- सहरिया जनजाति सामाजिक भय से ग्रसित है। सामाजिक भय के पक्ष को उन्होंने इस प्रकार समझाया कि शाहबाद तहसील के महोदरा ग्राम के निवासी श्री नाथूलाल समाज कल्याण विभाग, शाहबाद में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पुत्र सतीश सहरिया को राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के आर्थिक सहयोग से कोटा के एक कोचिंग सेन्टर में मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने के लिये भेजा था। तैयारी करने के दौरान उसका चयन वर्ष 2013 में 360 अंकों के साथ चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस) हेतु ऑल इण्डिया रेंक के अनुसार केरल के मेडिकल कॉलेज में हुआ, परन्तु दूरी अधिक होने के कारण वह केरल में नहीं रह सकता था और उसके पिता भी वहां का व्यय-भार उठाने में सक्षम नहीं थे। अतः राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के प्रयासों से उस प्रतिभाशाली युवक ने दूसरे विकल्प के रुप में ग्वालियर के गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में उसी वर्ष प्रवेश ले

लिया और चिकित्सा शिक्षा का अध्ययन करने लगा। परन्तु कुछ माह के पश्चात उस सहरिया युवक का शव ग्वालियर और शिवपुरी जिलों की सीमा के नजदीकी जंगलों में विकृत अवस्था में मिला। उस युवक के पिता श्री नाथूलाल जी ने राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के सहयोग से इसका रहस्य उजागर करना चाहा। परन्तु शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आज भी यह घटना रहस्य बनी हुई है कि उस युवक ने आत्महत्या की या समाज कंटकों ने उसकी नृशंसतापूर्ण हत्या की थी। नाथूलाल जी के पास इतना धन और प्रतिष्ठा नहीं थी कि वह प्रतिष्ठित वकीलों और न्यायविदों के शुल्क को वहन कर सकते। उस घटना के पश्चात अन्य किसी सहरिया युवक ने इस प्रकार की किसी परीक्षा की तैयारी नहीं की। उनके मन में यह भय बना हुआ है कि कहीं ऐसा उनके साथ भी न हो जाये। उचित सामाजिक सुरक्षा के बिना इस तरह की घटनायें भविष्य में न हों, कहा नहीं जा सकता। ऐसी कई घटनायें अतीत में घटित हुई हैं, जिनका नकारात्मक प्रभाव सहरिया जनजाति के सामाजिक भय को व्यक्त करता है।

- अब सहरिया जनजाति कुछ क्षेत्रों जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और सामाजिकता इत्यादि में अपनी सेवाएं शिक्षक, नर्स, पटवारी, पुलिस कर्मी, वन कर्मी और सरपंच के रुप में विभिन्न स्तरों पर देने लगा है। अब घरों में पहले की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक साधन दिखायी देते हैं।

सामान्यतः सहरिया जनजाति सीताबाड़ी को अपना धार्मिक स्थल मानती है। महर्षि वाल्मीकि को यह जनजाति अपना गुरू मानती है। महर्षि वाल्मीकि के मन्दिर का निर्माण में केवल इसी जनजाति का सहयोग रहा है, अन्य समाजों से आर्थिक सहयोग नहीं लिया गया है। इस मंदिर के रख-रखाव में भी किसी बाहरी समाज के हस्तक्षेप को यह जनजाति स्वीकार नहीं करती है। चार दशक पूर्व इस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की कोई प्रतिमा नहीं थी। पिछले एक-दो दशक पूर्व ही मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित की गयी है। महर्षि वाल्मीकि मंदिर के वर्तमान पुरोहित श्री राधेश्याम जी और उनके सुपुत्र श्री मनोज भार्गव जी मंदिर में पिछले दो वर्षों से पुरोहित के कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बदले में सहरिया जनजाति उनको प्रतिवर्ष फसल कटने पर वेतन स्वरुप अनाज देती है। इसी मंदिर पर प्रत्येक पूर्णिमा और अमावास्या को समाज के शिक्षित, जागरूक लोगों और पटेलों के द्वारा गठित सहरिया विकास समिति की विभिन्न सामाजिक मुद्दों के सन्दर्भ में बैठक होती है। इस बैठक में ही सामाजिक

बुराइयों, अशिक्षा, व्यसनों और कुरीतियों से मुक्ति हेतु रणनीति तैयार कर निर्णय लिए जाते हैं। यह समिति पिछले चार माह से अधिक सक्रिय है जिसका पुनर्गठन 26 नवम्बर 2017 को किया गया है। महर्षि वाल्मीकि मन्दिर के प्रांगण में 3 दिसम्बर, 2017 को आयोजित सहरिया विकास समिति की बैठक में सहरिया समाज की अशिक्षा से मुक्ति के लिए विशेष कार्ययोजना पर समाज के प्रबुद्धजनों एवं पटेलों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इस बैठक की कार्यसूची के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं –

- शराब और गांजा पीने एवं गुटखा खाने पर प्रतिबन्ध और आर्थिक दण्ड अथवा समाज से बहिष्कार।
- जुआ या ताश खेलने, दहेज लेने या देने पर प्रतिबन्ध और आर्थिक दण्ड अथवा समाज से बहिष्कार।
- बालक-बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवारों पर आर्थिक दण्ड अथवा समाज से बहिष्कार।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य गौण बिन्दुओं जैसे – शाम के समय कोई बाहरी व्यक्ति सहराना में नहीं ठहरेगा, कोई भी महिला या युवती किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ किसी वाहन पर बैठकर नहीं जायेगी, खाली बैठे व्यक्ति को उसकी प्राथमिकता के आधार पर मजदूरी पर भेजना और असहाय सहरिया परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि पर भी बैठक में निर्णय लिया गया है। केन्द्रित समूह परिचर्चा में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे खानपुर से बैठक में भाग लेने आये एक सहरिया पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सहराना में या इसके नजदीक खुली शराब की दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन के ऊपर समाज के प्रबुद्ध एवं शिक्षित युवाओं ने दबाव बनाया है। इसके लिए हथवारी, खिरिया, पेनावदा, केलवाड़ा और दांता इत्यादि बारह ग्रामीण क्षेत्रों के सहरिया जनजाति के पुरुषों और महिलाओं ने शाहबाद तहसील मुख्यालय के सम्मुख विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने का कार्य किया है। केन्द्रित समूह परिचर्चा में सहभागिता कर रहे सभी सदस्य एक मत थे कि सहरिया जनजाति को ऐसी ही जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि समाज के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर उनकी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

4.5.2 शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार एवं चुनौतियों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव (Important Suggestions):- प्रस्तुत शोध अध्ययन में केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus

Group Discussion) एवं सहभागी प्रेक्षण (Participatory Observation) के दौरान विशेषज्ञों द्वारा सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनातियों के निवारण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये जिनका विवरण इस प्रकार हैं-

1. ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनमें सहरिया जनजाति की जनसंख्या ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या का पचास प्रतिशत या इससे अधिक है उन ग्राम पंचायतों को जनजाति उपयोजना (टीएसपी) में सम्मिलित किया जाये । जनजाति उपयोजना में सम्मिलित न होने के कारण सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में सहरिया बालक-बालिकाओं को मात्र 80 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश मिलता है, शेष 20 प्रतिशत स्थानों पर अन्य जनजातीय समुदायों के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दे दिया जाता है ।
2. ऐसे दुर्गम और दूरस्थ सहरिया बाहुल्य क्षेत्र जहां सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की पहुँच विद्यालय तक न हो ऐसे क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना और संचालन की व्यवस्था स्थानीय भाभाशाहों की सहायता से सहकारी स्तर पर की जानी चाहिए । इन विद्यालयों में स्थानीय शिक्षित और प्रशिक्षित सहरिया जनजाति के युवक-युवतियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. शिक्षा के अनौपचारिक और निरौपचारिक साधनों के महत्व को ध्यान में रखकर सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए।
4. राजकीय विद्यालयों और सहरिया आवासीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम को व्यवसाय उन्मुख बनाया जाये । इसमें कौशल विकास वाले समाज उपयोगी उत्पादन कार्यों की शिक्षा को व्यावहारिक रुप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
5. पाठ्यक्रम की संरंचना सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की समसामयिक समस्याओं को ध्यान में रखकर रुचिकर भाषाशैली में की जानी चाहिए । यह सरल, सुबोध व्यावहारिक और स्थानीय परिवेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला हो।
6. सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण के माध्यम से दिव्यांग बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर उनके लिए अलग से विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना उनके ही नजदीकी परिवेश में की जानी चाहिए।
7. बाल-विवाह, बालश्रम, लिंग-भेद, बाल यौनाचार और झगड़ा इत्यादि सामाजिक कुरीतियों को अपराध की श्रेणी में रखकर दोषी लोगों को कठोर दण्ड दिया जाये ।

8. विद्यालयों के निरीक्षण को पारदर्शी बनाया जाये। सक्षम और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सहरिया बाहुल्य दुर्गम क्षेत्रों में संचालित राजकीय और निजी विद्यालयों का निरन्तर एवं नियमित अन्तराल पर मूल्यांकन तथा अनुश्रवण किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन मिलता रहे। इससे शिक्षा के उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त किया जा सकेगा।

9. सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों के बालक-बालिकायें उच्च माध्यमिक कक्षाओं को उतीर्ण करने के पश्चात पढ़ाई छोड़कर किसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं या फिर बिना उद्देश्य निर्धारण के अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के विपरीत कम महत्व के विषयों को लेकर अध्ययन करने लगते हैं। इसका मुख्य कारण उचित समय पर समुचित दिशा-निर्देश न मिलना है। उन्हें कौन-से विषय का अध्ययन करने से क्या लाभ होगा और किस विषय का अध्ययन न करने से हानि होगी ? इस महत्वपूर्ण तथ्य को परिवार या परिवार से बाहर कोई बताने वाला नहीं होता। इस कारण प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं का अर्थ, समय, श्रम और शक्ति का अपव्यय हो जाता है। अतः सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के विद्यालयों में शैक्षणिक और व्यावसायिक परामर्शन सेवाओं की सक्रिय स्थापना की जानी चाहिए। परामर्शन सेवाओं का यह कार्यक्रम सहरिया जनजाति में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

10. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों के अभाव को दूर किया जाये अर्थात बालक-बालिका शौचालय, खेल का मैदान, पुस्कालय, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला और प्राथमिक स्वास्थ्य कक्ष आदि होने चाहिए।

11. प्रत्येक विद्यालय में मनोरंजन, खेलकूद और योग की कक्षाओं की नियमित व्यव्स्था की जाये। इससे सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का सर्वागीण विकास होगा और वे भी विभिन्न क्षेत्रों में देश और समाज का मान बढ़ाने में सक्षम होंगे।

12. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विज्ञान, कम्प्यूटर और वाणिज्य वर्ग की कक्षाओं की प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाये और इनमें प्रवेश लेने हेतु सहरिया बालक-बालिकाओं को प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रोत्साहित किया जाये।

13. सहरिया बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाये। सहरिया आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि ठेके पर नियुक्त कर्मचारी पूर्ण उत्साह के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं।
14. सहरिया जनजाति में शिक्षा के प्रति बने नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास सहरिया जनजाति के शिक्षित और जागरूक युवक-युवतियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। वर्ष 2017 में स्थापित सहरिया विकास समिति समाज को जागरूक करने का कार्य भली-भांति कर रही है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा के महत्व को समझाने में यह समिति सफल रही है, जो कार्य दशकों से सरकारी और गैर-सरकारी संस्थायें नहीं कर पायीं, वह कार्य इस समिति के प्रयासों से संभव हो पाया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सहरिया जनजाति की चुनौतियों का समाधान सहरिया जनजाति स्वयं ही कर सकती है। सूचना तकनीकी और शिक्षा का प्रसार उन्हें संबल प्रदान कर रहा है।
15. लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित कर उनमें सहरिया जनजाति के लोगों को उनके पैतृक कौशल के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
16. औषधीय वनस्पतियों और पेड़-पौधों का संरक्षण किया जाये, इसके लिए सहरिया जनजाति के नैसर्गिक ज्ञान की सहायता ली जाये।
17. सहरिया बाहुल्य विधानसभा सीट सहरिया जनजाति हेतु सुरक्षित की जानी चाहिए। इससे सहरिया जनजाति की राजनीति में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी और उनकी मनोसामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा।
18. शिक्षा प्राप्त करने के पश्चत यदि किसी सहरिया युवक-युवती को बेरोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार युवक या युवती अन्य सहरिया बालक-बालिकाओं के लिए एक प्रतिमान बन जाता है कि सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करना समय, धन और श्रम को नष्ट करना मात्र है। इसलिए सरकारों को सहरिया बालक-बालिकाओं के पैतृक कौशलों को पहचानकर व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका आरम्भ प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ अध्यायों को जोड़कर कर किया जा सकता है, ताकि माध्यमिक कक्षाओं तक पहुँचते ही सहरिया बालक-बालिकायें अपनी रुचि के अनुरुप व्यावसायिक निपुणता प्राप्त करने के साथ ही उस विषय का सैद्धांतिक ज्ञान भी

हासिल कर सकें। इससे बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ ही सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं में शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति भी उत्पन्न नहीं होगी।

4.5.3 निष्कर्ष (Conclusion): प्रस्तुत शोध अध्ययन में गुणात्मक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण चतुर्थ उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनातियों के निवारण से संबंधित विभिन्न तथ्य शोधकर्ता के सम्मुख परिलक्षित हुए हैं, जो सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार पर प्रकाश डालते हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है।

- सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम को रुचिकर एवं रोजगारपरक बनाया जाये। इसके साथ ही विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी को दूर किया जाए। इसके लिए समाज के भाभाशाहों एवं समाजसेवी संगठनों से सहायता ली जा सकती है।
- आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने में रूचि रखने वाले सभी सहरिया बालक-बालिकाओं को कम सीटें होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसलिए इन विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं के वर्गों की संख्या बढ़ाकर सीटों में वृद्धि की जानी चाहिए।
- आवासीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग के विषयों के साथ ही गणित, विज्ञान, वाणिज्य, कम्प्यूटर आदि विषयों के अध्ययन अध्यापन पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन विषयों के चयन हेतु शिक्षकों द्वारा प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं को उच्च माध्यमिक स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे अधिकाधिक सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वे भी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेकर समाज और देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिये विद्यालय स्तर पर निर्देशन एवं परामर्शन सेवाओं को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

- सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आधुनिक सूचना तकनीकी की सहायता से सहरिया जनजाति को जागरूक किया जाये।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनातियों का समाधान सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त सहरिया जनजाति के स्वयं के प्रयत्नों से ही किया जा सकता है।

4.6 सम्मिलित निष्कर्ष (Conclusion): प्रस्तुत शोध विषय ***"राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन"*** पर किया गया शोध अध्ययन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकृति का है। इनमें से भी गुणात्मक प्रकृति अधिक दिखाई पड़ती है। क्योंकि प्रमुख चरों से संबंधित जानकारी सहभागी प्रेक्षण, प्राथमिक स्रोतों और केन्द्रित समूह परिचर्चा से प्राप्त हो रही है। इसलिए प्रस्तुत शोध में मिश्रित विधि (Mixed Method) का प्रयोग किया गया है। वैसे सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी मात्र विद्यालयी तालिका पंजिका (TR) के अवलोकन से ही प्राप्त नहीं हुई, बल्कि हितधारकों से साक्षात्कार के अतिरिक्त शोधकर्ता को सहभागी प्रेक्षण से भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। अतः इन गुणात्मक प्रकृति की जानकारियों को पहले सूचीबद्ध किया गया है। इसके पश्चात विद्यालयी अभिलेख और तालिका पंजिका से प्राप्त आंकड़ों का सारणीकरण किया गया है। इन दोनों प्रकार से प्राप्त परिणामों का संयुक्त विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं, जो सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों को स्पष्ट करते हैं-

शोध के दौरान राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि-

- सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परन्तु आर्थिक विपन्नता के कारण यह परिवर्तन बहुत मंद गति से हो रहा है।
- पर्याप्त रोजगार न मिलने और उपलब्ध रोजगार में स्थायित्व नहीं होने के कारण यह जनजाति अनेक दुर्व्यसनों जैसे-मद्यपान, गुटखा खाने और गांजा पीने में लिप्त हो रही है। ये दुर्व्यसन उनके बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं।

- आधुनिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति भी इनके विकास को प्रभावित कर रही है।
- भारत के विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला सहरिया जनजाति समूह आज भी विपरीत परस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है।
- राजस्थान की अन्य जनजातियों की अपेक्षा आज भी सहरिया जनजाति की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सरल स्वभाव और एकांतवास के कारण सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण सतत रुप से किया जा रहा है।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, सूचना क्रान्ति और शहरीकरण के कारण सहरिया जनजाति की मूल संस्कृति प्रायः लुप्त होती जा रही है।
- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को उनकी मूल संस्कृति और विरासत के विषय में उनके परिवार अथवा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्हें अपने उद्भव और विकास से संबंधित अब वैसा नैसर्गिक ज्ञान नहीं है जो कि तीन-चार दशक पूर्व था। फलस्वरुप राजस्थान का यह विशेष रुप से कमजोर जनजतीय समूह आज अपने इतिहास, पैतृक कौशल, विद्या, विरासत, कला और संस्कृति को विस्मृत करता जा रहा है।
- यह जनजाति स्वयं को आदिवासी कहलाना तो पसंद करती है, परन्तु आदिवासियों के समान इनमें अपनी संस्कृति, विरासत और मूल ज्ञान को संरक्षित करने की कोई उत्कंठा नहीं है।
- आलस्य के कारण इनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा का निरंतर ह्रास हो रहा है। इस कारण समाज के अन्य लोगों जैसे-भू-स्वामियों, साहूकारों, जमीदारों और पूंजीवादियों के द्वारा इनका और इनके बालक-बालिकाओं का निरन्तर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से शोषण किया जा रहा है।
- घने जंगलों के प्राकृतिक उत्पादों पर आश्रित रहकर स्वाभिमानी जीवनयापन करने वाला वर्तमान सहरिया समाज मनरेगा का मजदूर अथवा ठेकेदारों का हाली बनकर रह गया है।
- शिक्षित बेरोजगारी, कृषि योग्य भूमि की कमी, आय के पर्याप्त साधनों का अभाव, सरकारी कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न, उपेक्षित जीवन, सामान्य समाज की संवेदनहीनता, नेतृत्व का अभाव, दुर्व्यसन, सामाजिक कुरीतियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि के मर्मान्तक प्रहारों ने हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले सहरिया जनजातीय समूह के मनोबल को धराशायी कर दिया है।

- आज भी यह जनजाति भारत की जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में उपेक्षा का सामना करते हुए आत्मग्लानि के भार को वहन कर रहा है। वस्तुतः वर्तमान तकनीकी समाज को सहरिया जनजाति के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए आत्मीयता के भाव को जागृत करने की आवश्यकता है , ताकि इस जनजाति के बालक-बालिकाओं का भविष्य संवर सके और वे भी राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़कर देश के विकास में सहभागिता कर सकें।

4.7 अध्याय सारांश (Chapter Conclusion): प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन सुनियोजित रुप में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों को रेखांकित करने वाले उद्देश्यों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन करने के लिए सांख्यिकीय विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन क्रमबद्ध ढंग से चार खण्डों में संपन्न किया गया है। सर्वप्रथम शोधकर्ता द्वारा खण्ड-अ में प्रथम उद्देश्य से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन किया गया है। उसके पश्चात *खण्ड-ब* में द्वितीय उद्देश्य से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन किया गया है। खण्ड-स में तृतीय उद्देश्य से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन किया गया है, और खण्ड-द में चतुर्थ उद्देश्य से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन किया गया है। अन्त में शोध अध्ययन के चारों उद्देश्यों से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों का सम्मिलित विवेचन कर अन्तिम निष्कर्ष प्राप्त किया गया है। इस अध्याय में सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्राप्त हुये महत्वपूर्ण सुझावों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय के आधार पर पंचम अध्याय में शोधकर्ता के शोध विषय ***''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन''*** से संबंधित सम्मिलित निष्कर्षों एवं सुझावों को सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रुप से शोध अध्ययन की प्रकृति तथा उद्देश्यों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

*** ***

पंचम अध्याय

शोध के निष्कर्ष एवं सुझाव

(Conclusions & Recommendations of the Research)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

चतुर्थ अध्याय में शोधकर्ता द्वारा शोध अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का अर्थापन पूर्वनियोजित योजनान्तर्गत क्रमबद्ध रुप से किया गया जिसके आधार पर पंचम अध्याय में शोध अध्ययन के सम्मिलित निष्कर्षों एवं सुझावों को सुव्यवस्थित रुप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

उत्तम एवं समग्र शिक्षा न केवल लोगों को सशक्त बनाती है बल्कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने और उत्पादक रोजगार के लिए अवसरों को सृजित करती है अर्थात, शिक्षा सामाजिक जीवन को प्राणवायु देती है तथा आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है। अतः शिक्षा रूपी धुरी के चारों ओर ही किसी भी राष्ट्र के विकास का चक्र घूमता है। राष्ट्रजनों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षितिज को विस्तार देकर उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में कार्य सक्षम बनाना शिक्षा का अमूल्य उपहार है। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य यह है कि मनुष्य का चरित्र लयबद्ध होना चाहिए और उसकी आत्मा सृजनात्मक होनी चाहिए। शिक्षा से केवल सफल जीवन का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसके द्वारा कुछ शाश्वत मूल्यों, आदर्शों तथा सिद्धान्तों का भी पता चलना चाहिए।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ***''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन''*** हेतु मिश्रित विधि (Mixed Method) के अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) का प्रयोग किया गया है। इस शोध अध्ययन में मात्रात्मक पक्ष की अपेक्षा गुणात्मक पक्ष को वरीयता दी गयी है। शोध अध्ययन गुणात्मक पक्ष से आरम्भ होता है, जिसमें राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के विषय में तथ्यों को जानने के लिये अभिलेखों और दस्तावेजों का विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) किया गया है। उसके पश्चात गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों के संकलन का कार्य विभिन्न विधियों और प्रविधियों के माध्यम से आरम्भ किया गया। संकलित आंकड़ों के विश्लेषण और अर्थापन हेतु शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में चार उद्देश्यों की संरचना की गयी तथा प्रत्येक उद्देश्य के लिए शोध के प्राप्त परिणामों का विवेचन इस प्रकार है।

5.2 उद्देश्य (Objective)O_1- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।

5.2.1 परिणाम एवं विवेचना (Results & Discussion)-

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अन्वेषण किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आंकड़ों का संकलन प्रत्यक्ष सहभागी प्रेक्षण विधि द्वारा किया गया है। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत राजस्थान राज्य की सहरिया जनजाति से संबंधित मूल अभिलेखों और द्वितीयक स्रोतों के प्रेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण शोधकर्ता द्वारा चतुर्थ अध्याय में किया गया है जिसके परिणामों का विवेचन इस प्रकार है।

- राजस्थान राज्य की सहरिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति गत चार-पांच दशक पूर्व अत्यंत चिंताजनक थी। वर्ष 1961 में सहरिया जनजाति के 2.3 प्रतिशत पुरुष और 0.2 प्रतिशत महिलायें शिक्षित थीं। पांच दशक के अन्तराल के पश्चात वर्ष 2011 में सहरिया जनजाति के 39.85 प्रतिशत पुरुष और मात्र 9 प्रतिशत महिलायें शिक्षित पायी गयीं।
- सहरिया जनजाति से संबंधित वर्ष 2011 में हुये जिला स्तरीय सर्वेक्षण के अनुसार 5-14 आयुवर्ग के 46.7 प्रतिशत सहरिया बालक-बालिकायें विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 53.3 प्रतिशत बालक-बालिकायें विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं।
- राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं यथा-सर्व-शिक्षा अभियान, मिड-डे-मिल, कल्प लेब, ब्रॉड बैंड कनेक्शन और लहर कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रॉपआउट करने वाले सहरिया बालक-बालिकाओं को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए किये गये प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
- सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन जैसे- राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, संकल्प, वनवासी कल्याण आश्रम, प्रयास, आईसीआईसीआई

फाउंडेशन और वर्ल्ड विज़न आदि के द्वारा भी सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक उन्नयन के कार्य युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं।

- शोध अध्ययन में यह भी पाया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सहरिया बालक-बालिकाओं का नामांकन उच्च प्राथमिक कक्षाओं की अपेक्षा अधिक है और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का नामांकन प्रत्येक कक्षा में कम है, जो कि लैंगिक असामनता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सहरिया जनजाति के प्रतिभाशाली बालक-बालिकायें प्राथमिक कक्षा राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण करने के पश्चात उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहरिया विकास योजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों को अधिक महत्व देने लगे हैं।
- राजकीय छात्रावास और आवासीय विद्यालय सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करने हेतु आकर्षण का केन्द्र बनते जा रहे हैं, जिनका लाभ अन्य जनजातीय समुदायों जैसे-भील, गरासिया और मीना आदि को भी प्राप्त हो रहा है।
- राजकीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी सहरिया बालक-बालिकाओं को प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसका प्रमुख कारण कम सीटें होने के साथ ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय की 20 प्रतिशत सीटें सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य जनजातीय समूहों के लिए आरक्षित हैं।
- शोध अध्ययन में यह तथ्य भी उभरकर शोधकर्ता के सामने आया है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कोई भी बालक-बालिका अनुत्तीर्ण नहीं होता है, क्योंकि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 के क्रियान्वयन के कारण इनकी शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा किया जाता है।
- परीक्षा परिणामों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की आंग्लभाषा विषय में शैक्षणिक उपलब्धि अन्य विषयों की अपेक्षा निम्न स्तरीय है। सामान्यतः सहरिया बालक-बालिकाओं द्वारा हिन्दी विषय में A^+ और A ग्रेड अर्जित करने का प्रतिशत अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सहरिया बालक-बालिकाओं की अन्य

विषयों जैसे-गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी विषय में रुचि अधिक है अथवा शिक्षकों द्वारा इन विषयों के शिक्षण की रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य का शुभ संकेत है।

5.3 उद्देश्य (Objective)O_2- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

5.3.1 परिणाम एवं विवेचना (Results & Discussion)-

प्रस्तुत शोध अध्ययन ***''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन''*** के द्वितीय उद्देश्य में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत राजस्थान की सहरिया जनजाति के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं की वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति का विवेचन किया गया है। इस उद्देश्य की सम्पूर्ति हेतु आंकड़ों के संकलन के लिये स्वनिर्मित मनोसामाजिक स्थिति मापनी पर सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की प्रतिक्रियायें प्राप्त की गयी हैं। मनोसामाजिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित 20 परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। इन परिकल्पनाओं को परिकल्पना परीक्षण के अन्तर्गत क्रान्तिक अनुपात परीक्षण (t-test) द्वारा जांचा गया है। जांच से प्राप्त परिणामों की विवेचना का विवरण इस प्रकार है-

1. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालकों की मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
2. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के

आधार पर कहा जा सकता है कि बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।

3. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभगिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
4. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।
5. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
6. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालकों की मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
7. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।
8. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के

मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

9. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।

10. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के बालक–बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

11. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति किशनगंज तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

12. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील के बालकों का सामाजिक समायोज शाहबाद तहसील के बालकों के सामाजिक समायोज से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।

13. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

14. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील के बालकों का सामाजिक भय किशनगंज तहसील के बालकों के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।
15. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
16. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।
17. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा है।
18. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

19. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक भय में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक भय शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक है।

20. परिकल्पना परीक्षण के अनुसार शाहबाद और किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। प्राप्तांकों के मध्यमान के आधार पर कहा जा सकता है कि किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी है।

5.4 उद्देश्य (Objective)O_3- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों का अध्ययन करना।

5.4.1 परिणाम एवं विवेचना (Results & Discussion)-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के तृतीय उद्देश्य में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की वर्तमान शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों की विवेचना की गयी है। अर्धसंरचनात्मक साक्षात्कार (Semistructured Interview Schedule) के माध्यम से इस उद्देश्य से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया गया है। संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के विवेचन का विवरण इस प्रकार है।

- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। निर्धनता, अशिक्षा एवं जागरूकता में कमी इत्यादि इसके प्रमुख कारण हैं।
- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं और उनके अभिभावकों को अनेकानेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सूचना तकनीकी के विकास से जनजातियों की चुनौतियों में अपेक्षाकृत वृद्धि हो गयी है।
- जनजातीय विरासत को क्षतिग्रस्त करने वाले बाह्य असामाजिक तत्वों के प्रवेश को सूचना तकनीक ने आसान बना दिया है। सहरिया जनजाति के साथ भी यही हो रहा है। बाह्य

असामाजिक तत्व सहरिया जनजाति का दशकों से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं । फलस्वरुप विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में सम्मिलित राजस्थान की सहरिया जनजाति आज भी शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों का सामना कर रही है।

- संकोची और साधनविहीन सहरिया जनजाति बाह्य संगठित असामाजिक तत्वों के समक्ष शक्तिहीन बनी हुई है। दुर्गम क्षेत्रों में आवासित सहरिया जनजाति किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय अथवा पुलिस प्रशासन के सम्मुख अपना पक्ष मजबूती से रखने में भी असमर्थ है।
- चतुर बाह्य तत्व सहरिया जनजाति के उत्पादन के सभी साधनों पर धीरे-धीरे अपना स्वामित्व स्थापित कर रहे हैं। इस कारण सहरिया जनजातीय समूह अपने ही देश में बंधुआ मजदूर बन गया है।
- शिक्षा की कमी सहरिया जनजाति के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध है। सहरिया बाहुल्य दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय के नाम पर सरकार केवल माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन कर रही है, जिनमें मात्र कक्षा दो अथवा छ: वर्ष की आयु तक ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है।
- प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने का प्रावधान शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, परन्तु बहुत ही कम बालक-बालिकाओं का नामांकन उनके माता-पिता करवाते हैं।
- विद्यालय तक आसानी से पहुँचने के लिए यातायात का कोई भी साधन सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में नहीं है।
- सरकारी छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में सीटें सीमित होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी सहरिया बालक-बालिकाओं को प्रवेश नहीं मिल पाता है। केवल 80 प्रतिशत सीटों पर ही सहरिया बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। शेष 20 प्रतिशत सीटों पर अन्य जनजातीय समूहों जैसे- भील और मीना समाज के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।

- राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने के दो से तीन माह के पश्चात निरन्तर अनुपस्थिति के कारण विद्यालय से सहरिया बालक-बालिकाओं का नाम पृथक कर दिया जाता है।
- शिक्षकों द्वारा अपने विषयों का शिक्षण रुचिपूर्ण ढंग से नहीं किया जाता है। शिक्षकों का अधिकांश समय मिड-डे-मील और विद्यालयी अभिलेखों को पूर्ण करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए परीक्षा का समय आने पर पाठ्यक्रम को केवल पूर्ण किया जाता है।
- बालक-बालिकाओं को कितना अधिगम हुआ इसका आकलन केवल सतत् एवं समग्र मूल्यांकन द्वारा ही ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता है, जिसमें कोई भी बालक-बालिका अनुतीर्ण नहीं होती है। गणित, विज्ञान और आंग्लभाषा को छोड़कर शेष विषयों में अधिकांश सहरिया बालक-बालिकायें A ग्रेड लेकर उत्तीर्ण होते हैं।
- आंग्लभाषा सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं के समक्ष एक चुनौती के रुप में है, जिसके शिक्षण को रुचिकर बनाने की आवश्यकता है।

मानव जीवन में चुनौतियों का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है और इन चुनौतियों का समाधान करने में ही व्यक्ति की गतिशीलता परिलक्षित होती है। परन्तु जब व्यक्ति उन चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थ होता है और उसके सामने एक के बाद एक नई-नई चुनौतियां आने लगती हैं तो उसका चिन्तित होना अपेक्षित है। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PTGs) में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के विषय में भी यही बात पूर्णतः लागू होती है। जिन शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों का सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें और उनके अभिभावक वर्तमान में सामना कर रहे हैं, वे सभी चुनौतियां उनके द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, बल्कि सहरिया जनजाति की अधिकांश चुनौतियां सभ्य समाज के द्वारा उत्पन्न की गयी हैं।

5.5 उद्देश्य (Objective)O_4- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव देना।

5.5.1 परिणाम एवं विवेचना (Results & Discussion)-

प्रस्तुत शोध अध्ययन का चतुर्थ उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसमें सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रभावशाली सुझाव देने की विवेचना की गयी है । इस उद्देश्य की सम्पूर्ति हेतु आंकड़ों का संकलन केन्द्रित समूह परिचर्चा के द्वारा किया गया है । केन्द्रित समूह परिचर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये । विशेषज्ञों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर एवं शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षा अधिकारियों तथा सहरिया विकास परियोजना से जुड़े अधिकारियों के मतानुसार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक-बालक बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में निम्नलिखित सुझावों के क्रियान्वयन द्वारा सुधार किया जा सकता है ।

1. सहरिया बालक-बालिकाओं के माता-पिता एवं अभिभावकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के सीमित विकल्पों के कारण सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के माता-पिता एवं अभिभावक अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते हैं । परिणामस्वरुप उनके बालक-बालिकाओं को भी अपना विद्यालय शिक्षा सत्र के मध्य में ही त्यागना पड़ता है ।

2. एकीकृत रोजगारोन्मुखी विद्यालयों की स्थापना करके अथवा वर्तमान राजकीय विद्यालयों की उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम को पैतृक कौशलों से जोड़कर शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जा सकता है । इससे ड्रॉपआउट की समस्या का निराकरण भी आसानी से हो जायेगा ।

3. सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों, जिनमें सहरिया जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का पचास प्रतिशत या उससे अधिक है, उन्हें जनजातीय उपयोजना (TSP) में सम्मिलित करना चाहिए ताकि सहरिया जनजाति को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके । इससे सहरिया बालक-बालिकाओं के माता-पिता की शिक्षा के प्रति नकारात्मक

अभिवृत्ति में परिवर्तन होगा और उनकी मनोसामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। फलस्वरुप वे अपने बाल-बालिकाओं के समग्र विकास की ओर भी उन्मुख होंगे।

4. सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के अभिभावकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण निरक्षरता का प्रतिशत राजस्थान की अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक है। अतः बालक-बालिकाओं के अभिभावकों की निरक्षरता को दूर करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा सहरिया जनजाति के प्रौढ़ों को साक्षर किया जाए, ताकि वे शिक्षा के महत्व को समझ कर अपने पाल्यों हेतु समुचित शिक्षा का प्रबंध कर सकें।

5. सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अतः सरकारी संस्थाओं द्वारा पंचायत स्तर पर बालक-बालिकाओं और उनके अभिभावकों हेतु सक्रिय परामर्शन एवं निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

6. सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के हित में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सहरिया बालक-बालिकाएं भी कान्वेंट विद्यालयी शिक्षा से वंचित न रहें और उन्हें भी अन्य समुदायों के पाल्यों की तरह सुनहरे भविष्य के अवसर सर्वत्र सुलभ हों।

7. सहराना में रहने वाले दिव्यांग सहरिया वालक-बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें भी समुचित शिक्षा प्राप्त हो सके।

8. राजकीय विद्यालयों में अथवा सार्वजनिक स्थल पर सामूहिकता वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, ताकि सहरिया बालक-बालिकाओं में सेवा और संगठन की भावना को जाग्रत किया जा सके।

9. सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा उन्हें समग्र विकास के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें, ताकि वे शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों में शामिल होने की योग्यता प्राप्त कर सकें।

10. सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के कल्याण हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की पालना सख्ती से की जाये और इन योजनाओं में अनियमितता अथवा इनका दुरुपयोग करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाये।

11. सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की सहायतार्थ प्रत्येक राजकीय विद्यालय में आपातकालीन सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किये जायें, ताकि आवश्यकता के समय बालक-बालिकाओं की आर्थिक मदद की जा सके।

5.6 शोध अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष (Major Findings of the Research Study)

शोध अध्ययन में विषय विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। प्राप्त गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक तथ्यों में परिवर्तित करना विषय - विश्लेषण कहलाता है। ***फेस्टिंग्ज्ट तथा डेनियल*** के अनुसार - विषय विश्लेषण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जटिल तथा अस्पष्ट गुणात्मक तथ्यों के स्वरुप को सरल तथा बोधगम्य बनाने का प्रयास किया जाता है। बिना निष्कर्ष निकाले मिश्रित विधि पर आधारित शोध कार्यो को अपूर्ण समझा जाता है। निष्कर्ष के द्वारा शोध अध्ययन एवं अन्य संबंधित विषयों पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। सिद्धान्त एवं नियमों की रचना के अतिरिक्त अन्य शोध सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने में भी निष्कर्ष महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समग्र रुप से आंकड़ों का विश्लेषण तथा शोध प्रश्नों और परिकल्पनाओं का सत्यापन किया जाता है। अन्त में सम्पूर्ण जानकारी तथा परिणामों को दृष्टिगत रखते हुये जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन्हें सुव्यवस्थित रुप से लिपिबद्ध किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अधययन ***''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन''*** में सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अन्वेषण करने का प्रयास शोधकर्ता द्वारा शोध अधययन की परिसीमाओं में किया गया है। इस उद्देश्य हेतु शोधकर्ता द्वारा मिश्रित प्रविधि (Mixed Method) के अनुक्रमित अन्वेषणात्मक अभिकल्प (Sequential Exploratory Design) का नियोजन किया गया है। शोध अध्ययन के एकीकृत निष्कर्ष खण्डों के अनुसार निम्नलिखित हैं जो कि आंकड़ों के विश्लेषण, परिणामों की विवेचना और शोधकर्ता द्वारा अध्ययन से अर्जित अंतर्दृष्टि के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं।

5.6.1 खण्ड- अ (Section-A):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति

सहरिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति से संबंधित निष्कर्ष (Findings related to Educational Status of Sahariya Tribe):- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष बिन्दुवार इस प्रकार हैं।

- **विद्यालय तक पहुँच (Access)**

सहरिया बाहुल्य शाहबाद तहसील में 135 और किशनगंज तहसील में 158 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। समग्र रुप से दोनों तहसीलों में 293 राजकीय प्राथमिक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। दोनों तहसीलों में 208 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 85 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की विद्यालय तक पहुँच पर्याप्त रुप में है अर्थात प्रत्येक ग्राममें या उसके निकट राजकीय अथवा निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

- **विद्यालय में नामांकन (Enrollment)**

शाहबाद तहसील की सीमा में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1795 सहरिया समुदाय के बालक-बालिकायें पंजीकृत हैं जिनमें से 961 बालक और 834 बालिकाएं हैं। इसी तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2859 बालक-बालिकायें पंजीकृत हैं, जिनमें से 1546 बालक और 1313 बालिकायें हैं। इसी प्रकार किशनगंज तहसील की सीमा में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1691 सहरिया समुदाय के बालक बालिकायें पंजीकृत हैं जिनमें से 902 बालक और 789 बालिकाएं हैं। इसी तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2130 बालक-बालिकायें पंजीकृत हैं जिनमें से 1088 बालक और 1042 बालिकायें वर्तमान सत्र 2016-17 में अध्ययन कर रहे हैं। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन संतोषजनक हो रहा है।

- **विद्यालय में ठहराव (Retention)**

सहरिया समुदाय के बालक-बालिकायें यदि विद्यालय में प्रवेश ले भी लेते हैं तो दीपावली के बाद उनके माता-पिता मजदूरी करने अन्य प्रदेशों जैसे गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बड़े शहरों में अपने परिवार सहित चले जाते हैं। इससे उनके बालक या बालिका का नाम निरंतर अनुपस्थिति के कारण पृथक कर दिया जाता है। जब माता-पिता होली के पश्चात सीताबाड़ी मेले से पहले

अपने आवासों में लौटते हैं तब तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो जाता है। ज्येष्ठ माह के अन्त में जब वर्षा ऋतु का आगमन होने लगता है तब पुनः इन सहरिया बालक-बालिकाओं के परिवार अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं जिससे बालक-बालिकायें विद्यालय नहीं जा पाते हैं।

जो माता-पिता अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में नहीं जाते हैं वे अपने बालक-बालिकाओं को प्रातःकाल विभिन्न कार्यों में लगा देते हैं। वे स्वयं कुछ नहीं करते बालक-बालिकाओं से ही कार्य कराते हैं। इसका प्रभाव बच्चों पर भी होता है, फलस्वरुप वे भी अल्पायु में गुटखा खाना आरम्भ कर देते हैं और मध्याह्न भोजन के पश्चात मध्य अवकाश में घर चले जाते हैं। कुछ ही बालक-बालिकायें वापस विद्यालय आते हैं शेष घर पर खेलते या घरेलु कार्य करते हैं।

सहरिया बालक-बालिकाओं को उनके माता-पिता फसल काटने के दौरान विद्यालय नहीं भेजते हैं। इस दौरान विद्यालयों में सहरिया बालक-बालिकाओं की उपस्थिति भी नगण्य रहती है। इसका कारण यह है कि वे बच्चे अपने माता-पिता के साथ या अकेले ही खेतों में फसल काटने के पश्चात खाली खेत में फसल के अवशेष जैसे-गेहूँ की वालियां एकत्र करते हैं। इसके साथ ही अन्य समुदाय के पशुओं को भी चराते हैं। बालिकायें ईंधन हेतु जंगल में लकड़ियाँ काटने चली जाती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बालक-बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव संतोषजनक नहीं है।

- **अपव्यय –अवरोधन (Wastage & Stagnation)**

शोधकर्ता ने आंकड़ों के संकलन के दौरान सहरिया क्षेत्र में ही निवास किया और सहरिया समुदाय के लोगों से परिचर्चा की एवं सहरिया क्षेत्र में रहकर गत कई वर्षों से शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करने वाले विशेषज्ञों से साक्षात्कार से सहरिया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किय, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण सहरिया समुदाय के बालक-बालिकायें सत्र के मध्य में ही विद्यालय को छोड़ देते हैं। इसके पार्श्व में आलस्य, जागरूकता का अभाव, समय पर उचित परामर्श न मिलना, निर्धनता, सामान्य समुदाय की उपेक्षा और आय के साधनों की कमी इत्यादि का होना भी सम्मिलित हैं। परन्तु सहरिया जनजाति की नयी पीढ़ी में अब शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। इस प्रकार आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि अपव्यय –अवरोधन की समस्या अभी भी बनी हुई है।

- **कक्षानुरुप मुख्य विषयों में उपलब्धि (Achievment)**

राजस्थान में बालक-बालिकाओं के वार्षिक मूल्यांकन हेतु राजकीय विद्यालयों में वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका उपलब्ध करायी जाती है। इस पंजिका में विभिन्न विषयों में अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष ग्रेड का अंकन सतत् रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन पुस्तिका (चैक लिस्ट) के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन की इस पद्धति में बालक-बालिकाओं के रचनात्मक और योगात्मक कौशलों को प्राथमिकता दी जाती है। परीक्षाफल पंजिका का अवलोकन करने पर शोधकर्ता को ज्ञात हुआ कि सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की गणित एवं अंग्रेजी विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि अन्य विषयों की अपेक्षा कमजोर है, जबकि हिन्दी, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि उत्तम है।

माँ बाड़ी केन्द्रों और राजकीय प्राथमिक विद्यालयों राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों और सहरिया आवासीय बालक और बालिका विद्यालयों के माध्यम से सहरिया बालक-बालिकाओं को प्रारंभ से लेकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जा रही है। वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका के अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में शैक्षणिक उपलब्धि संतोषजनक नहीं है।

सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना एवं लहर कार्यक्रम के अन्तर्गत सहरिया बालक-बालिकाओं को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने की योजनाओं के अब आशाजनक एवं सार्थक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी बालक-बालिकाओं को स्थानीय छात्रनिधि एवं विकास शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्कों से मुक्त कर अन्य सुविधायें भी उपलब्ध करवायी जा रही है। चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे कार्यक्रम, सघन नामाकंन अभियान, पढ़ाई छोड़ चुके सहरिया स्कूली बालक-बालिकाओं को पुनःविद्यालय से जोड़ने की योजना निस्संदेह सराहनीय है। राजस्थान में पहली बार 5 वीं कक्षा तथा 6 से 8 वर्ष की उम्र के बालक-बालिकाओं को, जो किसी न किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें प्राइवेट छात्र के रुप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 8वीं कक्षा की परीक्षा में लाभान्वित करने की पहल की गयी है।

सहरिया अभिभावकों में भी शिक्षा के प्रति अब जिज्ञासा बढ़ रही है। वे सरकार की योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं।

5.6.2 खण्ड- ब (Section-B):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति

सहरिया जनजाति की मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित निष्कर्ष (Findings related to Psychosocial Status of Sahariya Tribe):- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष बिन्दुवार इस प्रकार हैं-

- शाहबाद तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।
- शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभगिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।
- शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- बारां जिले की किशनगंज तहसील के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन बालकों के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।

- किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों की सामाजिक सहभागिता बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- किशनगंज तहसील की सहरिया जनजाति के बालकों का सामाजिक भय बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।
- किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- राजस्थान राज्य के बारां जिले की शाहबाद तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति किशनगंज तहसील के बालकों की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- किशनगंज तहसील के बालकों का सामाजिक समायोज शाहबाद तहसील के बालकों के सामाजिक समायोज से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।
- किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- शाहबाद तहसील के बालकों का सामाजिक भय किशनगंज तहसील के बालकों के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।
- शाहबाद तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति किशनगंज तहसील के बालकों की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- किशनगंज तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।
- किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक समायोजन शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक समायोजन से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छा पाया गया है।
- किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक सहभागिता से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

- किशनगंज तहसील की बालिकाओं का सामाजिक भय शाहबाद तहसील की बालिकाओं के सामाजिक भय से तुलनात्मक रुप से कुछ अधिक पाया गया है।
- किशनगंज तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति शाहबाद तहसील की बालिकाओं की सामाजिक अभिवृत्ति से तुलनात्मक रुप से कुछ अच्छी पायी गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सहरिया बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति को जानने के लिए विशेषज्ञों से भी केन्द्रित समूह परिचर्चा (Focus Group Discussion) की गयी एवं सहभागी प्रेक्षण (Participatory Observation) भी किया गया, जिनसे प्राप्त प्रमुख जानकारियों का विवरण इस प्रकार है-

- सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। परन्तु आर्थिक विपन्नता के कारण यह परिवर्तन बहुत मंद गति से हो रहा है।
- पर्याप्त रोजगार न मिलने और उपलब्ध रोजगार में स्थायित्व नहीं होने के कारण यह जनजाति अनेक दुर्व्यसनों जैसे-मद्यपान, गुटखा खाने और गांजा पीने में लिप्त हो रही है। ये दुर्व्यसन उनके बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं।
- आधुनिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति, सामान्य जनजाति के साथ समायोजित न होना एवं सामाजिक भय भी इनके विकास को प्रभावित कर रहा है।
- भारत के विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला सहरिया जनजाति समूह आज भी विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है।
- राजस्थान की अन्य जनजातियों की अपेक्षा आज भी सहरिया जनजाति की स्थिति अत्यंत कमजोर है। सरल स्वभाव और एकांतवास के कारण सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण सतत रुप से किया जा रहा है।
- सहरिया बालक-बालिकाओं को उनकी मूल संस्कृति और विरासत के विषय में उनके परिवार अथवा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्हें अपने उद्भव और विकास से संबंधित अब वैसा नैसर्गिक ज्ञान नहीं है जो कि तीन-चार दशक पूर्व था। फलस्वरुप

राजस्थान का यह एकमात्र विशेष रुप से कमजोर जनजतीय समूह आज अपने इतिहास, पैतृक कौशल, विद्या, विरासत, कला और संस्कृति को विस्मृत करता जा रहा है।

- आज भी यह जनजाति सामान्य समुदायों की उपेक्षा का सामना करते हुए आत्मग्लानि के भार को वहन कर रही है।

5.6.3 खण्ड- स (Section-C):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक चुनौतियां

सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों से संबंधित निष्कर्ष (Findings related to Educational and Psychosocial Challenges of Sahariya Tribe):- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक चुनौतियों से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष बिन्दुवार इस प्रकार हैं-

शैक्षणिक चुनौतियां (Educational Challenges)**-**

- राजस्थान राज्य के बारां जिले की सहरिया बाहुल्य शाहबाद और किशनगंज तहसीलों की विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से परिवार, विद्यालय और समुदाय में अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके समग्र विकास को प्रभावित करती हैं।
- विद्यालय में माता-पिता द्वारा उसमें बालक-बालिकाओं का देरी से नामांकन कराना, माता-पिता के द्वारा अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में पलायन करने के कारण शैक्षणिक सत्र के मध्य में बालक-बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की विवशता, प्रतिकूल और अरुचिकर पाठ्यक्रम का होना, विद्यालयों में खेलकूद के मैदान और भौतिक संसाधनों की कमी, शिक्षकों द्वारा देर से विद्यालय आना और शीघ्र चले जाना आदि शैक्षणिक चुनौतियां का सामना किशनगंज तहसील की अपेक्षा शाहबाद तहसील के सहरिया बालक-बालिकाओं को अधिक करना पड़ता है।
- दिव्यांग सहरिया बालक-बालिकाओं की विशिष्ट शिक्षा की चुनौती, 12वीं तक के सहरिया बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने हेतु बैंक में समय पर खाता न खुलने की चुनौती, सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय विद्यालय, माँ-बाड़ी केन्द्र, आँगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित न खुलने की

चुनौती, राजकीय और आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के न भरने के कारण विभिन्न विषयों जैसे-गणित, विज्ञान, वाणिज्य और कम्प्यूटर आदि के अध्ययन की चुनौती इत्यादि महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तुलनात्मक रुप से देखा जाए तो शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप पाठ्यक्रम का न होना और विद्यालय में भौतिक सुविधाओं का अभाव प्रमुख चुनौतियों के रुप में उभर कर सामने आये हैं।

मनोवैज्ञानिक चुनौतियां (Psychological Challenges)

- सहरिया समाज में कुछ लोगों की शिक्षा के प्रति यह धारणा और मानसिकता है कि जब एम.ए.और बी.ए. पास बेरोजगार हैं तो ऐसी शिक्षा का क्या औचित्य ? रोटी तो परिश्रम, मेहनत-मजदूरी और खेती करने से मिलती है। पढ़ाई रोटी नहीं देती, बल्कि यह हमारे बच्चों से मेहनत की प्रवृत्ति और आदत को छीनकर उन्हें कमजोर, निठल्ला बनाने के साथ-साथ समय और पैसे की बर्बादी करती है।
- माता-पिता का शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण एवं सामान्य समुदाय के साथ समायोजन न करना अंतर्मुखी, एकाकीपन तथा संकोची स्वभाव और सामान्य समुदाय द्वारा की जाने वाली उपेक्षा आदि मनोवैज्ञानिक चुनौतियां किशनगंज तहसील की अपेक्षा शाहबाद तहसील के सहरिया बालक-बालिकाओं के सम्मुख अधिक हैं।
- शाहबाद और किशनगंज तहसील के सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं का जीवन अनेक मानसिक चुनौतियों से परिपूर्ण है। इनके माता-पिता गुटखा खाने, मद्यपान करने और नशा-खोरी इत्यादि व्यसनों के कारण शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सामान्य समुदाय के बालक-बालिकाओं द्वारा सम्मानजनक व्यवहार न किये जाने के कारण भी इस समुदाय के बालक-बालिकाओं को समायोजन में परेशानी होती है।

सामाजिक चुनौतियां (Social Challenges)

- मद्यपान, गुटखा खाना, गांजा और आलस्य आदि व्यसन भी इस समुदाय की बहुत बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं। गुटखा खाना बालक-बालिकायें परिवार के सदस्यों को देखकर सीख जाते हैं और किशोरावस्था तक आते-आते गुटखा खाने की आदत में वृद्धि हो जाती है।

- झगड़ा, दापा, बाल विवाह और अन्धविश्वास इत्यादि सामाजिक चुनौतियों के कारण बालक-बालिकाओं का समाजीकरण उचित रुप से नहीं हो पाता है।
- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को अपने परिवार के साथ सामान्य समुदाय से पृथक सहराना में रहना पड़ता है। परिवार द्वारा विस्थापन किये जाने पर बालक-बालिकाओं को नये स्थान पर समायोजन करने में कठिनाई होत्ती है।
- बाल-श्रम, कुशल एवं योग्य नेतृत्व की कमी और सामाजिक कुरीतियाँ आदि चुनौतियों से भी सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को संघर्ष करना पड़ता है।

आर्थिक चुनौतियां (Economical Challenges)

- शाहबाद एवं किशनगंज दोनों तहसीलों में जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव, स्थानान्तरण कृषि पर प्रतिबन्ध, उच्च ब्याज दर एवं ऋणग्रस्तता, सूदखोरी एवं महाजनी व्यवस्था प्रमुख आर्थिक चुनौतियां हैं।
- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं के अभिभावकों एवं माता-पिता की जमीनें भू-माफियाओं और बड़े किसानों द्वारा जबरन ले ली गई हैं जिससे आर्थिक अभाव का सामना करना इस समुदाय की मज़बूरी है।
- सहरिया समुदाय के निर्धन परिवारों को उनकी जमीनों से खदेड़ दिया गया है या फिर हाली के रुप में न्यूनतम मासिक मजदूरी पर रख लिया जाता है। अधिकांश सहरिया समुदाय के लोगों की जमीनें गिरवी रखी हुई हैं। इस कारण सहरिया समुदाय को आर्थिक रुप से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
- विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों में वर्गीकृत सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के माता-पिता और अभिभावकों को सरकारी योजनाओं की उचित जानकारी न होने के कारण उनका दुरुपयोग सरकारी कर्मचारियों और सामान्य समुदायों के संपन्न लोगों द्वारा किया जाता है। इस कारण सहरिया समुदाय को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है।
- कुछ दशक पूर्व तक सहरियाओं की आय का प्रमुख स्रोत जंगल और जमीन थे। परन्तु वर्तमान परिदृश्य में उनके समक्ष जमीन की चुनौती अत्यन्त गंभीर है। सहरियाओं द्वारा वनों के अंधाधुंध

कटाव से ध्यान हटाने एवं जमीन तथा कृषि की ओर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1961 ई. में सहरियाओं के बीच भू-आबंटन कार्यक्रम का अभियान चलाया गया। परन्तु दशकों बाद भी सहरिया समुदाय की इस चुनौती का आज भी कोई उचित समाधान नहीं हो पाया है।

पारिस्थितिकीय चुनौतियां (Ecological Challenges)

- सहरिया समुदाय के समक्ष जल, जंगल एवं जमीन की भयंकर चुनौती है जिससे इस समुदाय का जीवन संकटमय बना हुआ है।
- राजस्थान की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलें सहरिया आवासित क्षेत्रहैं। यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित पहाड़ियों से घिरा हुआ है जहां सामान्य वर्षा होती थी। आज यह क्षेत्र सूखा जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है सहरिया क्षेत्र अधिकतर पहाड़ियों से घिरा होने के कारण शुद्ध पेयजल की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है।
- चार से छः दशक पूर्व सहरिया समुदाय की अर्थव्यवस्था जंगल की पारिस्थितिकी पर आधारित थी। वनोत्पाद का संग्रहण और जंगली पशुओं का शिकार करना ही सहरिया समुदाय का मुख्य व्यवसाय था अर्थात वन, वनोत्पाद, वन के जानवर इनकी आजीविका के प्रमुख साधन थे। वस्तुतः जल, जंगल और जमीन इनके लिए कभी वरदान थे। इनके जीवन का आरंभ जंगल से ही होता था और जंगल में ही अस्त हो जाता था। सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा प्राकृतिक परिवेश में ही होती थी। जंगल के पेड़-पौधे और पशुपक्षी उनके शिक्षक होते थे, परन्तु आज के जंगलों की पारिस्थितिकी सहरिया समुदाय के लिए उपयोगी नहीं है।
- विलुप्त होती औषधीय वनस्पतियां, जंगलों का लगातार कटाव, सरकार के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरुप वन उपज के कार्य का न होना, जंगली हिंसक पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध इत्यादि के कारण सहरिया समुदाय के लिए जंगल का पारिस्थितिकीय महत्व अब कम हो गया है।

5.6.4 खण्ड-द (Section-D):- राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार तथा चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावशाली सुझाव

सहरिया जनजाति की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रभावशाली सुझावों से संबंधित निष्कर्ष (Findings related to Effective Suggestions to improve Educational and Psychosocial status of Sahariya Tribe):- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार एवं चुनौतियों के समाधान से संबंधित प्राप्त सुझाव इस प्रकार हैं-

- सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम को रुचिकर एवं रोजगारपरक बनाया जाये। इसके साथ ही विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी को दूर किया जाए। इसके लिए समाज के भाभाशाहों एवं समाजसेवी संगठनों से सहायता ली जा सकती है।
- आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी सहरिया बालक-बालिकाओं को कम सीटें होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसलिए इन विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं के वर्गों की संख्या बढ़ाकर सीटों में वृद्धि की जानी चाहिए।
- आवासीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग के विषयों के साथ ही गणित, विज्ञान, वाणिज्य, कम्प्यूटर आदि विषयों के अध्ययन अध्यापन पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन विषयों के चयन हेतु शिक्षकों द्वारा प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं को उच्च माध्यमिक स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे अधिकाधिक सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वे भी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेकर समाज और देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे।
- सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति में सुधार के लिये विद्यालय स्तर पर निर्देशन एवं परामर्शन सेवाओं को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आधुनिक सूचना तकनीकी की सहायता से सहरिया समुदाय को जागरूक किया जाये।

उपरोक्त प्रमुख निष्कर्षों के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त निष्कर्ष भी शोधकर्ता को शोध आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त हुए हैं, जिनका बिन्दुवार विवरण इस प्रकार है-

- ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें सहरिया समुदाय की जनसंख्या ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या का पचास प्रतिशत या इससे अधिक है उन ग्राम पंचायतों को जनजाति उपयोजना (टीएसपी) में सम्मिलित किया जाये। जनजाति उपयोजना में सम्मिलित न होने के कारण सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में सहरिया बालक-बालिकाओं को मात्र 80 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश मिलता है शेष 20 प्रतिशत स्थानों पर अन्य जनजातीय समुदायों के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दे दिया जाता है।

- शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में निर्देशन एवं परामर्शन सेवाओं का पूर्ण अभाव है। फलस्वरुप प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात आगे कौन-से विषयों का अध्ययन किया जाए ? इसका ज्ञान सहरिया बालक-बालिकाओं को नहीं हो पाता है।

- शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11^{th} और 12^{th} स्तर पर विज्ञान, गणित और वाणिज्य विषयों के शिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसलिए चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रबंधन और संघ लोक सेवा जैसी प्रमुख परीक्षाओं में सहरिया समुदाय के बालक-बालिकायें एवं युवक-युवतियां सम्मिलित नहीं हो पाते हैं।

- पाठ्यक्रम की संरचना सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की समसामयिक समस्याओं को ध्यान में रखकर रुचिकर भाषाशैली में की जानी चाहिए। यह सरल, सुबोध व्यावहारिक और स्थानीय परिवेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला हो।

- होली और दीपावली के बाद जब फसल काटने का समय होता है तो उस समय राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की कक्षा

में उपस्थिति नगण्य रहती है। इसका प्रमुख कारण बालक-बालिकाओं द्वारा उनके माता-पिता के साथ फसल काटने के बाद खेतों में बचे फसलों के अवशेषों को एकत्रित करना है।

- ❖ नियमित आय के साधन के अभाव में सहरिया जनजाति के परिवार अन्य प्रदेशों के बड़े शहरों के लिए पलायन कर जाते हैं जिससे विद्यालय में अध्ययनरत उनके बालक-बालिकाओं का नाम नियमित अनुपस्थिति के कारण कक्षा अध्यापक द्वारा कक्षा पंजिका से पृथक कर दिया जाता है।
- ❖ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के साथ मुख्य धारा के बालक-बालिकाओं द्वारा सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता है।
- ❖ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं को सुदूरवर्ती विद्यालय में आने-जाने के लिए पर्याप्त यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अधिकांश बालक-बालिकायें पैदल ही विद्यालय आते-जाते हैं।
- ❖ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें स्वयं को आकर्षक प्रदर्शित करने के लिए साज-सज्जा पर अधिक ध्यान देते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की कुछ बालिकाएं बिंदी और लिपस्टिक लगाकर आती हैं।
- ❖ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें स्वाभाव से संकोची, शर्मीले और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। माता-पिता एवं अभिभावकों को देखकर कुछ बालक-बालिकायें गुटखा खाना सीख जाते हैं, जिससे उनमें असमय ही कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुपोषित एवं दिव्यांग सहरिया बालक-बालिकाओं की पहचान करके उनकी उचित शिक्षा हेतु विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना के द्वारा सामान्य जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
- ❖ सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित माँ-बाड़ी केन्द्रों और राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और यदि आते भी हैं तो विद्यालय अवकाश के समय से पूर्व ही चले जाते हैं।

5.7 शोध-अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ (Educational implications of the Research Study) –

किसी भी शोध अध्ययन के निष्कर्षों की सार्थकता उपयोगिता उनके शैक्षणिक निहितार्थ पर निर्भर करती है। शैक्षणिक निहितार्थ न होने पर शोध अध्ययन की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है जिससे अमूल्य समय, धन एवं श्रम की हानि होती है एवं राष्ट्र को भी उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः शोध अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ अत्यन्त आवश्यक होते हैं। सच तो यह है कि भारत आज भी पाश्चात्य दासता से मुक्त नहीं हो पाया है। देश के मन मस्तिष्क पर ब्रिटिश शासन परोक्ष रूप से चल रहा है। भले ही कहने के लिए हम स्वतन्त्र समझे जायें लेकिन इस ब्रिटिश शासन को परोक्ष रूप से चलाने वाले हमारे अपने ही भाई बन्धु हैं, जिन्हें हम देश से निकाल तो नहीं सकते परन्तु अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करके उनके स्थान पर योग्य एवं शिक्षित उम्मीदवारों का चयन तो कर ही सकते हैं। हमारे देश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी दयनीय है, जितनी अन्यत्र मिलना असम्भव है। राष्ट्र की इन अन्धकारपूर्ण परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था में समयानुकूल परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित शैक्षणिक निहितार्थ अनुभूत किये गये हैं-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत राजस्थान राज्य की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की चुनौतियां उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं संरचना का परिणाम हैं। शिक्षा द्वारा उन्हें दूर किया जाना चाहिए। परन्तु प्रस्तुत शोध अध्ययन उन तथ्यों एवं कारणों का प्रस्फुटन करता है जो इन चुनौतियों के मूल में हैं।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन के सुझावों और योजनाबद्ध प्रयासों के क्रियान्वयन से सहरिया जनजाति के मस्तिष्क पटल पर अंकित शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को दूर किया जा सकता है। स्वाध्याय, रुचिकर पाठ्यक्रम, नवाचार एवं बाल केन्द्रित शिक्षण विधियों द्वारा सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति समग्र परिवर्तन करके उनकी चुनौतियों का उचित समाधान किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत शोध अध्ययन योजनाकारों को सहरिया जनजाति की शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय चुनौतियों से अवगत कराता है। साथ ही उनके नैसर्गिक ज्ञान तथा कौशल की विरासत को क्षीण होने से रोकने के लिए उनके शैक्षणिक उन्नयन हेतु मार्ग निर्दिष्ट करता है, ताकि इनकी मूल धरोहर का संरक्षण करते हुए इनके बालक-बालिकाओं के समग्र विकास में सहयोग मिल सके।
4. राजस्थान राज्य की सहरिया जनजाति का शोषण शताब्दियों से होता रहा है अतः उनका विश्वास जीतकर ही शैक्षणिक कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन को सफल बनाया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्तुत अध्ययन मार्गदर्शन का कार्य करता है।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं हेतु पंचायत स्तर पर उचित मार्गदर्शन देकर उनकी प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास हेतु किया जा सकता है।
6. विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बालक-बालिकाओं की मुख्य विषयों जैसे- गणित, विज्ञान,अंग्रेजी और वाणिज्य आदि में शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करता है। अतः यह शोध अध्ययन उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो विभिन्न जनजातियों के बालक-बालिकाओं और उनकी विद्यालयी शिक्षा से आबद्ध हैं।
7. प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की मनोसामाजिक स्थिति के विषय में शोध करने का नवीन मार्ग प्रशस्त होगा। शिक्षा शास्त्र विषय के क्षेत्र में किया जाने वाला यह प्रथम शोध अध्ययन है।
8. प्रस्तुत शोध अध्ययन इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बालक-बालिकाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए अर्थात शिक्षा बालक-बालिकाओं के लिये होनी चाहिये न कि बालक-बालिकायें शिक्षा के लिये।

5.8 भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव (Recommendations for the further Research Study) -

शोधकर्ता द्वारा सम्पन्न किये गये प्रस्तुत शोध अध्ययन ''राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का अध्ययन'' को पूर्णतः प्रदान करने के दौरान कुछ नवीन अनुभवों, विचारों को अनुभूत किया गया। इन नवीन अनुभवों तथा विचारों पर भविष्य के शोधकर्ताओं द्वारा शोध कार्य किये जा सकते हैं। वस्तुतः शोधकर्ता इन्हें भावी शोध अध्ययन हेतु सुझावों के रुप में भविष्य के शोधार्थियों की सहायतार्थ प्रस्तुत कर रहा है।

1. यह शोध अध्ययन केवल राजस्थान राज्य के बारां जिले में आवासित सहरिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्चप्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सहरिया बालक-बालिकाओं तक सीमित है। भावी शोधकर्ता माँ वाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत ड्राप आउट सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों के सन्दर्भ में भी अध्ययन कर सकते हैं।
2. माँ वाड़ी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन।
3. माँ वाड़ी केन्द्रों में सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को दिये जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता का अध्ययन।
4. प्रस्तुत अध्ययन लघु प्रतिदर्श पर ही किया गया है जबकि इसका प्रशासन अधिक बड़े प्रतिदर्श पर भी किया जा सकता है।
5. राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं को दिये जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का अध्ययन।
6. भावी शोधकर्ता उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की शिक्षा के प्रति सहरिया समुदाय की अभिवृति के विषय में भी अध्ययन कर सकते हैं।
7. उच्च शिक्षा में विशेषकर परास्नातक स्तर पर शिक्षा प्राप्त न करने के कारणों और चुनौतियों का अध्ययन।

8. व्यावसायिक शिक्षा यथा-अभियांत्रिकी और चिकित्सा शिक्षा में सहरिया समुदाय की नगण्यता के कारणों का अध्ययन।
9. सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में उच्च पद पर न पहुँचने के कारणों का अध्ययन।
10. किशनगंज और शाहबाद में अधिवासित सहरिया समुदाय के बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर उनके परिवार के पलायन के प्रभाव का अध्ययन।
11. किशनगंज और शाहबाद में सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों का सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालक और बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन।
12. सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों के अध्यापकों का सहरिया समुदाय के बालक और बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया जा सकता है।
13. सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक और बालिकाओं को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता का अध्ययन।
14. सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के बालक और बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि के सन्दर्भ में भी अध्ययन किया जा सकता है।
15. दिव्यांग सहरिया बालक-बालिकाओं की मनोसामाजिक स्थिति एवं चुनौतियों के विषय में भी अध्ययन किया जा सकता है।
16. प्रस्तुत शोध अध्ययन सहरिया जनजाति के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बालक-बालिकाओं तक ही सीमित है जबकि इसका विस्तार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य जनजातियों के युवक-युवतियों की समस्याओं के सन्दर्भ में भी किया जा सकता है।
17. भावी शोधार्थियों को विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) से संबंधित अध्ययन करने से पूर्व उस जनजाति के मध्य रहकर अधिक से अधिक समय व्यतीत करने के साथ उसका विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए, ताकि शोध अध्ययन की नैसर्गिकता बनी रहे।

18. भावी शोधार्थियों को विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) से संबंधित अध्ययन करने के दौरान मानवशास्त्रियों और जनजातीय विशेषज्ञों का सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। इनके सहयोग के अभाव में शोध की वैधता और विश्वसनीयता संदिग्ध बनी रहती है।
19. जनजातीय शोध अध्ययन अत्यंत संवेदनशील विषय है इसलिए किसी भी शब्द को लिखने से पूर्व जनजाति के सन्दर्भ में उस शब्द की प्रासांगिकता और भाव को विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जान लेना चाहिए।
20. जनजातीय शोध अध्ययन दीर्घ अवधि वाले होते हैं इसलिए भावी शोधार्थियों को शोध के दौरान धैर्य बनाये रखना चाहिए।

5.9 शोध-अध्ययन के दौरान शोधकर्ता के सम्मुख आने वाली चुनौतियां (Challenges faced by Researcher during theResearch Study)-

शोध के दौरान शोधकर्ता द्वारा अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां शोध और शोध के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित हो सकती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती किसी समुदाय की विभिन्न प्रवृतियों का अध्ययन करना होता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान प्रथम चुनौती सहरिया समुदाय से संबंधित उपलब्ध शोध सहित्य की थी। इन्टरनेट की विभिन्न साईटों पर भी सहरिया समुदाय से संबंधित साहित्य उपलब्ध नहीं है। जो साहित्य उपलब्ध था भी तो वह शोध हेतु पर्याप्त, विश्वसनीय और वैध नहीं था। जनजातियों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानों में भी सहरिया आदिम समुदाय से संबंधित्त साहित्य की उपलब्धतता नगण्य थी, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर सहरिया साहित्य के लेखकों से सम्पर्क स्थापित किया गया। द्वितीय चुनौती शोध विधि और अभिकल्प की थी जिसके आधार पर शोध किया जाना था। शोध विधि और अभिकल्प के आधार पर ही शोध के प्रतिदर्श का निर्धारण तथा आंकड़ों का संकलन किया जाता है। तृतीय चुनौती सहरिया बाहुल्य क्षेत्र से आंकड़ों का संकलन और उनका विश्लेषण थी। सहरिया बाहुल्य क्षेत्र की भौगोलिक संरचना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होने के कारण शोधकर्ता का सहरिया समुदाय से संपर्क स्थापित करना कठिन था। सहराना तक पहुँचना बहुत कठिन था। क्योंकि दुर्गम स्थानों तक आवागमन हेतु यातायात का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। शोधकर्ता को सहरिया बाहुल्य क्षेत्र के प्रतिदर्श हेतु चयनित ग्रामों तक पहुँचने के लिए शारीरिक और

मानसिक अवरोधों का सामना करना पड़ा। सहरिया समुदाय द्वारा नवगठित संगठन सहरिया विकास समिति के दिशा-निर्देशों के कारण सहराना में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को निषेध किया गया है। महर्षि वाल्मीकि मन्दिर सीताबाड़ी के प्रांगण में संगठन सहरिया विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित 84 ग्रामों के सहरियाओं के सम्मलेन से आयोजकों ने शोधकर्ता को निवेदनपूर्वक बाहर जाने के लिये विवश किया गया। ऐसी अनेक विषम पारिस्थितियों का सामना शोध हेतु आंकड़ों के संकलन के समय शोधकर्ता द्वारा किया गया है, जिनका वर्णन कुछ पृष्ठों में करना संभव नहीं है। आंकड़ों के संकलन के पश्चात उनका विश्लेषण कैसे किया जाए ? कौन-सा परीक्षण प्रयोग करके परिणामों का अर्थापन किया जाए ? परिणामों के अर्थापन को शोध निष्कर्ष में कैसे परिवर्तित किया जाए ? इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न शोधकर्ता के सम्मुख शोध को अंतिम रुप देने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। शोधकर्ता के सम्मुख अंतिम चुनौती शोध प्रतिवेदन को तैयार करने की थी, जिसका समाधान शिक्षकों और सहयोगियों की सहायता से किया गया।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) से संबंधित शोध अध्ययन अत्यंत चुनौतीपूर्ण होते हैं, जिनको सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु शोधकर्ता का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रुप से सशक्त होना अति आवश्यक है।

5.10 शोध-अध्ययन की सीमायें (Limitations of the Research Study)-

प्रत्येक शोध अध्ययन की अपनी सीमायें होती हैं। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध अध्ययन भी पृथक नहीं है। इसकी सीमायें निम्नलिखित हैं-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में वर्गीकृत राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं पर ही किया गया है।
2. राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सन्दर्भ में शिक्षा में होने वाला यह प्रथम शोध अध्ययन है, जिसमें राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक और मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियों का ही अध्ययन किया गया है। अन्य क्षेत्रों जैसे-विशेष शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और मिड-डे-मील आदि विषयों का अध्ययन नहीं किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन अपेक्षाकृत लघु प्रतिदर्श पर किया गया है।

4. यह अध्ययन केवल राजस्थान राज्य के बारां जिला की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में आवासित सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के सन्दर्भ में ही किया गया है।
5. राजकीय विद्यालयों का चयन केवल शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों से ही किया गया है।

5.11 शोध अध्ययन का निष्कर्षात्मक विवेचन (Conclusional Discussion of the Research Study) -

विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में सम्मिलित राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं हेतु उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी विद्यालयों में आधारभूत ढांचे में नवाचार और सुधार करने के लिए ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार संपन्न कर सहरिया जनजाति के बालक- बालिकाओं को बड़े स्तर पर शिक्षित किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मजबूत उपकरण है, जिसके माध्यम से सहरिया समुदाय में अशिक्षा को दूर किया जा सकता है। दूसरी ओर नीतिकारों, राज्य एवं केन्द्र सरकारों को जनजातियों से संबंधित नीतियों को बनाने से पूर्व उनकी वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान है। उसकी अपनी आवश्यकतायें हैं। इसलिए उसकी रुचि, क्षमता एवं परिवेश को ध्यान में रखते हुये नीतियों को मूर्त रुप दिया जाना चाहिए। मात्र योजनाओं के बनाने या निशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध करा देने से ही राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक स्थिति तथा चुनौतियां कम नहीं हो सकती। इसके लिए योग्य, कर्मठ, समर्पित एवं चरित्रवान शिक्षकों की नियुक्ति सहरिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विद्यालयों में करना, शैक्षणिक योजनाओं की समयबद्ध अनुपालना, विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की उचित संख्या, प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्रीय अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण, शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना, विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे- बालिका शौचालय, पीने के लिए स्वच्छ पानी, बैठने के लिए फर्नीचरयुक्त हवादार कमरे, महिला शिक्षक, महिला सुरक्षा कर्मी और टीएलएम आदि की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से नीतियों की वस्तुस्थिति की समीक्षा करना और कठोरता के साथ पारदर्शी निरीक्षण व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना जरुरी है।

*** ***

ग्रंथ सूची
(Bibliography)

अग्रवाल, ए.के., महोत्रे, आर.एन., अग्रवाल, अंजू और गुप्ता, गिनीषा (2016). ग्वालियर डिवीजन में सहरिया आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और स्वास्थ्य स्थिति : एक सांतिष्क विश्लेषण, ट्राइबल हेल्थ बुलेटिन, 23(1), पृष्ठ संख्या 51- 59.

अरोड़ा, एच. (2011). *शोध प्रविधि और प्रक्रिया,* नई दिल्ली:के.के. पब्लिकेशन्स।

आर. सीमा (2015). सहरिया जनजाति विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम, उदयपुर: राजीव गाँधी जनजातीय विश्वविद्यालय।

आहूजा, आर.(2004), *सामाजिक अनुसंधा,*जयपुर:रावत पब्लिकेशन्स।

कपिल, एच.के.(2014). *अनुसंधान विधियाँ (व्यवहारपरक विज्ञानों मे),* आगरा:एच.पी.भार्गव बुक हाउस।

कुरैशी,अब्दुल कादर (2002) इम्पेक्ट ऑफ डवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑन सोशियो –इकोनोमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स (ए केस स्टडी ऑफ दि सहरिया ट्राइब इन राजस्थान), कोटा: वीएमओयू।

कोहन, लुइस., मेनोन, लॉरेंस एंड मोरिसन (2005, 5th Ed). रिसर्च मैथड्स इन एजुकेशन: लन्दन, पब्लिस्ड बाय रौथ्लेजे फल्मेर।

कौल, एल.(2011). *शैक्षिक अनुसन्धान की कार्यप्रणाली,* आगराः विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0।

खान, वाई. ए. (2000). ट्राइबल लाईफ़ इन इण्डिया. जयपुर : आरबीएसए पब्लिशर्स।

गुप्ता, ए जैन, जी. एल. (2009). *आधुनिक शोध प्रणाली,* जयपुर: श्री निवास पब्लिकेशन्स।

गुप्ता, एस.पी. (2008). *आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन,* इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

गुप्ता, एस.पी. (2008). *उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान,* इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

गुप्ता, यू. सी. और गुप्ता, मंजू (1994). सहरिया जनजाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति :एक विवेचन. ट्राइब(एम.एल. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान), 26(3-4), पृष्ठ संख्या 150-155.

गुप्ता,एस. पी.(2008). *सांख्यिकीय विधियाँ (व्यवहार परक विज्ञानों में),* इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।

चौहान, एन. एस. एवं अरोरा, एस. (न. सं.). *एटीट्यूड स्केल (हमारे दृष्टिकोण),* मेरठ: मनोविज्ञान अनुसंधान पीठ।

जावलिया, बृजमोहन (2001). सहरिया : प्राचीन इतिवृत्त. ट्राइब(एम.एल. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान), 33(1-4), पृष्ठ संख्या 66-70.

जैन, जी. एल. (2009). *आधुनिक शोध प्रणाली,* जयपुर: श्री निवास पब्लिकेशन्स।

जैन, बी.एम. (2007). *रिसर्च मैथडोलॉजी,* जयपुर: रिसर्च पब्लिकेशन्स।

जैन, संजीव कुमार (2007). सहरिया आदिम जनजाति के वहिष्कार और अधिकार के बारे में एक दस्तावेज, मध्य प्रदेश : क्राय।

तलवार, वी.वी. (2008).*झारखण्ड के आदिवासियों के बीच:एक एक्टीविष्ट के नोट्स,* नई दिल्ली:भारतीय ज्ञानपीठ।

तिवाड़ी, ए. के. एवं सक्सैना, हरिमोहन (1994). *राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल,* जयपुर:राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

तिवारी (पाण्डे), एम. शर्मा, ए. और शर्मा, एल. के. (2016). सहरिया समाज शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण. शिक्षामित्र, 8(3), पृष्ठ संख्या 34-35.

तिवारी, वी. के. (1980). *भारत की जनजातियाँ,* नई दिल्ली:पी.सी.

दुबे, एम्. सी. (1969). *मानव और संस्कृति,* नई दिल्ली:राजकमल प्रकाशन।

द्विवेदी, एम. (2003). *सामाजिक नृ-विज्ञान,* जयपुर:राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

नागा,बाबूलाल (2013) भूख से जंग लड़ते सहरिया, बारां पत्रिका, 4(50) पृष्ठ संख्या 10-11.

निरगुणे, बी.(1993). *सहरिया,* भोपाल: मध्य प्रदेश आदिवासी लोककला परिषद।

पलात, आर. (2014). *राजस्थान की वनविहारी जनजातियाँ,* उदयपुर:हिमांशु पब्लिकेशंस।

पांडेय, गणेश और पाण्डेय अरुणा (2012). *भारत की जनजातियाँ*, नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशन्स।

पाण्डेय, जी. एवं पाण्डेय, ए. (2005). *शोध प्रविधि,* नई दिल्ली:राधा पब्लिकेशन्स।

प्रधान, नित्यानन्द एवं पटनायक जीसु केतन (2003). चैलेंजेज इन एजुकेशन ऑफ़ शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन:ए केस स्टडी ऑफ़ एन आश्रम स्कूल. दी रवेंशा जर्नल ऑफ एजुकेशनल इश्यूज, 2(3), पृष्ठ संख्या 83-90.

फ्लिक, उवे (2010). एन इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च: लन्दन, सेज, पब्लिकेशन।

बहुरा, जी. एन. (2012). *पश्चिमी भारत की यात्रा:ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इण्डिया का हिन्दी अनुवाद,* जोधपुर:राजस्थान ग्रंथागार।

बेस्ट, जॉन. डब्ल्यू. एवं कॉन, जेम्स. पी. (2008). *रिसर्च इन एजुकेशन,* नई दिल्ली:पियर्सन एजुकेशन इंक एण्ड डॉर्लिंग किण्डरसली।

भटनागर, आर. पी. एवं भटनागर, एम. (2007). *शिक्षा अनुसंधान*, मेरठ: इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।

भटनागर, आर.पी. एवं भटनागर, मीनाक्षी (2007): *मापन एवं मूल्यांकन के मूल तत्व,* मेरठ: इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।

भार्गव, एम. (2009). *आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन*, आगरा: एच.पी.भार्गव बुक हाउस।

मजुमदार, डी. एन. एवं मदान, टी. एन.(1985). *सामाजिक समाजशास्त्र परिचय,* नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस।

मीणा, के.पी. (2015). *आदिवासी विद्रोह:विद्रोह परंपरा और साहित्यिक अभिव्यक्ति की समस्याएँ,* नई दिल्ली:अनुज्ञा बुक्स।

मीणा, रमेशचन्द्र (2010). हर जगह से विस्थापित है आदिवासी, ट्राइब (एम.एल. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान), 41 (1-2), पृष्ठ संख्या 74.

मीणा, हरिराम (2012). आदिवासी दुनियां, नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट।

मुखर्जी, आर. एन. (2008).सामाजिक शोध व सांख्यिकी, नई दिल्ली:विवेक प्रकाशन।

मेहता, पी. सी.(1993). *भारत के आदिवासी,* उदयपुर:माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संसथान।

राय, पी.एन. एवं राय, सी. पी.(2014). *अनुसन्धान परिचय,* आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।

रायजादा, बी.एस. (1997). शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

लाल, आर. बी. (2009). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत,* मेरठ:रस्तोगी पब्लिकेशन्स।

विश्वास, आर. के., एवं कपूर, के. (2003). ए स्टडी ऑन मोर्टिलिटी अमंग सहरिया –ए प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश. एन्थ्रोपोलोजिस्ट, 4(2), पृष्ठ संख्या 283-290.

वी. ए., हसीना एवं मोहम्मद, अजीम्स पी. (2014). स्कोप ऑफ़ एजुकेशन एण्ड ड्रॉपआउट अमंग ट्राइबल स्टूडेंट इन केरल-ए स्टडी शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन अत्तापपडी, आईजेएसआरपी, 4(1), पृष्ठ संख्या 1-13.

व्यास, एन.,एवं भानावत, एम.(2008). आदिवासी जीवनधारा, उदयपुर: हिमांशु पब्लिकेशन्स।

व्होरा, ए.(2010). झारखण्ड में आदिवासी लड़कियों कि शिक्षा. प्राथमिक शिक्षक, 2(34), पृष्ठ संख्या 46-49.

शंकर, विवेक (2014). *सहरिया : समाज एवं संस्कृति,* जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

शंकर, विवेक (2014). सहरिया जनजाति का लोक साहित्य, जयपुर : राज पब्लिशिंग हाउस।

शर्मा, अशोक (2009). राजस्थान में जनजाति : स्थिति एवं विकासात्मक आयाम, ट्राइब(एम.एल. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान), 39-41(1-2), पृष्ठ संख्या 111.

शर्मा, आर. ए. (2008). *शिक्षा अनुसंधान,* मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।

शर्मा, एस.(2004). *भारत में महिला साक्षरता की स्थिति,* अंक 30, सं. 12, कुरुक्षेत्र, पृ. 24-26. सितम्बर।

शर्मा, जी. (1989). *राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास,* जयपुर:राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

शर्मा, वी. पी. (2007). *रिसर्च मैथडोलॉजी,* जयपुर: पंचशील प्रकाशन।

श्रीवास्तव, डी. एन. (2008). *सांख्यिकी एवं मापन,*आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।

श्रीवास्तव, रश्मि (2012). सहरिया जनजाति साहित्य एवं संस्कृति, जयपुर : पंचशील प्रकाशन।

श्रीवास्तव, सुरभि (2016). इण्डीजीनस टूरिज्म डवलपमेंट:केस एनालिसिस ऑफ सहरिया ट्राइब. 4(1), एजेएमएस, पृष्ठ संख्या 57-66.

सक्सैना, एन. सी. (2011) आदिवासियों की उपेक्षा और अधिकार एवं समेकित पहल जरुरी. योजना,8(4), पृष्ठ संख्या 6-9.

सक्सैना, एस.(2004). *शिक्षा के दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार,* आगरा:साहित्य प्रकाशन।

समदानी, सत्यनारायण (2001). आदिम सहरिया, ट्राइब(एम.एल. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान), 33(1-4), पृष्ठ संख्या 71-85.

सरीन, एस.(2008). *शैक्षिक अनुसन्धान विधियाँ (सांख्यिकी सहित),* आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।

साहू, कविता कुमारी (2014) चैलेंजिंग इश्यूज ऑफ़ ट्राइबल एजुकेशन इन इण्डिया, आईओएसआर-जेईएफ, 3(2), पृष्ठ संख्या 48- 52.

सिंह, आर. आर. एवं कुमारी, एम. (2012). *शिक्षा में अनुसन्धान विधियाँ एवं सांख्यिकी,* हल्द्वानी:उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय।

सिंह, ए. के. (2006). *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ,* नई दिल्ली:मोतीलाल बनारसीदास।

सिंह, पी. (2010). *सहराना,* नई दिल्ली:अभिरुचि प्रकाशन।

Basu, D.D. (Reprint, 2000). *Introduction to the Constitution of India, 18th edition,* New Delhi:Wadhwa & Company.

Biswal, T. (20 06). *Human Rights: Gender and Environment,* New Delhi: Viva Books.

Blackswan, O. (1996). The Structure of Hindu Society, New Delhi: Orient Longman Limited.

Bobbitt, J. F. (1918). *The Curriculum,* Bibilio Bazaar IILLC: Bibliolife DBA.

Bose, N. K.(1975). *The Structure of Hindu Society,* New Delhi: Orient Longman Limited.

Creswell, J.W. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (3rd Ed.),* New Delhi: Sage.

Elwin, V.(1955). *The Religion of an Indian Tribe,* Oxford: Oxford University Press.

Henzi, D. Davis, E., Jasinevicius, and Hendricson, W. (2007). *In the students' own words: what are the strengths and weaknesses of the dental school curriculum.* Journal of Dental Education 71(5): 632-645.

Laxmikanth, M. (2014). *Governance in India,* NewDelhi: McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited.

Morgan, D.L. (1988). *Focus Group as qualitative research,* UK: Sage.

Rao, M.S.A. (1979). *Challenges and Responses in TribalIndia,* New Delhi: Manohar Publications.

Russell. R. V. and Hiralal, R. B. (1916,Vol.-2).*The Tribes and Castes of the Central Provinces of India,* London: MacMillan and Company Limited.

Shah, G. (2002). *Social Movement and State*, New Delhi: Sage Publications.

Singh, R.(2004). *Perception of Parents towards Gender Equity in Higher*

Singh, S.K. (1985). *Tribal Society in India*, New Delhi: Manohar Publications.

Somayaji, S. and Somayaji, G. (2006).*Sociology of Globalization: Perspectives from India*, Jaipur:Rawat Publications.

Stewart, D. W. and Shamdasani, P.N. (1990). *Focus Groups: Theory and Practices,* UK: Sage.

Tod, J.(1839). Travels in Western India, London: W. H. Allen.

Vyas, N.N. (1980). *Bondage and exploitation in tribal India,* Jaipur:Rawat Publications.

Vyas, N.N. and Mehta, P.C. (1994). *Changing land relations in tribal India,* Jaipur:Rawat Publications.

Vyas, N.N. and Singh, R. (1980). *Indian tribes in transition,* Jaipur:Rawat Publications.

अन्तर्वाना स्रोत
(Internet Resources)

Lokur Committee (1965), Report of the Advisory Committee on the Revision of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Government of India (Department of Social Security). Retrived from https://tribal.nic.in/writereaddata/AnnualReport/LokurCommitteeReport.pdf/18/12/2017/15:49PM

Vulnerable tribes: lost in a classification trap – The Hindu (April 08, 2017). Retrived from http://www.thehindu.com/news/national/vulnerable-tribes-lost-in-a-classification-trap/article17894997.ece/3/2/2018/12:51PM

PVTG – Particularly Vulnerable Tribal Groups listed by the Government of India (interactive map). Retrived from http://www.indiantribalheritage.org/?page_id=22029/3/2/2018/12:51PM

Toolkits. (2009).*Research tools: Focus group discussion.* Retrieved from https://www.odi.org/publications/5695-focus-group discussion/15/12/2017/12:52PM

Prasad, M. (2015).*What is a Focus Group Discussion?* Retrieved from

https://blog.socialcops.com/academy/resources/conduct-successful-focus-group-discussion/15/12/2017/13:13PM

University of Guelph. Introduction to the SWOC Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Challenges). Retrived from https://www.uoguelph.ca/vpacademic/avpa/outcomes/analysis.php 15/12/2017/13:23PM

Goyal, M. (2016).Home Science: E-Book. Retrieved from

Novek, S. Menec, V. and Tran, T. (2013). Social Participation and its Benefits, Canada:Centre on Aging, MOU. Retrieved from

www.gov.mb.ca/seniors/publications/docs/senior_centre_report.pdf/17/12/2017/12:15PM

एडमिन (2017). सामाजिक भय/सामाजिक चिंता विकार. Retrieved from

Pandey, S. R. (2015). Social phobia या सामाजिक भय के कारण और निदान. Retrieved from

https://www.ewellnessexpert.com/hindi_blog/19/social-phobia-samajik-bhay-karan-aur-nidaan/17/12/2017/15:18PM

Enz, C. A. and Thompson, G. M. (2013). The Options Matrix Tool (OMT): A Strategic Decision-making Tool to Evaluate Decision Alternatives. Retrieved from http://scholarship.sha.cornell.edu/chrtools /21/12/2017/14:20PM

http://www.indg.in/social-sector/tribal-welfare/Tribals13/09/14/9:44AM

http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=1104/13/09/2014/9 :50 AM

http://www.yourarticlelibrary.com/18/08/2017,9:24AM

http://www.aadivasisamaj.com/18/08/2017,9:30AM

http://www.books.google.com/18/08/2017,9:34AM

http://www.education.nic.in/18/08/2017, 9:53PM.

http://openlibrary.org›publishers›Rajasthan/18/08/2017, 9:53PM

https://hi.wikipedia.org/wiki/जेम्स_टॉड/18/08/2017, 10:30PM

http://www.arvindsinghmewar.com›coatfarms/19/08/2017/3:00AM

http://www.education.stateuniversity.com›pages/19/08/2017/3:15AM

http://www.rajras.in/index.php/tribes-of-rajasthan/18/09/2017/11.41 AM

http://www.mapsofindia.com/print_image.php?id 03/10/2017, 3:14 AM

http://www.ignca.nic.in/coilnet/rj007.htm 11/12/2017/13:22PM

http://rajrmsa.nic.in14/12/2017/14:53PM

https://study.com>academy>research14/12/2017/15:06PM

https://www.researchgate.net/14/12/2017/15:10PM

https://in.linkedin.com/14/12/2017/15:15PM

https://books.google.co.in/books?isbn=9381865248/17/12/2017/13:51PM

healmytrauma.info/hi/social-phobiasocial-anxiety-disorder//17/12/2017/15:05PM

http://connectrajasthan.com/statistical-profile-of-baran/02/12/2017/11:12AM

राजस्थान की सहरिया जनजाति के विभिन्न प्रकार के आवास (सघन सहराना)

राजस्थान की सहरिया जनजाति के विभिन्न प्रकार के आवास (विरल सहराना)

राजस्थान की सहरिया जनजाति के विभिन्न प्रकार के आवास (विरल सहराना)

सहराना में बालक-बालिकाओं की दिनचर्या

सहराना में बालक-बालिकाओं की दिनचर्या

सहराना में बालक-बालिकाओं की दिनचर्या

पढ़ाई छोड़कर घरेलु कार्यों में संलग्न राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिका

राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं की माताओं की दिनचर्या

राजस्थान की सहरिया जनजाति की बालिका महिलाओं के साथ पीने के पानी हेतु प्रयासरत

राजस्थान की सहरिया जनजाति की बालिका माता-पिता के साथ जंगल से लकड़ी ले जाते हुए

राजस्थान की सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के माता-पिता की दिनचर्या

राजस्थान की सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा अतिथियों के स्वागत हेतु की जा रही भूमि चित्रकारी

राजस्थान की सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा अतिथियों के स्वागत हेतु की गयी भूमि चित्रकारी

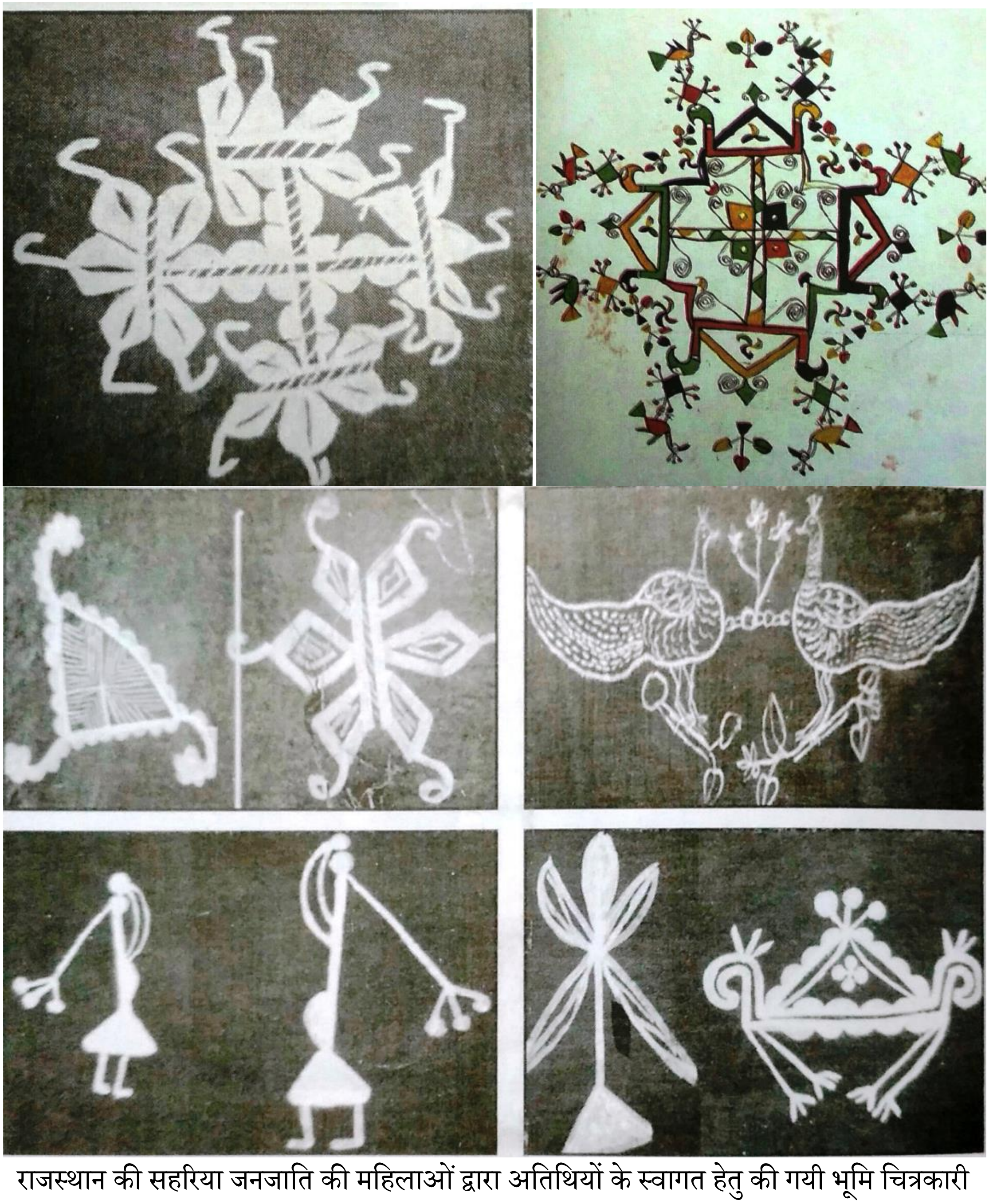

राजस्थान की सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा अतिथियों के स्वागत हेतु की गयी भूमि चित्रकारी

विद्यालय की सामूहिक प्रार्थना सभा में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

कक्षा में सहपाठियों के साथ अध्ययन और मनोरंजन में संलग्न सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

विद्यालय प्रांगण में सहपाठियों के साथ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

समय पर विद्यालय खुलने की प्रतीक्षा में सहपाठियों के साथ सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

विद्यालय में सहपाठियों के साथ सफाई करते सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

विद्यालय जाने के दौरान सहपाठियों के साथ सहरिया जनजाति की बालिकायें

विद्यालय जाने के दौरान सहपाठियों के साथ सहरिया जनजाति के बालक

अध्ययन के दौरान सामूहिक गतिविधि में संलग्न सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

सहपाठियों के साथ स्वाध्याय में संलग्न सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

मध्याहन भोजन से पूर्व सहपाठियों के साथ वर्तन साफ़ करते सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

मध्याहन भोजन से पूर्व सहपाठियों के साथ वर्तन साफ़ करते सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

विद्यालय में महिला कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जा रहा मध्याहन भोजन

विद्यालय में सहपाठियों के साथ मध्याहन भोजन करते सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

विद्यालय में सहपाठियों के साथ मध्याहन भोजन करते सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

विद्यालय में बाल-दिवस पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते सहरिया जनजाति के बालक-बालिकायें

विद्यालय प्रांगण में मुक्त विचरण करते आवारा पशु

आवासीय विद्यालय में सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के जीवन के विविध आयाम

विद्यालय की परिधि से बाहर सहरिया जनजाति के बालक-बालिकाओं के जीवन के विविध आयाम

आंकड़ों को संकलित करने के दौरान शोधकर्ता